दशम माला, खण्ड 40, अंक 22

गुरुवार, 4 मई 1995
14 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

दशम माला, खंड : 40, तेरहवां सत्र, 1995 / 1917 (शक)

अंक : 22, गुरुवार 4 मई, 1995 / 14 वैशाख, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	421 से 424	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	425 से 440	24-41
अतरांकित प्रश्न संख्या :	4295 से 4524	41-258
सभा-पटल पर रखे गये पत्र		279-280
अधीनस्थ विधान संबंधी स्थायी समिति		
सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत किया गया**		281
कृषि संबंधी समिति		
उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत किया गया**		281
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति		
इक्कीसवां प्रतिवेदन - **सभा पटल पर रखा गया**		281
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
उत्तरी क्षेत्र में डीज़ल और पेट्रोल की कमी		
कैप्टन सतीश कुमार शर्मा		282-285
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	उड़ीसा सरकार को गंजम और गजपति जिलों में पीने के पानी की भयंकर समस्या को सुलझाने के लिये केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
	श्री गोपीनाथ गजपति	286
(दो)	नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन को उसके नवीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य अनुषंगी कार्यों को शामिल करने और वर्तमान एककों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु अनुदेश देने की आवश्यकता	
	डा. पी. वल्लल पेरूमान	286-287
(तीन)	राजस्थान में उदयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर बाई पास का निर्माण करने की आवश्यकता	
	श्री भेरू लाल मीणा	287
(चार)	उड़ीसा के देवगढ़ शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 पर बाई पास का निर्माण करने की आवश्यकता	
	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	287-288

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(पाँच) राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को देय सभी ऋण तथा ब्याज को माफ करने की आवश्यकता

श्रीमती वसुन्धरा राजे 288

(छह) पूरे देश में 'नवो शूद्र' जाति को आरक्षण सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता

श्री बलराज पासी 288

(सात) सिलीगुड़ी के अम्बारी-फलकट्टा हवाई अड्डे को चालू करने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र नाथ दास 288-289

(आठ) पश्चिम बंगाल सरकार को सुन्दरवन क्षेत्र में नदियों में गाद जमा होने की समस्या को सुलझाने के लिये समुचित वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 289

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण 290-300

असम में मलेरिया के फैलने और उसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति

श्री उद्धव बर्मन 290-294

श्री पवन सिंह घाटोवार 290-292 और 298-300

श्री अजय मुखोपाध्याय 294-295

श्री बसुदेव आचार्य 295-297

श्रीमती सुशीला गोपालन 297-298

श्री सुव्रत मुखर्जी 298

रेल बजट, 1995-96 - सामान्य चर्चा, 301-328

रेल अभिसमय समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करने के संबंध में संकल्प

अनुदानों की मांगे (रेल) 1995-96

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1992-93

डा. गिरिजा व्यास 301-302

श्री माणिकराव होडल्या गावीत 302

श्री इन्द्रजीत 303-304

श्री पी.जी. नारायणन 304-305

श्री हन्नान मोल्लाह 305-306

श्री प्रभु दयाल कठेरिया 306

डा. छत्रपाल सिंह 306-307

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल 307

डा. सुधीर राय 307

श्री नारायण सिंह चौधरी 307-308
श्री भवानीलाल वर्मा 308-309
श्री आर. जीवरत्नम 309-311
श्रीमती सरोज दुबे 311-312
श्री श्री जितेन्द्र नाथ दास 312
श्री उद्धव वर्मन 312
प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती 312-313
श्री लाल बाबू राय 313
डा. रमेश चन्द तोमर 313-314
श्री अजय मुखोपाध्याय 314
डा. कार्तिकेश्वर पात्र 314
श्री सी.के. जाफर शरीफ 315-328

रेल अभिसमय समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करने के संबंध में संकल्प - स्वीकृत 344-345

अनुदानों की मांगे (रेल) 345

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) 346

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1995

पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव 346

विचार करने का प्रस्ताव

श्री सी.के. जाफर शरीफ 346

खण्ड 2, 3, और 1

पारित करने का प्रस्ताव

श्री सी.के. जाफर शरीफ 347

विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1995

पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव

विचार करने का प्रस्ताव

श्री सी.के. जाफर शरीफ 347

खण्ड 2, 3, और 1

पारित करने का प्रस्ताव

श्री सी.के. जाफर शरीफ 348

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1995-96

रक्षा मंत्रालय 351

कटौती प्रस्तावों का पाठ 352-353

लोक सभा

गुरूवार, 4 मई, 1995/14 वैशाख, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र

*421. श्री गोपीनाथ गजपति :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए देश में यदि कोई प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है तो वे कहां कहां पर खोले जायेंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिए कोई नया प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

(ख) भुवनेश्वर, उड़ीसा में एक कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) स्थापित किया जा रहा है तथा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक दूरदर्शन प्रशिक्षण संस्थान चालू किए जाने हेतु तैयार है।इसके अतिरिक्त कटक स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान में आकाशवाणी/दूरदर्शन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा इसे एक निर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने हेतु इसका उन्नयन किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं।

अनुबन्ध - I

देश में आकाशवाणी/दूरदर्शन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थानों के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार स्थल।

राज्य

1. **आन्ध्र प्रदेश**
   (1) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, (कार्यक्रम), हैदराबाद।
2. **गुजरात**
   (1) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) अहमदाबाद।
3. **केरल**
   (1) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) तिरुवनन्तपुरम।
4. **मेघालय**
   (1) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), शिलांग।
5. **उड़ीसा**
   (1) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), कटक।
6. **उत्तर प्रदेश**
   (1) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) लखनऊ।

संघ शासित क्षेत्र

1. **दिल्ली**
   (1) कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)।
   (2) प्रशिक्षण संस्थान, सिविल निर्माण स्कन्ध, आकाशवाणी।
   (3) कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम)।

अनुबन्ध - II

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए आरंभ किए जाने हेतु प्रस्तावित कुछ नए पाठ्यक्रम।

1. **तकनीकी कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम**
   (क) आर.डी.एस./एफ.एम. पेजिंग
   (ख) सैटेलाइट टेक्नोलॉजी।
   (ग) डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग।
   (घ). सी.सी.डी. कैमरा़ज।
   (ङ) फाइबर ऑपटिक्स।
   (च) सी.डी./आर. डाट।
   (छ) आडियो डिजिटल पोस्ट प्रोडक्शन कोर्स।
2. **प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम**
   (क) लिपिक ग्रेड 2/लिपिक ग्रेड । हेतु बुनियादी प्रशिक्षण।
   (ख) आशुलिपिको के लिए आधारभूत प्रशिक्षण।
   (ग) लेखाकारों/हैड क्लर्को के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम।
   (घ) स्टोर कीपरों/रोकड़ियों के लिए पुनर्भिविन्यास पाठ्यक्रम।
3. **कार्यक्रम स्टाफ हेतु पाठ्यक्रम**
   (क) एड्स जागरूकता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(ख) स्थानीय रेडियो केन्द्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमुखों हेतु कार्यशाला।

(ग) एफ.एम. चैनलों पर कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण हेतु अभिविन्यास पाठ्यक्रम।

(घ) कार्यक्रम कार्मिकों तथा इंजीनियरों के लिए मल्टी-चैनल स्टीरियों रिकार्डिंग प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला।

(ङ) विश्व कप, 1996 मैचों के कवरेज के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टाफ और क्रिकेट कॉमेंटेटरों के लिए कार्यशाला।

श्री गोपीनाथ गजपति : अध्यक्ष महोदय, ऐसा संयोग बहुत कम ही होता है कि एक लम्बे समय के बाद, मेरे अपने गृह-राज्य के, हमारे कर्मठ केन्द्रीय मंत्री के साथ मौखिक चर्चा के लिए मेरे एक तारांकित प्रश्न को शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह विचार किसके लिए व्यक्त किया गया है।

श्री गोपी नाथ गजपति : मुझे यह भी देखना चाहिए कि इस समय दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, अत: यह आवश्यक है कि संबंधित कर्मचारियों के लिए हमारे मानदण्डों में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए ताकि विदेशी प्रतिस्पर्धियों के समक्ष ये व्यावसायिक रूप से सक्षम सिद्ध हो सकें। अत:, महोदय, क्या आपके माध्यम से मैं यह जान सकता हूँ कि क्या स्वयं माननीय केन्द्रीय मंत्री द्वारा लेफ्टि. जनरल (रिटायर्ड) के. बलराम की अध्यक्षता में नियुक्त चार-सदस्यीय समिति द्वारा उन सिफारिशों को जो दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं देने के बारे में थीं, कार्यान्वित किया गया है, इसके अतिरिक्त भारतीय जन संचार संस्थान में विशेष बजट से एक अलग विंग बनाना भी सन्निहित था।

श्री के.पी. सिंह देव : समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी एक पखवारे पहले ही प्रस्तुत की है। हम सिफारिशों को अक्षरश: लागू करने के लिए एक शक्तिप्राप्त समिति का गठन कर रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य बता चुके हैं, व्यासायीकरण करने तथा दक्षता और प्रशिक्षण का उन्नयन करने के लिए हमारे मानव संसाधन विकास को अद्यतन बनाने तथा इसका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री गोपीनाथ गजपति : यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि उड़ीसा राज्य की राजधानी, भुवनेश्वर में एक कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) स्थापित किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त कटक में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान पहले से ही विद्यमान है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या दक्षिण उड़ीसा के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्र, बरहामपुर में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के कर्मचारियों के लिए एक कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के किसी नए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री के.पी. सिंह देव : ये सात योजनागत परियोजनाएं हैं जो कार्यान्वित की जा रही हैं। इनके पूरा होने तथा चालू होने के पश्चात् यदि अन्य स्थानों के लिए आवश्यकता हुई, तो हम निश्चय ही अपने कार्य-कलापों का विस्तार करेंगे। लेकिन, पहले हमें इन्हें सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, देश के ट्रेनिंग इंन्सटीट्यूट्स में दृश्य और श्रृव्य प्रचार माध्यमों में शिक्षा-दीक्षा जाती है, उसमें कौन कौन से नये विषय लेंगे और उसकी तकनीक का समय पर समायोग करेगे। खंड सी के उत्तर में आपने दृश्य एवं श्रृव्य प्रचार माध्यमों में शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। जितने भी कालेज हैं जिसमें आफिशियल रख-रखाव की ट्रेनिंग दी जाती हैं, कामर्स के कोर्स में वहां यह सारा प्रॉडक्शन हो जाता है जो आपका लेखा-जोखा रखते हैं।

बेसिक ट्रेनिंग ऑफ स्टैनोग्राफर्स इत्यादि। लेकिन जिस माध्यम के रूप में आपको मान्यता मिली है वह श्रव्य और दृश्य माध्यम है और उसमें न तो आपने कलाकारों को ट्रेनिंग देने की बात कही है और न उद्घोषकों की ट्रेनिंग की बात कही है। क्या आप वहां पर श्रव्य एवं दृश्य माध्यम से ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगे? मेरे प्रश्न का भाग ख है कि केवल सात जगह आपने किसी किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। उड़ीसा में भी आपने एक और ट्रेनिंग सेण्टर खोल दिया है। आपके पास बहुत सारी मांगे लंबित हैं जिसमें मैंने भी कहा है कि आपके पूरे टीवी नेटवर्क में भोजपुरी संस्कृति पूरी तरह से उपेक्षित है। क्या आप उस संस्कृति के रख-रखाव और बचाव के लिए उस क्षेत्र में भी कोई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करेंगें?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : प्रश्न के भाग (क) के संबंध में माननीय सदस्य के विचारों से शक्तिप्राप्त समिति को अवगत कराया जाएगा क्योंकि मैं विशेषज्ञों को कुछ बतलाने में समर्थ नहीं हूँ। माननीय सदस्य के विचारों से शक्तिप्राप्त समिति तथा पाठ्यक्रम समिति को अवगत करा दिया जाएगा।

जहां तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कटक का संबंध है, तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। भुवनेश्वर केन्द्र के बारे में यह कहना है कि इसकी स्थापना के लिए धन्यवाद के पात्र मेरे पूर्ववर्ती मंत्री, माननीय श्री एच.के.एल. भगत हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मंजूरी प्रदान की थी। हमने कोई नया प्रशिक्षण संस्थान आरंभ नहीं किया है। किन्तु, हम अपनी प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा और हम इसकी पूरी समीक्षा करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : यह जो ट्रेनिंग सैण्टर खोले गए हैं, मुझे

खबर है कि वहां शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लोगों को टैक्निकल कारणों से नहीं लिया जाता है। इनको रखने के लिए आपने क्या प्रावधान किया और अब तक कितने शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज वहां ट्रेनिंग ले चुके हैं, क्या इसका ब्यौरा आप दे सकते हैं?

[अनुवाद]

श्री के. वी. सिंह देव : इस समय मेरे पास इन कर्मचारियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। यह हमारे पास पहले से विद्यमान कर्मचारियों के लिए हैं। मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे दूंगा।

डा. सुधीर राय : मैं जानना चाहता हूं कि तीन महानगरों, कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई में कोई प्रशिक्षण केन्द्र क्यों नहीं हैं?

श्री के.पी. सिंह देव : वहां क्यों नहीं है, इसके कारण का मुझे पता नहीं हैं। किन्तु, ये निर्णय पहले के रहे हैं, ये निर्णय सृजित सुविधाओं एवं उपलब्ध स्थान के आधार पर प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकताओं के अनुसार लिए गए होंगे। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से देखूंगा कि ये स्थान महानगर में होने चाहिए अथवा महानगर के अतिरिक्त अन्य शहरों में भी होने चाहिए। इसका निर्णय मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूं।

डा. बसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी-अभी पूछा गया है, महाराष्ट्र में विशेष रूप से मुम्बई में कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसका ध्यान रखेंगे।

उत्तर में, कार्यक्रम स्टाफ हेतु पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एड्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उल्लेख किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि वे एड्स के विषय में जागरूकता प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय, कार्यक्रम स्टाफ हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम तथा जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ करेगा।

श्री के.पी. देव : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। जैसाकि मैं बता चुका हूं, माननीय सदस्यों के विचारों से शक्ति प्राप्त समिति को अवगत करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य चिकित्सा स्वच्छता आदि कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भी हैं। हम यह सब कार्य करना चाहेंगे। यह सब कुछ इस समय हमारी तकनीकी विशेषज्ञता तथा हमारी तकनीकी क्षमता ओर समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हम इन सभी कार्यक्रमों को शामिल करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का जो उत्तर है उसमें पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने महानगरीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था नहीं की है। इन्होंने हैदराबाद, अहमदाबाद, शिलांग, कटक व लखनऊ में खोले हैं। क्या इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ महानगरीय न हो उन शहरों को और जोड़ने का काम करेंगे? जैसे बिहार में पटना एक ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जहां दूरदर्शन व आकाशवाणी का प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है। इसलिए क्या बिहार में आप प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव : महोदय, जहां तक आश्वासन दिए जाने का सम्बन्ध है, मुझे इसके बारे में देखना होगा। ये सब ऐतिहासिक तथ्य हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुमान मन लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं और संस्कृतियों की बात पूछने पर तो आप बता रहे हैं कि इसके बारे में अलग से उत्तर दिया जायेगा लेकिन एक मौलिक प्रश्न है कि सारे कलाकारों और कर्मचारियों के लिए एक साहित्य शासन के साथ मैं कार्य करने के लिए जो प्रसार भारती बिल प्रस्तुत किया गया था क्या उसके दर्शन को लागू करने का और उसे शीघ्र अपने कार्यालय में और अपने विभाग में लागू करने का प्रयास करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या यह इस प्रश्न से संबंधित है।

श्री के.पी. देव : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

बांधों की सुरक्षा

*422. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह संकेत दिया है कि भारत में 25 बांध असुरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और वे पांच कौन कौन से है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किये जायेंगे?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस मंत्रालय में इस संबंध में विश्व बैंक से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में किए गए सुरक्षा पहलुओं के मूल्यांकन से 33 बांधों में संरचना एवं जल विज्ञान संबन्धी कमियों का पता चला है। केन्द्रीय जल आयोग ने इन 33 बांधों में से 25 बांधों का जल वैज्ञानिक पुनरीक्षण भी पूरा कर लिया है।

(ख) इन बांधों के राज्यवार नाम इस प्रकार है :

क्रम संख्या	राज्य	बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना में शामिल बांध का नाम	
1.	मध्य प्रदेश	(i)	पगरा
		(ii)	पिल्लोवा
		(iii)	कोतवाल
		(iv)	गांधी सागर
		(v)	तिगरा
		(vi)	ककेतो
		(vii)	बरना
		(viii)	ओधा
2.	उड़ीसा	(i)	हीराकुड़
		(ii)	दरगंज
		(iii)	गोडाहडा
		(iv)	सोरोधा
		(v)	भंजनगर
		(vi)	बेहेरा
		(vii)	गनियानाला
		(viii)	झारनी
		(ix)	अलीकुआं
3.	राजस्थान	(i)	राणा प्रताप सागर
		(ii)	जवाहर सागर
		(iii)	कोटा बराज
		(iv)	पारवती
		(v)	मंत्री कुंदिया
		(vi)	अलनिया
		(vii)	गलवा
4.	तमिलनाडु	(i)	पेरियार
		(ii)	कोदागनार
		(iii)	सथानूर
		(iv)	पीचीपराई
		(v)	अपर
		(vi)	पेन्नियार
		(vii)	गोमुखोनधो
		(viii)	विदूर
		(ix)	मानोमुधर

(ग) और (घ) इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

विभिन्न राज्यों में बांध सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करने और भारतीय स्थितियों के अनुरूप अद्यतन स्टेट आफ आर्ट प्रौद्योगिकी के अनुसार सुधार लाने के सुझाव देने की दृष्टि से वर्ष 1987 में बांध सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति का गठन।

(2) देश में बड़े बांधों की समुचित निगरानी निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम बनाना ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बांध सुरक्षा अधिनियम का मसौदा जनवरी, 1980 में टिप्पणियों हेतु विभिन्न राज्यों को परिचालित किया गया है। कुछ राज्यों से अभी उत्तर आना शेष है।

(3) केन्द्रीय जल आयोग ने जून, 1987 में बांधों के सुरक्षित निरीक्षण के लिए सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा उन्हें संबंधित साहित्य भी परिचालित किया है।

(4) मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में 33 प्रतिशत बांधों की सुरक्षा में सुधार लाने की दृष्टि से विश्व बैंक सहायता प्राप्त बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना वर्ष 1991-92 में शुरू की गई है। परियोजना में जिन उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जाना है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल है : बांधों का संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण, स्पिलवे क्षमता बढ़ाना, आपातिक कार्य योजनाएं बनाना तथा 456 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर अनुप्रवाह क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बांध पर प्रदान किये जाने वाले जल-आप्लावन मानचित्र और समुचित चेतावनी प्रणाली । इसमें से केन्द्र सरकार संस्थागत सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए 32 करोड़ रुपये व्यय कर रही है और शेष 424 करोड़ रुपए विश्व बैंक की सहायता से राज्यों द्वारा पूरा किया जाना है। इस योजना को वर्ष 1997 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर न केवल अपूर्ण है मगर कुछ मात्रा में गुमराह करने वाला भी है। उत्तर दिया गया है। कि सरकार के इस मंत्रालय में इस संबंध में बांधों की कमजोरी के बारे में विश्व बैंक से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यह मैंने नहीं पूछा है कि रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त हुई या नहीं हुई है। मैंने पूछा था कोई रिपोर्ट है या नहीं और रिपोर्ट के अंतर्गत वो रिपोर्ट भी आती है जो विश्व बैंक ने अपने आंतरिक काम के लिए तैयार की है। मेरा प्रश्न उसी से संबंधित समाचार-पत्रों पर आधारित था। सभी समाचार-पत्रों में यह रिर्पोट छपी है कि विश्व बैंक ने एक इंटरनल स्टडी की थी और उस इंटरनल स्टडी के परिणामस्वरूप उसने पाया कि भारत में वो सिमित स्टडी थी और उसकी सिफारिश यह है कि भारत के अधिकांश बांध कमजोर है, उनकी देखभाल नहीं की जा रही है। मगर सरकार ने इस रिपोर्ट का कोई उल्लेख नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि सरकार को रिपोर्ट का पता भी है या नहीं है। जो जवाब दिया गया है वह भी हास्यास्पद है। मध्य प्रदेश जैसे बांध केवल

चार राज्यों- उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु में हैं। क्या इसके अलावा देश में और कोई बांध नहीं है? क्या उनकी सुरक्षा का सवाल नहीं है? क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाये जा रहे है? आप उत्तर देखिए 1987 में बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ था। फिर कहा गया कि बांध सुरक्षा अधिनियम का मसौदा टिप्पणियों हेतु विभिन्न राज्यों को परिचालित किया गया है। कुछ राज्यों से अभी उत्तर आना शेष है। 1988 में राज्यों को टिप्पणी के लिए भेजा गया था। यह 1995 है और टिप्पणियां नहीं हैं। आपने इस संबंध में क्या किया, इसका भी कोई उत्तर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को गंभीरता से लिया जाए।

[अनुवाद]

यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं यह चाहूँगा कि आप इसका जितना विस्तार कर सकते हैं, करें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : धन्यवाद। जहां तक मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु का सवाल है। आप प्रश्न तीन का उत्तर देखे। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में 33 अभिज्ञात बांधों की सुरक्षा में सुधार लाने की दृष्टि से विश्व बैंक सहायता प्राप्त आश्वासन और पुनर्वास परियोजना वर्ष 1991-92 में शुरू हो गयी है। 9 इसके बाद अब क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। जो कदम उठाए गए, उनका क्या परिणाम निकला? अन्य राज्यों के बांधों की क्या स्थिति है ओर सरकार ने विश्व बैंक की जो इंटरनल मीमो है, उसको ध्यान में रखकर उत्तर क्यों नहीं दिया? यह कहने की क्या आवश्यकता है कि आपके मंत्रालय को विश्व बैंक से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। क्या मंत्रालय के अलावा और कहीं ज्ञान बिखरा हो, तो सरकार उस ध्यान नहीं देगी?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जवाब के प्रति अडिग हूं कि इस सम्बन्ध में विश्व बैंक से कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त की गई है। किन्तु, मै। यह बताऊँगा कि विश्व बैंक कैसे हमारे समक्ष आया। वर्ष 1975 में सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि देश में बाँधों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय लिए जाने चाहिए। इसके फलस्वरूप वर्ष 1979 में केन्द्रीय जल आयोग में भारत सरकार के स्तर पर एक बाँध सुरक्षा संगठन स्थापित किया गया। राज्यों से भी अनुरोध किया गया कि वे बाँध सुरक्षा के सम्बन्ध में ऐसी समितियां गठित करें। हमारे अनुरोध पर 12 राज्यों ने समितियां गठित की। इन 12 राज्यों में 95 प्रतिशत बांध स्थित हैं। दूसरे राज्यों में समितियाँ नहीं गठित की गई। चार राज्यों में 33 प्रस्योजनाएं पहचानी गई न कि 25 परियोजनाएं। वे हम रिपोर्ट भेज चुके हैं और काम शुरू करने की इच्छा जाहिर की है। इसी आधार पर यह परियोजना विश्व बैंक को प्रस्तावित की गई है। विश्व बैंक और आई बी आर डी इसे लगभग 456 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके आधार पर हमने चार राज्यों के लिए योजनाएं तैयार की हैं ओर इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना को विभिन्न चरणों में कार्यान्वित करना है। प्रथमत: वे त्रुटियों का पता लगाते हैं। वित्तीयत: वे प्रत्येक बांध के सम्बन्ध में ठीक-ठीक क्या किया जाना है, उसको एक रूपरेखा तैयार करते हैं और तत्पश्चात वे इसे कार्यान्वित करते हैं। पहले के दो चरणों को पूरा कर लिया गया है और अब बाँध सुरक्षा उपायों का वास्तविक कार्यान्वयन आरंभ करने वाले हैं। इसलिए, इसमें और दो वर्ष लगेगें। हम इन दो वर्षों में अधिक से अधिक काम पूरा हो जाने की आशा करते हैं। दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं। कुछ राज्य अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भेज चुके हैं और कुछ राज्यों को अभी रिपोर्ट भेजनी है। केन्द्रीय जल आयोग में बांध सुरक्षा संगठन इस कार्य को देख रहा है।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में जो श्री वाजपेयी जी द्वारा उठाया गया था कि हमने बाँध सुरक्षा अधिनियम के बारे में कुछ नहीं किया है के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि वह मसौदा 1988 में परिचालित कर दिया गया था। तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान केन्द्रीय विधान से सहमत हैं। और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्य उस विधान से सहमत नहीं हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से उत्तर की प्रतीक्षा है। महोदय, मैने मंत्रालय से इन दो राज्यों को अनुस्मारक भेजने का अनुरोध किया है। उनकी इस पर क्या राय है। एक उनकी राय मालूम हो जाए, हम इसे विधि मंत्रालय को भेज देंगे कि क्या इन चार राज्यों की आपत्ति के बावजूद भी हम यह विधान बनाएं और यदि नहीं तो इस संबंध में हमें क्या करना चाहिए। हम इस विधान कोसंसद के समक्ष जितना जल्दी सम्भव हो सकेगा लाने के लिए कदम उठाएंगे।

[हिन्दी]

[अनुवाद]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं आया है। क्या सरकार का ध्यान वर्ल्ड बैंक के इंटरनल मेमोरेडम की तरफ गया जिसमें यह बात कही गई है कि भारत में दो तिहाई से अधिक बांध बाढ़ के अधिक्य को झेलने में बहुत कम क्षमता रखते हैं।

[हिन्दी]

क्या आपके ध्यान में यह बात आई है कि इस तरह का मेमोरेडम वर्ल्ड बैंक के भीतर तैयार हुआ था और आपने उत्तर देते समय इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ने नहीं भेजा, तो जब यहां समाचार पत्रों में छपा, तो सरकार वर्ल्ड बैंक से इंटरनल मेमोरेडम की कापी प्राप्त कर सकती थी। और उसके आधार पर निर्णय कर सकती थी? उस रिपोर्ट में हीराकुड डैम के बारे में संदेह

प्रकट किया गया है। मध्यप्रदेश के गांधी सागर डैम के बारे में आशंका प्रकट की गई है। इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? समाचारपत्रों में चीजें छप जाती हैं। लोगों के मन में आशंका पैदा होती है और यह सरकार मौन धारण करके बैठी रहती है?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगरय्या नायडू : दिसम्बर 1994 में विश्व में विश्व के साथ बाँध सुरक्षा संगठन द्वारा जो एक मध्यकालीन समीक्षा की गई थी उसी से संबंधित यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने बाँधों की सुरक्षा परियोजनाओं की प्रगति की है। उसी आधार पर कुछ समाचारपत्रों ने यह समाचार छापे हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने इसकी प्रति हमें भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस पूरी कार्यवाही के हिस्सेदार हैं। भारत सरकार की एक कार्य का एक हिस्सा है। हम विश्व बैंक की सहायता का उपयोग कर रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और हमें उनकी टिप्पणियां भी प्राप्त हो रही हैं। इस चरण पर उनकी टिप्पणियां . . .

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : यह क्या जवाब है सर?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगरय्या नायडू : मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर ऐसा कोई समाचार समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है और लोगों को इससे गलतफहमी है तो क्या यह उचित नहीं होगा कि इस समाचार की प्रति प्राप्त कर इसका अध्ययन किया जाए और गलतफहमी को दूर किया जाए और लोगों के समक्ष सही तस्वीर को लाया जाए?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : हम इस तथाकथित समचार की एक प्रति प्राप्त करेंगे और इसका अध्ययन करेंगे और विरोधाभासों को दूर करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, अभी मेरा दूसरा प्रश्न नहीं हुआ है। आपने कहा था कि विस्तार से पूछिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य है कि टिहरी बांध के विरोध में आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है? क्या यह सच है कि इस समय टिहरी बांधी का निर्माण कार्य रूका हुआ है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठा रही है? अखिर यह टिहरी बांध का मामला कब तक त्रिशंकु की तरह से अधर में लटकता रहेगा? कोई न कोई फायनैलिटी होनी चाहिए। सिर्फ टिहरी बांध के विषय में ही नहीं बल्कि और भी बांधों के सम्बन्ध में जो विवाद के विषय बने हैं, उनके बारे में एक अंतिम निर्णय लेने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं? क्या अनिश्चितता बनी रहेगी, बांध का निर्माण भी नहीं होगा और बांध का निर्माण किया जा रहा है, यह भ्रम भी फैला रहेगा?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : टिहरी बांध का निर्माण कार्य विद्युत मंत्रालय के अधीन है। इसका एक अलग संगठन है जिसे टिहरी पन विद्युत विकास निगम कहा जाता है जिसके लिए एक अलग प्रश्न विद्युत मंत्री महोदय से किया जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न के 'क' भाग का उत्तर दिया है, उसमें लिखा है कि मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में किए गए सुरक्षा पहलुओं के मूल्यांकन से, तो यह मूल्यांकन कब किया गया, क्योंकि इसमें केवल तीन राज्यों का विवरण दिया गया है? शेष राज्यों में भी बांध है और खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे बांध हैं, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के बने हुए हैं। उनकी सुरक्षा, उनके टिकाऊपन के बारे में क्या सोचा है क्योंकि जब वे बने थे, तो उनकी एक अवधि निर्धारित की गई थी। आज बांधों के इतने लंबे समय तक चलने के बाद, उनकी सुरक्षा की जो नई-नई पद्धतियां हैं, उनके लिए संसाधनों के अभाव में राज्य सरकारें काम पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसलिए क्या सरकार इन बांधों के लिए सुरक्षात्मक पग उठाने के सिलसिले में क्योंकि बांध पुराने पड़ने से या अब नदियां इनके निकट आ गई हैं, इसलिए वे आउट-डेटेड हो गए हैं, वे बेमतलब हो गए हैं, वहां नये बांध की जरूरत है, तो हर साल इन चीजों के मूल्यांकन की जरूरत हैं?

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस मूल्यांकन को कब किया गया? क्या देशभर में किया गया? यदि देशभर में किया गया तो अन्य राज्यों की रिपोर्ट क्या है, उसके बारे में सदन के सामने एक वक्तव्य आना चाहिए। दूसरी बात, जो अधिनियम बनाने का मसविदा है, उसे 1988 में आपने परिचालित किया। सात वर्षों के बाद भी कुछ राज्यों की विपरीत टिप्पणी के कारण उसको सदन के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी की व्यवस्था की गई है। क्या इस विधेयक को सदन के सामने इंट्रोडयूस करके स्टैंडिंग कमेटी के जरिए इसका निरीक्षण करवाकर शीघ्रताशीघ्र इसे पास करवाने के बारे में सरकार विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैंने अपने जवाब में माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का उत्तर पहले ही दे दिया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, अभी तक वहां से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होगी उस पर हम कार्यवाही करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि राज्यों ने भी अपने बांध सुरक्षा संगठन बनाए हैं और जो प्रारंभिक अध्ययन करते हैं और हमें उसके बारे में जानकारी देते हैं। हम तो केवल समन्वयात्मक अभिकरण

हैं और हम प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करते हैं। हम केवल कुछ संस्थागत समर्थन देते हैं। यहां तक कि चार राज्यों में भारत सरकार कुल 456 करोड़ रुपए में से केवल 32 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। जो कुछ सहायता दी जाती है। वास्तविक रूप में बीच राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। जिन्हें इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करे उन्हें स्वीकृत कराना है। इस संबंध में हम पहले ही विश्व बैंक से संपर्क कर चुके हैं। विश्व बैंक धन देने के लिए सहमत हो गया है। इसी तरह से यदि दूसरे राज्य भी आगे आते हैं, हम उन्हें अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता दे सकते हैं।

प्रश्न के दूसरे भाग में, यह इसे स्थायी समिति को भेजने का उल्लेख किया गया है, और यह प्रश्न इसे सभा में रखने के बाद ही उठ सकता है। चूंकि अभी विधेयक सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए इसे स्थाई समिति को सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इनकी भावनाओं को समझना चाहिए क्योंकि जो विधेयक 1988 में प्रस्तुत किया गया था और वह अभी तक लम्बित है उसके बारे में वह जानना चाहते हैं कि क्या आप इस पर शीघ्र कुछ कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह एक प्रारूप ही था और इसे केवल परिचालित किया गया था . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि पहले से ही बहुत समय बीत चुका है और यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्या आप इसमें तेजी लाएंगे या नहीं।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, हम शीघ्र कदम उठाएंगे।

श्री के.वी. रेडय्या यादव : महोदय, हमारे अभियन्ताओं और डिजाइनरस के अनुसार, भारत में कितने प्रमुख बांध हैं। जिनकी समय सीमा पूरी होने वाली है या हो चुकी हैं और भारत सरकार इन समय सीमा समाप्त हो रहे बांधों की दशा को ठीक करने के लिए क्या कर रही हैं?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, भारत में प्रमुख बांधों की कुल संख्या 3,596 है जिनकी ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है। 695 बाँध निर्माणाधीन हैं। इन बांधों की समय सीमा के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है। मैं सूचनाएं एकत्रित कर माननीय सदस्य को दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फनान्डीज : अध्यक्ष जी, हम टिहरी डेम का प्रश्न पूछना चाहते थे और मंत्री जी ने अभी यह बता दिया कि . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यह इसी से संबंधित है।

[हिन्दी]

क्योंकि जो जवाब इन्होंने दिया है, वह इस प्रश्न में उस बात को जोड़ना अनिवार्य बनाता है क्योंकि शुरूआत वर्ल्ड बैंक से हटकर उन्होंने कहा

[अनुवाद]

"कि विश्व बैंक से कोई भी रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी राज्यों द्वारा सुरक्षात्मक पहलुओं की समीक्षा की गई है।"

[हिन्दी]

उन्होंने यहां पर चार राज्यों का दे दिया और यह मामला चार राज्यों तक सीमित नहीं हैं, प्रश्न चार राज्यों को लेकर नहीं था। इसलिए मेरा प्रश्न बिल्कुल जायज है। टिहरी बांध के मामले को लेकर इस सदन में 1992 में आप ही की पहल करने पर वहां की समस्या को हल करने का प्रयास हुआ था। उसके चलते आप ही के कहने पर सुन्दरलाल बहुगुणा ने अपना अनशन तोड़ा था। वह अनशन लगभग 40-50 दिन तक पहुंच चुका था। उस समय एक बात तय हुई थी कि एक जांच कमेटी वहां की पूरी परिस्थिति की जांच करने के लिए नियुक्त की जाएगी।

यह ऊर्जा मंत्रालय के पास नहीं था। जल संसाधन मंत्रालय भी उस बातचीत में शामिल था मै। जानना चाहता हूं कि कमेटी क्यों नहीं बनायी गई? आज वहां फिर से काम कैसे शुरू हो गया? अभी अटल जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया। इस बांध का विरोध आज से नहीं हो रहा है। इन्दिरा जी जब प्रधान मंत्री थी, उन्होंने इस मामले में लिखा था कि यह गलत काम हो रहा है और इसकी जांच होनी चाहिये। इसकी जांच हो गई। जांच कमेटी ने कहा कि यह बांध नहीं बनना चाहिये। दूसरी जांच कमेटी बनी तो उसने भी यह कहा और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने भी यह कहा कि बांध नहीं होना चाहिये। यह ठेकेदार . . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छे क्वश्चन से एक डैम पर जा रहा है। किन्तु यह बहुत अच्छा प्रश्न है। वह भी महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मामला बहुत गम्भीर है। सुन्दर लाल बहुगुणा जी फिर धरने पर बैठे हैं। वह अनशन पर जायेंगे तो फिर यह समस्या खड़ी हो जायेगी। क्या आप सरकार को यह निर्देश देंगे कि इस मामले पर कोई उपाय तत्काल निकाला जाये और टिहरी का मामला यूं ही पड़ा रहने न दिया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी है तो आप दे सकते हैं। अन्यथा आप कह सकते हैं कि . . . .

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, जहां तक टिहरी बांध के निर्माण का सवाल है, भारत सरकार की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं और बाँध का निर्माण कार्य आगे चल रह है।

श्री श्रीकान्त जेना : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने टिप्पणी की है कि बांध सुरक्षा अति आवश्यक है . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रश्न को केवल राज्यों और बाँधों तक ही सीमित मत कीजिए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे उसी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : आपने विधान में जो प्रावधान किए हैं वह इस पहलू के बारे में नहीं हैं। मैं इस प्रश्न को हीराकुड बांध के सन्दर्भ में पूछता हूं। हीराकुंड बांध में एक दरार पड़ गई है। और यह दरार उड़ीसा के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है। मैं यह जानना चाहता हूं। कि क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग और जल संसाधन मंत्रालय के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है या नहीं। हीराकुंड बांध की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार क्या उपाय कर रही है? मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि हीराकुड बांध एशिया के बड़े बांधों में से एक है।

अध्यक्ष महोदय : वह अभी यही कहेंगे कि "इसके बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।"

श्री श्रीकान्त जेना : वह पहले ही अपने उत्तर में हीराकुड बांध के बारे में बता चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस संबंध में आम बात करते हुए किसी विशेष मुद्दे पर नहीं आना चाहिए। कृपया आप अपने प्रश्न पर आइए; समय क्यों बरवाद कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, हीराकुड बांध एशिया के बड़े बांधों में एक है। . . . . .**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कहा हैं कि जब आप इस तरह के प्रश्न पूछें तो आपको अपने समक्ष पूरे देश को रखना चाहिए और सरकार तथा संसद को ऐसे विषयों पर विचार करने और नीतियाँ बनाने में सहयोग करना चाहिये। आप इससे संबंधित आम प्रश्न पूछे। एक मुद्दे विशेष के बारे में पूछ रहे हैं। और मंत्री महोदय यही कहेंगे कि मेरे पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।"

श्री श्रीकान्त जेना : यह बताया गया है कि हीराकुण्ड बांध में एक दरार पड़ गई है। यह पूरे देश के लिए चिंता की बात है। मैं जल संसाधन मंत्री से जानना चाहता हूं कि हीराकुड बांध की सुरक्षा के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, मैं इसके लिए एक अलग नोटिम चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कार्तिकेश्वर पात्र।

श्री श्रीकान्त जेना : इसके लिए एक अलग प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हीराकुड बांध दूसरे बांधों की तरह नहीं है। यह पूरे एशिया में बड़े बांधों में से एक है। आप इस प्रश्न को ऐसे ही टाल नहीं सकते हैं। कि इसके लिए एक अलग प्रश्न चाहिए।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय, 33 बांधों का पता लगाया गया है जिनमें संरचनात्मक और जलात्मक तकनीकों की कमी है। इसके लिए, सरकार 32 करोड़ रुपए व्यय करेगी और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य 456 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अच्छी तरह से पता लगाया गया है कि 33 बांधों में संरचनात्मक और जलात्मक कमियां है और क्या इसका मूल्यांकन किया गया है कि इसके लिए कितना खर्च आएगा और इसके लिए जो धन स्वीकृत किया गया है वह इसके लिए पर्याप्त होगा यदि हां तो , इसे पूरा क्यों नहीं किया गया ? निर्धारित समय में इस धन से इन कमियों को दूर क्यों नहीं किया गया?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उपयुक्त प्रश्न पूछिए ताकि उसका सही उत्तर मिल सके।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : यह मेरा विनम्र निवेदन है मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि इन 33 बांधों की कमियों को कब तक ठीक किया जाएगा और लोग कब यह महसूस करेंगे कि यह बांध सुरक्षित हैं। यही मेरा प्रश्न है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ। कि क्या सरकार, देश में सभी बांधों का मूल्यांकन करेगी कि इस कार्य के लिए कितना धन खर्च होगा और यह धन कहां से प्राप्त किया जाएगा।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय : हमने मुख्य कमियों का पता लगाया है एक जलात्मक और दूसरी संरचनात्मक है। संरचनात्मक कमी के अनेक पहलू है। जलात्मक पहलू में यह आकलन करना है कि क्या बांध भीषण बाढ़ को झेल सकने में सक्षम है। भारत में नियमित कार्यवाही के तहत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा सभी बांधों का जलात्मक अध्ययन किया जा रहा है। वे पहले से ही 45 बांधों का अध्ययन कर चुके हैं इसमें यह 33 बांध भी शामिल हैं। केन्द्रीय जल आयोग में एक स्थाई संगठन जिसका अध्यक्ष एक अभियन्ता होता है, सभी बांधों का अध्ययन करता है और यह एक सतत प्रक्रिया है यह नियमित रूप से चल रही है। जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो वह इसके बारे में राज्य सरकारों को बताते हैं।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मेरा प्रश्न विशेष उस धन के बारे में था जो स्वीकृत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह प्रश्न विशेष अब निरर्थक होता जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री रविराय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है, 33 डेम्स में हाइड्रोलूजिकल डैफिशियेंसीज हैं, इनमें से 25 में से इसको रिमूव किया गया है। और आठ का रीव्यू नहीं हो पाया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, ऐसे और कितने डेम्स हैं, जिनको रिव्यू नहीं किया गया है और यह काम कब तक पूरा हो जाएगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई ऐसे भी बांध हैं, जिनकी समीक्षा सुरक्षा के लिए की गई है और यदि ऐसे बांध है जिनकी समीक्षा अथवा जांच विशेषज्ञों द्वारा नहीं की गई है तो यह किस समय तक की जाएगी।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह एक सतत प्रक्रिया है। हम पहले ही कर चुके हैं . . . (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, आपके सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह एक बहुत गंभीर बात है कि जलात्मक और संरचनात्मक कमियां पायी गई हैं। केवल चार राज्यों में 33 बांधों को पहचाना गया है। और दूसरे भी ऐसे बांध होंगे जिनमें इसी तरह की समस्याएं होंगी।

अंतत: इन कमियों को पहचानने के लिए सरकार को विश्व बैंक की सहायता उससे लेनी पड़ेगी ओर उससे वित्तीय सहायता भी लेनी पड़ेगी। क्या मैं यह जान सकता हूं जो दूसरे 600 बांध बनाए जाने हैं, उनके लिए इन जलात्मक और संरचनात्मक कमियों से सीख ली गई है, बांधों की परियोजना रिपोर्टों में या डिजाइनों में कुछ कमियां हो सकती हैं, क्या सरकार भविष्य में इस ओर ध्यान देगी जिससे 600 बांधों में इस तरह की कमियां न आए और क्या सरकार इसके लिए आवश्यक कदम उठाएगी। मैं यही जानना चाहता हूँ।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : माननीय सदस्य ने यह अच्छा प्रश्न पूछा है। हम इसकी जांच करेंगे कि इसमें क्या कमी है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न एक सामान्य प्रश्न है। किन्तु मैं इसे प्रभावी ढंग से पूछते हुए इसे विशेष तौर पर पूछना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया विशेष प्रश्नों पर मत जाइए। अन्यथा वह उठेंगे और यही कहेंगे कि उनके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, यह कोई विशेष प्रश्न नहीं है। यह एक सामान्य प्रश्न है। अक्तूबर 1991 के उत्तरकाशी में पर चर्चा के समय टिहरी बांध पर पूर्व चर्चा हुई थी। इन दिनों विशेषज्ञ हमें बड़े बांधों के पर्यावरणीय परिणामों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। क्या मैं यह जान सकती हूं। कि क्या सरकार अपनी बड़े बांधों की नीति को छोटे और लघु बांधों में परिणित करेगी?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, उत्तरकाशी मैं भूकम्प आने के बाद जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय भूकम्पीय डिजाइन मानदंड समिति ने कार्य की समीक्षा की थी। और बांध के डिजाइन की समीक्षा कर उन्होंने इसे स्वीकृति प्रदान की थी।

[हिन्दी]

जेलों में क्लोज सर्किट कैमरे लगाना

*423 **श्री राम सिंह कस्वां** :

श्री पंकज चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों की ओर से इस आशय के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि 'जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण' योजना के अंतर्गत जेलों में बंदियों की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिये क्लोज सर्किट कैमरे लगाये जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितनी धनराशि दी गयी/दिये जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब तथा त्रिपुरा राज्य सरकारों ने क्लोज सर्किट कैमरों/टेलीविजनों को 'जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण' की स्कीम के तहत अपने वित्तीय प्रस्तावों के एक भाग के रूप में शामिल किया है।

(ग) और (घ) क्लोज सर्किट कैमरों/टेलीविजनों की खरीद हेतु, इन राज्य सरकारों को 48 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के (क) और (ख) भाग में पांच राज्यों का जिक्र किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन राज्यों में कैमरों ने काम करना शुरू कर दिया है? इस कार्य के लिए कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और क्या इससे जेल प्रशासन की कार्य-क्षमता में कोई अंतर आया है।

श्री पी.एम. सईद : जी हां।

श्री राम सिंह कस्वां : अध्यक्ष महोदय, जेलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान की उन जेलों में जहां आतंकवादियों को बंद कर रखा है आप लोग ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं।

श्री पी.एम. सईद : मैं यह तो दावा नहीं कर सकता कि जेलों की जो स्थिति है वह संतोषजनक है। लेकिन इनको सुधारने के लिए नेशनल लेवल पर एक और . . . .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जेलों के सुधार के लिए सुधार के लिए है। राजस्थान में जो टेरेरिस्ट को रखा गया है उनके ऊपर क्या निगरानी रखने जा रहे हैं।

श्री पी.एम. सईद : जेल प्रशासन को जो फाइनेस हम करते हैं उसी के अन्तर्गत जिस स्टेट को जो दिया जाता है उसमें यह भी आता है।

श्री राम सिंह कस्वां : राजस्थान में क्या कर रहे हो?

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह राज्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या तिहाड़ जेल में क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं और क्या तिहाड़ जेल में सुरक्षा सेवाओं का आधुनिकीकरण अप्रभावी है और क्या यह सुदृढ़ नही हैं। और क्या यही कारण था कि जिसके लिए हाल ही में स्थानान्तरण किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का अन्तिम भाग की अनुमति नहीं है।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : महोदय, मैंने प्रश्न पूछा है, यदि आप चाहते हैं, तो तीसरे भाग की अनुमति मत दीजिए। किन्तु इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अंतिम हिस्से के लिए कह रहा हू।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : वास्तव में यह विषय से संबंधित प्रश्न है।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है, जी हां।

श्री अमल दत : महोदय, विशेषकर जेलों में आधुनिकीकरण ने तथा कैदियों की बिगड़ती दशा ने कुछ समय से देश और विशेष रूप से जो लोग कैदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण चाहते हैं का ध्यान आकर्षित किया है। यह बहुत दु:ख की बात है कि तिहाड़ जेल के कैदियों को स्वयं ही सीधे मानवाधिकार आयोग से मिलने की अनुमति दी गई थी। हम सबका यही विचार है कि मानवाधिकारी आयोग से मिलने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। भारत में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार मिलना चाहिए। चूंकि यह अधिकार का उपयोग करने के लिए एक कैदी को अनुमति दी गई थी। इसीलिए इस महिला का स्थानान्तरण कर दिया गया। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं किसी आचारसंहिता या कि जेल नियमों का उल्लंघन हुआ है? क्या स्थानान्तरण का यही का कारण है।

मुझे आश्चर्य है कि क्या स्थानान्तरण का यही कारण है।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थानान्तरण के बारे में किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं। अन्यथा ऐसे अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे।

श्री अमलदत : मैं अपने प्रश्न को संशोधित करने के लिए तैयार हूं। कोई बात नहीं, मैं स्थानान्तरण शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या आचार सहिंता या जेल नियमों का उल्लंघन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप का मतलब तिहाड़ जेल से है।

श्री अमलदत : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मानवाधिकार आयोग से मिलना नियमों का उल्लंघन है। जब प्रेस को प्रवेश की आज्ञा दी जाती है, किसी को जीवनी लिखने की इजाजत दी जाती है आदि, तब यह सभी बातें प्रेस के पास पहुँच जाती हैं तो क्या यह सरकारी नियमों का उल्लंघन है या विधि का?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि आपके पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप वह दे सकते हैं। अन्यथा हम आपको सूचना देने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं।

श्री अमलदत्त : मैं किसी महिला विशेष के स्थानान्तरण के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। किन्तु मैं वहां जो अच्छा काम किया जा रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है। अन्यथा सभी माननीय सदस्य सभा में कुछ अधिकारियों के मामलों की चर्चा करने लगेंगे। इस सम्बन्ध में कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायगा।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जेलों के आधुनिकीकरण के नाम पर, अभी जैसा सरकार ने उत्तर दिया है, कुछ राज्यों की जेलों में क्लोज सर्किट कैमरे और टेलीविजन लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, इसमें क्या यह जांच कर ली गई है कि यह क्लोज सर्किट कैमरे और टेलीविजन लगाना जेल कोड के नियमों के अनुसार ठीक है या नहीं-पार्ट 'क'?

पार्ट ख जिन राज्यों को सहायता दी गई है। जैसे जम्मू कश्मीर में, जम्मू की जेल में 20 फीट लम्बी सुरंग बनाकर कैदी निकल रहे थे तो फिर वह क्लोज सर्किट कैमरों और टेलीविजन का क्या हुआ? क्या वह काम नहीं कर रहे थे या तब तक वह लगे नहीं थे?

श्री एम.पी. सईद : माननीय अध्यक्ष जी, विद्वान सदस्य का यह आरोप बिल्कुल गलत है कि कुछ स्टेट्स को प्राथमिकता दी जाती है और कुछ स्टेट्स को नहीं दी जाती है। यह धनराशि भारत सरकार द्वारा इस आधार पर दी जाती है। कि किस स्टेट में कितनी जेलें हैं। सारे भारत वर्ष में जितनी जेलें है, यह राशि उनके अनुपात के हिसाब से दी जाती है। जेलों को माडर्नाइज करने के लिए 1987 से लेकर 1992 तक 45 करोड रुपये का इस मामले में सिक्योरिटी कम्युनिकेशन और दूसरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान किया है। यह राशि स्टेट्स को और यूनियन टैरीटरीज को हमने बांटी है।

प्रो. रासा सिंह रावत : मेरे लास्ट पार्ट का तो जवाब ही नहीं मिला।

श्री दत्ता मेघे : महाराष्ट्र सरीखे जो स्टेट्स हैं, वहां टी०वी. कैमरे पुलिस डिपार्टमेंट में हर दूसरी जगह लगाये गये हैं और महाराष्ट्र के अन्दर टाडा का बड़े पैमाने पर मिसयूज भी हो गया है और सारे बड़े क्रिमनल्स जेलों के अन्दर हैं, नागपुर जेल में है, बम्बई में हैं, पूना में हैं। ऐसी जेलों में टी.वी. कैमरा लगाने का कोई प्रोवीजन है क्या?

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महाराष्ट्र से आपके यहां कोई प्रपोजल आया है? अगर कोई प्रपोजल आया है तो उसके लिए आपने क्या धनराशि दी है?

श्री एम.पी. सईद : माननीय अध्यक्ष जी, यह तो एक गलतफहमी है कि सी सी टी0वी. की एक स्कीम बनी है। ऐसी कोई स्कीम नहीं है। जो स्टेट्स ऐसा करना चाहते हैं, तो कर सकते है, उनको हम धनराशि दे देते हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनतियों/अनुसूचित जनजाजियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण

***424 श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के आरक्षण संबंधी अधिकारों की रक्षा हेतु संविधान में संशोधन करने जैसे पर्याप्त करदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जायेगें, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 6(4) पदोन्नति के मामले में आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। यह निर्देश प्रकृति में केवल भावी है और जहां कहीं आवश्यक हो, भर्ती नियमों में संशोधन करके उन्हें उच्चतम न्यायालय में निर्णय की तारीख से पांच वर्ष का समय संक्रमण काल के रूप में निर्धारित किया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा पहले ही 19 अगस्त 1993 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक यथास्थिति बनाए रखने के अनुदेश जारी कर दिए है।

तथापि, इस विशिष्ट मामले में सभी राजनैतिक दलों के परामर्श से कोई निर्णय लिया जाना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए क्या संविधान में संशोधन किया जाए। तदनुसार अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सेवाओं में आरक्षण से संबंधित अन्य मुद्दों सहित इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए 14 जनवरी, 1995 को सभी राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलाई गई थी। राजनैतिक दलों की एक और बैठक 28.4.95 को दोबारा हुई। जैसे कि सहमति हुई थी 28 अप्रैल 95 को आयोजित बैठक के क्रम में सभी राजनैतिक दलों की एक दूसरी बैठक आज अर्थात 4 मई को आयोजित की गई है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : इस वर्ष फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोन्नति में आरक्षण पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि आरक्षित पद भरने के बाद उस संवर्ग में कोई रिक्ति होने पर वह पद उसी संवर्ग के व्यक्ति से भरा जाएगा जिस वर्ग के व्यक्ति ने त्याग कर दिया है अथवा सेवानिवृत हुआ है। इस तरह से यह सुनिश्चित करता है कि प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने फरवरी माह में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नए वर्ग निर्देशों करने के लिए कोई नया आदेश दिया है ओर क्या सरकार यह विचार कर रही है कि निर्णय की भावनाओं का अक्षरश: पालन करने के लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है या कोई नया कानून बनाना पड़ेगा जिससे संवैधानिक स्वीकृति मिल सके। यदि हां तो उस सम्बन्ध में क्य कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : जैसा कि मैं लिखित उत्तर में पहले ही बता चुका हूं। कि किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के संस्थानों को कोई पत्र विशेष नहीं भेजा गया है।

चूंकि यह मुद्दा अति महत्वपूर्ण है और समाज में एक बड़े वर्ग से सम्बन्ध रखता है। विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं और सरकार की यह नीति है कि सभी राजनीतिक दलों की मंशा को जाना जाए, और हम इस पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस तरह के मुद्दे पर सरकार की नीति यह है कि मतैक्या से निर्णय पर पहुंचा जाए। इसीलिए हम संसद में सभी विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं से सम्पर्क कर रहे हैं। यह प्रक्रिया जारी है। जैसाकि अभी अभी मैंने यह बताया है कि आज शाम कोभी हम एक बैठक करने जा रहे हैं। मैं यह आशा करता हूं कि जब समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा का प्रश्न है तो देश के सभी राजनीतिक दल एक जैसे विचार प्रकट करेंगे और मैं समझता हूं कि कोई वैचारिक भिन्नता नहीं होगी। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और हम उसे यथाशक्ति करेंगे।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या बाबू जगजीवन राम स्मृति ने केन्द्र से अनुरोध किया है। कि 1981 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का नौकरियों में आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया जाए। 1991 के जनगणना आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

श्री तंग्का बालू : यह भारत सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह मामला इस संसद में पिछले तीन साल से चल रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कई बार इस मामले को उठाने का अवसर दिया। सरकार ने बार-बार कहा कि इस पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। अधिसूचना जारी की है। संविधान की धारा 16 '4' का हवाला दिया है। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की

कोई बात पिछड़े वर्ग के किसी भी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने के लिए नहीं होगी। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रमोशन में आरक्षण होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अनुसूचित जाति या जनजाति का मामला नहीं था, पिछड़े वर्ग का मामला था। किसी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग से भी नहीं पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई जज नहीं रखूर गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, स्वाभाविक है कि सरकार उसका आदर करे। लेकिन उसको करेक्ट करना सरकार का काम है। यह जो 16 4 है यह संविधान के मौलिक अधिकारों में रखा गया है। 1992 में कोर्ट ने आदेश दिया और ढाई साल हो गये है, सरकार चुप्पी मारकर बैठी हुई है कि सभी विरोधी दलों की सहमती होगी तब हम करेगें। मैं समझता हूं जहां तक दूसरे मामले में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रमोशन में आरक्षण का मामला है।

कोई भी राजनैतिक दल कांग्रेस, बीजेपी, एलएफ, जनता दल इसके खिलाफ नहीं है, यह मैं दावे और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस विषय को आम सहमति के आधार पर टालने का काम पालिटिक्ल पार्टीज कर रही है। इससे सीधे कमजोर वर्ग के लोगों के इंट्रेस्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं सरकार से सीधे-सीधे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सत्र में संविधान संशोधन करने का विधेयक ला रही है और सरकार यह बताये कि इस समय देश में राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने पद रिक्त है और उनकी पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : अध्यक्ष महोदय, पासवान जी का हमारी नीयत पर संशय करना निराधार है। 16 नवम्बर, 1992 में मैंने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सामने रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रोमोशन का 5 साल के बाद रिजर्वेशन नहीं होगा तो 5 साल का यह प्रश्न ही नहीं उठता मगर हम सब लोगों को एक साथ मिल बैठकर बात करके संविधान में संशोधन करके फैसला लेना होगा। उसके बाद 1993 में यह प्रश्न फिर उठा और मैंने कहा। हमने 14 जनवरी 1995 को एक मीटिंग की जिसमें इस अर्जेंडा के अलावा ओ.बी.सी. के लिये ऐज रिलैक्सेशन का प्रश्न भी था सब लोगों ने मिलकर फैसला किया और हमने स्वीकार किया। सारे अर्जेंडा को सब की राय से पोस्टपोंड कर दिया। तब उसके बाद यह 24 अप्रेल की डेट पड़ी लेकिन उस दिन मोरारजी के निधन के कारण सदन स्थगित हो गया तब फिर 28 तारीख रखी गयी। उस दिन 12.00 बजे आप सभी से मिलना था लेकिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का फोन आया कि वे एक मीटिंग में बिजी हैं, इसलिये इसमें नहीं आ सकेगें। फिर भी हमने बहस जारी रखी और 2-3 सज्जनों ने कहा कि किन्हीं दलों का प्रतिनिदित्व नहीं हुआ है इसलिये यह तय किया गया कि 4 तारीख को पुनः होगा। जहां तक आप् कहते हैं कि यह हमारी राय थी मगर सरकार की यह राय थी कि सबकी भागीदारी होनी चाहिये। और अगर मेरी राय चलती तो आप कहते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह संदेश जाता कि हम ही यह सब कर रहे हैं . . . . . ।

श्री नीतिश कुमार : मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह आपकी व्यक्तिगत राय थी।

श्री सीताराम केसरी : आप मेरी बात तो सुन लीजिये। हमने सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर कहा है कि यह हमारी सरकार की नीति है कि सभी की भागीदारी होनी चाहिये और इसी कारण इस बात को आप सभी के बीच में लाये और आप कहते हैं कि व्यक्तिगत बात हैं। हमारे नेता की नीति भी यही है कि सामूहिक जिम्मेदारी से फैसला लिया जाना चाहिये। और जिस बात को आप कह रहे हैं यदि उस आधार पर लेते तो कहते कि हम स्वयं श्रेय लेना चाहता हूं। अच्छे काम में सबकी भागीदारी होना चाहिये।

एक प्रश्न यह किया गया कि बैकलॉग कितना है तो यह 18 हजार के लगभग हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। हमारे विभाग का जहां तक संबंध हैं, उसकी पूर्ति हम कर सकते थे लेकिन यह पर्सोनल से सम्बन्धित है जो फैसले से हो जाये।

वहां फैसले की बात आती है। इसलिए आप देखिये कि बैंकलॉग को पूरा करने का अधिकार मेरे हाथ में नहीं है। स्पेशल रिक्रुटमेंट के लिए हम लिखते हैं कि स्पेशल रिक्रुटमेंट हो। चार बार स्पेशल रिक्रुटमेंट हुई है, एक बार और होगी। मैं चाहता हूं कि हमेशा इस तरह होता रहे, मगर जो काम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के पास है वह काम तो उनको ही करना पड़ेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सीसारहित पेट्रोल

*425. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
डा. के.वी. आर. चौधरी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूरे देश में सीसारहित पेट्रोल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो देश के सभी भागों में इसे कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा;

(ग) क्या सीसारहित पेट्रोल में कुछ विषैले तत्व भी होते हैं;

(घ) यदि हां, तो इन विषैले तत्वों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पेट्रोल को विषैले तत्वों से पूर्णतया मुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये जायेगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने 1.4.95 से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नामक केवल चार महानगरों में चुनींदा खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सीसा मुक्त पेट्रोल की आपूर्ति करने का निर्णय पहले ही ले लिया है, ताकि कैटेलिटिक कन्वर्टर युक्त पेट्रोल से चलने वाले नए वाहनों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि चुनींदा खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सीसा युक्त पेट्रोल 1998 से सभी राज्यों की राजधानियो/संघ राज्यों क्षेत्रों और 1999-2000 से पूरे देश में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) से (ङ) सीसा युक्त पेट्रोल में ऐरोमेटिक्स की अधिक मात्रा होती है, जिसमें से बैंजीन को अधिक विषैला माना जाता है। सीसा मुक्त पेट्रोल को केवल कैटेलिटिक कन्वर्टर युक्त वाहनों में प्रयोग करने की सिफारिश की जाती है, जो पेट्रोल के हानिकारक घटकों को कम हानिकारक बहिस्रावों में परिवर्तित कर देते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिये कानून बनाना

*426. **श्री एस.एम. लालजान वाशा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिये कानून बनानें संबंधी सुझाव देने के लिए 1987 में एक समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या किसी राज्य ने विकलांग व्यक्तियों के लिये ऐसा कानून बनाने पर आपत्ति की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (सीताराम केसरी) : (क) से (ङ). यह परीक्षण करने के लिए कि विधायी कार्रवाई से विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास एवं सामाजिक एकीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, और उस स्थिति में जबकि ऐसे विधान को जरूरी समझा जाए, इसके क्षेत्र, उद्देश्य एवं उक्त विधान संबंधी सामान्य योजना का ब्यौरा तैयार करने के लिए जुलाई, 1980 में एक कार्य दल का गठन किया।

2. इस दल ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट एक मसौदा विधेयक के रूप में दिसम्बर, 1981 में प्रस्तुत की जिसे विकलांग व्यक्ति (सुरक्षा एवं पुनर्वास) विधेयक, 1981 के नाम से जाना जाता है।

3. तत्पश्चात भारत सरकार ने 1987 में न्यायमूर्ति बहरूल इस्लाम, एम.पी. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसे अन्यबातों के साथ-साथ विकलांगों के लिए विधान के क्षेत्र, लक्ष्य एवं सामान्य योजना को विस्तारपूर्वक तैयार करना था। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट जून, 1988 में प्रस्तुत की।

4. समिति ने पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं जैसे, निवारण, प्रारम्भिक कार्रवाई शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, और शारिरीक एवं मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए रियायतों एवं सुविधाओं के प्रावधान के बारे में विस्तृत सिफारिशे की थी।

5. कार्यकारी दल और बहरूल इस्लाम समिति की रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार ने 1991 में राज्य सभा में निम्नलिखित दो विधेयक प्रस्तुत किए थे : -

1. विकलांग कल्याण परिषद विधेयक, 1991
2. मानसिक मंद एवं प्रमस्तिष्काघात पीड़ित व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास विधेयक 1991

तथापि सरकार परिवर्तन के कारण इन विधेयकों पर विचार नहीं किया जा सका।

6. प्रस्तावित विधेयकों पर ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के परामर्श से पुन: परीक्षण के बाद विधेयक संख्या (1) अर्थात विकलांग कल्याण परिषद विधेयक 1991 के स्थान पर एक और अधिक व्यापक विधेयक लाने का निर्णय लिया गया जिसमें विकलांगों की सुरक्षा एवं पुनर्वास के सभी पहलू शामिल हों।

7. तदनुसार 1981 के विधेयक बहरूल इस्लाम समिति रिपोर्ट की सिफारिशों राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र सरकारी संगठनों के सुझावों/विचारों के आधार पर विकलांग जन समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) विधेयक, 1995 नामक एक विधेयक तैयार किया जा रहा है।

8. विकलांगों के लिए ऐसे विधेयक पर किसी राज्य सरकार ने आपत्ति नहीं की हैं।

9. इस विधेयक को संसद में यथाशीघ्र लाने का प्रयास किये जा रहे है। साथ ही विधेयक संख्या (2) अर्थात मानसिक मंदता एवं प्रमस्तिष्काघात पीड़ित व्यक्तियों के कलयाणार्थ राष्ट्रीय न्यास विधेयक, 1991 को पुनर्जीवित करने की कार्रवाई की जा रही है जो राज्य सभा में पहले से लम्बित है।

[हिन्दी]

गैस का जलाया जाना

*427 **श्री दत्ता मेघे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के विभिन्न तेल क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस का प्रतिदिन कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) इस राज्य में विभिन्न तेल क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी मात्रा में गैस जलाई जा रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार महाराष्ट्र में ऐसी गैस का उपयोग करने का है जो अब जलाई जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). महाराष्ट्र मे तेल एवं गैस का कोई क्षेत्र नहीं है। तथापि 1994-95 में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में 38.88 एम एम एस सी एम डी गैस का उत्पादन किया गया था तथा 2.85 एम एम एस सी एम डी गैस का दहन किया गया था। पत्ता तथा मुक्ता से जो गैस जलायी जा रही है उसे विद्यमान वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए हाजारी ले जाने का प्रस्ताव है। अन्य क्षेत्रों में दहन तकनीकी दृष्टि से न्यूनतम स्तर पर है।

[अनुवाद]

मानव विकास

*428. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या योजना और कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठकों में इस बात का उल्लेख किया था कि मानव विकास के कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने परिवार कल्याण, साक्षरता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपायों का भी सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 1991 में आयोजित बैठक में यह सहमति थी कि मानव विकास पर ध्यान देते हुए सामाजिक क्षेत्रक का विकास आठवीं योजना में प्राथमिकता का क्षेत्र होगा। रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, सुरक्षित पेयजल का प्रावधान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद को महत्व के ऐसे अनेक क्षेत्रों में स्थिति का मूल्यांकन करना होगा। तदनुसार, सामाजिक क्षेत्रकों के अंतर्गत तीन क्षेत्रों अर्थात (1) जनसंख्या (2) रोजगार तथा (3) साक्षरता की पहचान की गई तथा राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन क्षेत्रों के मामलों की जांच के लिए अपनी उपसमितियां गठित करने का निर्णय लिया गया। एनडीसी उपसमितियों का गठन किया गया तथा इन समितियों की रिपोर्टों पर विचार किया गया और 18 सितम्बर, 1993 को हुई इसकी बैठक में एनडीसी ने इन पर सहमति व्यक्त की।

(ग) तथा (घ) रोजगार, जनसंख्या तथा साक्षरता संबंधी एनडीसी समितियों की रिपोर्टों में सुझाए गए उपाय निम्नानुसार है : -

1. **रोजगार**

रोजगार संबंधी एनडीसी समिति की सिफारिशें निम्न से संबंधित हैं (1) अतिरिक्त उत्पादक तथा सतत् रोजगार अवसरों के सृजन पर ही ध्यान केन्द्रित न किया जाए बल्कि उत्पादकता तथा आय के अर्थों में मौजूदा रोजगार को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाए, (2) अपेक्षाकृत अधिक रोजगार संभाव्य वाले कार्यकलापों के और तीव्र विस्तार के लिए कार्यनीति विकसित की जाए ताकि सतत् आधार पर नियमित मजदूरी/वेतन भोगी रोजगार तथा स्व-रोजगार का सृजन हो सके, (3) कृषीय ग्रामीण, गैर कृषीय, औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रकों के लिए अपनाये जाने हेतु विशिष्ट कार्यनीतियां बनाना (4) क्षेत्रकों के तीव्र विकास तथा अधिक रोजगार तीव्रता वाली गतिविधियों के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों के बीच स्वरोजगार को प्रोत्साहन तथा श्रम बाजार में उनकी संगतता को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण तंत्रों का पुनरभिमुखीकरण इत्यादि।

2. **जनसंख्या**

जनसंख्या संबंधी एनडीसी समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न से संबंधित हैं : - (1) (क) आधार संरचना को मजबूत करना (ख) कार्मिकों का प्रशिक्षण (ग) प्रारम्भिक स्तर पर अंतरक्षेत्रकीय सहकारिता (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रमों में ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों तथा पारम्परिक दाइयों की भागीदारी, तथा (3) विभिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से नीति निर्माण के लिए तंत्र का विकास - इनको शामिल करते हुए माइक्रो तथा मैक्रो स्तर पर मध्यस्था कार्यनीतियों को मजबूत करना आवश्यक है (2) प्रशासनिक आधारभूत संरचना तथा पर्याप्त मानीटरिंग एवं मूल्यांकन तंत्र के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ जनसंख्या विकास और पर्यावरण के लिए एकीकृत अंतरक्षेत्रकीय दृष्टिकोण सहित विकेन्द्रीकृत आयोजन (3) विकास, जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण सुरक्षा का दीर्घावधिक सिंहावलोकन करना तथा नीतियों और दिशा-निर्देश और जनसंख्या संबंधी एक राष्ट्रीय नीति सरकार द्वारा तैयार की जानी चाहिए तथा यह संसद द्वारा पारित होनी चाहिए।

3. **साक्षरता**

साक्षरता संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रमुख सिफारिशें संक्षेप में निम्नानुसार हैं : (1) प्राथमिक शिक्षा के संरचनात्मक पहलुओं पर जोर देना, प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा लागू करने के लिए विकेन्द्रीकृत सूक्ष्म आयोजना और राज्यवार नीति सहित प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करना (2) प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तरीय संरचनाओं के बीच निकट सम्पर्क (3) राष्ट्रीय केयर पाठ्यक्रम को अक्षुण्ण रखते हुए विशेषज्ञों, अध्यापकों और माता-पिता के प्रतिनिधियों को संबद्ध करके स्थानीय वातावरण तथा बच्चों के विकास के लिए उपयुक्त विशिष्ट पाठ्यक्रम विकेन्द्रीकृत ढंग से विकसित करना (4) प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार और साक्षरोत्तर कार्यक्रमों पर जोर देने के लिए भी संचार माध्यमों तथा स्थानीय सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग (5) देश में शिक्षा के प्रसार की प्रक्रिया में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण और स्वेच्छिक कार्रवाई की आवश्यकता।

डाक जीवन बीमा योजना

*429. **श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक जीवन बीमा योजना केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को लाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना को समाज के सभी वर्गों के मामले में कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ङ). डाक जीवन बीमा 1884 में मूल रूप से डाक कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के एक उपाय के रूप में शुरू की गई थी। समय के साथ-साथ इस योजना में निम्नलिखित श्रेणियों को भी शामिल किया गया :

(1) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्मचारी
(2) रक्षाकर्मी
(3) स्थानीय निकायों के कर्मचारी
(4) विश्वविद्यालयों तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारी
(5) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी
(6) भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी
(7) भारत सरकार के विनिर्दिष्ट स्वायत्त निकायों के कर्मचारी।

2. सांविधिक उपबंधों के अनुसार आम जनता के जीवन का बीमा करने का अनन्य विशेषाधिकार जीवन बीमा निगम का है। अपवादस्वरूप, डाकजीवन बीमा को उन श्रेणियों का बीमा करने का अधिकार दिया गया जिन्हें इस योजना के अंतर्गत पहले से शामिल किया गया है। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने जिसकी नियुक्ति सरकार ने बीमा क्षेत्र में सुधारों के अध्ययन के लिए की थी, यह सिफारिश की थी कि डाक जीवन बीमा को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाए। समिति की यह सिफारिश सरकार ने मान ली थी और डाक जीवन बीमा 24.3.1995 से ग्रामीण जनता के जीवन बीमा संबंधी कारोबार में शामिल हो गया है। इस समय डाक जीवन बीमा में समाज के अन्य वर्गों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेप्सी उत्पादों की बिक्री

*430. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न पेप्सी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और पेप्सी निगम लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौता ज्ञापन की मुख्य शर्तें क्या है;

(ग) क्या पेप्सी के उत्पादों के संवर्द्धन/बिक्री के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के साथ पूर्व में भी ऐसे ही किसी समझौता ज्ञापन पर पहले हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पेप्सी उत्पादकों की बिक्री/संवर्द्धन के मामले में पेट्रोलियम कंपनियों की भूमिका क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ). भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) ने पेप्सी फूड्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता सेवाओं के संवर्धन के लिए इसकी व्यापक योजना के भाग के रूप में बी पी सी एल के चुनींदा खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पेप्सी साफ्ट ड्रिंक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए बी पी सी एल और पेप्सी द्वारा मिलकर खुदरा बिक्री केन्द्रों की पहचान की जा रही है। खुदरा बिक्री केन्द्र स्थानों पर एक छोटी चल छतरी (किसोस्क) रखी जाएगी जिसमें पेप्सी के उपस्करों अर्थात् डिस्पैंसर, कूलर, बफ के बक्से उत्पादों को रखा जाएगा। प्रचार पर होने वाले व्यय की वहन पक्षकारों द्वारा किया जाएगा। यह व्यवस्था 5 वर्षों की अवधि के लिए है।

आई ओ सी ने पेप्सी उत्पादों के संवर्धन / विक्रय के लिए ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियां

*431. **श्री महेश कनोडिया : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कोयला कंपनियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी वार तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले की विभिन्न किस्मों के उत्पादन संबंधी निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) और इसकी सहायक कंपनियों के कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटरों के संबंध में कार्य-निष्पादन को नीचे दर्शाया गया है :-

1. कच्चे कोयले का उत्पादन (मिलियन टन में)

कंपनी	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक अंतिम	लक्ष्य
ई.को.लि.	26.50	24.05	25.50	22.60	26.50	24.85	29.50
भा.को.को.लि.	28.00	28.06	28.10	29.04	28.50	28ण75	30.75
से.को.लि.	32.00	32.38	33.50	33.52	34.40	31.21	35.00
ना.क्रो.लि.	30.70	30.70	31.40	31.41	32.50	32.50	35.00
वे.को.लि.	25.00	25.75	26.00	26.50	27.00	27.24	28.25
सा.ई.को.लि.	44.88	46.04	46.60	47.54	48.00	50.00	50.75
म.को.लि	21.92	23.14	23.80	24.29	25.00	27.32	30.75
ना.ई.को.	1.00	1.10	1.10	1.20	1.10	1.19	1.00
जोड़ को.इ.लि.	210.00	211.12	216.00	216.10	223.00	223.06	241.00

2. लाभ (+) /हानि(-) (करोड़ रुपये में)

सहायक कंपनी का नाम	1992-93	1993-94
ई.को.लि.	(-)17.20	(-)70.40
भा.को.को.लि.	(-)73.84	21.56
से.को.लि.	41.56	62.06
ना.को.लि.	190.72	225.23
वे.को.लि.	11.80	31.59
सा.ई.को.लि.	133.40	139.84
म.को.लि.	43.73	21.27
को.ई.लि.(के.खा.आ.डि.सं.लि.)	(-)38.90	(-)30.83
(सहित)		
समग्र को.इं.लि.	291.27	400.32

वर्ष 1994-95 के लिए लेखा परीक्षा के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) अद्यतन प्रेक्षपणों के अनुसार, आठवीं योजना के अंतिम वर्ष / अर्था (1996-97) में कच्चे कोयले का घरेलू उत्पादन 300 मि. टन होने की संभावना है। इसमें लगभग 32 मिलियन टन धातु-कर्मी ग्रेड कोककर कोयला, 20 मिलियन टन गैर-धातुकर्मी ग्रेड कोककर कोयला और 248 मिलियन टन अ-कोककर कोयला शामिल होने की संभावना है।

प्रयोग किए गए संक्षेपण निम्न प्रकार हैं :

ई.को.लि.	-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
भा.को.को.लि.	-भारत कोकिंग कोल लि.
से.को.लि.	-सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.
ना.को.लि.	-नार्दन कोलफील्ड्स लि.
वे.को.लि.	-वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
सा.ई.को.लि.	-साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
म.को.लि.	-महानदी कोलफील्ड्स लि.
को.इं.लि.	-कोल इंडिया लि.
के.खा.आ.डि.सं.लि.	-केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजायन संस्थान लि.
ना0.ई.को.	-नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं

*432. **डा. वंसत पवार :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी अनुमानित लागत तथा अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) मंजूर की गई उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य शुरू हो गया है; और

(घ) शेष परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) योजना आयोग विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के पश्चात् 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली राज्य सरकार की विद्युत परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान करता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान योजना आयोग द्वारा जिन विद्युत उत्पादन

परियोजनाओं के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस समय योजना आयोग में निवेश अनुमोदन के लिए कोई भी परियोजना लम्बित नहीं है।

(ग) और (घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमोदित विद्युत परियोजनाओं की कुल अधिष्ठापित क्षमता 5243.5 मेगावाट है जिसमें से 1055.5 मेगावाट की क्षमता आठवीं योजना अवधि और 4188 मेगावाट की शेष क्षमता नौवीं योजना अवधि के दौरान शुरू किए जाने की सम्भावना है। जो कदम उठाए गए हैं, उनमें कार्य की प्रगति और परियोजना निष्पादन एजेन्सियों द्वारा सूक्ष्म मानीटरिंग के आधार पर क्रमिक वार्षिक योजनाओं के दौरान पर्याप्त धनराशि का प्रावधान शामिल है।

विवरण

वे परियोजनाएं जिन्हे 1992-93 से अब तक निवेश अनुमोदन प्रदान किया गया

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	अनुमोदन की ता.	के दौरान लाभ/एम डब्ल्यू		अभ्युक्ति
					आठवीं योजना	नौवीं योजना	
1.	विशाखापत्तनम (टीपीपी) (2X500 मेगावाट)	आंध्रप्रदेश	1560.28	28.5.92	-	1000	बाद में राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्रक को दे दी गई।
2.	माहेश्वर एचईपी (10X40 मेगावाट)	मध्यप्रदेश	465.63	28.7.92	-	400	-वही-
3.	घाटघर पीएसएस (2X125 मेगावाट)	महाराष्ट्र	191.16	11.8.92	-	250	कार्य प्रगति पर है।
4.	रामगढ़ जीटी (1X35.5 मे0वा0)	राजस्थान	120.83	17.5.93	35.5	-	वही
5.	भटिण्डा टीपीपी (जीएनडीटीपी) यूनिट 5 और 6)2X210	पंजाब	680.34	5.7.93	420	-	वही
6.	शाहपुर काण्डी डैम परियोजना (168 मेवा)	पंजाब	895.08	5.7.93	-	168	वही
7.	बकरेश्वर टीपीपी (5X210 मे.वा0)	पश्चिम बं.	3052.53	6.7.93	-	1050	वही
8.	ब्रह्मपुरम में (डीजी सैट्स) (कोचीन) (5X20 मे.वा.)	केरल	281.00	2.9.93	100	-	वही
9.	रायलसीमा टीपीपी एसटी-।। (2X210 मे.वा.)	आंध्रप्रदेश	1273.00	8.1.94	-	420	वही
10.	पुरूलिया पीएसएस (900 मे.वा.)	प0बं0	1456.56	9.2.94	-	900	वही
11.	कोठागुडेम टीपीपी एसटी 4 (2X250 मे0वा0)	आंध्र प्रदेश	1890.00	29.3.94	500	-	वही
			कुल	:	1055.5	4188	

विदेशों से धन का आना

*433. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ विदेशी एजेसियां भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के नाम पर भारत-विरोधी गतिविधियों में लिप्त भारतीय स्वैच्छिक संगठनों को भारी धनराशि दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी गतिविधियों में लिप्त स्वैच्छिक संगठनों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशों से इस प्रकार के धन के आने पर रोक लगाने हेतु क्या ठोस कदम उठाये गये हैं/उठाए जायेंगे?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) इस प्रकार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाली एसोसिएशनों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही उन्हें विदेशी अभिदाय प्राप्त करने और इस्तेमाल करने के लिए पंजीकृत किया जाता है/अनुमति दी जाती है। विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के लिए जिन एसोसिएशनों को अनुमति दी जाती है उन्हें अलग लेखे, रिकार्ड और प्राप्त विदेशी अभिदाय के लिए विशेषकर अलग बैंक खाता रखना पड़ता है। उन्हें, विदेशी धन की प्राप्ति और उसके उपयोग के ब्यौरों की एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ती है, जिसे चार्टर्ड-एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत प्रमाणित होना चाहिए। इन विवरणों की संवीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए स्थापित प्रबोधन एकक द्वारा की जाती है।

अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम में निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है :-

(I) एसोसिएशन का विदेशी अभिदाय प्राप्त करना निषिद्ध करना;

(II) एसोसिएशन को पूर्व-अनुमति प्राप्त करने की श्रेणी के अंतर्गत रखना;

(III) विदेशी अभिदाय के जब्त करना; और

(VI) अभियोजन चलाना।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को डीलरशिप देना

*434. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बलराज पासी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हाल ही में डीजल/पेट्रोल/रसोई गैस की डीलरशिप/वितरण एजेंसियों के एक निश्चित प्रतिशत का आबंटन जाने माने खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) तेल चयन बोर्ड के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के संबंध में सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह आरक्षण खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए 1993-96 की विपणन योजना के बाद से और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए 1994-96 के बाद से उपलब्ध होगा। पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगा :

(1) **पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणियां :**

(क) अर्जुन पुरस्कार विजेता

(ख) ओलम्पिक/एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता और मान्यताप्राप्त विश्व विजेता/विश्व प्रतियोगिताएं।

(ग) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अंतर्गत राष्ट्रीय विजेता

(2) आयु 35 वर्ष और अधिक।

(3) **शैक्षणिक योग्यता :**

कोई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी।

(4) **निवास :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निवासी इस शर्त के साथ आवेदन करने के पात्र होंगे कि संबंधित जिले के निवासियों को वरीयता दी जाएगी।

(5) **प्रमाण पत्र :**

उम्मीदवार को राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय परिसंघ अथवा युवा मामला विभाग, भारत सरकार से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नागरिकता, आय, बहुसंख्य डीलरशिप मानक, आदि जैसी अन्य शर्तें वहीं होंगी, जो अन्य श्रेणियों पर लागू होती हैं।

[अनुवाद]

कोयला धोवनशालाएं

*435. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कार्यरत कोयला धोवनशालाओं और उनकी वर्तमान क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान प्रत्येक कोयला धोवनशाला की कितनी-कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ग) क्या वर्तमान कोयला धोवनशालाओं की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने तथा उनकी क्षमता का अधिक उपयोग करने संबंधी कोई योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. के अंतर्गत 25.22 मिलियन टन की कुल वार्षिक क्षमता रखने वाली 15 कोककर कोयला वाशरियां विद्यमान हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. की कुछ विद्यमान कार्यचालित वाशरियों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया गया है ताकि क्षमता उपयोगिता में तथा धुले हुए कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

विवरण

(ख) कोल इंडिया लि. की वाशरियों की क्षमता उपयोगिता के आंकड़े नीचे दिए गए हैं : -

वाशरियों के नाम	कार्यचालन क्षमता (मि.टन प्रतिवर्ष)	1992-93 %उपयोगिता	1993-94 % उपयोगिता
भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.)			
दुग्दा (1 और 2)	3.80	58.9	62.8
भोजूडीह	1.70	87.6	89.4
पाथरडीह	1.60	59.4	61.8
सुदामडीह	2.00	45.0	40.5
मूनीडीह	2.00	45.5	52.3
लोडना	0.40	87.5	97.5
बरोरा	0.42	66.7	78.6
महुआ	0.63	63.5	57.1
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से0को.लि.)			
कारगली	2.72	93.0	91.2
कथारा	3.00	64.0	60.7
सवांग	0.75	141.3	131.9
गिड्डी	2.00	88.0	89.5
राजरप्पा	3.00	59.0	56.8
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (बे.को.लि.)			
नंदन	1.20	50.5	51.4

भारत-पाक सीमा को सील करना

*436. **श्री मोहन रावले :**
श्री प्रफुल पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से पाकिस्तान के साथ लगने वाली अपने-अपने राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील करने के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया है, ताकि पाकिस्तान खुफिया एजेन्सी के प्रशिक्षित आतंकवादी, शस्त्र और गोलाबारूद भेजने के इरादों को विफल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गए/किये जायेंगे?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने बाड़ का निर्माण करने/फ्ल्ड लाइट लगाने का काम, उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का अनुरोध किया है। इसी प्रकार से, जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने भी पाकिस्तान के साथ लगी अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ का निर्माण करने/फ्ल्ड लाइट लगाने का अनुरोध किया है। भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने/फ्ल्ड लाइट लगाने का ब्यौरा इस प्रकार है : -

राजस्थान :

गंगानगर और बीकानेर सेक्टरों में, बाड़ का निर्माण करने/फ्ल्ड लाइटिंग करने का काम क्रमश: 333 कि.मी./352 कि.मी. में पहले ही पूरा कर लिया गया है।

जैसलमेर सेक्टर में 121 कि.मी. में बाड़ का निर्माण करने/फ्ल्ड लाइट लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया है।

बाड़मेर सेक्टर में सीमा पर 146 कि.मी. की लम्बाई में बाड़/फ्ल्ड लाइट लगाने का काम 31 दिसम्बर, 1995 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

साथ ही, बाड़मेर सेक्टर में 120 कि.मी. की लम्बाई में चल रहा काम 31 दिसम्बर, 1996 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

जम्मू एवं कश्मीर :

भारत सरकार ने मार्च, 1995 में पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रमश: 180/195.8 कि.मी. की लम्बाई में बाड़/फ्ल्ड लाईट लगाने के काम को स्वीकृत दे दी है। शुरूआती काम अभी चल रहा है और इस काम को 31 मार्च, 1996 तक पूरा कर लिया जाना है।

पंजाब :

पंजाब में समस्त व्यवहारिक क्षेत्र में सीमा पर बाड़/फ्ल्ड लाइट लगाने का काम क्रमश: 453/466 कि.मी. की लम्बाई में पहले ही पूरा किया जा चुका है।

[हिन्दी]

बीस सूत्री कार्यक्रम

*437. **डा. साक्षीजी :**

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी प्रगति हुई;

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने की कोई मांग प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्व्यन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (अप्रैल, 94 से जनवरी, 95) के दौरान देश में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में की गई प्रगति विवरणों में दी गई है।

ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल0टी0 7519/95

(ख) वर्ष 1995-96 के कार्यक्रम के लिए लक्ष्य अन्तिम प्रक्रियाधीन है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह

*438. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई राज्यों में आजकल विद्रोहात्मक गतिविधियां बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या इसमें किसी विदेशी शक्ति का हाथ है; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशी शक्ति को ऐसा करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री शंकरराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। पूर्वोत्तर के राज्यों के कुछ हिस्सों में अवश्य ही विद्रोह की स्थिति है। इसके लिए ऐतिहासिक, आर्थिक, जातीय आदि सहित एक जटिल कारक समूह जिम्मेदार है। शान्ति, स्थायित्व और प्रगति लाने के लिए की गई वार्ताओं और समझौतों के बावजूद, टूटकर अलग हुए ग्रुपों ने पुन: शस्त्रों और हिंसा एवं भूमिगत-गतिविधियों का सहारा लिया है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाती है। और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अति गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करना, कुछ उग्रवादी ग्रुपों को 'गैर कानूनी संगठन' अधिसूचित करना, सेना एवं केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की अतिरिक्त इकाइयां तैनात करना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उन्नतिकरण के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों को वित्तीय सहायता देना, भारत रिजर्व बटालियनें बनाना और सूचना का बेहतर आदान-प्रदान तथा विद्रोह-विरोधी अभियानों का समन्वय आदि शामिल है। इसी के साथ-साथ आर्थिक विकास के लिए खासतौर पर क्षेत्र में आधारभूत ढांचे एवं रोजगार के अवसरों में सुधार की दृष्टि से भी कदम उठाए जाने जारी हैं।

(घ) और (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ विद्रोही ग्रुपों को पाकिस्तान की आई0एस.आई0 और कुछ पड़ोसी देशों की जमीन से सुरक्षित पनाह, प्रशिक्षण, हथियार आदि की उपलब्धता हेतु सहायता मिलने की भी रिपोर्टें हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तरों पर बंगलादेश और म्यांमार के दौरों तथा संयुक्त कार्यदलों एवं ऐसे ही ग्रुपों की बैठकों सहित पड़ोसी देशों के साथ, समय-समय पर इस मुद्दे को समुचित रूप से उठाया गया है। इससे काफी प्रगति हुई है और सहयोग बढ़ा है। किसी भी स्रोत से विद्रोह/आतंकवाद को सहायता मिलने का विरोध करने के सभी जरूरी उपाय करने के लिए सरकार कृत संकल्प है।

[हिन्दी]

कोयले का उत्पादन

*439. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**

श्री नवल किशोर राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि. की खानों में पिछले कुछ वर्षों से प्रति व्यक्ति प्रतिपाली कोयले के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रति व्यक्ति प्रतिपाली कोयले का औसत उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली कोयले की अधिकतम उत्पादन दर का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो कोयला उत्पादन की अनुमानित दर क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री अजीत कुमार पांजा) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. में प्रति व्यक्ति

प्रतिपाली समग्र रूप में हुए उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं : -

1992-93	1.46 टन
1993-94	1.52 टन
1994-95	1.57 टन (अनंतिम)
(अप्रैल, 94-फरवरी, 95)	

(ग) से (ङ) एक विवरण संलगन है।

विवरण

वर्ष 1995-96 के लिए कोल इंडिया कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. के कोयले के उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादकता के लक्ष्य नीचे दर्शाए गए हैं :

कंपनी	उत्पादन (मिलियन टन में)	प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादकता (टन में)
कोल इंडिया लि.	241.00	1.66
सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि.	28.00	1.17

[अनुवाद]

कोल इंडिया लि. द्वारा विश्व बैंक ऋण की मांग

*440. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि. ने विश्व बैंक से 500 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए कोल इंडिया लि. ने ऋण की मांग की है; और

(घ) कोल इंडिया लि. द्वारा इस ऋण की अदायगी किस प्रकार की जाएगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि. तथा विश्व बैंक के बीच 31 परियोजनाओं पर संभावित ऋण प्राप्त किए जाने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है, जिसमें नई/विस्तार परियोजनाएं और विद्यमान खानों/परियोजनाओं में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी की प्रतिस्थापन किए जाने का कार्य शामिल है। कोल इंडिया लि. द्वारा विश्व बैंक से लगभग 2932 करोड़ रुपये की राशि की सहायता मांगी गई है।

इस संबंध में शर्तों का पता, जिसमें ऋण के प्रतिसंदाय की पद्धति शामिल है, विश्व बैंक के साथ हुए विचार-विमर्श के निष्कर्षों को निकाले जाने के बाद ही चल सकेगा।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाएं

4295. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु तंत्रों के कार्यकरण को कारगर और सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की और उसमें से कितनी राशि का वास्तविक रूप से उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आयोग गठित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) राहत कार्य प्रारंभ करने में सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय आकस्मिक कार्य योजना तैयार की गई है। इस आकस्मिक कार्य योजना में विभिन्न राहत संगठनों द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले अपेक्षित उपायों का उल्लेख है।

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आपदा राहत कोष के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष 804.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। राज्यों सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1992-93 और 1993-94 के दौरान आपदा राहत कोष से क्रमशः 843.29 करोड़ रुपए और 563.99 करोड़ रुपये का संभावित व्यय हुआ। राज्य सरकार ने वर्ष 1994-95 के व्यय का ब्यौरा अभी संकलित नहीं किया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने आपदा कोष के सामान्य संग्रह के अलावा गंभीर प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में 700.00 करोड़ रुपये निर्धारित करने के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का संचालन एक राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में स्वयंसेवी संस्थाएं

4296. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी स्वयंसेवी संस्थाओं को कल्याण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध की गई;

(ख) क्या ये संस्थाएं अपना लेखा जोखा केन्द्रीय सरकार को सौंपती रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदत्त मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों की संख्या निम्न प्रकार हैं : -

वर्ष	सहायता प्रदत्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1992-93	20
1993-94	36
1994-95	51

(ख) से (घ) जी, नहीं।

स्वैच्छिक संगठन आवधिक रिपोर्ट आय व्यय का अंकेक्षित विवरण प्राप्ति और भुगतान तथा तुलन पत्र प्रति वर्ष कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर सहायतानुदान की दूसरी किश्त प्रगति रिपोर्ट तथा अंकेक्षित खातों के संतोषप्रद मूल्यांकन के बाद निर्मुक्त की जाती है।

गैस विनियामक निकाय

4297. **श्री विजय एन. पाटील :**
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दि0 3 अप्रैल, 1995 के 'द फायनेंशियल एक्सप्रेस' में 'नैचुरल गैस ट्रेड रेग्युलेटरी बॉडी इन द ऑफिस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस समय विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा ओर इनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनके कार्यान्वयन में क्या जटिलताएं हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान मानक मानदंडों की दृष्टि से गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है और 1995-96 में कितनाप निवेश किया जायेगा तथा क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) गैस उद्योग के लिए एक नियामक ढांचे की गुंजाइश के संबंध में एक अध्ययन आरंभ किया गया है।

(घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. ने 1994-95 में 360.72 करोड़ रुपए का निवल लाभ (अनन्तिम) अर्जित किया। 1995-96 हेतु योजना परिव्यय 2162.51 करोड़ रुपए हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में तेल/गैस टर्मिनल

4298. **श्री दत्ता मेघे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के सहयोग से महाराष्ट्र में एक तेल/गैस टर्मिनल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस प्रस्ताव को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री द्वारा, आर्डर का रद्द किया जाना

4299. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल 1995 के 'द इकानॉमिक टाइम्स' नई दिल्ली में 'एलिंग आई.टी.आई. रिजेक्ट्स आर्डर्स टु कट डाउन लॉसेस' शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) 2.4.1995 को 'इकॉनामिक टाइम्स' में प्रकाशित यह समाचार कि आई.टी.आई. को प्रस्तुत आदेश आई.टी.आई. द्वारा रद्द कर दिए जा रहे हैं, सच नहीं हैं। आई.टी.आई. को दिया गया कोई आदेश इनके द्वारा रद्द नहीं किया गया है।

तथापि यह सच है कि अत्यधिक प्रतियोगिताओं और दूरसंचार उपस्कर के मूल्यों में सामान्य गिरावट के कारण आई.टी.आई. को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में पर्याप्त आर्डर प्राप्त करना आई टी आई के प्रबंधकों की मूलभूत जिम्मेवारी है। तथापि, दूरसंचार विभाग, अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् आई टी आई ओर एच टी एल की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की दृष्टि से तथा साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए, एक ऐसी नीति का अनुसरण कर रहा है जिसके तहत इन कंपनियों द्वारा निर्मित मदों के लिए दूरसंचार विभाग के 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत आर्डर उनके लिए आरक्षित रखे जाते हैं। तथापि, कीमत, गुणवत्ता और आपूर्ति की समय-सीमा में कोई रियायत/तरजीह की अनुमति नहीं दी जाती है।

इसके साथ-साथ सरकार ने आई.टी.आई. को यह परामर्श दिया है कि वे अपने उत्पादों और ग्राहकों में विवधता लाएं।

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल में एच.आई.वी. संक्रमण

4300. **कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तिहाड़ जेल में कैदी एच.आई.वी. पाजीटिव संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) तिहाड़ जेल में चल रहे एच आई वी स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत कुल परीक्षित 300 कैदियों में से 3 के एच आई वी से संक्रमित होने का पता चला है इनमें से दो की मृत्यु हो चुकी है जबकि तीसरे को रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा एक एच आई वी संक्रमित कैदी को अजमेर जेल में 'एड्स के उपचार के लिए तिहाड़ जेल से लाया गया है।

(ग) तिहाड़ जेल में एच आई वी संक्रमण वाले कैदियों का पता लगाने, इसकी रोकथाम और उपचार करने के लिए किए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल है : -

(I) सभी कैदियों को प्रवेश के समय, उनकी सजा की अवधि के दौरान रिहाई-पूर्व कार्यक्रमों के माध्यम से 'एड्स' के बारे में शिक्षित करना;

(II) पर्याप्त परीक्षण-पूर्व एवं परीक्षण पश्चात् परामर्श सहित, एच आई वी के संक्रमण का स्वैच्छिक परीक्षण;

(III) 'सेंटिनल सर्विलेंस' अथवा उच्च जोखिम ग्रुपों, नशेड़ियों ओर कैदियों में से टी.वी. के मरीजों की स्क्रीनिंग आदि,

(VI) नशा मुक्ति केन्द्र का संचालन, और

(V) जेल के चिकित्सा-स्टाफ जिन्हें एच आई वी/एड्स प्रशिक्षण के अवसर भी दिए जाते हैं, को एच आई वी/ एड्स निवारण संबंधी जानकारी उपलब्ध करना और एच आई वी से संक्रमित कैदियों को सभी जरूरी चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना।

[हिन्दी]

गुजरात में डाक वापसी कार्यालय

4301. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में डाक वापसी कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं। गुजरात के लिए अहमदाबाद में एक पुनः प्रेषण केन्द्र पहले से ही है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

4302. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से मध्य प्रदेश में जिला-वार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) मध्य प्रदेश में 1995-96 के दौरान 85000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में 1997 से मध्य प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश में व्यावहारिक रूप से मांग करने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है।

विवरण

मध्य प्रदेश सर्किल में पिछले तीन वर्षों से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलावार संख्या।

जिला	31.3.93 को	31.3.94 को	31.3.95 को
1	2	3	4
बालाघाट	123	14	0
बस्तर	599	141	316
बेतुल	219	0	297
भिण्ड	1214	0	230
भोपाल	9530	7259	5078
बिलासपुर	2579	2140	1868
छतरपुर	793	131	420
छिंदवाड़ा	652	0	17
दामोह	429	398	94
दतिया	190	378	140
देवास	1676	0	760
धार	313	323	373
दुर्ग	3835	1748	4850
गुना	977	0	637
ग्वालियर	6389	2593	2915
होशंगाबाद	227	38	381
इंदौर	29985	25625	3524
जबलपुर	7488	1617	2922
झबुआ	304	0	0
खण्डवा	212	0	25
खारगोन	175	0	0
मांडला	40	0	0
मंदसौर	2130	0	445
मुरैना	267	0	232
नरसिंहपुर	162	0	26
पन्ना	280	0	85
रायगढ़	91	0	131
रायपुर	5655	3113	2904
रायसेन	8	15	0

1	2	3	4
राजगढ़	0	0	23
राजनंदगांव	483	601	0
रतलाम	665	0	90
रीवा	1205	1300	1860
सागर	2026	2278	706
सरगुजा	576	81	650
सिहोर	13	0	0
शिवनी	32	8	14
शाहडोल	182	35	413
शाजापुर	0	0	146
शिवपुरी	535	0	1006
सिद्धी	156	80	247
टीकमगढ़	244	458	255
उज्जैन	1897	0	974
विदिशा	200	0	112
जोड़	86300	52312	37055

उत्तर प्रदेश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर

4303. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि उत्तर प्रदेश में स्थापित कुछ कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना पर कितनी लागत आएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) विद्युत आपूर्ति के विदारण/इसके फेल होने, अवयवों के फेल होने आदि जैसे विभिन्न कारणों से कुछ अल्प शक्ति टी0वी. ट्रांसमीटरों के संबंध में सेवा में रूकावट संबंधी शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। शिकायतों पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जाता है और सेवा को यथाशीघ्र पुन: चालू किया जाता है।

(घ) और (ङ) विद्यमान छः अल्प शक्ति टी0वी. ट्रांसमीटरों (अ.श.ट्रा.) की शक्ति को उच्च शक्ति टी0वी. ट्रांसमीटरों में उन्नयित करने की परिकल्पना की गई है बशर्ते इस उद्देश्यार्थ संसाधन और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। इस आकार की प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन में लगभग 3 वर्ष का सामान्य लीड समय लगता है। और प्रत्येक में लगभग 10.00 करोड़ रुपये का व्यय निहित होता है।

[अनुवाद]

कमान क्षेत्र का विकास

4304. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमान क्षेत्रों के विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को कितनी धनराशि दी गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र के कमान क्षेत्रों में सिंचाई नेटवर्क के क्या लक्ष्य थे; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि रही?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के रूप में महाराष्ट्र को निम्नलिखित राशि उपलब्ध की है :

वर्ष	राशि (लाख रुपये)
1992-93	1315.13
1993-94	704.54
1994-95	1731.62

(ख) और (ग) इस अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में कमान क्षेत्रों में सिंचाई नेटवर्क (फील्ड चैनल) का लक्ष्य तथा इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

अवधित	केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम (फील्ड चैनल) (हजार हेक्टेयर)		अभ्युक्ति
	लक्ष्य	उपलब्धियां	
1992-93	70.00	22.13	
1993-94	52.50	25.50	
1994-95	60.00	16.53*	
कुल	182.50	64.16	

*दिसम्बर 94 तक उपलब्धि

कल्याणकारी योजनाएं

4305. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री 16 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 678 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वास्तविक खर्च तथा उपलब्धियों में बिहार के हिस्से का योजनावार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार, सरकार और बिहार में गैर सरकारी संगठनों को योजना वार निर्मुक्त की गई राशियों तथा लाभ ग्रहियों की संख्या वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है इन योजनाओं के लिए राज्यवार कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई योजनावार धनराशि व लाभाग्राहियों की संख्या/वास्तविक उपलब्धि

क्र0	योजना का नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
		वित्तीय (रु. लाख में)	वास्तविक (रु. लाख में)	वित्तीय (रु. लाख में)	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	घटक योजना को केन्द्रीय सहायता	2096.54	160189	2327.11	179385	-	
2.	अनुसूचित जाति विकास निगम	85.25	6376	113.52	33350	-	-
3.	मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	5.97	7300	65.90	10030	22.00	-
	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	799.18	189474	590.14	120611	451.00	-
4.	पुस्तक बैंक	2.00	683	9.91	900	16.99	1322
5.	लड़कों के होस्टल	40.78	10 (एच) 500 (आई.)	70.77	14(एच.) 700(आई)	-	एच= होस्टल आई = समवाती
6.	लड़कियों के होस्टल	25.28	5 (एच) 250 (आई.)	8 (एच) 44.44 (आई.)	8	8	-
8.	कोचिंग और सम्बद्ध	2.00	-	8.57	-	1.70	-
9.	पी सी आर एवं अत्याचार	15.00	-	26.50	-	-	-
10.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति	313.00	-	-	-	-	-
*11.	ए बी आई पी	710.00	लागू नहीं	लागू नहीं	1568.00	लागू नहीं।	
*12.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	28.00	लागू नहीं	27.05	लागू नहीं	36.98	लागू नहीं
*13.	विशेष स्कूल खोलने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	-	लागू नहीं -	लागू नहीं	6.31	लागू नहीं	
14.	किशोर सामाजिक कुसंजन निवारण व नियंत्रण योजना	10.17	950	-	-	-	-
15.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	-	-	-	-	14.02	280
16.	एन बी बी एफ डी सी	223.95	-	456.33	-	-	--
17.	वयोवृद्धों का कल्याण	0.36	-	4.51	-	-	-
18.	भिक्षावृति निवारण की योजना	20.00	-	-	-	55.00	-
19.	आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	3175.25	-	3497.39	-	1748.70	-
20.	अनुच्छेद 275(1)	427.20	-	801.00	-	725.25	-
21.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए होस्टल	-	-	-	-	-	-
22.	अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिए होस्टल	-	-	-	-	-	-
23.	अनुसूचित जनजातियों के लिए आश्रम स्कूल	-	-	-	-	-	-
24.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	-	-	-	-	44.34	-
25.	लघु वन उत्पाद कार्य	50.00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	आदिवास, अनुसंधान संस्थान, रांची को अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अनुदान	3.16	–	11.65	–	10.00	--
*27.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कम साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर।	–	–	–	–	4.59	–
*28.	आदिवासी कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	23.30	–	31.64	–	34.19	

*गैर सरकार संगठनों को निधियां निर्मुक्त की गई

(–) यह दर्शाता है कि कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई/वास्तविक उपलब्धियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं।

दूरदर्शन के दूसरे चैनल पर मराठी कार्यक्रम

4306. श्री राम नाईक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन का दूसरा चैनल (मैट्रो चैनल) मुख्य रूप से मराठी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में इस चैनल पर मुख्य रूप से हिन्दी कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं और मराठी कार्यक्रम चैनल दस पर प्रसारित किए जा रहे हैं जो कि डिश एन्टीना के बिना दिखाई नहीं देते; और

(ग) यदि हां, तो मराठी कार्यक्रमों को चैनल दो से हटा कर चैनल दस पर प्रसारित किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) किसी एक क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने हेतु दूरदर्शन के डीडी-।। चैनल की परिकल्पना नहीं की गई थी।

(ख) उपग्रह चैनल डीडी-10 जिसे सिग्नल उपयुक्त डिश एण्टेना के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, के अलावा डीडी-। और डीडी-2 पर टेलीकास्ट किए जाने वाले मराठी कार्यक्रम क्रमश: संपूर्ण महाराष्ट्र तथा बम्बई में स्थलीय रूप से उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोयले की मांग

4307. श्री कुंजी लाल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में प्रतिमाह घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ कितने कोयले की आवश्यकता है;

(ख) गत बारह महीनों के दौरान राज्य को प्रतिमाह वास्तव में कोयले की कितनी आपूर्ति की गई;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार निकट भविष्य में राजस्थान को कोयले का अतिरिक्त आबंटन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राज्यवार नहीं किया जाता है। इसका सम्पूर्ण देश के लिए उद्योग/क्षेत्रवार मूल्यांकन किया जाता है। कोल इण्डिया लि. (को.इ.लि.) संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजकता के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है। विद्युत एवं सीमेंट उद्योगों को इन क्षेत्रों के लिए स्थाई संयोजन समिति द्वारा स्थापित अल्पकालीन संयोजन के आधार पर आपूर्ति की जाती है।

(ख) को.इ0लि. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 1994-95 के दौरान को.इ0लि. से राजस्थान को माहवार किए गए प्रेषण को नीचे दर्शाया गया है : –

(आंकड़े अनन्तिम)
(आंकड़े लाख टन में)

महीना	मात्रा
अप्रैल	5.22
मई	5.53
जून	5.27
जुलाई	4.90
अगस्त	5.25
सितम्बर	4.86
अक्टूबर	5.22
नवंबर	4.25
दिसंबर	3.95
जनवरी	3.06
फरवरी	3.30
मार्च	5.09
कुल जोड़	55.90

(ग) और (घ) कोयला कंपनियों को राजस्थान में स्थित उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किंतु कोयला/कोक के अतिरिक्त नियतन के लिए किसी अनुरोध पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर विचार जांच

की जाती है। राजस्थान में अधिकांशतया समग्र अकोककर कोयले की मांग को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियां द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कतिपय कोलियरियों से उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कोयले की पेशकश की जा रही है, उक्त योजना के अंतर्गत किसी संयोजन/प्रायोजकता के बिना कोयले की आपूर्ति की जाती है। इस योजना के अंतर्गत थोक व्यापारियों/छोटे व्यापारियों को भी कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जो कि छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

4308. श्री छेदी पासवान : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) क्या बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई धनराशि का उचित उपयोग हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त राशि के समुचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ङ) कितनी अनुपयुक्त राशि लौटा दी गई हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ङ) केन्द्र प्रायोजित स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्यों क्षेत्रों के साथ परामर्श से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय इन स्कीमों को मानीटर करते हैं। उनके कार्यान्वयन अथवा मानिटरिंग में योजना आयोग की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। यह बहरहाल, आमतौर पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना विचार विमर्शों के दौरान योजना स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

केन्द्रीय सहायता

4309. श्री राम टहल चौधरी : : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कोयला नियंत्रण आदेश

4310. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला नियंत्रण आदेश लागू करने के उद्देश्य क्या थे और किन परिस्थितियों में यह आदेश लागू किया गया था;

(ख) कोयला नियंत्रण आदेश लागू करने के बाद क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया;

(ग) क्या सरकार इस आदेश को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह आदेश कब तक समाप्त कर दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) इस संबंध में शायद माननीय सदस्य कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी की गई दि0 4.6.92 की अधिसूचना का उल्लेख कर रहे हैं जिसके द्वारा अकोककर कोयले के वितरण को इस आदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया है। इस अधिसूचना को अकोककर कोयले के अनधिकृत रूप में परिवर्तन किए जाने संबंधी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया था।

(ग) और (घ) कोलियरी नियंत्रण आदेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 16के अंतर्गत प्रवृत्त रखा गया है।

कोयला वितरण, कोयला ग्रेड का निर्धारण, कोयले के विभिन्न ग्रेडों के लिए कीमत निर्धारण, आदि सहित विभिन्न मामलों से निपटने के लिए उक्त आदेश में प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल संशोधित किया जा सकता है। किंतु, सरकार का कोलियरी नियंत्रण आदेश को पूर्णत: वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता

4311. श्री सुकदेव पासवान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वैच्छिक संगठनों को गठित एवं पंजीकृत करने हेतु वित्तीय सहायता देने संबंधी वर्तमान नियमों को संशोधित करने का है ताकि इस संबंध में वर्तमान नियमों को सरल बनाया जा सके और उनके कार्यक्रमों को लागू करने और उनके पंजीकरण के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी हां। मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

आन्तरिक सुरक्षा

4312. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा के लिए बढ़ते हुए खतरे के साथ ही राष्ट्र की अखंडता के लिए गम्भीर समस्याएं पैदा हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस और कानून तथा व्यवस्था को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) विभिन्न ताकतों द्वारा आन्तरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे के प्रति सरकार पूरी तरह से जागरूक है। राष्ट्रीय अखंडता को खतरा उत्पन्न करने वाले इस प्रकार के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सभी उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

सरकारी सेवाओं में आरक्षण

4313. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान्मार सरकार की सैनिक कार्यवाही से विस्थापित और भारत भेजे गए भारतीय मूल के व्यक्तियों को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में श्रेणी तीन और चार में रोजगार के लिए प्राथमिकता के आधार पर आयु में छूट के साथ-साथ आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानियों को टेलीफोन कनेक्शन

4314. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992 से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को दिल्ली के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा टेलीफोन कनेक्शन हेतु जोनवार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) शेष टेलीफोन कनेक्शन कब तक प्रदान किए जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) एस.डब्ल्यू. एस. श्रेणी अगस्त 1992 में शुरू की की गई थी। महानगर टेलीफोन निगम लि. को स्वतंत्रता सेनानियों से दिल्ली में अगस्त, 1992 से 31.3.1995 तक प्राप्त जोनवार आवेदन पत्रों को संख्या इस प्रकार है :-

मध्य क्षेत्र	21
पश्चिम क्षेत्र	123
पूर्व क्षेत्र	122
दक्षिण क्षेत्र	83
उत्तर क्षेत्र	83
योग	452

(ख) इनमें से स्वीकृत किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या (ओबी जारी की जा चुकी है।) इस प्रकार है : -

मध्य क्षेत्र	19
पश्चिम क्षेत्र	121
पूर्व क्षेत्र	92
दक्षिण क्षेत्र	63
उत्तर क्षेत्र	83
योग	378

(ग) विचाराधीन 74 आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जा रहा है और सत्यापन के बाद टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत कर दिए जाएंगे।

कोयले का आयात

4315. श्री अमर राय प्रधान : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग ग्रेड के कितने कोयले का आयात किया गया;

(ख) क्या इस तरह की श्रेणी भारत में नहीं मिलती;

(ग) देश में इन ग्रेडों के कोयले के उत्पादन में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) इस संबंध में शायद माननीय सदस्य ग्रेडवार आयातित किए गए कोयले की मात्रा के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने यह सूचित किया है कि वे कोयले के आयात के संबंध में ग्रेडवार आंकड़े नहीं रखते हैं। किंतु वर्ष 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान देश के आयात किए गए कोककर तथा अकोककर कोयले की अलग से मात्रा नीचे दर्शाई गई है।

(आंकड़े अनंतिम)

(आंकड़े टन में)

वर्ष	कोककर कोयला	अकोककर कोयला (कोक/अर्ध कोक, आदि सहित)
1991-92	5272144	655111
1992-93	6324700	415481
1993-94	6822371	572297

(ख) निम्न राख वाले कोककर कोयला और कुछ उच्च ग्रेड के अकोककर कोयले को छोड़कर कोयले का देश में देशीय अधिकांशत उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा किए जाने के लिए पर्याप्त है।

(ग) और (घ) हमारे अधिकांश कोयले के भंडारों में उच्च राख का तत्व विद्यमान है। जिसे धुलाई द्वारा कुछ सीमा तक परिष्कृत किया जा सकता हैं कोयले के भूमिगत उत्पादन में वृद्धि किए जाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, जो कि आमतौर पर बेहतर गुणवत्ता वाला होता

है और इसमें आधुनिक खनन प्रौद्योगिकी/यंत्रीकरण की शुरूआत करकेओर खानों में विद्युत का आपूर्ति मे सुधार करके वृद्धि की जा रही है।

कोककर कोयले की देशीय उपलब्धता को सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : -

1. विद्यमान खानों में पुर्नगठन तथा नए खानों का विकास करके कच्चे कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि किया जाना।
2. विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों का आधुनिकीकरण ताकि क्षमता उपयोगिता तथा धुले कोककर कोयले की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
3. उपयुक्त गुणवत्ता वाले निम्न ज्वलनशील मध्यम कोककर कोयले की आपूर्ति करके वाशरियों के कच्चे कोयले के फीड में वृद्धि किया जाना
4. मधुबंद (भा.को.को.लि.) केडला (से.को.लि.) के स्थान पर निर्माणाधीन दो नई वाशरियों को शीघ्र चालू किए जाने ताकि विद्यमान धुलाई क्षमता में वृद्धि की जा सके।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा वाहनों को भाड़े पर लिया जाना

4316. **श्री बी.एल. शर्मा प्रेम** : क्या संचार मंत्री यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मासिक आधार पर कार/मैटाडोर जैसे निजी वाहन भाड़े पर लिए जाते है;

(ख) क्या ऐसे वाहनों को शनिवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों पर भी भाड़े पर लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या अवकाश के दिनों में काम करने के लिए वाहन स्वामियों को समयोपरि भत्ते की तरह अतिरिक्त भुगतान किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) यदि सेवा की अत्यावश्यकता होती है, तो किराये के वाहनों का उपयोग छुट्टियों में भी किया जाता है।

(ग) सामान्यतया वाहन, प्रतिदिन 10 घंटे की ड्यूटी के लिए किराये पर लिये जाते हैं जिसमें आधे घंटे का भोजनावकाश दिया जाता है। यदि इन वाहनों के उपयोग की जरूरत काम के सामान्य घंटों के बाद और रविवार को भी पड़ती है तो वाहन मालिक को समयोपरि भत्ता दिया जाता है।

(घ) रविवार को ड्यूटी के लिए 8 रुपये प्रतिघंटे की दर से समयोपरि भत्ता दिया जाता है बशर्ते ऐसी डयूटी 8 घंटे कम से कम की हो। और अन्य दिनों को 8 रुपये प्रति घंटे की दर से दिया जाता है (आधे घंटे से अधिक और एक घंटे के बीच घंटे की ड्यूटी मानी जाएगी)।

(ङ) किराये के वाहनों के बजाय स्वयं अपने वाहन खरीदने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

4317. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) मार्च 1995 तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर 1269 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

(ख) 1995-96 के दौरान राज्य योजना के अन्तर्गत 93 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 60 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

(ग) 649 कि.मी. को लम्बाई तक मुख्य नहर का कार्य पूरा कर लिया गया है। वितरण प्रणाली के 8974 कि.मी. में से 5352 कि.मी. का कार्य मार्च, 1995 के अंत तक पूरा किया गया है।

(घ) राज्य सरकार के आकलन के अनुसार, इस परियोजना के सन् 2005 तक पूरा होने की संभावना है बशर्ते पर्याप्त निधियां उपलब्ध हों।

तेल क्षेत्र सुधार संबंधी समिति

4318. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सुन्दर राजन तेल क्षेत्र सुधार संबंधी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय तेल उद्योग की पुन:

संरचना के संबंध में एक "नीति निर्धारण नियोजन ग्रुप" का गठन किया गया है और इसके सदस्यों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के शीर्ष प्रबन्धन और शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञ शामिल हैं। सुन्दरराजन समिति की रिपोर्ट 'नीति निर्धारण ग्रुप' के विचारार्थ आरम्भिक सामग्री प्रस्तुत करेगी।

आंध्रप्रदेश विधान सभा की कार्यवाही का प्रसारण

4319. **श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश विधान सभा की काग्रवाही के नियमित प्रसारण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद को विधानसभा की कार्यवाही के प्रसारण हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ग) दूरदर्शन को राज्य विधानसभाओं की कार्यवाहियों के कवरेज सम्बन्धी समस्त प्रकरण की पुनः जांच करने के लिए कहा गया है।

चावल और मद्य-निषेध कार्यक्रम

4320. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) के समक्ष 2 रुपये प्रति किलो चावल और मद्य-निषेध योजनाओं के सभी प्रस्तावों को रखने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक कब तक बुलाई जाएगी;

(घ) क्या अनेक राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से गरीबी रेखा हटाने के लिए विभिन्न राज्यों में प्रमुख उपाय के रूप में आरम्भ की गई दाल-रोटी योजना पर चर्चा कराने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य सरकारों की सभी योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया है / किया जाने वाला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (च) 20 फरवरी, 1995 को आंध्र प्रदेश के एक सर्व दलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में हुए विचार विमर्शों के दौरान राज्य सरकार की चावल सब्सिडी स्कीम तथा नशाबंदी नीति का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चूंकि ऐसे मुद्दों में राष्ट्रीय नीतियां अन्तर्ग्रस्त होती हैं, अतः इनकी विस्तार से जांच तथा तत्पश्चात् राष्ट्रीय मतैक्य प्राप्त करने की आवश्यकता थी। ऐसी परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था का निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार-विमर्श के बाद ही लिया जा सकता है।

बहरहाल, वर्तमान में इस संदर्भ में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

लोक शिकायत निवारण आयोग

4321. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने केन्द्रीय सरकार के पास कुछ अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों की सुनवाई के लिए लोक शिकायत निवारण आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कथित रूप से अन्याय, विलंब, प्राधिकार का दुरूपयोग भेदभाव एवं भेदपरक व्यवहार भ्रष्टाचार निष्ठा के अभाव और गलत व्यवहार किए जाने के बारे में नागरिकों की शिकायतें सुनने/प्राप्त करने के लिए किसी लब्ध प्रतिष्ठ प्रशासक की अध्यक्षता में 'लोक शिकायत आयोग' गठित किए जाने हेतु एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। प्रस्तावित आयोग ऐसी शिकायतों की जांच करेगा, अपने निष्कर्ष रिकार्ड करेगा और उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी को निश्चित समय सीमा में विशिष्ट कार्रवाई हेतु सुझाव देगा।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की जांच की गई है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को उनके विचार एवं आख्या हेतु कुछ टिप्पणियां भेजी गई हैं।

[अनुवाद]

इकबाल मेमन की गिरफ्तारी

4322. **श्री रवि राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन और भारत के बीच की गई प्रत्यार्पण सन्धि के अंतर्गत हाल ही में लंदन में इकबाल मैमन को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे किन आरोपो में गिरफ्तार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इकबाल मो. मैमन उर्फ इकबाल मिर्ची को स्वापक एकक, बम्बई के स्वापक औषध और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21 और 29 के साथ पठित धारा ख (ग) के अन्तर्गत दर्ज मामला सं. 38/93 के संबंध में आई.पी.एस.जी. ल्योन द्वारा जारी किए गए रेड कार्नर नोटिस के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। यह मामला महाराष्ट्र राज्य में बम्बई और पूणे में 2.9.93 और 18.10.93 के बीच जब्त की गई 2027.25 किलोग्राम मेन्ड्क्स गोलियों (मेथाक्वालोन पाउडर) से संबंधित है।

विदेश संचार निगम लिमिटेड का निवेश

4323. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड का विचार 'इनमारसेट' का सम्बद्ध कम्पनी आई-को में निवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) इनमरसेट की सम्बद्ध कंपनी आई-को ग्लोबल कम्यूनिकेशन्स लि. को सार्वभौमिक हस्तधारित उपग्रह फोन प्रणाली प्रदान करने के लिए इंगलैण्ड और वेल्स के कंपनी अधिनियम, 1985 के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में समाविष्ट कर लिया गया है। इस परियोजना पर आने वाली कुल अनुमानित लागत 2,9 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस परियोजना में इनमरसेट सहित विभिन्न देशों के 38 प्रचालक भाग ले रहे हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड ने आई-को की इक्विटी में 150 मिलियन अमरीकी डॉलर तक निवेश करने का प्रस्ताव रखा है बशर्ते कि इसके लिए आवश्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त हो जाएं। इस शताब्दी के अंत तक, इस प्रणाली का प्रचालन कार्य प्रारंभ हो जाने की आशा है।

रव्वा तेल क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंपना

4324. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य रव्वा तेल क्षेत्र उत्पादन के चरण में 27 जनवरी, 1995 को 60 प्रतिशत की इक्विटी देकर वीडियाकॉन को सौंप दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो छोटी श्रेणी में रखे गये छह तेल क्षेत्रों - होल्का, वेवल, इंद्रौरा, बकरौल लोहार तथा बोएला उत्पादन के चरण में शीघ्र ही छह और तेल क्षेत्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार सौन्दराजन समिति की रिपोर्ट की आड़ में तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा ऑयल के अत्यावश्यक तेल क्षेत्र एककों का निजीकरण करने जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) रावा क्षेत्र के लिए संविदा पर 28.10.94 को हस्ताक्षर किए गए थे। ओ एन जी सी का भागीदारी हित 40 प्रतिशत, वीडियोकान का 25 प्रतिशत और अन्य निजी पक्षकारों का शेष 35 प्रतिशत है।

(ख) ढोल्का, वावेल, इंदरोरा, बकरोल, लोहार और बाओला नामक छः तेल क्षेत्र तेल/गैस उत्पादन में शीघ्र वृद्धि करने के लिए निजी कंपनियों को दिए गए थे। ये छोटे क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों को विकसित करना राष्ट्रीय तेल कंपनियों के लिए बिल्कुल व्यवहार्य नहीं है।

(ग) श्री यु. सुन्दरराजन की अध्यक्षता वाले दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अभी कोई विचार नहीं बनाया गया है।

अखबारी कागज का आयात

4325. **श्री प्रमथेश मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से (डीकेनलाइजेशन के बाद) (रूसी अखबारी कागज को छोड़कर) कुल कितने अखबारी कागज का आयात किया गया;

(ख) उपरोक्त (क) के अनुसार कुल आयातित अखबारी कागज में से 31.3.1995 तक कुल कितने अखबारी कागज की बिक्री हुई और भंडार में कितना पड़ा है;

(ग) इसमें लगी पूंजी पर ब्याज सहित उपरोक्त बिक्री से कितना घाटा हुआ; और

(घ) यदि कोई हानि हुई हो, तो उसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) 1.4.92 से अखबारी कागज के आयात का विसरणीकरण करने के बाद सरकार अखबारी कागज का आयात अथवा आयातित अखबारी कागज की बिक्री नहीं कर रही है। वर्तमान में समाचारपत्र सीधे अथवा अपने संचालन एजेंटों के माध्यम से अखबारी कागज आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए देश में विभिन्न बन्दरगाहों के माध्यम से आयातित अखबारी कागज की मात्रा के बारे में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा अद्यतन ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(ग) और (घ) चूंकि सरकार अखबारी कागज का आयात अथवा बिक्री नहीं करती है इसलिए प्रश्न नहीं उठते।

अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम

4326. **श्री के.प्रधानी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं; और

(ग) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि राज्य अल्प संख्यक निगम की स्थापना के बारे में विचार करें। आन्ध्रप्रदेश, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्यों ने राज्य स्तर पर ऐसे निगम स्थापित कर लिए हैं।

अनिवासी भारतीयों के लिए स्थायी आवास कार्ड योजना

4327. **श्री राम कापसे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों के लिए एक 'स्थाई आवास कार्ड' योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वह योजना कब शुरू की जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) सरकार द्वारा गठित अन्तमंत्रालयी ग्रुप ने भारतीय मूल के लोगों को पी आई ओ कार्ड जारी किए जाने का प्रस्ताव किया था जिससे कि उन्हें, विशेष रियायतें/सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकारी मिल सके। इस मुद्दे पर सरकार द्वारा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कन्नड़ भाषा का प्रयोग

4328. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की राज भाषा कन्नड़ का राज्य में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन कार्यालयों में कन्नड़ भाषा का प्रयोग नहीं किए जाने के कारण कर्नाटक के लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कोई आदेश दिया है कि राज्य में केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में साइन बोर्ड, रबड़ स्टाम्प, लैजर लागोस आदि तीन भाषाओं में हों जिनमें कन्नड़ भाषा सबसे ऊपर हो; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में स्थित अपने सभी कार्यालयों में उक्त आदेश के पालन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों में केवल हिन्दी तथा अंग्रेजी में कार्य किए जाने की व्यवस्था है। परन्तु जनसुविधा के लिए अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में नाम पट्टों, सूचना पट्टों, बोर्डों, पत्र शीर्षों आदि में क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी के इसी क्रम में प्रयोग संबंधी आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। राजभाषा संबंधी अनुदेशों के अनुपालन का दायित्व सभी संबंधित विभागों/कार्यालयों का है, परन्तु जब कभी भी इन आदेशों के उल्लंघन संबंधी सूचना राजभाषा विभाग के अधिकारियों को प्राप्त होती है तो वे संबंधित कार्यालय में इन आदेशों के अनुपालन के लिए कार्रवाई करते हैं।

विकास योजनाएं

4329. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये 1992-93, 1994-95 के दौरान स्वीकृत की गयी योजनाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिये उपरोक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और प्रदान की गई;

(ग) तमिलनाडु की सरकार द्वारा भेजी गयी उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतू लंबित हैं; और

(घ) इन योजनाओं को स्वीकृति देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु राज्य में एक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुमोदन किया गया था।

(ख) विकास केन्द्र स्थापित करने के संबंध में राज्य को अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार तमिलनाडु की कोई स्कीम योजना आयोग में लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण

4330. **श्री अन्ना जोशी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र की सरकार ने नौकरियों तथा शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कोटे को बढ़ाकर उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या संविधान की नौवीं अनुसूची के अंतर्गत तमिलनाडु के 69 प्रतिशत आरक्षण संबंधी अधिनियम को दिये गये संरक्षण के बावजूद उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के मेडिकल कालिजों में आरक्षण सीमा बढ़ाकर 50 प्रतिशत से अधिक करने की स्वीकृति नहीं दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 8 दिसंबर, 1994 के संकल्प के माध्यम से 'विशेष पिछड़े श्रेणी' के अधीन शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार की सेवाओं में कतिपय विशिष्ट समुदायों को 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया है। वह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों आदि को उपलब्ध कराए गए 50 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त है।

राज्य सरकार के अधीन शैक्षिक संस्थानों और राजकीय सेवाओं के मामलें में यह राज्य सरकार का विषय है कि वह राज्य की परिस्थितियों और संवैधानिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त आरक्षण नीति अपनाएं।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (शिक्षण संस्थानों में सीटों एवं राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों का आरक्षण (अधिनियम 1994 जिसमें पिछड़े वर्गों) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, की वैधता को चुनौती देते हुए दायर रिट याचिका में मामले को संविधान पीठ के सुपुर्द कर दिया है। इस रिट याचिका में भरे गए अर्न्तवर्ती आवेदन में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल कालेजों में 62 अतिरिक्त सीटों का सृजन करें। उच्चतम न्यायालय ने वादी की प्रार्थना के अनुरूप अधिनियम पर अस्थिगन को स्वीकृति नहीं दी है।

गुजरात में आदिवासी उपयोजना

4331. श्री हरिभाई पटेल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू करने हेतु 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत तथा प्रयुक्त की गयी; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य को 1995-96 के लिये कितनी धनराशि दी गयी अथवा दी जायेगी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1994-95 के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आदिवासी उप-योजना के तहत गुजरात को स्वीकृत धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है। राज्य सरकार से उपयोगिता के ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

(ख) 1995-96 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का प्रावधान पिछले वर्षों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत इनके द्वारा किए गए समान हिस्से के बजट प्रावधान तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

गुजरात में 1994-95 के दौरान आई.टी.डी.पी. के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत निधियां

क्रं.	योजना का नाम	धनराशि (लाख रुपये)
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता	2491.56
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(एक) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत निधियां	675.00
3.	अनुसचित जनजातियों के लिए लड़कियों का होस्टल	4.73
4.	अ.ज.जा. के लिए लड़कों का होस्टल	6.44
5.	अ.ज.जा. की लड़कियों के विकास के लिए साक्षरता पाकेट्स में शिक्षा काम्पलैक्स	24.25
6.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसयिक प्रशिक्षण	21.60
7.	जनजातीय अनुसंधान संस्थान	6.16
8.	माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस कार्य संचालन के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम के लिए सहायता अनुदान	30.00

मूवी चैनल

4332. श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :
श्री के.जी. शिवप्पा :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री वी. कृष्णा राव :
श्री पी.सी. थामस :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री एस.एम. लालजान वाशा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने मूवी क्लब चैनल शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस चैनल पर प्रसारित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस चैनल से कितना राजस्व अर्जित किये जाने की आशा है;

(घ) क्या इस चैनल के कार्यक्रम डिश एंटीना लगाये बिना भी देखे जा सकते है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(च) मूवी क्लब चैनल के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं / उठाये जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह. देव): (क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा कथित चैनल भारतीय तथा विदेशी फीचर फिल्मों और फिल्म संसार के समाचारों, फिल्म समीक्षा एवं फिल्मी हस्तियों के साथ साक्षात्कारों आदि जैसे अन्य फिल्मी

कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने के लिए 7 अप्रैल, 1995 से शुरू किया गया है।

(ग) वर्तमान में, इस चैनल से अर्जित किए जाने वाले संभावित राजस्व का वास्तविक अनुमान लगाना पाना कठिन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस चैनल को स्थलीय रूप से ट्रांसमिट नहीं किया जा रहा है।

(च) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डाकघर

4333. **श्री भवानी लाल वर्मा :**
श्री फूल चन्द वर्मा :
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में श्रेणीवार कितने डाकघर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में राज्य में और नए डाकघर खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये डाकघर श्रेणीवार कहां-कहां खोले जायेंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अब तक की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे डाकघरों की जिलावार तथा श्रेणीवार संख्या संलगन विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 1995-95 के लिए अभी लक्ष्य को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के तहत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं, बशर्ते कि विभागीय मानदंडों की पूर्ति होती हो और संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

क्रम सं.	जिले का नाम	प्रधान डाकघर	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय	अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	कुल शाखा डाकघर
1	2	3	4	5	6	7
1.	भोपाल	3	57	2	68	130
2.	भिंड	1	23	1	229	254
3.	बिलासपुर	2	77	-	572	651
4.	बेटुल	1	22	-	196	219
5.	बालाघाट	1	24	-	194	219
6.	बस्तर (जगदलपुर)	2	46	-	523	571
7.	छतरपुर	1	23	1	195	220
8.	छिंदवाड़ा	1	28	1	232	262
9.	दमोह	1	18	1	165	185
10.	दतिया	-	8	-	90	98
11.	देवस	1	16	1	1151	169
12.	धार	1	16	11	177	205
13.	दुर्ग	2	56	-	269	327
14.	गुना	1	23	2	170	196
15.	ग्वालियर	2	43	1	146	192
16.	होशंगाबाद	1	30	4	211	246
17.	इन्दौर	2	60	2	105	169
18.	झाबुआ	1	16	-	149	166
19.	जबलपुर	2	87	4	300	393
20.	खांडवा (पूर्व निमाड़)	1	32	2	190	225
21.	खरगोन (प.निमाड़)	1	30	10	261	302
22.	मंदसौर	2	43	7	269	321

1	2	3	4	5	6	7
23.	मुरैना	1	21	1	235	258
24.	मंडल	1	17	–	198	216
25.	नरसिंहपुर	1	18	–	163	182
26.	पन्ना	–	13	1	140	154
27.	रतलाम	1	27	7	146	181
28.	रायसैन	1	15	5	182	203
29.	राजगढ़ (बिओरा)	1	17	4	143	165
30.	रायपुर	1	64	–	524	589
31.	रायगढ़	1	28	–	390	419
32.	रीवा	1	36	–	297	334
33.	राजनांदगांव	1	18	–	196	215
34.	सागर	1	38	2	170	211
35.	शिवपुरी	1	20	5	197	223
36.	सिहोर	1	22	8	136	167
37.	शाजापुर	1	22	2	154	179
38.	शहडोल	1	33	–	269	303
39.	सिधी	1	18	–	180	275
40.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1	33	–	241	286
41.	सतना	1	26	2	257	286
42.	सिओनी	1	18	–	174	193
43.	टीकमगढ़	1	19	–	163	183
44.	उज्जैन	1	37	9	153	200
45.	विदिशा	1	18	2	140	161
	कुल	52	1356	98	9710	11216

कोयला परियोजनाएं

4334. डा. परशुराम गंगवार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कोयला परियोजनाएं अपनी निर्धारित समय सारणी से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के अपनी निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ और इससे अधिक की लागत की प्रत्येक 78 चालू परियोजनाओं में से 23 परियोजनाएं कार्यान्वयन के मामले में पीछे चल रही है। विलंब के कारणों में, अन्य बातों के अलावा, निम्न शामिल हैं - भूमि अधिग्रहण में बाधाएं तथा पुनर्वास से संबंधित समस्याएं, उपकरण आपूर्ति तथा 'टर्न-की' निष्पादन में विलंब, प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां और निधियों से संबंधित कठिनाई।

(घ) कोयला मंत्रालय इन लम्बित परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रख रहा है। कोयला मंत्रालय तथा कोयला कंपनियां सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ भूमि से संबंधित लम्बित मामलों में तेजी लाए जाने और उपकरण निर्माताओं के साथ उपकरणों की शीघ्र आपूर्ति/चालू किए जाने का सुनिश्चय किए जाने के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने के लिए कोयला कंपनियों ने आन्तरिक रूप से धन जुटाने तथा ऋण के जरिए संसाधनों को जुटाए जाने के लिए कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

रसोई गैस कनेक्शन

4335. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई गैस उपभोक्ताओं की वर्तमान में राज्य वार संख्या कितनी है;

(ख) रसोई गैस कनेक्शन के लिए राज्यवार नई मांग कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दिए गए राज्यवार रसोई गैस कनेक्शनों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए रसोई गैस कनेक्शनों के लिए अलग-अलग कोटा निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो कोटा आबंटन के आधार क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) प्रतीक्षा सूची पर दर्ज ग्राहकों एवं लोगों की सं. को प्रस्तुत करता हुआ विवरण संलग्न है।

(ग) विवरण - II संलग्न है।

(घ) और (ङ) नए गैस का आबंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है। नए एल पी जी कनेक्शन प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को पंजीयन के क्रमिक रूप में, प्रत्येक वितरक के पास उपलब्ध स्लैक प्रतीक्षा सूची तथा उत्पाद उपलब्धता के आधार पर एक वितरक को आबंटित नए ग्राहक नामांकन पर निर्भर करते हुए जारी किए जाते हैं। 1995-96 के दौरान देश के लिए नए एल पी जी ग्राहकों के आबंटन के संबंध में लक्ष्य 15 लाख पर नियत किया गया है।

विवरण - I

आंकड़े लाख में

राज्य	ग्राहकों की संख्या	प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों की संख्या
1	2	3
आन्ध्रप्रदेश	17.88	8.17
अरूणाचल प्रदेश	0.24	0.12
असम	3.39	1.26
बिहार	7.29	2.88
गोवा	1.42	0.57
गुजरात	18.92	8.07
हरियाणा	8.85	3.97
हिमाचल प्रदेश	2.48	0.75
जम्मू और कश्मीर	2.53	0.84
कर्नाटक	11.81	5.44
केरल	8.14	4.64
मध्य प्रदेश	11.93	5.52
महाराष्ट्र	37.95	15.69
मणिपुर	0.48	0.08
मेघालय	0.31	0.09
मिजोरम	0.32	0.11
नागालैंड	0.28	0.15
उड़ीसा	3.20	1.43
पंजाब	8.76	4.82
राजस्थान	8.15	7.15
सिक्किम	0.11	0.09
तमिलनाडु	18.17	11.90
त्रिपुरा	0.35	0.27
उत्तर प्रदेश	26.08	13.22
पश्चिम बंगाल	11.77	8.68
संघ राज्य क्षेत्र		
अंडमान एंड निकोबार	0.09	0.08
चंडीगढ़	1.53	0.69
दादरा और नगर हवेली	0.05	0.02
दिल्ली	15.32	6.61
दमन और द्वीप	0.09	0.07
लक्ष्यद्वीव	0.01	0.00
पांडिचेरी	0.36	0.31

विवरण - II

(आंकड़े हजार में)

क्र.सं.	राज्य	जारी किए गए एल पी जी कनेक्शन की संख्या		
		1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्रप्रदेश	65.68	100.83	175.07
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.77	1.92	7.08
3.	असम	8.66	10.92	45.35
4.	बिहार	31.89	48.53	125.86
5.	गोवा	3.69	6.73	8.45
6.	गुजरात	42.40	57.66	109.48
7.	हरियाणा	25.41	44.42	65.10
8.	हिमाचल प्रदेश	31.46	52.19	48.23
9.	जम्मू और कश्मीर	23.90	32.33	37.39
10.	कर्नाटक	55.85	87.89	119.81
11.	केरल	44.54	64.97	104.23
12.	मध्य प्रदेश	35.02	52.34	105.06
13.	महाराष्ट्र	97.70	168.55	351.02
14.	मणिपुर	0.41	1.79	6.08
15.	मेघालय	1.20	1.77	5.71
16.	मिजोरम	1.59	2.52	6.50
17.	नागालैंड	1.05	1.23	3.75
18.	उड़ीसा	19.58	22.94	60.45
19.	पंजाब	38.91	52.41	100.04

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान	39.38	80.85	72.99
21.	सिक्किम	0.97	1.94	3.28
22.	तमिलनाडु	66.05	94.57	172.99
23.	त्रिपुरा	0.86	1.02	5.37
24.	उत्तर प्रदेश	97.15	185.31	281.04
25.	पश्चिम बंगाल	51.43	72.17	140.64
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान एंड निकोबार	0.81	2.03	4.34
2.	चंडीगढ़	4.13	7.38	13.77
3.	दादरा और नगर हवेली	0.13	0.24	0.55
4.	दमन एंड द्वीव	0.28	0.40	0.75
5.	दिल्ली	61.30	93.56	128.98
6.	लक्षद्वीप	0.11	0.21	0.35
7.	पांडिचेरी	0.64	0.98	3.88

[हिन्दी]

डबल बाटलिंग कनेक्शन

4336. कुमारी उमा भारती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत दो वर्षों के दौरान कितने लोगों ने डबल बाटलिंग कनेक्शन डी.बी.सी. के लिए आवेदन किया था तथा उनमें से कितने लोगों को डी.बी.सी. मिल गए हैं;

(ख) क्या डी.बी.सी. कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के यहां दूसरा सिलेंडर सुविधा (डी बी सी) के लिए दर्ज व्यक्तियों की संख्या और पिछले दो वर्षों के दौरान जारी डी बी सी की संख्या निम्नानुसार है : -

वर्ष	डी बी सी के लिए दर्ज व्यक्तियों की सं.	जारी डी बी सी
1993-94	1,13,295	99,266
1994-95	1,23,925	75,354

(ख) और (ग) दूसरा सिलेंडर लेने में रूचि रखने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के एल पी जी उपभोक्ताओं को संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के यहां अपने नाम दर्ज कराने होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कोटे की उपलब्धता के अधीन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दूसरा सिलेंडर जारी करते हैं।

गोवध प्रतिबन्ध/नियंत्रण विधेयक

4337. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु कोई गोवध प्रतिबन्ध/नियंत्रण विधेयक भेजा है;

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक कब तक प्राप्त हुआ था; और

(ग) इस विधेयक को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) राजस्थान गोवंश (वध निषेध तथा अस्थायी प्रवास या निर्यात विनियमन) विधेयक, 1994 संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के लिए प्राप्त हुआ था। राजस्थान राज्य सरकार को दिनांक 21.4.1995 को राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बारे में बता दिया गया है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

4338. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आयात के लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे आयात के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सभी नियंत्रणमुक्त पेट्रोलियम उत्पाद लागू आयात निर्यात नीति के अधीन आयात किए जा सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

4339. डा. आर. मल्लू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पेट्रोल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन करने के लिए विज्ञापन किया गया था;

(ख) कितने आवेदकों को ये पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किये गए हैं; और

(ग) इस तरह के आबंटन हेतु सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1993 से दिसम्बर, 1994 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 26 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप विज्ञापित की गई थीं। उपयुक्त में से 19 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशीप आबंटित की जा चुकी है।

(ग) डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन, स्थान विशेष के विज्ञापन और आवेदन करने वाले व्यक्तियों में से उनके अपने गुणों के आधार पर और राष्ट्रीयता, आयु शैक्षणिक योग्यता,, निवास, बहु डीलरशिप मानदण्डों आदि संबंधी पात्रता मानदण्डों के पूरा होने के आधार पर तेल चयन बोर्ड के माध्यम से डीलरों के चयन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

कच्चे तेल भंडार

4340. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक दशक बाद प्राप्त कच्चे तेल के भण्डार की अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी;

(ख) क्या एक दशक के बाद कच्चे तेल की मांग घरेलू उत्पादन से ही पूरी की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) 2005-06 में कच्चे तेल की अनुमानित जरूरत 125 मि.मी. टन के लगभग होगी। इस जरूरत के अंशत: घरेलू उत्पादन तथा अंशत: आयातों के माध्यम से पूरा होने की संभावना है। प्रतिपूर्तिनीय भण्डारों की जरूरत आयातों के स्तर तथा आर/पी अनुपात पर निर्भर करेगी। सरकार ने चालू योजना अवधि में अन्वेषण प्रयास बढ़ा दिए हैं तथा भण्डार वृद्धि लक्ष्य को पूरा करने के लिए 6500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर त्वरित अन्वेषण हेतु एक कार्यक्रम अनुमादित कर दिया है।

संयुक्त क्षेत्र में तेलशोधक कारखाने की स्थापना

4341. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया की एक तेल और पेट्रोकेमिकल्स कंपनी भारत में संयुक्त क्षेत्र में तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्यम की योजना किस भारतीय तेल कंपनी के साथ्य बनायी जायेगी; और

(ग) इसकी स्थपना कब तक और कहां पर की जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

पानी का उपयोग

4342. श्री रमेश चेन्नित्तल्ला :

श्री वी. धनंजय कुमार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रतिवर्ष कितना पानी समुद्र में बेकार चला जाता है;

(ख) सरकार ने पानी का अधिकतम उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) प्रति वर्ष वर्षा का पानी का उपयोग करने को कोई योजना बनाई गई है;

(घ) क्या वर्षा के पानी का उपयोग करने की कोई योजना बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) से (च) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, देश में हिमपात सहित 4000 बिलियन घन मीटर वार्षिक दृष्टिपात होता है। इसमें से मौसमी वर्षा (जून से सितम्बर) 3000 बिलियन घन मीटर है। इसमें से नदियों में उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन घन मीटर है। स्थलाकृतीय, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण, वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधनों के अलावा, उपयोज्य धरातलीय जल काआकलन 690 बिलियन घन मीटर किया गया है। वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन संसाधन लगभग 452 बिलियन घन मीटर है। वाष्पीकरण और वनस्पति के नुकसान और नदी प्रणाली को बनाए रखने हेतु नदी में जल को एक निश्चित मात्रा को नदी में बहने देने के लिए वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है। जल (धरातलीय और भूजल) का वर्तमान उपयोग लगभग 552 बिलियन घन मीटर है। इस प्रकार 590 बिलियन घन मीटर उपयोज्य जल अप्रयुक्त रह जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं में नदियों पर भण्डारणों के सृजन पर बल दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप 1989 तक लगभग 166 बिलियन घन मीटर कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता का सृजन किया गया। 77 बिलियन घन मीटर की अतिरिक्त सक्रिय भण्डारण क्षमता का सृजन करने के लिए बांध पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं इसके अतिरिक्त विचाराधीन वृहद् एवं मध्यम योजनाओं के जरिए लगभग 130 बिलियन घन मीटर भण्डारण क्षमता को वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जल संसाधनों के विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का अध्ययन कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को आपस में जोड़कर ओर क्षमता वाले स्थलों पर

जलाशयों का निर्माण करके अधिक जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल के अन्तरण को परिकल्पना की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि अन्तर बेसिन अन्तरण से प्रयोग हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अन्तर्गत 220 बिलियन घन मीटर जल उपलब्ध होगा।

भाड़े के विदेशी सैनिक

4343. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों मैं भाड़े के विदेशी सैनिकों द्वारा जानमाल की भारी हानि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 ओर 1994-95 में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आतंकवाद की इन घटनाओं पर काबू पाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। चूंकि कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर आती है इसलिए राज्यों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने का काम भी उन्हीं का है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में रहती है और स्थिति की समीक्षा और प्रबोधन लगातार करती है। जब भी जरूरी होता है, राज्य सरकारों को आधुनिक हथियारों तथा अर्द्धसैनिक बलों के रूप में सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

आतंकवाद का मुकाबला

4344. श्री हरिलाल ननजी पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कपृा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने आतंकबाद का मुकाबला करने के लिए गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) 'दंगों की स्थिति' से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वाहनों और संचार उपकरणों इत्यादि की खरी के लिए 7.18 करोड़ रुपये की सहायता का एक प्रस्ताव अप्रैल 1993 में गुजरात सरकार से प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने की योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार से 617.862 लाख रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) पुलिस बलों का आधुकीकरण करने की योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमश: 103.682 लाख रुपए और 123.220 लाख रुपए की सहायता दी गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वाहनों और संचार उपकरणों इत्यादि के लिए भी सहायता हैं। पुलिस बलों का आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों के दौरान दी गयी राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र के अभाव में राज्य को 1994-95 में कोई सहायता नहीं दी जा सकी थी।

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

4345. डा. खुशीराम हुंगरोमल जेस्वाणी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक गैस का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान 1993-94 की तुलना में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट आई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या राज्य में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी तथा कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में उत्पादित गैस की मात्रा निम्नानुसार थी : -

	एम एम एस सी एम डी
1992-93	5.33
1993-94	5.93
1994-95	6.60

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार ने गांधार विकास चरण - II को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह योजना ओ एन जी सी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसे मई 1996 तक पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

पत्रकारों पर हमला

4346. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या दिल्ली के दैनिक समाचार-पत्र 'स्टेटसमैन' के दो

पत्रकारों पर हमले की जांच के बारे में रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) जांच रपट सरकार को प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है।

स्वतंत्रता सेनानी

4347. श्री मंजय लाल : क्या गृह मंत्री 15 दिसम्बर 1994 अतरांकित प्रश्न संख्या 1282 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका और योगदान के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के संबंध में वर्तमान नियमों में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के वर्तमान नियमों/उपबन्धो की पुनरीक्षा से संबंधित मुद्दे पर पहले ही विचार विमर्श किया जा चुका है। सरकार ने महसूस किया है कि इसकी पुनरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस योजना को पहले ही समय-समय उदार बनाया गया है।

[अनुवाद]

मतदाताओं को डराया-धमकाया जाना

4348. श्री पी. सी. थामस : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित आम चुनावों में कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर धांधली, हिंसा और मतदाताओं को डराने-धमकाने की सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मतदान केन्द्र पर कब्जा करने, जाली वोट डालने, किसी को मतदान करने से रोकने जैसे चुनावी कदाचारों के कुछ मामलों के होने की सुचना कुछ राज्यों से मिली है जिनके परिणाम स्वरूप, प्रभावित मतदान केन्द्र पर पुन: चुनाव कराने के आदेश दे दिए गए थे।

(ख) प्रत्येक आम चुनाव/उपचुनावों की पूर्व संध्या पर चुनाव आयोग तथा गृह मंत्रालय सभी संबद्ध राज्य सरकारों को चुनावों का सहज संचालन करने तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के बारे में अनुदेश जारी करते हैं। संविधान के अधीन, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, सहज और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनावों के दौरान राज्यों में अर्द्ध-सैनिक बलों की पर्याप्त कम्पनियां भी तैनात की जाती है।

मध्यप्रदेश में आदिवासियों का विकास

4349. श्री परसराम भारद्वाज : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आदिवासियों के विकास तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये होस्टलों और आश्रम स्कूलों पर आवर्ती खर्च को पूरा करने के लए 50 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान पाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) जी, हां केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार को लड़कों के लिए होस्टल, लड़कियों के लिए होस्टल तथा आदि वासी अनुसंधान की केन्द्र प्रायोजित योजना तहत 50 प्रतिशत के समान हिस्से के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता की धन राशि इस प्रकार थी : -

	योजना का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
				(रु. लाख में)
1.	आदिवासी अनुसंधान संस्थान	28.28	23.35	13.09
2.	लड़कियों के लिए होस्टल	83.02	27.03	115.83
3.	लड़को के लिए होस्टल	63.74	39.28	16.90

अ.जातियों/जन जातियों के लिए होस्टलों तथा आश्रम विद्यालयों पर आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। होस्टलों तथा आश्रम विद्यालयों के रखरखाव के लागत को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

4350. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भवन के निर्माण होने वाले खर्च हेतु क्या अधिकतम सीमा तय की गई है;

(ख) मध्य प्रदेश में इस समय विद्यार्थी छात्रावास भवनों का वास्तविक निर्माण खर्च कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार मूल्य वृद्धि परिवहन खर्च तथा निर्माण सामग्रियों के मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ऐसे भवनों के निर्माण खर्च की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत होस्टल भवनों के निर्माण लागत संबंधी तत्कालीन उच्चतम सीमा वर्ष 1994-95 से समाप्त कर दी गई है।

उन होस्टल भवन की लागत का निर्धारण अब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के आधार पर करना होगा जिसके लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की जाती है। तथापि, जहां राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दोनों ही दर अनुसूचियां अपना रही हों, वहां लागत का निर्धारण उक्त दोनों में से, जो भी कम हो के अनुसार किया जाएगा। जहां केवल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरे अपनाई जा रही हों वहां केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरे लागू होगी।

(ख) 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार 50 मैट्रिकोत्तर छात्रों के लिए होस्टल भवन निर्माण की लागत 23 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक थी। 50 मैट्रिक पूर्व छात्रों के लिए एक होस्टल भवन के निर्माण की लागत 16 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये तक थी।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई सुविधायें

4351. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 तक देश में राज्यवार कुल कितने कृषि भूमि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध की गई है और कितने एकड़ भूमि असिंचित हैं;

(ख) क्या सरकार की कोई योजना कृषि भूमि की स्थायी आधार पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम भूमि उपयोग सांख्यिकी से वर्ष 1991-92 तक के आंकड़ों का ही पता चलता है। इसको ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र तथा असिंचित कृष्य क्षेत्र दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अनेक कुओं/नलकूपों सिचांई कार्यों, तालाबों और अन्य लघु सिंचाई कार्यों के अतिरिक्त, पूरे देश में अभी तक कुल 352 वृहद्, 1837 मध्यम और 146 'विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण' परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें से 194 वृहद्, 811 मध्यम और 51 'विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण' परियोजनाएं अब तक पूरी की गई है। इनके अतिरिक्त वर्ष 1974-75 से शुरू किए गए अन्य उपायों में ये शामिल हैं (I) जल विभाजक विकास कार्यक्रम (II) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

विवरण

वर्ष 1991-92 (अनन्तिम) के दौरान राज्यवार निवल सिंचित तथा असिंचित कृष्य क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र	असिंचित कृष्य क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4351	11552
2.	अरूणाचलप्रदेश	31	236
3.	असम	572	2657
4.	बिहार	3354	7756
5.	गोवा	24	198
6.	गुजरात	2372	9988
7.	हरियाणा	2666	1145
8.	हिमाचल प्रदेश	100	705
9.	जम्मू एवं कश्मीर	313	736
10.	कर्नाटक	2308	10577
11.	केरल	333	2113
12.	मध्य प्रदेश	4627	18185
13.	महाराष्ट्र	2165	18845
14.	मणिपुर	65	99
15.	मेघालय	45	1032
16.	मिजोरम	8	576
17.	नागालैंड	59	589
18.	उड़ीसा	1934	6151
19.	पंजाब	3940	425
20.	राजस्थान	4343	21360
21.	सिक्किम	16	98
22.	तमिलनाडु	2605	5784
23.	त्रिपुरा	50	260
24.	उत्तर प्रदेश	10542	10304
25.	पश्चिम बंगाल	1911	4021
	कुल राज्य	48734	135392
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	66	153
	कुल योग	48800	135545

कोयले की आपूर्ति

4352. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयले की आपूति की गई;

(ख) भारतीय सीमेंट निगम द्वारा कोयले की कितनी मात्रा का भुगतान कर दिया गया है और कितनी मात्रा का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है और भुगतान न करने के क्या कारण है; और

(ग) इस धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय सीमेंट निगम को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा नीचे दर्शायी गई है :

	आंकड़े अनन्तिम (आंकड़े 000 टन में)
1992-93	579
1993-94	521
1994-95	350

(ख) को.इं.लि. ने यह सूचित किया है कि कोयला कम्पनियों ने, नार्थ ईस्टर्न कोल्फील्ड्स को छोड़ कर आपूर्ति किए गए कोयले की भारतीय सीमेंट निगम से आपूर्ति कोयले के एवज् में पूर्ण अदायगी प्राप्त कर ली गई है। नार्थ-ईस्टर्न कोल्फील्ड्स से आपूर्ति किए गए कोयले की अदायगियां अधिकाशंत: तदर्थ आधार प्राप्त होती रही हैं। को.इं.लि. की भारतीय सीमेट निगम की और 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार कुल देय बकाया राशि 15.55 करोड़ रुपये की है। को. इं.लि. को ऐसे कारणों की कोई जानकारी नहीं हैं जिनके कारण भारतीय सीमेंट निगम आपूर्ति किए गए कोयले की पूर्णत: अदायगी नहीं कर रही है।

(ग) को.इं.लि. भारतीय सीमेंट निगम को देय बकाया राशि की अदायगी किए जाने के लिए राजी कर रहा है।

रोजगार योजनाएं

4353. श्री काशीराम राणा :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ क्षेत्रवार कितने बेरोजगार व्यक्ति हैं;

(ख) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार चलाई जा रही विभिन्न रोजगार योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के फलस्वरूप कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विभिन्न रोजगार योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि दी गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नई योजना शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरीधर गोमांग) : (क) वर्ष 1995-96 के शुरू में देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का अनुमान अस्थाई तौर पर 18.7 मिलियन लगाया गया है। ऐसे अनुमान राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार नहीं लगाये गये हैं।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण - I में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण - II में दिया गया है।

(ङ) से (च) आठवीं योजना के अन्त तक खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से दो मिलियन रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए योजना शुरू की गई है।

विवरण - I

मुख्य केन्द्रीय क्षेत्रक तथा केन्द्रीय प्रायोजित जो विशेष रोजगार स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं, वे इस प्रकार हैं :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)

(ख) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)

(ग) रोजगार बीमा स्कीम (ई.ए.एस.),

(घ) नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई), और

(ङ) प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)

इनके अलावा कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी विशेष रोजगार स्कीमें स्वयं कार्यान्वित की जा रही हैं।

2. आई.आर.डी.पी. जे.आरवाई0, ई.ए.एस. स्कीमें ग्रामीण गरीब लोगों के लिए है। आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत स्व-रोजगार के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जे.आर.वाई.और ई.ए.एस.मजदूरी रोजगार कार्यक्रमें हैं। जे.आर.वाई के दूसरे चरण को देश के ऐसे 120 पिछड़े जिलों के लिए 1993-94 से शुरू किया गया है। जिनमें बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों का घनत्व है। ई.ए.एस. 1993 में शुरू की गई थी, और इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 18-60 आयु वर्ग के उन सभी व्यक्तियों को अल्प कृषि मौसम के दौरान कम से कम सौ दिनों का आश्वासित दिहाड़ी वाला रोजगार प्रदान किया जाता है। जिन्हें ऐसे रोजगार की अवश्यकता है और जो इच्छुक भी है। वर्तमान में यह स्कीम गोवा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 2368 ब्लॉकों में कार्यान्वित की जा रही है।

3. शहरी क्षेत्रों में एन.आर.वाई. क्रमश: शहरी माइक्रो उद्यमों की स्कीम तथा शहरी दिहाड़ी रोजगार की स्कीम के माध्यम से शहरी

गरीब लोगों को स्व तथा ग्रामीण रोजगार के अवसर प्रदान करती है। एन.आर.वाई. के तीसरे घटक के माध्यम से अर्थात् गृह और आश्रय उन्नयन की योजना के माध्यम से निर्माण व्यापारों में प्रशिक्षण प्रदान करती है। एन.आर.वाई के तीसरे घटक के माध्यम से अर्थात गृह और आश्रय उन्नयन की योजना के माध्यम से निर्माण व्यापारों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लाभग्राहियों की आवास इकाइयों के उन्नयन के लिये सब्सिडी तथा ऋण भी दिये जाते हैं। पी.एम. क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार की एक स्कीम के रूप में 1993 से शुरू की गई थी। यह स्कीम शिक्षित बेरोजगार युवकों (एस.ई.ई.यू.वाई.) के लिए स्व-रोजगार की पूर्व स्कीम, जो 1993-94 तक कार्यानवित थी, में मिला दी गई है। पी. एम.आर.वाई. 1993-94 के दौरान केवल शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई थी, किन्तु इसका विस्तार 1.4.1994 से ग्रामीण क्षेत्रों में भी कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभग्राहियों की संख्या से संबंधित सूचना नीचे दी गई है।

क्र.सं.	स्कीम	यूनिट	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आई.आर. डी.पी.	लाभग्राही परिवार (लाख)	20.69	25.38	16.25
2.	जे.आर.वाई	रोजगार के श्रम दिवस (लाख)			
	प्रथम चरण		7821.02	9523.45	5600.34
	द्वितीय चरण		-	734.95	1477.86
3.	ई.ए.एस.	-वही-	-	494.74	1984.14
4.	एन.आर.वाई.	एस.यू.एम.ई. के अन्तर्गत सहायता प्राप्तों की संख्या (लाख)	2.37	1.52	1.25
5.	एस.ई.ई. यू.वाई.	स्वीकृति की संख्या ('000)	73.32	56.48 (पी)	-
6.	पी.एम.आर.वाई.	-वही-	-	31.80	177.00(पी)

पी : अनन्तिम

एम.यम.एम.ई. : शहरी माइक्रो उद्यमों की स्कीम

विवरण - II

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईआरडीपी			जेआरवाई प्रथम चरण			जेआरवाई द्वितीय चरण		ईएएस	
		आबंटन राशि			आबंटन राशि			उपलब्ध राशि			
		1992-93	1993-94	1994-95	1992-93	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	4880.00	8416.00	8344.00	23132.28	24620.09	27099.96	6243.75	6243.75	4500.00	14921.48
2.	अरूणाचल प्रदेश	416.00	686.00	623.00	322.51	322.51	322.51	-	-	300.00	1363.83
3.	असम	1332.00	2770.00	2747.00	6420.76	8104.85	8921.21	-	-	2587.50	7414.41
4.	बिहार	9778.00	1594.00	16232.00	47934.30	48291.40	53155.56	17231.25	5887.50	17266.64	
5.	गोवा	86.00	142.00	142.00	421.93	348.46	348.46	-	-	-	-
6.	गुजरात	2010.00	3090.00	3063.00	9611.93	9037.55	9947.86	3887.50	3887.50	606.25	4935.04
7.	हरियाणा	480.00	742.00	736.00	2291.06	2170.94	2389.61	-	-	1650.00	4256.15
8.	हिमाचल प्रदेश	172.00	242.00	240.00	1254.69	1107.26	1107.26	-	-	43.75	666.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	जम्मू और कश्मीर	240.00	462.00	1000.00	1818.63	1571.74	2250.00	853.75	853.75	1043.75	4597.50
10.	कर्नाटक	3054.00	5650.00	5603.00	14377.71	16531.33	18196.44	4715.00	4715.00	3525.00	11034.24
11.	केरल	1660.00	2056.00	2038.00	7659.26	6238.34	6620.11	–	–	725.00	2253.80
12.	मध्य प्रदेश	6472.00	10664.00	10573.00	31473.50	31197.24	34339.59	15243.75	15243.75	7119.75	22785.26
13.	महाराष्ट्र	5228.00	9174.00	9096.00	25815.64	26839.28	29542.68	10217.50	10217.50	3306.25	11903.65
14.	मणिपुर	38.00	200.00	450.00	623.25	413.36	413.36	–	–	825.00	1945.61
15.	मेघालय	116.00	192.00	478.00	703.58	483.68	483.68	–	–	200.00	1000.00
16.	मिजोरम	174.00	288.00	201.00	244.43	203.75	203.75	–	–	750.00	2279.02
17.	नागालैंड	182.00	300.00	337.00	627.76	518.46	518.46	–	–	1050.00	1474.85
18.	उड़ीसा	3198.00	6826.00	6769.00	16036.90	19972.66	21984.43	7143.75	7143.75	5335.00	13909.65
19.	पंजाब	406.00	528.00	523.00	1982.54	1634.30	1699.26	–	–	–	–
20.	राजस्थान	3118.00	4430.00	4393.00	15172.01	12961.33	14266.86	4568.75	4568.75	4575.00	16023.01
21.	सिक्किम	34.00	56.00	56.00	231.98	188.76	188.76	–	–	145.00	324.73
22.	तमिलनाडु	4382.00	7608.00	7543.00	20550.48	22256.18	24497.94	3255.00	3255.00	1318.75	5926.77
23.	त्रिपुरा	136.00	618.00	643.00	653.83	536.90	536.90	–	–	762.50	2375.65
24.	उत्तर प्रदेश	13062.00	20508.00	20335.00	61016.78	59998.40	66041.76	8335.00	8335.00	3507.81	16597.63
25.	पश्चिम बंगाल	5460.00	7542.00	7478.00	25923.84	22063.20	24285.53	6125.00	6125.00	5068.75	12070.25
26.	अ. और नगर द्वीपसमूह	43.00	71.00	71.00	152.70	152.70	152.70	–	–	10.00	47.59
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा और नगर हवेली	9.00	15.00	15.00	91.02	82.89	82.89	–	–	5.00	23.49
29.	दमन और दीव	17.00	28.00	28.00	48.93	48.83	48.83	–	–	5.00	5.00
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–		
31.	लक्ष्यद्वीप	4.00	7.00	7.00	78.58	76.55	76.55	–	–	25.00	125.00
32.	पांडिचेरी	35.00	58.00	58.00	232.38	149.47	149.47	–	–	–	–
	अखिल भारत	66222.00	109343.00	109822.00	316905.05	318122.39	349872.39	87820.00	87820.00	54876.56	177526.53

आईआरडीपी - एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

जेआरवाई - जवाहर रोजगार योजना

ईएएस - रोजगार आश्वासन स्कीम। यह स्कीम 1993-94 से शुरू की गई है।

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनआरवाई			पीएमआरवाई	
		1992-93	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	89.00	232.80	212.40	42.48	180.70

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	8.50	-	1.00	3.96
3.	असम	46.80	33.95	39.10	9.63	51.37
4.	बिहार	73.35	206.55	94.25	30.32	147.39
5.	गोवा	-	4.10	1.95	1.00	5.52
6.	गुजरात	40.43	113.85	51.95	19.02	58.32
7.	हरियाणा	30.30	34.05	42.76	8.98	48.90
8.	हिमाचल प्रदेश	18.00	17.00	10.20	2.00	25.35
9.	जम्मू और कश्मीर	23.80	23.80	11.90	2.50	19.78
10.	कर्नाटक	141.10	198.65	90.65	20.37	150.91
11.	केरल	72.50	89.15	100.02	30.21	115.00
12.	मध्य प्रदेश	176.80	211.15	236.79	25.00	184.85
13.	महाराष्ट्र	234.00	245.85	113.75	43.20	265.92
14.	मणिपुर	10.20	10.20	16.71	2.65	6.17
15.	मेघालय	6.65	8.50	-	1.00	6.53
16.	मिजोरम	5.10	5.10	6.27	1.30	2.89
17.	नागालैंड	-	10.20	-	1.00	2.97
18.	उड़ीसा	50.20	59.60	54.40	10.49	68.75
19.	पंजाब	50.40	61.15	68.57	11.24	62.39
20.	राजस्थान	44.90	121.20	110.70	15.58	92.06
21.	सिक्किम	10.60	6.80	8.35	1.00	2.87
22.	तमिलनाडु	208.80	279.25	257.90	39.37	145.32
23.	त्रिपुरा	6.20	5.10	6.27	1.00	7.30
24.	उत्तर प्रदेश	421.60	518.35	581.34	38.15	210.65
25.	पश्चिम बंगाल	186.90	221.40	102.60	39.00	117.20
26.	अ. और नगर द्वीपसमूह	-	2.85	7.07	1.00	4.10
27.	चंडीगढ़	-	7.50	3.15	1.09	4.31
28.	दादरा और नगर हवेली	-	2.85	1.45	1.00	3.98
29.	दमन और दीव	-	5.65	-	1.00	3.11
30.	दिल्ली	18.00	36.00	18.00	15.42	20.25
31.	लक्ष्यद्वीप	-	-	-	1.00	1.89
32.	पांडिचेरी	3.40	3.90	3.40	1.00	8.59
	अखिल भारत	2069.53	2785.00	2251.90	419.03	2029.41

* एचयूएमई के अंतर्गत जारी राशि

@ केन्द्रीय सहायता जारी

पीएमआरवाई - प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह स्कीम 1993-94 से शुरू की गई है।

उत्तर प्रदेश में एस.टी.डी. सुविधा

4354. डा. लाल बहादुर रावल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के कुछ और क्षेत्रों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार मार्च, 1997 तक सभी एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर रूप से एस टी डी नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है जो संसाधनों जैसे भूमि, भवन, उपस्कर तथा निधियों आदि की उपलब्धता पर निर्भर है। वर्ष 1995-96 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के 117 केन्द्रों को एस टी डी सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। [अनुवाद]

वन्दे मातरम पर प्रतिबन्ध

4355. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग पर 'वंदे मातरम्' के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के राष्ट्रीय गीत के पुनः प्रसारण हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) जी हां। 'वन्दे मातरम्' के साथ घरेलू सेवा का प्रसारण प्रारम्भ करने संबंधी प्रक्रिया को आकाशवाणी की विदेश सेवा के लिए कभी नहीं अपनाया गया।

विविध भारती सेवा से अर्जित किया गया राजस्व

4356. श्री अंकुशराव टोपे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी की विविध भारती की वाणिज्यिक सेवाओं तथा अन्य कार्यक्रमों के द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राजस्व की कितनी धनराशि अर्जित किये जाने का अनुमान लगाया गया था और वास्तव में कितनी धनराशि अर्जित की गयी; और

(ख) 1995-96 के दौरान ऐसा कितना राजस्व अर्जित किये जाने का अनुमान है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रक्षिप्त	वास्तविक
1992-93	58	58.91
1993-94	66	64.35
1994-95 (अनन्तिम)	74	65.21

(ख) 80 करोड़ रुपये।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक विकास

4357. श्री राम निहोर राय : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नीति मार्गनिदेशों तथा उद्देश्यों को तैयार करने तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजनतियों के आर्थिक विकास के लिए विस्तृत रणनीतियों के बनाने के संबंध में क़ार्यकारी दल की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यकारी दल की सिफारिशों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) योजना आयोग के संचालन समूह द्वारा 'नीति मार्ग-निदेशों तथा उद्देश्यों को तैयार करने तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विस्तृत कार्यनीति निर्धारित करने के लिए कार्य दल की रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया गया था।

(ख) से (घ) पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करते समय योजना आयोग द्वारा कार्य दल तथा संचालन समितियों की स्थापना की जाती है। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करते समय उनकी सिफारिशों पर विचार किया जाता है। ये कार्य दल तथा समितियां योजना आयोग में योजनाओं तथा कार्यक्रमों को तैयार करने में सहायता के लिए आन्तरिक कार्य के भाग के रूप में स्थापित किए गए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-93) खंड-2 के अध्याय 16 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम तथा कार्यनीतियां दी गई हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज की प्रतियों को पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए कार्य दल की रिपोर्ट तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्य दल की रिपोर्ट को सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस आशा से भेजा गया है कि इन योजनाओं की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों की मंशा को सही रूप में प्रकाश में लाया जाए तथा सिफारिशों को कारगर रूप से कार्यान्वित किया जाए।

स्लैब कमीशन प्रणाली समाप्त करना

4358. श्री गुरूदास कामत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसोई गैस विक्रेताओं को दिए जा रहे कमीशन संबंधी मौजूदा स्लैब प्रणाली को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन

4359. श्री राजेश कुमार :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करते हुए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने का प्रावधान बनाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) किन-किन राज्यों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया है और किन-किन राज्यों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने मंडल मामले में यह कहा है कि अनुच्छेद 16 की धारा 4 में परिकल्पित आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि 50 प्रतिशत का नियम होगा, कुछ दूर दराज और सुदूर क्षेत्रों के मामले में जहां कि जनसंख्या को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से दूर होने के कारण कुछ अलग तरीके से आरक्षण दिया जाना आवश्यक है। इस कड़े नियम से कुछ छूट देना जरूरी हो सकता है। उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी केन्द्र सरकार, राज्यों ओर संघ राज्य क्षेत्रों पर भी समान रूप से लागू होती है।

राज्य सेवाओं के संबंध में राज्य सरकारों को संविधान के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इन समुदायों की जनसंख्या और राज्य सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व, संवैधानिक दायित्वों जेसे सम्बद्ध घटकों पर विचार करके आरक्षण का परस्पर कोटा निश्चित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

निम्नलिखित राज्य इस समय राज्य की सेवाओं में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रदान कर रहे हैं। अरूणाचल प्रदेश (80-100 प्रतिशत), उड़ीसा (65 प्रतिशत) तमिलनाडु (69 प्रतिशत) महाराष्ट्र (52 प्रतिशत) नागालैंड (50-100 प्रतिशत) और मेघालय (80 प्रतिशत)। जहां तक अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैण्ड के उत्तर-पूर्वी राज्यों का संबंध है के अपने भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा छूट की धारा का न्यायोचित लाभ उठा सकते हैं। तमिलनाडु के संबंध में पिछड़े वर्गों के लिए 69 प्रतिशत का प्रावधान मंडल मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.11.1992 के निर्णय से भी पहलेसे चल रहा है। तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (राज्यों के अंतर्गत सेवाओं और पदों की नियुक्तियों ओर शैक्षिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण) अधिनियम 1993, (1994 का तमिलनाडु अधिनियम,) को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को लिखा था। तमिलनाडु में आरक्षण के लम्बे इतिहास और राज्य में पिछड़े वर्गों को अभी तक मिल रही सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए संसद ने 31 अगस्त, 1994 को 76वें संविधान संशोधन के तमिलनाडु अधिनियम को संविधान में शामिल करने के लिए एक विधान अधिनियमित किया था।

उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों ने अभी हाल में कुल आरक्षण कोटा क्रमशः 65 प्रतिशत और 52 प्रतिशत तक बढ़ाया है। इन राज्यों में से किसी ने भी भारत सरकार को उनका आरक्षण कोटा बनाए रखने के लिए अभी तक नहीं लिखा है।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में सीधी भर्ती में आरक्षण की प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य.का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	6	25	46
2.	असम	7	10(प्लेन)	15	32 (प्लेन)
			5(हिल्लस)	-	27(हिल्लस)

1	2	3	4	5	6
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	80	–	80
4.	बिहार	14	10	26	50
5.	गोवा	15 (एबी)	7.5	2	24.5
6.	गुजरात	2(सी.डी.)	14	27	48
7.	हरियाणा	20	–	10	30
8.	हिमाचल प्रदेश	15(एबी)	7.5	10	32.5
		22(सीडी)	7.5	10	39.5
9.	जम्मू और कश्मीर	8	–	10	30
10.	कर्नाटक	15	3	32	50
11.	केरल	8	2	40	50
12.	मध्य प्रदेश	15(ए एंड बी)	18(ए एंड बी)	14	47
		16(सी एंड डी)	20(सी एंड डी)		
13.	महाराष्ट्र	13	7	अनधिसूचित जनजातियां	
		तथा खानाबदोश जनजातियां			
		अन्य पिछड़ा वर्ग	19	52	
		विशेष पिछड़े	2		
14.	मणिपुर	2	31	–	33
15.	मेघालय	–	80	–	80
16.	मिजोरम	–	45	–	45
17.	नागालैंड	–	100(गैर तकनीकी)	–	100
			80(अन्य)	–	45
18.	उड़ीसा	15	23	27	65
19.	पंजाब	25	–	5	30
20.	राजस्थान	16	12	22	50
21.	सिक्किम	आरक्षण			
22.	तमिलनाडु	18	1	50	69
23.	त्रिपुरा	16	31	–	47
24.	उत्तर प्रदेश	21	2	27	50
25.	पश्चिम बंगाल	22	6	5	33
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	दमन और निकोबार द्वीप समूह	15	7.5	–	22.5
2.	चंडीगढ़	15	7.5	–	22.5
3.	दादर और नगर हवेली	15	7.5	22.5	
4.	दिल्ली	15	7.5	–	49.50
5.	दमन और दीव	15	7.5	27	49.50
6.	लक्षद्वीप	15	7.5	–	49.5
7.	पांडिचेरी	15	–	27	42.0

पूर्वोत्तर क्षेत्र में गैर-कानूनी संगठन

4360. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किन-किन गैर-कानूनी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं;

(ख) क्या बोडों, सुरक्षा बल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों में निम्नलिखित प्रत्येक संगठन को, गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत 'गैर कानूनी संगठन' घोषित किया गया है : -

(I) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन.एस.सी.एन.)।

(II) पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.)।

(III) पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलीपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.)।

(IV) कांगली पाक कम्यूनिष्ट पार्टी (के.सी.पी.)

(V) यूनाइटैड नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ मणिपुर (यू.एन.एल.एफ.)

(VI) यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (यू.एल.एफ.ए.)

(VII) बोडो सिक्योरिटी फोर्स (बी.डी.एस.एफ.)।

(ख) और (ग) जी हां। श्रीमान्। बोड़ो सिक्योरिटी फोर्स (बी.डी.एस.एफ.) को निम्नलिखित आधार पर दिनांक 23.11.1994 से दो वर्ष की अवधि के लिए 'गैर कानूनी संगठन' घोषित किया जा चुका है : -

(1) विध्वंसात्मक या जिनमें भारत की प्रभुसत्ता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता को खतरा हो ऐसे उनके क्रियाकलापों में संलगन रहना तथा साथ ही इसका उद्देश्य पृथक लैंड की स्थापना होना;

(2) अलग बोडो लैंड बनाने के लिए यूनाइटैड लिबरेशन आफ असम (यू.एल.एफ.ए.) तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैंड (एन.एस.सी.एन.) जैसे अन्य गैर कानूनी संगठनों से सम्बद्ध होना;

(3) उस अवधि के लिए जब उसे गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया था, के दौरान अपनी गैर-कानूनी और हिंसक गतिविधियों में लिप्त रह कर अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति करना ताकि विधिवत रूप से स्थापित सरकार के प्रधिकारों को कम किया जा सके और जनता में आतंक और भय को फैलाया जा सके।

राज्यों को कोयले पर रायल्टी

4361. श्री एम.जी. रेड्डी :

डा. आर. मल्लू :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोयले से केंद्र को राज्यवार कितनी आमदनी हुई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कोयले से प्राप्त आय में से प्रत्येक राज्य को कितनी रायल्टी दी गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयले की रायल्टी एक कर के रूप में होती है, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा लगाई जाती हैं, किंतु सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा इसका संग्रहण तथा विनियोजन किया जाता है, जहां कि कोयले का उत्पादन किया जाता है। कोयले की वर्तमान रायल्टी की दरें जिस पर की यह देय है, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

कोयले की बिक्री से केंद्रीय सरकार को सीधे कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है, कोयले पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि
1991-92	69.68
1992-93	84.34
1993-94	95.63
1994-95	68.54

(दिसम्बर, 94 तक)

विवरण

कोयले पर रायल्टी की दिनांक 1.8.1991 तथा 11.10.1994 के संशोधित दरें और जिनमें 13.1.1995 से और संशोधन किया गया है।

	वर्तमान दरें	
	पश्चिम बंगाल को छोड़कर राज्यों के लिए	पश्चिम बंगाल राज्य के लिए
(1) ग्रुप - 1 कोयला :		
(क) कोककर कोयला :		
इस्पात ग्रेड-1, इस्पात ग्रेड-2 और वाशरी ग्रेड-1	195.00	7.00
(ख) अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में उत्पादित हाथ से उठाया गया कोयला	150.00	
(2) ग्रुप-2 कोयला		

(क) कोककर कोयला	135.00	6.50
वाशरी ग्रेड-2, वाशरी ग्रेड-3		
(ख) अर्द्ध-कोककर कोयला ग्रेड-1		
अर्द्ध-कोककर कोयला ग्रेड-2		
(ग) गैर-कोककर कोयला ग्रेड-ए		
गैर-कोककर कोयला ग्रेड-बी		
(घ) अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में उत्पादित बिना ग्रेड का खान से निकाला हुआ कोयला	120.00	
(3) ग्रुप - 3 कोयला :		
(क) कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-4	95.00	5.50
(ख) गैर-कोकर कोयला ग्रेड-सी		
(4) ग्रुप-4 कोयला :		
(क) गैर-कोकर कोयला ग्रेड 'डी'	70.00	4.30
(ख) गैर-कोककर कोयला ग्रेड 'ई'		
(5) ग्रुप 5 कोयला :		
(क) गैर-कोककर कोयला ग्रेड 'एफ'		
(ख) गैर-कोककर कोयला ग्रेड 'जी'	50.00	2.50
(6) ग्रुप-6 कोयला :		
आंध्रप्रदेश राज्य में उत्पादित कोयला सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि.	75.00	

वाहनों की चोरी

4362. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में दिल्ली में वाहनों की चोरी की कई घटनाओं का समाचार मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख). 1994 और 1995 (31.3.95 तक) की अवधि के दौरान दिल्ली में मोटर-वाहन चोरी के दर्ज कराए गए मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मोटर वाहन चोरी के मामलों को रोकने/पता लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : -

I) रात्रि गश्त गहन की गयी हैं;

II) राजधानी में चुने हुए स्थानों पर पिकेट तैनात की गयी हैं जो आकस्मिक और हठात् जांच करते हैं;

III) वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाड़ियों के सामने के शीशे पर और खिड़कियों के शीशों पर रजिस्ट्रेशन नं. खुदवाए;

IV) संचार तंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है।

विवरण

वर्ष 1994 और 1995 (31.3.95 तक) के दौरान 'मोटर वाहन चोरी' शीर्षक के अन्तर्गत सूचित मामलों के निपटान का विवरण

वर्ष	मामलों की संख्या											व्यक्तियों की संख्या					
	दर्ज कराए गए	रद्द किए गए	दर्ज किए गए	हल किए गए	न्यायालय में प्रस्तुत किए गए	दोषसिद्धि में समाप्त हुए	वरी, में समाप्त मामले	विचारण के लिए लंबित	जांच पड़ताल के लिए लंबित	पता नहीं लगाया जा सका	गिरफ्तार किए गए	जिनके खिलाफ न्यायालय में मामले प्रस्तुत किए गए	दोषसिद्ध	बरी किए गए	जिनके खिलाफ मामले विचारण के लिये लंबित पड़े हैं	जिनके खिलाफ मामले जांच पड़ताल के लिए लंबित पड़े हैं।	बर्खास्त किए गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1994	4151	138	4013	889	539	9	7	523	1133	2341	1467	868	11	9	848	375	224
1995	1323	27	1296	200	38	–	–	38	1123	135	309	57	–	–	57	246	6

(31.1.95 तक)

[अनुवाद]

त्वरित कार्यवाही बल का विस्तार

4363. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित कार्यवाही बल का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बलों में भर्ती के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) द्रुत कार्य बल में कार्मिकों का चयन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यरत कार्मिकों में से किया जाता है।

[हिन्दी]

राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण

4364. श्री राजवीर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) चालू वित्त वर्ष 1995-96 के लिए, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण

4365. श्री पी. पी. कालियापेरूमल :

डा. पी. वल्लन पेरूमान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु की सरकार को राज्य में पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) क्या तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु में पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए दी गयी धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया है और इस आशय का प्रमाणा पत्र भेज दिया है।

(ग) क्या तमिलनाडु की सरकार ने केन्द्र सरकार से 1995-96 के दौरान राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए धनराशि देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) राज्य पुलिस बलों के आधुनकीकरण की योजना के अंतर्गत तमिलनाडु सरकार को वर्ष 1992-93, 1994-95 के दौरान क्रमश: 276.00 लाख, 259.95 लाख तथा 196.75 लाख रुपए जारी किए गए। वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में जारी की गई राशि से संबंधित उपयोग प्रमाण पत्र तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हो चुका है। जब कि वर्ष 1994-95 के लिए यह प्रमाणपत्र अभी तक प्रतीक्षित है। चालू वित्त वर्ष 1995-96 के लिए, अभी तक; राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उड़ीसा में डाकघर खोलना

4366. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में डाक तथा तार कार्यालय खोलने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) उड़ीसा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 186 डाकघर और 8 स्वतंत्र तारघर खोलने का लक्ष्य था।

(ख) और (ग) जी हां। प्राप्त लक्ष्य का जिलावार ब्यौरा संगल्न विवरण 1 तथा 2 में दिया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) **डाकघर :** आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सर्किल में डाकघर खोलने के लक्ष्य और प्राप्त लक्ष्य का विवरण निम्नानुसार हैं : -

वर्ष	लक्ष्य	लक्ष्य-प्राप्ति
1992-93	45	48
1993-94	39	46
1994-95	8	शून्य
	92	94

आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। क्योंकि डाकघर खोलने के लक्ष्य वार्षिक योजना स्कीमों के अंतर्गत वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

तारघर

नवनिर्मित जिला राजस्व मुख्यालय अर्थात् बालासौर में एक स्वतंत्र तारघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

विवरण - I

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित किए गए और खोले गए डाकघरों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्य	खोले गए डाकघर
1.	बोलनगीर	15	15
2.	बालासौर	11	11
3.	कटक	22	22
4.	धेनकनाल	11	11
5.	गंजम	1	1
6.	कालाहांडी	6	6
7.	क्यूंझर	11	11
8.	मयूरभंज	12	12
9.	कोरापुट	52	52
10.	फुलबनी	6	6
11.	पुरी	5	5
12.	संबलपुर	24	24
13.	सुन्दरगढ़	10	10
	कुल	186	186

विवरण - II

उड़ीसा में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए स्वतंत्र तारघरों का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	तारघरों की संख्या
1	2	3
1.	बालासौर	-
2.	बोलनगीर	-
3.	कटक	01
4.	धेनकनाल	-
5.	गंजम	01
6.	कालाहांडी	01
7.	क्यूंझर	01
8.	कोरापुट	-
9.	मयूरभंज	01
10.	पुरी	01
11.	फुलबनी	01
12.	संबलपुर	-
13.	सुन्दरगढ़	01
	कुल	08

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण

4367. श्री रतिलाल वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात को बाढ़ नियंत्रण हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की गई धनराशि क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) बाढ़ नियंत्रण राज्यों का विषय हैं, इसलिए बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का वित्त पोषण और प्रबन्ध राज्यों द्वारा अपनी स्वयं प्राथमिकताओं के अनुसार अपने संसाधनों से स्वयं किया जाता है। गुजरात राज्य के लिए अनुमोदित परिव्यय इस प्रकार है :

वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपए)
1992-93	3.24
1993-94	1.60
1994-95	1.60

(ख) राज्य सरकार को वर्ष 1995-96 को वार्षिक योजना पर चर्चा के लिए अभी आना है।

ठेकेदार को भुगतान

4368. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा पे-लोडरों द्वारा कोयले की लदाई के लिए वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान ठेकेदारों को कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पे-लोडरों द्वारा कोयले की लदाई के लिए इन ठेकेदारों को भुगतान के लिए कितनी राशि के बिल तैयार किए गए; और

(ग) पे-लोडरों द्वारा कोयलों की लदाई पर प्रतिटन कोयला व्यय का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. (को.इ.लि.) ने भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा ठेकेदारों को अदा की गई राशि के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जो कि उन्होंने 1991-92 से 1993-94 के वर्षों के दौरान लोडरों को कोयले का लदान किए जाने के लिए अदा की गई थी : -

(आंकड़े अनंतिम)

लाख रुपये में

वर्ष	राशि
1991-92	292.05
1992-93	469.85
1993-94	614.16

(ख) को.इ.लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान पे-लोडरों के जरिये कोयले का लदान किए जाने के लिए इन तैयार किए गए बिलों के संबंध में अदा की गई राशि को नीचे दर्शाया गया है। * ठेकेदारों को अदायगी किए जाने के लिए

	लाख रुपये
1991-92	292.05
1992-93	470.11
1993-94	616.26

(ग) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान को.इं.लि. द्वारा सूचित की गई पे-लोडरों के जरिये कोयले के लदान पर प्रति टन किए व्यय को नीचे दर्शाया गया है।

1991-92	4.05 रुपये प्रति टन
1992-93	4.07 रुपये प्रति टन
1993-94	4.45 रुपये प्रति टन

टेलीफोन लाइनें

4369. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान टेलीफोन नेटवर्क में कितनी सीधी एक्सचेंज लाइनें जोड़ी गई और इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ख) 1995-96 के लिए इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान जोड़ी गई सीधी एक्सचेंज लाइनों (डी ई एल) की संख्या 14.26 लाख के लक्ष्य की तुलना में 17.69 लाख है।

(ख) वर्ष 1995-96 के लिए 20 लाख लाइनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) किसी स्थान पर सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने का लक्ष्य, प्रतीक्षा सूची, नई मांग की संभाव्यता तथा सामग्री और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। ये मानदंड उत्तर प्रदेश सहित समग्र देश के लिए हैं। 1995-96 में उत्तर प्रदेश के लिए 1,45,000 लाइनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पेट्रोल एवं डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र

4370. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कार्यरत पेट्रोल एवं डीजल खुदरा केन्द्रों की क्या सं. है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार 1995-96 के दौरान राज्य में कुछ और पेट्रोल एवं डीजल खुदरा केन्द्र खोलने की मंजूरी देने का है; और

(ग) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में 950 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप प्रचालन कर रही थी।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश के लिए 1993-96 की खुदरा बिक्री केन्द्र की विपणन योजना में 69 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के स्थानों को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

दूरसंचार सेवायें

4371. डा. पी. वल्लन पेरूमान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेल्यूलर तथा बुनियादी टेलीफोन के लिए बोलियां जमा करने की तिथि दूसरी बार बढ़ाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हे?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी हां। सेल्युलर तथा मूलभूत टेलीफोन सेवाओं के निविदा-दस्तावेजों के संबंध में काफी पूछताछ की गई है। जिन पहलुओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है वे निविदा-दस्तावेजों के भाग के रूप में होंगे, जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, स्पष्टीकरण जारी होने के 21 दिन बाद तक कर दी गई है।

[हिन्दी]

निर्माताओं के बैंक गारण्टी

4372. श्री एन.जे. राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का प्रसारण हेतु स्वीकृत कुछ धारावाहिकों के निर्माताओं से बैंक गारण्टी मांगने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) कमीशन श्रेणी में अनुमोदित धारावाहिकों के संबंध में निर्माता द्वारा निर्माण के प्रत्येक चरण के समय अग्रिम रूप से दी गई राशि के 50% तक की अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी दूरदर्शन को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

(ग) यह पद्धति सितम्बर, 1992 से विद्यमान है।

मध्य प्रदेश में फैक्स की सुविधा

4373. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वर्ष 1994-95 के दौरान डाकघरों में फैक्स की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुविधा किन-किन स्थानों पर प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या उक्त सुविधा शुरू कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुविधा किन-किन स्थानों पर शुरू की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यह सुविधा कब से शुरू की जाएगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं। 1994-95 के दौरान मध्यप्रदेश के डाकघरों में फैक्स सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया।

तथापि, 47 तारघरों तथा 8 दूरसंचारों केन्द्रों में ब्यूरो फैक्स सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सिंचाई हेतु धनराशि का आबंटन

4374. श्री मणिकराव होडल्या गावीत : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सिंचाई के लिए धनराशि का आंबटन करने के संबंध में क्या नीति अपनायी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र को किया गया आबंटन इस नीति के अनुरूप था; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरीधर गोमांग) : (क) से (ग) संविधान के अंतर्गत सिंचाई राज्य का विषय होने के नाते सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों के अन्वेषण, आयोजना, निर्माण, वित्त पोषण, निष्पादन तथा रख रखाव की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सहायता राज्य योजना में ब्लाक ऋण तथा ब्लॉक अनुदान के रूप में दी जाती है तथा वह 'विशेष समस्याएं' मानदंड के अंतर्गत निर्धारित राशि के अतिरिक्त किसी परियोजना/कार्यक्रम से बंधी नहीं होती है। वर्ष 1992-95 के दौरान वार्षिक योजनाओं में सिंचाई क्षेत्रक के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्नानुसार हैं : -

मद	1992-93	1993-94	1994-95
वृहत् तथा मध्यम सिंचाई	374.00	568.23	618.09
लघु सिंचाई	128.05	202.41	226.44
कमान क्षेत्र विकास	43.30	76.59	87.98
बाढ़ नियंत्रण	0.31	0.77	0.53
जोड़	545.66	848.00	933.04

रोजगार सृजन

4375. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना अवधि के दौरान 31 मार्च, 1995 तक देश में अनुमानत: कितने अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया गया;

(ख) योजना के आरम्भ में अनुमानत: कितने व्यक्ति बेरोजगार थे;

(ग) इस योजना अवधि के दौरान 31 मार्च, 1995 तक श्रमिकों की संख्या में अनुमानत: कितने अतिरिक्त व्यक्ति और शामिल हुए;

(घ) क्या सरकार का बेरोजगारों को रोजी-रोटी मुहैया कराने के लिए कुछ नए कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है; और

(ङ) रोजगार में लगे व्यक्तियों में विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों में अनुमानत: कितने व्यक्तियों को आंशिक रूप से रोजगार मिला हुआ है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गामांग) : (क) 1992-95 के दौरान अनुमानत: 18.78 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित किए गए हैं।

(ख) आठवीं योजना के शुरू में अनुमानत: 17 मिलियन ओपन बेरोजगारों का बैक लॉग था।

(ग) 1992-95 के दौरान 20.47 मिलियन श्रम शक्ति शामिल होने का अनुमान लगाया है।

(घ) कृषि, कृषि और ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण आधार संरचना, छोटे और विकेन्द्रीकृत उत्पादन क्षेत्रक, शहरी अनौपचारिक क्षेत्रक और सेवाओं जैसे उच्च रोजगार घनत्व वाले विकास के माध्यम से रोजगार अवसरों का विस्तार आठवीं योजना का महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। दो नई रोजगार स्कीमें जैसे देश में लगभग 1800 पिछड़े ब्लाकों में गरीब परिवारों के दो सदस्यों को 100 दिन से रोजगार की गारंटी देने वाली रोजगार आश्वासन स्कीम तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बीच स्व-रोजगार योजना आई आर डी पी, जे.आर.वाई तथा एन आर वाई

जैसी विद्यमान स्कीमों के साथ-साथ 1993-94 में पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने की प्रत्याशा हैं, जिससे रोजगार विकास दर में वृद्धि होगी।

(3) jkVªh; ifn'kZlo{kkls43oapक (1987-88) सर्वेक्षण के अनुसार कुल ग्रामीण कार्यबल में अल्प रोजगार (जिनके पास एक सप्ताह में 7 दिन से कम काम है) की अनुमानित प्रतिशतता 5.68 थी। बाद के वर्षों के लिए अनुमान उपलब्ध नहीं है।

नेपाल में भारतीय पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी

4376. श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय पुलिस कर्मियों को नेपाल में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें रिहा कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को न होने देने के लिए पुलिस विभाग को क्या निर्देश दिए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) असम तथा पंजाब राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार पहली कमाण्डों बटालियन के 4 पुलिस कार्मिक अर्थात एक सहायक उप-निरीक्षक, एक हैड कांस्टेबल तथा दो कांस्टेबल, अपने कमाण्डेंट की अनुमति के बिना नेपाली क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। वहां से वापस लौटते समय स्थानीय पुलिस के साथ उनकी कहा-सुनी हो गई थी और उनका घेराव किया गया तथा उन्हें नेपाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था। उनकी रिहाई के लिए, मामले को राजनयिक माध्यमों के द्वारा उठाया जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को पुनः निर्देश दिए गए हैं कि गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी पुलिस दल नेपाल में प्रवेश नहीं करेगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले का उत्पादन

4377. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के विभिन्न कोयला क्षेत्रों से कोयले का कितना उत्पादन हुआ तथा कितना कोयला यहां से बाहर भेजा गया;

(ख) क्या सरकार ने इन कोयला क्षेत्रों का उत्पादन तथा यहां से बाहर भेजे जाने वाले कोयले की मात्रा को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लि. ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में क्या प्रगति की है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) 1994-95 के दौरान ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि./ई.को.लि. (के विभिन्न कोयला क्षेत्रों से हुए कोयले के उत्पादन तथा प्रेषण को नीचे दिया गया है : -

कोयला क्षेत्र	मि.टन (अनन्तिम)	
	उत्पादन	प्रेषण
रानीगंज	15.09	13.82
मुग्मा/मालनपुर	2.93	2.97
राजमहल	6.02	6.64
एम.पी. माइंस	0.81	0.78
जोड़ (ई.को.लि.)	24.85	24.21

(ख) नई खाने खोलकर, विद्यमान खानों का पुर्नगठन/आधुनिकीकरण करके नई प्रौद्योगिकियों को लागू तथा अध्यसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ किए जाने के माध्यम से ई.को.लि. के कोलफील्ड्स से कोयले का उत्पादन तथा प्रेषण में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

(ग) चालू योजनाविधि के दौरान इन कदमों के परिणामस्वरूप उत्पादन तथा प्रेषण में सुधार होने की संभावना है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के लिए 1995-96 हेतु उत्पादन लक्ष्य 1994-95 के दौरान प्राप्त 24.25 मि.टन के एवज में 27.92 मि.ट. निर्धारित किया गया है।

गश्ती पुलिस बल

4378. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्यां पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके मंत्रालय में भारतीय मछुआरों पर बार-बार सशस्त्र आक्रमण को देखते हुए बंगाल की खाड़ी में उन पर आक्रमण को रोकने हेतु गश्ती पुलिस बल गठित करने के लिए सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं। श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

चोरी की शिकायतें

4379. श्री अमर रायप्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस नियंत्रण कक्ष नई दिल्ली को अप्रैल, 1995 के दौरान टेलीफोन की तारों/केबलों की चोरी के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) पुलिस नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों / संबंधित क्षेत्र के स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा ऐसी शिकायतों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और

(ख) यद्यपि, अप्रैल माह, 1995 के दौरान पुलिस द्वारा, टेलीफोन के तारों/केबलों की चोरी/चुराने की सूचना देने वाली कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई थी, तथापि इस तरह की ग्यारह शिकायतें, सीधे ही दिल्ली के अलग-अलग पुलिस जिलों को प्राप्त हुई थी। सभी शिकायतों पर मामले दर्ज कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं से आवेदन पत्र

4380. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं से प्राप्त कई आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं सहित, स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्राप्त करने के लिए 31.3.1995 तक प्राप्त हुई सभी अर्जियों की जांच कर ली गई है तथा कम से कम एक बार सभी को इन पर लिए गए निर्णय के बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका है। तथापि, निर्णयों से परेशान आवेदक, पुनरीक्षा याचिकाएं/प्रतिवेदन भेजते रहते हैं। इन पुनरीक्षा याचिकाओं/प्रतिवेदनों की जांच का कार्य एक अनवरत प्रक्रिया है तथा इनके निपटान हेतु कोई निश्चित समय सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती।

जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है, उनकी विधवाओं को पेंशन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है। वितरण अधिकारियों को अपने स्तर पर, कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, फैमिली पेंशन को विधवाओं के नाम में हस्तांतरित कर देने की शक्तियां सौंप दी गई हैं। ऐसी विधवाओं को, जो अभी भी पेंशन का हस्तांतरण करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करती हैं, इस मामले में वितरण अधिकारी से तुरन्त सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

वार्षिक परिव्यय

4381. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 हेतु मध्यप्रदेश के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है और इसमें से क्षेत्रवार वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) परिव्यय और खर्चे में भारी अंतर के क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से ग्रामीण विकास योजनाओं के वास्तविक लक्षित क्षेत्रों पर परिव्यय के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए मध्य प्रदेश हेतु कितने वार्षिक परिव्यय की मंजूरी प्रदान की गई है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) मध्य प्रदेश के लिए 1994-95 हेतु अनुमोदित योजना परिव्यय और उसमें से प्रत्याशित व्यय राज्यवार संलग्न विवरण-। में दिया गया है।

(ख) परिव्यय और प्रत्याशित व्यय के बीच के अन्तराल का कारण समग्र वित्तीय दबाव है।

(ग) प्रमुख ग्रामीण विकास स्कीमों पर परिव्यय के उपयोग का प्रभाव संलग्न विवरण - 2 में दिया गया है।

(घ) मध्य प्रदेश के लिए 1995-96 हेतु अनुमोदित वार्षिक परिव्यय 2900.00 करोड़ रुपये हैं।

विवरण - I

लाख रुपये

क्षेत्रक	वार्षिक योजना अनुमोदित परिव्यय	1994-95 प्रत्याशित व्यय
I. कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप	18505	16460
II. ग्रामीण विकास	19920	19820
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-
IV. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	54330	35933
V. ऊर्जा	82126	68194
VI. उद्योग एवं खनन	8585	7481
VII. परिवहन	8915	7320
VIII. संचार	-	-
IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	970	767
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं	17054	13288
XI. सामाजिक सेवाएं	64257	55728
XII. सामान्य सेवाएं	338	338
कुल जोड़	275000	225329

विवरण - II

कार्यक्रम	1994-95 लक्ष्य	उपलब्धि
I. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवारों की संख्या)	2,11,466	1,55,405(फरवरी,95 तक)
II. जवाहर रोजगार योजना (लाख श्रम दिवस)	723.33	769.65 (जनवरी, 95 तक)
III. आईजेआरवाई (लाख श्रम दिवस) (जनवरी, 95 तक)	291.90	209.90
IV. रोजगार आश्वासन स्कीम * (लाख श्रम दिवस)		183.99 (जनवरी, 95 तक)

v. सूख प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (00 हेक्टेयर)

(1)भूमि संसाधन विकास	59.80	29.57 (सितंबर, 94 तक)
(2)जल संसाधन विकास	11.55	1.19 (सितंबर, 94 तक)
(3)वानिकी और चरागाह विकास	76.22	51.08 (-वही-)
VI. ग्रामीण जल आपूर्ति (निवासों की सं.)	7000	7042 (दिसंबर, 94 तक)
VII. ग्रामीण सफाई (सफाई शौचालय)	11,000	10,584 (दिसंबर, 94 तक)

* लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(आई जे आर वाई) - तीव्रीकृत जवाहर रोजगार योजना।

[अनुवाद]

फिल्म अभिलेखागार

4382. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और फिल्म प्रभाग के अधीन फिल्म अभिलेखागार की स्थिति अच्छी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) फिल्म अभिलेखागारों के उचित रख-रखाव और उनमें फिल्मों के परिरक्षण और उनके आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गये/प्रस्तावित हैं;

(घ) 1994-95 और 1995-96 के दौरान तय की गई योजनाओं और निवेश किये गए/प्रस्तावित निवेश संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में उच्चाधिकार / विशेषज्ञ समिति द्वारा यदि कोई सिफारिशें की गई है; तो वे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ङ) दूरदर्शन, फिल्म अभिलेखागारों का अनुरक्षण नहीं करता क्योंकि यह रायल्टी/प्रायोजकता आधार पर प्रसारण हेतु फिल्में प्राप्त करता है।

फिल्म प्रभाग की फिल्म लाइब्रेरी आदर्श स्थिति में नहीं हैं। जब तक फिल्म प्रभाग अपना स्वयं का अभिलेखागार प्राप्त नहीं कर लेता उस समय तक फिल्म प्रभाग की अभिलेखीय महत्व की सारी सामग्री को पुणे स्थित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में फिल्म प्रभाग हेतु अभिलेखागार सहित प्रभाग के भवन के तीसरे चरण के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान है। फिल्म प्रभाग की लाइब्रेरी के संबंध में किसी उच्चाधिकार प्राप्त अथवा विशेषज्ञ निकाय ने कोई सिफारिश नहीं की है।

दूरदर्शन अंतर्राष्ट्रीय सेवा

4383. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा विदेशों में टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण पहुंचाने हेतु ट्रांसपोडर्स किराए पर लिए जारहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान तदर्थ व्यवस्था के स्थान पर चौबीसों घंटे दूरदर्शन अंतर्राष्ट्रीय सेवा आरंभ करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चौबीसों घंटे दूरदर्शन अंतर्राष्ट्रीय सेवा कब तक आरंभ कर दी जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए एशिया टुडे लिमिटेड, हांगकांग से एशियासैट-1 उपग्रह पर केवल तीन घण्टे का एक स्लॉट (प्रात: 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक) सोमवार से शुक्रवार तक के लिए 500 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की दर से किराये पर लिया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कथित सेवा को पी ए एस 4 उपग्रह, जिसका इस वर्ष के उत्तरार्ध में छोड़ा जाना निर्धारित है, पर ट्रांसपोण्डरों को किराए पर लेकर शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

(ङ) वर्तमान में इस प्रयोजन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दर्शाई जा सकती है।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र

4384. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति को जनसंख्या के तहत बड़े हिस्से द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने के कारण सन 1960 में विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुपातिक कमी आई;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नव-बौद्धों को फिर वर्ष 1990 के दौरान फिर से उनकी मूल अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दे दी गई है, जिसके कारण अनुसूचित जाति की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या अनुसूचित जाति की जनसंख्या में नव-बौद्धों के शामिल किए जाने से होने वाली इस वृद्धि को देखते हुए सरकार ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 330 और 332 के अंतर्गत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) 1961 तक की जनगणना में प्राप्त दशकीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार आरक्षित

विधान सभा एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या संशोधित की गई थी। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 1961 की जनगणना के आधार पर 33 से घटाकर 15 कर दी गई थी जबकि आरक्षित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 6 से घटाकर 3 कर दी गई थी।

(ख) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 के अनुसार 1990 में नव-बौद्धों को अनुसूचित जातियों का होना माना गया।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद 330 के परन्तुक के संदर्भ में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के वर्तमान अनुपात में तब तक किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी जब तक वर्ष 2000 के बाद की प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते।

सेल्यूलर फोन कम्पनियों का प्रवेश

4385. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतियोगिता बढ़ाने और कीमतों को कम करने हेतु अधिक सेल्यूलर फोन कम्पनियों के प्रवेश को बढ़ावा देने काहै; और

(ख) सेल्यूलर फोन कम्पनियों के बीच प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) सरकार ने बम्बई, दिल्ली, मद्रास तथा कलकत्ता के चार महानगरों में दो-दो कम्पनियों अर्थात् 8 पंजीकृत भारतीय कम्पनियों को लाइसेंस प्रदान किए हैं। चूंकि प्रत्येक शहर में दो-दो कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं, अत: प्रतिस्पर्धा होने से दरों में काफी कमी आएगी। सरकार ने केवल शुल्क-दर की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। प्रचालक चाहे तो अधिकतम सीमा से कम प्रभार ले सकते हैं। इसके अलावा, सरकार किसी भी समय दरों की समीक्षा कर सकती है।

टेलीफोन सेवा

4386. श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री बलराज पासी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल टेलीमैटिक्स फोरम ने बुनियादी टेलीफोन सेवाओं के संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सूचना मंगवाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पैदल चालकों के अधिकार

4387. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैदल चलने वालों के अधिकार वाहन चालकों के समकक्ष नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या दिल्ली यातायात पुलिस कानून की कड़ाई से लागू करने के क्रम में गलती करने वाले पैदल चालकों पर मुकदमा चला रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कानून को लागू करने संबंधी ड्राइव चलाने से लेकर अब तक कुल कितने पैदल चालकों पर मुकदमा चलाया गया है;

(च) क्या यातायात पुलिस पैदल चालकों को दण्डित करते समय उनसे कुछ पैसे भी जमा करवा लेती है ताकि वे न्यायालय में अवश्य आयें;

(छ) यदि हाँ, तो क्या इस व्यवहार को न्यायालय में चुनौती दी गई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) फुटपाथ, पैदल-यात्रियों के लिए बने अनियंत्रित चौराहों तथा ट्रैफिक बत्तियों द्वारा दर्शाये गए जैबरा क्रासिंग्स पर पैदल चलने वाले यात्रियों का भी अधिकार है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। सड़कों और गलियों पर वाहनों और अन्य यातायात का दिल्ली में नियंत्रण विनियमन, 1980 की धारा 22(6) और 22(8) के अधीन दिल्ली पुलिस 17.1.1995 से गलत चलने वाले पैदल यात्रियों का चालान करना शुरू कर दिया है।

(ङ) 17.1.1995 से 24.3.1995 तक की अवधि के दौरान कुल 16,173 पैदल यात्रियों का चालान किया गया है।

(च) दोषी पैदल चालकों से दं.प्र.सं. की धारा 445 के अधीन 10/- से 20/- रुपये की धरोहर राशि, निजी/जमानत बांध पत्र के रूप में वसूल की गई ताकि मुकदमा चलाने के दौरान न्यायालय में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जा सके।

(छ) और (ज) गलती करने वाले पैदल चालकों का चालान संबंधित न्यायालयों में किया जाता था। न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा 258 के अधीन सभी उन पैदल यात्रियों के विरूद्ध कार्यवाही रोक दी थी जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा था, और पुलिस उपायुक्त (यातायात) को मुकदमा बंद करने और धरोहर राशि के रूप में एकत्र की गई राशि को लौटा देने के आदेश दिए हैं। क्षेत्रीय न्यायालय ने इस आदेश के प्रचालन के खिलाफ स्थगन आदेश दे दिए हैं। जिसको देखते हुए 28.4.95 से दोषी पैदल चालकों के फिर से चालान काटना शुरू हो गया है। तथापि, अब धरोहर राशि एकत्र नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कोचिंग

4388. श्री छेदी पासवान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आई.ए.एस./आई.पी.एस. और सरकारी सेवाओं के प्रथम श्रेणी के अन्य पदों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को परीक्षा पूर्व कोंचिग देने के लिए राज्य-वार कितने प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं और कितने स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जा रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन प्रशिक्षण केन्द्रों में केन्द्रवार कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से कितने व्यक्तियों ने आई.ए.एस./आई.पी.एस. की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सरकारी सेवाओं में भा.प्र.से./भा.पु.से. तथा अन्य वर्ग-। पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को परीक्षापूर्व कोचिंग प्रदान करने के लिए संघ सरकार द्वारा जिन दो गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है, उनके द्वारा दिल्ली में केवल दो केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

(ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	1992-93 प्रशिक्षण प्रदत्त लोगों की संख्या	1992-93 भा.प्र.से./भा.पु.से. परीक्षा में पास किए व्यक्तियों की संख्या	1993-94 प्रशिक्षण प्रदत्त लोगों की संख्या	1993-94 भा.प्र.से./भा.पु.से. परीक्षा में पास किए व्यक्तियों की संख्या	1994-95 प्रशिक्षण प्रदत्त लोगों की संख्या	1994-95 भा.प्र.से./भा.पु.से. परीक्षा में पास किए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रावल आईपीएस स्टडी सर्किल नई दिल्ली	56	15	30	8	80	परिणाम की प्रतिक्षा है।
2.	एस.एन.दास गुप्ता कालेज, नई दिल्ली।	शून्य	शून्य	129	9	106	परिणाम की प्रतिक्षा है।

[अनुवाद]

वृद्धावस्था एवं विधवा पैंशन योजना

4389. श्री के.प्रधानी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में वृद्धावस्था एवं विधवा पैंशन योजनाओं को शुरू किया गया है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत बेसहारा महिलाओं को शामिल किया गया है;

(ग) यदि नहीं तो बेसहारा महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास करने के सरकारी कार्यक्रम के रूप में भत्ता पेंशन देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लि. के कुएं में लगी आग के कारण नुकसान

4390. डा. बसंत पवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लि. के कुएं में आग लगने के कारण बहुत से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं से प्रभावित किसानों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे;

(ग) क्या प्राकृतिक दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों की मदद करने तथा राहत कार्य को शुरू करने के लिए अलग से किसी कोष की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में ओ एन जी सी के पसारलापुड़ी - 19 कूप में आग लगने के कारण कुछ किसानों

की धान की खड़ी फसल, नारियल, खजूर और आम के पेड़ों को नुकसान पहुंचा। ओ एन जी सी लोक दायित्व बीमा अधिनियम और नियम, 1991 के उपबंधों के अनुसार सम्पति की क्षति के लिए प्रतिपूर्ति हेतु अपने दायित्वों का भुगतान करेगी।

इस बीच ओ एन जी सी ने राहत कार्य के विभिन्न व्यय पूरे करने के लिए जिला प्रशासन के पास 55.5. लाख रुपये की धनराशि पहले ही जमा करा दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई तकनीक से कोयले का उत्पादन

4391. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान द्वारा किसी नई तकनीक का विकास किया गया है जिससे देश में पचास लाख टन कोयले का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने विकसित की गई नई तकनीक को लागू करने के संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) जी, नहीं। किन्तु, राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) के रामागुंडम सुपर तापीय विद्युत गृह से ली गई राख का प्रयोग किए जाने हेतु केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सी.एम.आर.आई.) द्वारा प्रयोग किया गया, जिससे सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. की जी.डी. के. 3 भूमिगत खान में रेल भराई की सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। भूमिगत गड्ढों को विद्युत गृह की राख से भरने की इसपद्धति को स्थापित किए जाने हेतु सी.एम.आर.आई. द्वारा विभिन्न भू-खनन परिस्थितियों में और प्रयोग किए जाने हेतु अपेक्षित है।

लघु उद्योगों का विकास

4392. **श्री हरिकेवल प्रसाद :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्यन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को लघु उद्योगों के विकास के लिए अधिक धनराशि आबंटित किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्य आबंटित धनराशि सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान आबंटित धनराशि की तुलना में क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांग) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से लघु उद्योगों के विकास हेतु अधिक धनराशि के आबंटन के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंचाई योजनायें

4393 **श्री पी. कुमारासामी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में केन्द्र सरकार की सहायता से लागू की जा रही सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी प्रत्येक योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई तथा प्रदान की गई; और

(ग) उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये केन्द्र सरकार द्वारा 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सहायता उपलब्ध किये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ग) सिंचाई योजनाओं का वित्त पोषण राज्यों अपने स्वयं के के योजनागत संसाधनों से किया जाता है। केन्द्रीय सहायता राज्यों को एक मुश्त ऋण तथा अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है जो विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती है। तमिलनाडु की वार्षिक योजना 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र पर वास्तविक व्यय/अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 118.08 करोड़ रुपए, 117.62 करोड़ रुपए तथा 135.90 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 1995-96 के लिए इस क्षेत्र के वास्ते अनुमोदित परिव्यय 137.73 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

नई रसोई गैस एजेंसियां

4394. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में 1995-96 के दौरान नई रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों का आंबटन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और ये एजेंसियां/कबेन्द्र कि-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र की 1993-96 की खुदरा बिकी केन्द्र विपणन योजना और 1994-96 की एल पी जी विपणन योजना में 106 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 114 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शामिल कर लिया गया है।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का उत्पादन

4395. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री अंकुशराव टोपे :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 'बॉम्बे हाई' से कच्चे तेल का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) क्या 1995-96 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या हाल ही के वर्षों में 'बॉम्बे हाई' से तेल के उत्पादन में लगातार कमी आ रही है;

(घ) इस असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के क्या कारण हैं; और

(ङ) 'बॉम्बे हाई' से तेल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों में बम्बई हाई से कच्चे तेल के उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है : -

1992-93	11.720 एम एम टी
1993-94	10.966 एम एम टी
1994-95	12.442 एम एम टी

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान बम्बई हाई क्षेत्र का कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 15.740 एम एम टी निर्धारित किया गया है।

(ग) यद्यपि बम्बई हाई से कच्चे तेल का उत्पादन 1993-94 के दौरान गिर गया था जिसमें 1994-95 के दौरान वृद्धि हुई तथा 1995-96 के दौरान इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि किए जाने की योजना है।

(घ) उत्पादन में कमी के कारणों में क्षेत्रों के पुराने होने के कारण स्वाभाविक कमी, मरम्मत उपाय आदि शामिल हैं।

(ङ) बम्बई हाई से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपायों में एल-II एल-III का विकास, कृत्रिम लिफ्ट का इष्टतमीकरण, ड्रेन होल वेधन आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल का आबंटन

4396. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्रीमती चंद्र प्रभा अर्स :

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाने के संबंध में बिहार, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आबंटन के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि, उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और अत्यधिक राजसहायता की बाधाओं के कारण राज्यों की संपूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। बहरहाल बिहार, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा राज्यों को क्रमश: 46194, 12311,4503 और 18663 एम टी मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मात्राओं का आबंटन करने का निर्णय लिया गया है जो पिछले वर्ष से क्रमश: 8.2 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत, 1.7 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

4397. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने महानदी बेसिन, सुवर्णरेखा, वैतरणी खुशभद्रा और भार्गरी बेसिनों सहित राज्य में बाढ़ नियंत्रण के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि नियत की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने दो बाढ़ नियंत्रण योजनाएं भेजी हैं। ये हैं : लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत पर नराज से नीचे महानदी नदी प्रणाली के तटबंधों को ऊँचा और सुदृढ़ करना तथा लगभग 17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भारगवी उप-बेसिन में गोबकुंड कट परियोजना।

(ग) और (घ) इन योजनाओं की केन्द्र द्वारा जांच की गई थी तथा परियोजना को पुन: तैयार करने के वास्ते टिप्पणियां भेजी गई थीं। राज्य से उत्तर प्राप्त होना है। राज्य को इन परियोजनाओं को निवेश स्वीकृति प्रदान करने के बाद योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई राज्य की योजनागत निधियों से इन परियोजनाओं पर व्यय करना होगा। [हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियां

4398. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री काशीराम राणा :
श्री कुन्वीलाल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार रसोई गैस की कितनी एजेंसियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी कितनी एजेंसियों के लाइसेंस बहाल कर दिए गए हैं; और

(घ) ऐसी कितनी एजेंसियों के विरूद्ध अभी भी जांच चल रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) विभिन्न कदाचारों जैसे कंपनियों के कोष का दुरूपयोग बेनामी प्रचालन तथा विभिन्न विपण अनुशासन दिशा निर्देशों के उल्लंघन आदि की वजह से गत तीन वर्षों के दौरान समूचे देश में एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के 42 लाइसेंस समाप्त किए गए थे।

(ग) उपर्युक्त में से 4 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को पुर्नबहाल कर दिया गया है।

(घ) 18 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विरूद्ध जांच जारी है। [अनुवाद]

विकलांगों के लिए कल्याणकारी उपाय

4399. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोला बुल्ली रामय्या :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विकलांगों के लिए कल्याणकारी उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए उनके मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों के साथ हाल ही में कोई बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से मुद्दों पर बातचीत हुई तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) बैठक में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता। [हिन्दी]

मध्य प्रदेश को रसोई गैस की आपूर्ति

4400. **कुमारी उमा भारती :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रसोई गैस की वार्षिक आवश्यकता कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को रसोई गैस की कितनी आपूर्ति की गई; और

(ख) रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में एल पी जी के उन विद्यमान ग्राहकों की मांग को, जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास पंजीकृत हैं, कमोवेश पूर्णरूपेण पूरा किया जा रहा है। उत्पन्न होने वाले अस्थायी प्रकृति के बकायों को भरण संयंत्रों को बढ़ाई हुई अवधि में तथा अवकाश के दिनों में चला कर तथा समीपस्थ क्षेत्रों के भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके एल पी जी की आपूर्तियों को बढ़ाकर निपटाया जाता है।

1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर, 94) के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में एल पी जी की बिक्री निम्नानुसार है : -

	आंकड़े टी एम टी में
1992-93	141.0
1993-94	154.3
1994-95 (अप्रैल-दिसम्बर, 94)	116.7 (अनंतिम)

[अनुवाद]

राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए धनराशि

4401. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गरीबी उन्मूलन की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या सरकार का इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान हेतु धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटन करने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विभिन्न गरीबी उन्मूलन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान को स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) राजस्थान को शामिल करते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष 2 वर्षों के लिए राज्यवार आबंटन विभिन्न केन्द्र प्रायोजित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मुहैया की गई कुल बजटीय सहायता और राज्यों द्वारा अपेक्षित समानुरूप मुहैया हिस्से पर निर्भर करेगी। प्रत्येक वित्त वर्ष के शुरू में इसे अन्तिम रूप दिया जाता है। 1995-96 के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आबंटन अन्तिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं।

पिछले 3 वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए राजस्थान को (केन्द्र+राज्य) आबंटित कुल धनराशि।

(लाख रुपये)

कार्यक्रम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)	3118.00	4430.00	4393.00
जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)	15172.01	12961.33	14266.86
तीव्रीकृति जे आर वाई	-	4568.75	4568.75
रोजगार आश्वासन स्कीम	-	4575.00*	12325.00**
नेहरू रोजगार योजना	309.40ळ	379.60ळ	361.55 ळ
गरीबों के लिए शहरी आधारभूत सेवाएं	47.50 ळ	73.95 ळ	96.00 ळ

* केन्द्र द्वारा जारी + राज्यों का समानुरूप हिस्सा।

** केन्द्र द्वारा जारी + जनवरी, 1995 तक राज्यों का समानुरूप हिस्सा।

ळ केवल केन्द्रीय हिस्सा।

फालतू जल का वितरण

4402. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से रावी और व्यास नदियों के फालतू जल के बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने हेतु पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों को अन्तर-राज्यीय बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) और (ख) जी हां। बैठकें जुलाई और अगस्त 1992 में आयोजित की गई थीं जिसमें रावी-व्यास के अधिशेष जल के बंटवारे सहित अन्तर्राज्यीय जल से संबंधित कई मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। कभी एक कारण से और कभी किसी कारण से इसकी और बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

गुजरात में गरीबी उन्मूलन योजनाएं

4403. डा. अमृत लाल कालिदास पटेल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों के लिए विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गामांग) : (क) और (ख) गुजरात राज्य को शामिल करते हुए समग्र देश में प्रमुख गरीबी विरोधी और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनेक सुविख्यात संगठनों द्वारा मूल्यांकन किया गया है जैसे कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई), कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड), एन आई आर डी, योजना आयोग आदि से कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी ई ओ) आदि।

आई आर डी पी के मामले में उपर्युक्त अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्यक्रम का लाभग्राहियों को आय पर सकारात्मक भाव पड़ा था और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को अधिकांश लाभ प्राप्त हुए हैं। किन्तु लगभग सभी अध्ययनों ने लाभग्राहियों के चयन, निवेश के निम्न स्तर, आधार संरचना और सम्पर्क आदि के संबंध में कुछ कमियां बताई हैं।

जे आर वाई के सही निर्धारण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के सभी जिलों में सुविख्यात संस्थानों के माध्यम से कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन किया है। जनवरी से जून, 1992 की अवधि के लिए जे.आर.वाई के समवर्ती मूल्यांकन की प्रारम्भिक रिपोर्ट ने यह बताया है कि :

(i) अधिकांश मामलों में पंचायत प्रधानों को जे.आर.वाई. कार्यों के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

(ii) 1991-92 के दौरान जे.आर.वाई के अंतर्गत स्थापित कुल परिसम्पत्तियों में से 7.1 प्रतिशत अच्छे स्तर के, 7 प्रतिशत कमजोर स्तर के पाये गये और 22 प्रतिशत या तो अधूरी थी अथवा अनुमोदित मानदंडों के अनुरूप स्तर की नहीं थी।

(iii) ग्राम कार्यकर्ता द्वारा 77 प्रतिशत मामलों में मस्टर रोल का रख-रखाव किया गया था। आई आरडीपी और जेआरवाई के

कार्यान्वयन की पुनरीक्षा और मानीटरिंग मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है। इन पुनरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर कार्क मों के कार्यान्वयन में सुधार के आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विस्थापितों के लिए पुनर्वास

4404. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन का विचार लम्बालाइन हवाई अड्डे के विस्तार के लिए स्कूल लाइन पहारगांव डालीगंज के पुराने गांवों का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो वहां से हटाये जाने के कारण ग्राम-वार और श्रेणी-वार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कितने परिवार प्रभावित होंगे;

(ग) क्या इसमें प्रभावित दुकानदारों सहित परिवारों की बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया गया है और इनके पुनर्वास सम्बन्धी मामलों को निपटा दिया गया है;

(घ) क्या प्रभावित लोगों को आवास स्थल, कृषि भूमि आदि आबंटित करने जैसा कोई पुनर्वास पैकेज तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रभावित लोगों ने कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) केवल स्कूल लाइन और पहाड़ गांव ग्रामों की भूमि का ही अधिग्रहण, लेम्बालिन एयर-पोर्ट के विस्तार के उद्देश्य से किया जा रहा है।

(ख) कुल मिलाकर 92 भूखंड प्रभावित हैं जिनमें 25 स्कूल लाइन से और 67 पहाड़ गांव की हैं। इन जमीनों में धान के खेत, आवासीय स्थल, पहाड़ी भूमि और व्यवसायिक स्थल शामिल हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी चालू हैं।

(घ) और (ङ) प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की एक योजना तैयार की जा रही है।

(च) जी हां, श्रीमान। क्षतिपूर्ति और पुनर्वास की मांग करते हुए एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

(छ) सभी प्रभावित व्यक्तियों को समुचित क्षतिपूर्ति दिए जाने और पुनर्वासित करने का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

4405. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की वार्षिक योजना में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 750 करोड़ रुपये दिए हैं;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने उपरोक्त आधारों पर ही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है / किए जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां। संसाधनों के अन्तराल के एक भाग को समायोजित करने के लिए राज्य की वार्षिक योजना 1995-96 में 750 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराने पर सहमति थी।

(ख) जी, हां।

(ग) संसाधनों में कमी के कारण कर्नाटक सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।

केरल के लिए विपणन योजना

4406. **श्री रमेश चेन्निताला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लिए रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों की विपणन योजना में संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य के लिए 1995 में कितनी अतिरिक्त रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों को स्वीकृति दी जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) केरल राज्य के लिए नई खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 तथा एल पी जी विपणन योजना 1994-96 में 43 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 38 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस

4407. **श्री हरिलाल ननजी पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर कुछ अनुसंधान कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य का ब्यौरा क्या है और यह अनुसंधान कार्य किन-किन स्थानों पर चल रहा है; और

(ग) अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां। गुजरात सहित देश में तेल और प्राकृतिक गैस पर अन्वेषण कार्य चलाया जा रहा है।

(ख) हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और दोहन के विभिन्न पहलुओं और सबंधित पहलुओं पर अन्वेषण कार्य ओ एन जी सी और ओ आई एल द्वारा मुख्यतया निम्नलिखित स्थानों पर चलाया जा रहा है :

ओ एन जी सी

(i) इन्स्टीट्यूट आफ रिजर्वायर स्टडीज (आई आर एस) अहमदाबाद।

(ii) केशवदेव मालवीय इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन (के डी एम आई पी ई), देहरादून।

(iii) इन्स्टीट्यूट आफ ड्रिलिंग टेक्नालाजी (आई डी टी) देहरादून।

(iv) इन्स्टीट्यूट आफ बायोटेक्नालाजी एण्ड जियोटेक्टोनिक स्टडीज (आई एन बी आई जी एस) जोरहाट।

(v) इन्स्टीट्यूट आफ आयल एण्ड गैस एण्ड प्रोडक्शन टेक्नालॉजी (आई ओ जी पी टी) पनवैल (बम्बई)।

(vi) इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम सेफ्टी एण्ड एन्वायरनमेंट मैनेजमेंट (आई पी एस ई एम), गोआ।

(vii) इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड ओशन टेक्नालाजी (आई ओ ई टी), पनवैल (बम्बई)

ओ आई एल

रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेंटर, दुलियाजान

(ग) उपर्युक्त अनुसंधान और विकास संस्थानों/केन्द्र के अनुसंधान कार्य के परिणामस्वरूप तेल/गैस अन्वेषण, वेधन, रिजर्वायर प्रबन्धन वर्द्धित तेल निकासी, उत्पादन, सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं आदि में तकनीकियों/प्रौद्योगिकियों का विकास, सुधार और अंगीकरण हुआ है।

[हिन्दी]

कोयले की आपूर्ति

4408. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 दिसम्बर, 1994 तक लागू वित्तीय नियमों के अंतर्गत गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 80 प्रतिशत से अधिक कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो 7 दिसम्बर, 1994 के बाद वित्तीय नियमों में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन नियमों में संशोधन करने का क्या उद्देश्य है; और

(घ) गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उपभोक्ताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) से (घ) इस संबंध में माननीय सदस्य शायद कोल इंडिया द्वारा हाल ही में गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए वित्तीय सुविधा की पद्धति के संबंध में लिए गए निर्णय को संदर्भगत कर रहे हैं। कोल इंडिया लि. सभी गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र की बुकिंग को कोल इंडिया लि. के वाणिज्यिक हितों की रक्षा किए जाने के लिए समानता के उद्देश्य से पूर्ण रूप में वित्तीय सुविधा देने और सट्टे की आर्डर बुकिंग को निरूत्साहित करने के लिए निर्णय लिया है। इस निर्णय के पक्ष में तथा इसकी आलोचना में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह कोल इंडिया द्वारा लिया गया एक वाणिज्यिक निर्णय है, जो कि वास्तविक उपभोक्ताओं की सहायता करेगा जिनमें छोटे उपभोक्ता शामिल हैं और सट्टे की कार्रवाई निरूत्साहित करेगा।

ओमान भारत गैस पाइपलाइन

4409. श्री राम कापसे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमान-भारत गैस पाइपलाइन के मार्ग में परिवर्तन के लिए कोई सुझाव दिया गया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) ओमान-भारत पाइपलाइन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति में है। इस अध्ययन के अंतर्गत पाइपलाइन इन मार्ग को अंतिम रूप दिया जाना सम्मिलित है।

भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन

4410. श्री वी.श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका पुनर्गठन कब तक हो जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) भारतीय प्रेस परिषद का पहले ही 25.1.95 से पुनर्गठन हो चुका है। सदस्यों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों की सूची

कार्यरत पत्रकार संपादक

1.	श्री मेमन मैथ्यू	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के संपादक
2.	श्री मदन मोहन जोशी	
3.	श्री जमना दास अख्तर	
4.	डा. कन्हैयालाल नन्दन	
5.	श्री निखिल चक्रवर्ती	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के
6.	श्रीमती मनोरमा देवन	अतिरिक्त अन्य समाचार पत्रों के संपादक

कार्यरत पत्रकार संपादकों के अलावा

7.	श्री जे.के. गुप्ता	ऐसे कार्यरत पत्रकार जो भारतीय भाषाओं के

8. श्री अशोक मलिक	समाचारपत्रों के संपादक नहीं हैं।
9. श्री प्रकाश दुबे	
10. श्री रविन्द्र कुमार सिंह	
11. श्री नितीश चक्रवर्ती	ऐसे कार्यरत पत्रकार जो भारतीय भाषाओं के
12. श्री प्रकाश पात्र	समाचारपत्रों के अतिरिक्त अन्य समाचारपत्रों के
13. श्री परमानन्द पाण्डेय	संपादक नहीं है।

ऐसे व्यक्ति जो समाचारपत्रों के प्रबंध के व्यवसाय के स्वामी अथवा संचालक हैं

14. श्री नरेश मोहन	बड़े समाचार पत्र वर्ग से
15. श्री बी.एस. आदित्यन	
16. श्री बी.एम. शर्मा	मझौले समाचार पत्र वर्ग से
17. श्री काजिम रिज्वी	
18. श्री विश्व बन्धु गुप्ता	
19. श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	लघु समाचारपत्र वर्ग स

ऐसे व्यक्ति जो समाचार एजेंसियों के प्रबंधक हैं

20. श्री जी.एस. कुन्डापुर	

ऐसे व्यक्ति जिनको शिक्षा तथा विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के संबंध में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव है।

21. डॉ. एम.वी. पैले	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित
22. प्रोफेसर यू.आर. अनन्तमूर्ति	साहित्य अकादमी द्वारा नामित

संसद सदस्य

23. श्री चन्दूलाल चन्दराकर (दिवंगत)	लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित
24. श्री सत्य नारायण जटिया	
25. श्रीमती गीता मुखर्जी	
26. श्री वी.एन. गाडगिल	राज्य परिषद के अध्यक्ष
27. श्री मोहम्मद सलीम	द्वारा नामित

तेल शोधनशाला

4411. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोट्टीपल्ली और काकीनाडा के बीच एक तेल शोधनशाला स्थापित करने संबंधी किसी प्रस्ताव की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अवैध शराब

4412. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1995 में अवैध शराब के सेवन से दिल्ली में कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है; और

(ग) दिल्ली में अवैध शराब के उत्पादन तथा इसकी बिक्री को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं / किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) मार्च, 1995 में शराब पीने के बाद 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। पुलिस द्वारा 2 मामले दर्ज किए गए। तीन व्यक्तियों का संबंध, रामकृष्ण पुरम और बसन्त कुंज में हुई दो अलग-अलग घटनाओं से हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

(ग) दिल्ली में अवैध शराब के उत्पादन और इसकी बिक्री को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, अवैध शराब बनाये जाने की संभावना वाले स्थानों के ठिकानों के बारे में आसूचना एकत्र करना, इस प्रकार के स्थानों पर छापे मारना और अवैध शराब की तस्करी/बिक्री को रोकने के लिए अर्न्त-राज्यीय सीमाओं पर सख्त चौकसी और निगरानी रखना सम्मिलित है।

नहरों की खुदाई

4413. डा. साक्षीजी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से नहरों की खुदाई के लिए के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अपरिष्कृत मोम की आपूर्ति

4414. श्री रामप्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोमबत्ती बनाने वाले इकाइयों को

गृह उद्योग में लाने का तथा इन इकाईयों को अधिकतम मात्रा में अपरिष्कृत मोम की आपूर्ति करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए उद्यमियों को मोम की आपूर्ति रोक दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पैराफीन मोम का आबंटन करती है जो उक्त उत्पाद को उन सभी इकाईयों को आबंटन करते हैं जो 30.6.1986 को अथवा इससे पूर्व पंजीकृत थीं। पैराफीन मोम एक कमी वाला उत्पाद है तथा इसका आबंटन पूर्व आधार पर किया जाता है। इसके प्रयोक्ताओं के इसकी आसानी से उपलब्धता के लिए 1.4.1992 की तिथि से पैराफीन मोम के आयात को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का प्रवेश

4415. **श्री चित्त बसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी दूरसंचार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को निविदा हेतु खुले बाजार में विदेशी कम्पनियों के साथ नहीं घुसने देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का इसकी समीक्षा करने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय कम्पनी ही मूलभूत टेलीफोन सेवाओं अथवा मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्र है।

कोई सरकार कम्पनी अथवा निगम निर्धारित कार्यविधि अपनाकर मूल्यवर्धित सेवा के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।

तथापि, सरकारी कम्पनियां तथा निगम मूलभूत सेवाओं के लिए लाइसेंस पाने के पात्र नहीं है क्योंकि एक सरकारी प्रचालक (अर्थात् दूरसंचार विभाग) सम्पूर्ण देश में पहले से ही मूलभूत टेलीफोन सेवा प्रदान कर रहा है। सरकार की यह नीति है कि मूलभूत सेवाओं के क्षेत्र में, सरकारी प्रचालक के प्रयासों तथा संसाधनों में सहयोग के लिए और साथ ही प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा दिया जाए।

(ग) और (घ) जी नहीं। उपर्युक्त कारणों से सरकार का इसकी पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. द्वारा कच्चे कोयले की भेजना

4416. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान कोल इंडिया लि. ने 219.20 मिलियन टन कच्चा कोयला भेजा था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान कोयले का उत्पादन अनुमानत: 223.10 मिलियन टन हुआ था;

(ग) यदि नहीं, तो अनुमानत: कितने कोयले को भेजा गया और कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या 1994-95 के दौरान कोयले को भेजे जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ङ) यदि हां, तो भेजने के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना था और क्या गत वर्ष की तुलना में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कोयले को नहीं भेजे जाने के कारण खानों के मुहानों पर अत्यधिक कोयला जमा हो गया है; और

(च) यदि हां, तो कोयले का अप्रयुक्त भंडार 1995-96 के अंत तक निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अधिकतम कितना हो जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) से घरेलू खपत के उपयोगार्थ शाफ्ट कोक का प्रेषण 2.4 लाख टन किया गया था। शायद माननीय सदस्य वर्ष 94-95 के दौरान को.इं.लि. से कच्चे कोयले के कुल प्रेषण का उल्लेख कर रहे हैं, जोकि 219.48 मि.टन (अनन्तिम) था।

(ख) से (च) वर्ष 1994-95 के दौरान कोल इंडिया लि. द्वारा वास्तविक उत्पादन तथा प्रेषण की तुलना में उत्पादन तथा प्रेषण के लिए रखे गऐ लक्ष्य नीचे दर्शाए गए हैं : -

(आंकड़े अनन्तिम)
मि.टन में

	लक्ष्य	वास्तविक
उत्पादन	223.00	223.16
प्रेषण	228.17	219.48

वैगन की अपर्याप्त रूप में उपलब्धता होने के फलस्वरूप तथा वर्ष के प्रारम्भ में भारी वर्षा होने के कारण भी वास्तविक प्रेषणों में लक्ष्य की तुलना में 3.81 प्रतिशत की गिरावट की गई है।

कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके पिटहैड स्टाक में वर्ष 1994-95 के दौरान 0.63 मि.टन की आंशिक वृद्धि हुई है। वर्ष 94-95 के दौरान 241.00 मि.टन के लक्षित उत्पादन की तुलना में को.इं.लि. के लिए 248.50 मि.ट. का उच्च प्रेषण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अत: को.इं.लि. के पास 1995-96 के दौरान स्टाकों के 7.5 मि.ट. तक नीचे आ जाने की संभावना है।

धन का उपयोग

4417. **श्री कुंजी लाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन का आबंटन हो चुका है पर उसका उपयोग नहीं हुआ है; और

(ख) कितनी धनराशि अप्रयुक्त रह गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) और (ख) सिंचाई राज्यों का विषय है, इसलिए सिंचाई परियोजनाओं के अन्वेषण, प्रतिपादन, क्रियान्वयन और निधियों के आबंटन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों को है। केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है जो किसी परियोजना कार्यक्रम से जुड़ी नहीं होती है। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में वृहद् एवं मझौली सिंचाई परियोजनाओं पर हुआ परिव्यय एवं व्यय इस प्रकार है : -

(करोड़ रुपये)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
1992-93	3127.76	3047.13
1993-94	3041.74	3369.30
1994-95	4204.96	उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजनाएं

4418. श्री विलासराव नागनाथराव गूण्डेवार :
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक भी कोई आर्थिक सहायता दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ङ) विश्व बैंक सहायता से चलायी जा रही राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा में 8 योजनाएं और उत्तर प्रदेश में 10 योजनाएं प्रारम्भ की गई थीं। योजनाओं का ब्यौरा संलग्न तथा संलग्न विवरण 1 तथा विवरण 2 में दिया गया है। लगभग 5.17 करोड़ रुपए की लागत पर राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। महाराष्ट्र प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सिंचाई विभाग के नए भर्ती किए गए श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के 211 अधिकारियों को सिंचाई इंजीनियरी के विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया।

इन योजनाओं के लिए निधियां प्रारम्भिक रूप से राज्य योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई थीं। क्रेडिट समझौते के अनुसार, परियोजना लागत पर 90 प्रतिशत व्यय और प्रशिक्षण एवं विशेष अध्ययनों पर 100 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक द्वारा की जानी थी।

राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना अब 31.3.1995 से समाप्त हो गयी है।

विवरण - I

राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत योजनाओं का विवरण

राज्य : उड़ीसा (राशि : लाख रुपये)

क्र. सं.	योजना का नाम	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना में शामिल करने की तारीख	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत कृष्य कमान क्षेत्र (हैक्टेयर)	अनुमानित लागत	प्रत्याशित व्यय (मार्च, 95 तक)
1.	हीराकुंड	नवम्बर, 92	24125	844.22	299.00
2.	महानदी डेल्टा चरण I	नवम्बर, 92	10222	367.79	90.00
3.	महानदी डेल्टा चरण 2	नवम्बर, 92	31980	1250.00	162.30
4.	सालन्दी	नवम्बर, 92	10000	330.00	143.40
5.	रूशीकुल्वा	नवम्बर, 92	12609	492.10	240.70
6.	देरजंग	नवम्बर, 92	5951	210.00	94.00
7.	सालिया	नवम्बर, 92	8445	317.70	78.70
8.	धनेई	नवम्बर, 92	3831	143.20	59.30
	कुल		187163	3955.09	1159.40

विवरण - II

राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अन्तर्गत योजनाओं का विवरण

राज्य : उत्तर प्रदेश (राशि : लाख रुपये)

क्र. सं.	योजना का नाम	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना में शामिल करने की तारीख	राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना के अंतर्गत कृष्य कमान क्षेत्र (हैक्टेयर)	अनुमानित लागत	प्रत्याशित व्यय (दिसंबर, 94 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अप्सरा वितरणी	जनवरी, 93	16958	464.00	32.08
2.	दूनी वराज पोषक	जून, 93	6000	676.00	2.49
3.	हरदोई शाखा 21.60 से 85 किलोमीटर	फरवरी, 94	15303	849.00	31.57
4.	शाहजहां पुर शाखा शीर्ष से 29.90 से किलोमीटर तक	जुलाई, 93	37478	415.00	19.33
5.	शाहबाद वितरणी प्रणाली	जून, 93	42030	523	20.82
6.	हरदोई शाखा 85.0 से 158.80 कि.मी. तक लखनऊ शाख शीर्ष से 60.80 कि.मी. तक	अक्तूबर, 93	60504	249.00	13.04
7.	सण्डीला शाखा और लखनऊ शाखा 60.00 से 115.60 कि.मी. तक	अक्तूबर, 93	59957	336.00	63.99
8.	हरदोई शाखा 58.80 कि.मी. तक और असिवन शाखा	अक्तूबर, 93	75567	432.00	4.40
9.	पुसवा शाखा और उन्नाव शाखा	अक्तूबर, 93	81000	660.00	7.82
10.	लखनऊ शाखा 115.60 से 188.60 कि.मी.	अक्तूबर, 93	105344	477.00	51.15
	कुल		500141	5081.00	246.69

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में मद्य निषेध

4419. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में मद्य निषेध लागू करने से होने वाले राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में मद्य निषेध लागू करने के चलते राजस्व घाटे को शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति की जाए। जैसा कि उन्होंने सूचित किया है इस मद में राज्य का राजस्व घाटा प्रति वर्ष 250-1300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

कोयले का उत्पादन

4420. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान कोयले का उत्पादन घरेलू मांग की तुलना में ज्यादा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसकी कितनी मांग थी;

(ग) क्या सीमेंट, इस्पात और विद्युत उत्पादक निगमों जैसे उपभोक्ताओं ने अपनी-अपनी मांग के अनुसार देश में उत्पादित कायेला उठाया;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसके कारण कोयला खानों के मुहानों पर बड़ी मात्रा में कोयला जमा हो गया;

(च) यदि हां, तो 31 मार्च, 1995 तक कोयला खान मुहानों पर कुल कितनी मात्रा में कोयला जमा था;

(छ) क्या इस कोयले को निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) वर्ष 1993-94 के दौरान देश में कोयले की मांग, वास्तविक उठान तथा वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार था : -

	(मिलियन टन में)
मांग (आयात सहित)	268.80
उठान *	252.97
उत्पादन (कच्चा कोयला)	246.04

* मिंडलिंग्स सहित

वर्ष 1993-94 के दौरान विद्युत क्षेत्र, इस्पात संयंत्रों तथा सीमेंट संयंत्रों द्वारा कोयले का उठान उनकी मांग का क्रमशः, 103.4 प्रतिशत, 92.5 प्रतिशत तथा 79.1 प्रतिशत तक रहा। जबकि विद्युत क्षेत्र तथा इस्पात संयंत्रों द्वारा कोयले का उठान सन्तोषजनक रहा, किन्तु सीमेंट संयंत्रों द्वारा प्रक्षिप्त मांग के स्तर तक कोयले का उठान किए जाने के मामले में असमर्थ रहे।

(ङ) और (च) यद्यपि कई वर्षों से कोयले के प्रेषण में निरन्तर वृद्धि हो रही है, किन्तु कोयले के स्टाक में 1992-93 तक सामान्यतया वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। मार्च, 1995 के अन्त तक देश में कोयले का पिटहैड स्टाक 46.44 मिलियन टन (अनंतिम) था।

(छ) और (ज) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) केवल पड़ौसी देशों को ही कोयले का निर्यात करता है, जोकि को.इं.लि. के कोयले के परम्परागत खरीददार हैं। को.इं.लि. इन देशों के साथ अपने निर्यात में वृद्धि करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर

4421. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार कितने डाकघर खोले गए;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में और डाकघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) उत्तर प्रदेश में 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान जिलावार खोले गए नए शाखा डाकघरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) डाकघर वार्षिक योजना स्कीमों के तहत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं, बशर्ते कि विभागीय मानदंडों की पूर्ति होती हो और संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण

उत्तर प्रदेश में 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान खोले गए नए डाकघरों की जिलावार संख्या।

क्र.स.	जिले का नाम	1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	अलीगढ़	1	1
2.	अल्मोड़ा	1	2
3.	इलाहाबाद	3	4
4.	आजमगढ़	-	1
5.	आगरा	-	1
6.	बरेली	6	1
7.	बाराबंकी	5	9
8.	बिजनौर	1	2
9.	बलिया	1	2
10.	बुलंदशहर	1	-
11.	बांदा	1	-
12.	बहराइच	2	2
13.	बस्ती	3	2
14.	बदायूं	-	2
15.	चमोली	-	1
16.	देवरिया	3	1

1	2	3	4
17.	देहरादून	1	–
18.	फैजाबाद	6	4
19.	फर्रूखाबाद	3	1
20.	फतेहपुर	2	2
21.	गाजियाबाद	1	3
22.	गोरखपुर	2	4
23.	गोंडा	4	5
24.	गाजीपुर	6	2
25.	हरदोई	1	–
26.	जौनपुर	2	3
27.	कानपुर सिटी	1	2
28.	कानपुर देहात	2	–
29.	कानपुर (एम)	–	2
30.	खीरी	4	4
31.	लखनऊ	3	4
32.	मेरठ	2	–
33.	मऊ	1	–
34.	मुरादाबाद	1	2
35.	मैनपुरी	2	1
36.	मुजफ्फरपुर	2	1
37.	मिर्जापुर	–	3
38.	नैनीताल	1	–
39.	पिथौरागढ़	1	4
40.	प्रतापगढ़	1	1
41.	पौड़ी	1	1
42.	रायबरेली	3	4
43.	सुल्तानपुर	3	3
44.	सिद्धार्थनगर	1	–
45.	सहारनपुर	1	–
46.	सीतापुर	3	2
47.	शाहजहांपुर	2	–
48.	टिहरी	3	4
49.	उन्नाव	2	1
50.	वाराणसी	4	1
	कुल	100	95

वर्ष 1994-95 के दौरान कोई शाखा डाकघर नहीं खोला गया है।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां

4422. डा. लालबहादुर रावल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके विकास हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां (1991 जनगणना)
जनसंख्या	29276455	287901
राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में प्रतिशतता	21.05	0.21
ग्रामीण	25023386	271028
शहरी	3453067	16873

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उपयोजना की नीतियों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास, सहकारिता, लघु सिंचाई, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों में कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फीचर फिल्मों का चयन/खरीद

4423. श्री विजय एन. पाटील : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए फीचर फिल्मों की खरीद और चयन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को फीचर फिल्मों के चयन के विषय में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सकरार का फिल्मों के निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करने हेतु खरीद/चयन समिति पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय नेटवर्क के संबंध में विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) शुक्रवार रात्रि फिल्म हेतु चयन प्रक्रिया संबंधी एक मामला दिल्ली के उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय नेटवर्क

क. हिन्दी फिल्में

शुक्रवार - रात्रि 9 बजे

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्में प्राप्त की जाती हैं। गैर-सरकारी सदस्यों वाली समिति द्वारा फिल्मों का पूर्वदर्शन किया जाता है। फिल्में प्रायोजकता आधार पर प्रसारित की जाती हैं।

शनिवार अपराह्न 4.45 बजे

सार्वजनिक सूचना के जरिए फिल्मों के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। सरकारी सदस्यों वाली समिति द्वारा फिल्मों का प्रारंभिक चयन किया जाता है। चयनित फिल्मों का गैर-सरकारी सदस्यों वाली समिति द्वारा पूर्व दर्शन किया जाता है। फिल्में प्रायोजकता/रायल्टी आधार पर प्रसारित की जाती हैं।

ख. क्षेत्रीय फिल्में

रविवार अपराह्न 1.30 बजे

प्रस्ताव स्वत:स्फूर्त प्राप्त होते हैं। जिस क्रम में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर अलग-अलग मामलों पर विचार किया जाता है। फिल्में, वर्णानुक्रम आधार पर भाषावार प्रसारित की जाती हैं। गैर-सरकारी सदस्यों वाली समिति द्वारा फिल्मों का पूर्व-दर्शन किया जाता है। फिल्मों का प्रसारण रायल्टी आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

जाली डिग्रियां

4424. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री अरविंद त्रिवेदी :
श्री पंकज चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छ: महीनों के दौरान जाली डिग्रियां जारी करने वाले किसी गिरोह का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गिरोह से किन-किन विश्वविद्यालयों और शिक्षा बोर्डों की जाली डिग्रियां जब्त की गयीं और इन जब्त की गईं डिग्रियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने अपराधियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। **[अनुवाद]**

आजन्म कारावास

4425. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1995 को 'टाइम्स आफ इंडिया' के संस्करण में छपे समाचार 'जे.के. कोर्ट रिडिफाइन्स लाइफ इन्प्रिजनमेंट' शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। **[अनुवाद]**

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

4426. श्री परस राम भारद्वाज : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिये राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक स्थापित किये गये ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) इन केन्द्रों से राज्यवार कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ हुआ है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख और ग) अनुसूचित जनजाति के लिए स्वैच्छिक संगठनों, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्वीकृति प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे जिसके लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाती है। विवरण - I तथा विवरण - II के रूप में संलग्न है।

विवरण - I

1. अनुसूचित जातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत अभी तक स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे तथा शामिल किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	शामिल किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	45	3360
2.	असम	1	164
3.	बिहार	12	750
4.	दिल्ली	33	5735
5.	हरियाणा	9	489
6.	जम्मू व कश्मीर	1	360
7.	कर्नाटक	9	480
8.	मध्य प्रदेश	18	3030
9.	महाराष्ट्र	4	120
10.	मणिपुर	9	620
11.	उड़ीसा	29	2038
12.	पंजाब	2	110

विवरण - II

अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए संस्थाओं की संख्या व्यावसायिक प्रशिक्षण	शामिल किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध प्रदेश	1	50
2.	बिहार	3	150
3.	चण्डीगढ़	7	350
4.	केरल	1	50
5.	मध्य प्रदेश	3	150
6.	महाराष्ट्र	4	200
7.	उड़ीसा	12	600
8.	मिजोरम	1	50
9.	राजस्थान	3	150
10.	तमिलनाडु	2	100
11.	पश्चिम बंगाल	3	150
12.	दमन और द्वीव	1	50
	कुल	40	2050

[हिन्दी]

पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

4427. श्री मंजय लाल : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़ी जाति हेतु प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है तथा यह अपेक्षाकृत कठिन है;

(ख) क्या लोगों द्वारा कम से कम समय में प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाया जाना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने जिला के प्राधिकारियों को निर्धारित किया है जो अन्य पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम हैं। प्रत्याशियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने से सम्बन्धित अनुदेश मार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 नवंबर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन में निहित है जिसे सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है।

निर्धारित प्राधिकारियों को प्रत्याशियों को अन्य पिछड़े वर्ग के स्तर के साथ-साथ सम्पन्न वर्ग से हटाने के सम्बन्ध में सत्यापन तथा आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के अनुदेश दे दिए गये हैं, जिला प्राधिकारी प्रत्याशियों के दावे की जांच कर सके इसके लिए एक फारमेट का माडल तैयार किया गया है जिसमें यदि जिला प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक समझा गया तो उपर्युक्त ढंग से संशोधन किया जा सकता है। शीघ्रता से तथा सही प्रमाण पत्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रमाण पत्र देने वाले प्राधिकारियों को उचित तरीके से जानकारी के लिए मुख्य सचिवों को अनुदेश भी जारी कर दिए गये हैं।

उपरोक्त प्रक्रिया अन्य पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने तथा सत्यापन के लिए मौलिक न्यूनतम अपेक्षा है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशियों के सम्पन्न वर्ग के स्तर के साथ अन्य पिछड़े वर्गों का सत्यापन शामिल है। प्रक्रिया को आगे और सरल बनाने की अभी आवश्यकता नहीं समझी जाती।

[अनुवाद]

कोयला भंडार

4428. **श्री एम.जी. रेड्डी :**

डा. आर.मल्लू :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है;

(ख) प्रतिदिन अनुमानत: कितने कोयले का खनन किया जा रहा है;

(ग) कोयला खनन की वर्तमान दर के अनुसार ये कोयला भंडार कब तक समाप्त हो जाएंगे;

(घ) क्या कोयले का उत्पादन देश में इसकी वर्तमान मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशों से कोयले का आयात करने के क्या कारण हैं;

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) 1.1.1995 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा (1200 मी. की गहराई तक) भारत में कोयले के भंडार 200028.99 मि.टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) देश में कोयला खानों से कोयले की लगभग 0.80 मि. टन औसतन वर्तमान निकासी दर को देखते हुए कोयले के भंडार 100 वर्ष से अधिक की अवधि तक बने रहने की संभावना है।

(घ) और (ङ) देश में देशीय कोयले का उत्पादन कोयले की घरेलू मांग को पूरा किए जाने के लिए लगभग पर्याप्त हैं। इस्पात संयंत्रों को छोड़कर जोकि देशीय उपलब्धता तथा मांग के बीच अंतराल को पूरा किए जाने कोककर कोयले के साथ मिश्रण के प्रयोजन हेतु निम्न राख वाले कोककर कोयले का कुछ मात्रा में आयात कर रहे हैं और वे समग्र मिश्रण की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए भी आयात करते हैं।

मुम्बई में पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस की सप्लाई

4429. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने मुम्बई में पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस की सप्लाई करने की परियोजना को त्याग दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(घ) इस संदर्भ में अब तक कितनी धनराशि का निवेश किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) बम्बई में पाइपलाइन द्वारा एल पी जी की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बम्बई में पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए गेल और ब्रिटिश गैस एक संयुक्त उद्यम बनाने पर सहमत हुए हैं। गेल ने इस परियोजना में अब तक लगभग 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

पेट्रोल डीजल की कमी

4430. **श्री गुरूदास कामत :**

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से कई राज्यों में पेट्रोल/डीजल की कमी बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) उत्तरी क्षेत्र के राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश पेट्रोल और डीजल की कमी का सामना कर रहे हैं।

यह कमी अप्रैल और मई के महीनों में कृषि क्षेत्र के लिए डीजल की बढ़ी हुई मांग और मथुरा रिफाइनरी के करीब 9 दिनों तक बंद रहने और इसके तुरंत बाद अनुषंगी प्रसंस्करण सुविधाओं के 24 दिनों तक बंद रहने के कारण हुई।

(ग) स्थिति से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) विजाग, कांडला और कोयाली से बचाव आपूर्तियों की व्यवस्था की गई।

(2) बज बज से पूर्वी उत्तर प्रदेश स्थानों के लिए अतिरिक्त टैंक वैगनों की व्यवस्था की गई।

(3) बरौनी रिफाइनरी को 20 टी एम टी अतिरिक्त कच्चे तेल का आबंटन किया गया और कोचीन रिफाइनरी से अधिशेष एम एस उत्तरी क्षेत्र में ले जाया गया।

(4) मई और जून, 1995 के दौरान मथुरा रिफाइनरी में अधिकतम स्तर पर क्रूड के प्रसंस्करण की योजना बनायी गयी है।

(5) भूतल परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे कांडला में पी ओ एल टैंकरों को प्राथमिकता बर्थिंग प्रदान करें।

(6) रेलवे से अनुरोध किया गया है कि वे कांडला और बज बज में टैंक वैगन लदान में बढ़ोतरी करें।

(7) तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कांडला, बम्बई और बजबज से उत्तरी क्षेत्र में एम एस/एच एस डी ब्रिजिंग को बढ़ाएं।

प्रत्यक्ष वित्त पोषण कार्यक्रम

4431. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में स्वयंसेवी क्षेत्र हेतु एक प्रत्यक्ष वित्त-पोषण कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग द्वारा इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) योजना आयोग द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को राज्यवार कितना धन प्रदान किया गया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) देश में माइक्रो स्तरीय भागीदारी आयोजना तथा संस्था निर्माण के लिए स्वयं सेवी क्षेत्रक के वित्त पोषण के लिए योजना आयोग का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) चूंकि यह स्कीम अभी तक सरकार के विचाराधीन है, अत: इसका ब्यौरा एवं अपनाए जाने वाले मानदण्डों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) अत: इस सन्दर्भ में योजना आयोग द्वारा प्रदान की गई निधियों का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना

4432. श्री रतिलाल वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों को कब तक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में नहीं बदला गया है;

(ख) इन्हें कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों में बदल दिया जाएगा ; और

(ग) सरकार ने 1995-96 के दौरान राज्य में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात राज्य में लगभग 75 स्थानों पर नये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। इनकी अन्तिम अवस्थिति, मांग तथा भवन, विद्युत आपूर्ति आदि जैसी अवसंरचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होगी।

विवरण

गुजरात के उन टेलीफोन एक्सचेजों के नाम जिन्हें अभी (अनुबंध) तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में नहीं बदला गया है और इन्हें इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की संभावित समयावधि

क्रमांक	एक्सचेंज का नाम	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदले जाने की समयावधि
1	2	3
1.	अडारी	1995-96
2.	अहवा	-वही-
3.	अहमदाबाद '39' एक्सचेंज	मियाद समाप्ति के बाद
4.	अहमदाबाद-केन्द्रीय	1995-96
5.	अहमदाबाद-नारनपुरा	मियाद समाप्ति के बाद
6.	अहमदाबाद-नरोड़ा	-वही-
7.	अहमदाबाद-नवरंगपुरा-।	-वही-
8.	अहमदाबाद-नवरंगपुरा-।।	-वही-
9.	अहमदाबाद-नवरंगपुरा-।।।	-वही-
10.	अहमदाबाद-आरएलपी-।	1996-97
11.	अहमदाबाद-आरएलपी-।।	मियाद समाप्ति के बाद
12.	अहमदाबाद-आरएलपी-।।।	-वही-
13.	अहमदाबाद-वसना-।	-वही-
14.	आनंद	मियाद समाप्ति के बाद
15.	अंकलेश्वर	-वही-
16.	असोदर	1995-96
17.	अतुल	-वही-
18.	भरूच	मियाद समाप्ति के बाद
19.	भावनगर	-वही-
20.	भुज	-वही-
21.	बोटाड़	1996-97
22.	बड़ौदा-अलकापुर	मियाद समाप्ति के बाद
23.	बड़ौदा-सिटी क्रॉसबार	1996-97
24.	बड़ौदा-फतेहगंज	-वही-
25.	छापी	मियाद समाप्ति के बाद
26.	चित्रा	-वही-
27.	दभोई	-वही-
28.	डकोर	1995-96
29.	डेरोल	मियाद समाप्ति के बाद
30.	धर्माज	-वही-

1	2	3
31.	डोलासा	1995-96
32.	दूधरामपुरा	1995-96
33.	डूंगरी	मियाद समाप्ति के बाद
34.	द्वारका	-वही-
35.	इकलेरा	1995-96
36.	गढ़का	-वही-
37.	घंटवाड़	-वही-
38.	गोधरा	-वही-
39.	गुंडलव	मियाद समाप्ति के बाद
40.	हिम्मतनगर	-वही-
41.	जंबरवाला	1995-96
42.	जम्खम्बलिया	मियाद समाप्ति के बाद
43.	जामनगर	-वही-
44.	जूनागढ़	-वही-
45.	काड़ी	-वही-
46.	कलोल	1995-96
47.	कापेडडबंज	मियाद समाप्ति के बाद
48.	कावास	-वही-
49.	कोसाम्बा	-वही-
50.	कुटियाना	-वही-
51.	लम्बाबुन्देर	1995-96
52.	महमदाबाद	मियाद समाप्ति के बाद
53.	मोरबी	-वही-
54.	नदियाड़	-वही-
55.	नाना-अंकाहिया	1995-96
56.	नवगाम (जेएमएन)	-वही-
57.	प्रान्तिज	मियाद समाप्ति के बाद
58.	राधनपुर	-वही-
59.	पालनपुर	1995-96
60.	पाटन	मियाद समाप्ति के बाद
61.	राजकोट जेबी	-वही-
62.	राजकोट जेबी	-वही-
63.	सावर कुण्डला	-वही-
64.	सूरत 'एम' पुरा-2	-वही-
65.	सूरत-'एम' पुरा-3	-वही-
66.	सूरत-एमकेटीई-।	-वही-
67.	सुरेन्द्र नगर	मियाद समाप्ति के बाद
68.	उम्बेरगांव	1995796
69.	अंतवाड़	-वही-
70.	उत्तर सांडा	मियाद समाप्ति के बाद
71.	वी.वी. नगर	-वही-
72.	बलसाड	1995-96
73.	वापी	मियाद समाप्ति के बाद
74.	वित्त नगर	-वही-

नोट : इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंज की निर्धारित मियाद 25 वर्ष है।

भारत कोकिंग कोल लि. में धर्म कांटे

4433. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि. में रेल वैगनों से भेजे जाने वाले कोयले को तोलने संबंधी वर्तमान व्यवस्था क्या है;

(ख) क्या उक्त व्यवस्था पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या प्रबंध किए जा रहे हैं;

(घ) भारत कोकिंग कोल लि. में कार्यरत धर्म कांटों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या ये सभी अच्छी हालत में हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि. में विभिन्न स्थलों पर रेल द्वारा प्रेषित किए जाने वाले कोयले का भार किए जाने हेतु वर्तमान में 19 रेलवे-ब्रिज कार्य कर रहे हैं। रेल से प्रषित किये जाने वाले 81 प्रतिशत कोयले का इन वे ब्रिजों पर मापन किया जाता है। शेष मात्रा को संचलन क्षमता के आधार पर प्रेषित किया जा रहा है। किन्तु रेल से प्रेषित किए जाने वाले कोयले का 100 प्रतिशत मापन सुनिश्चित किए जाने के लिए भारत कोकिंग कोल लि. अतिरिक्त वे ब्रिजों की स्थापना कर रही है, जिनको चालू किए जाने की कार्रवाई वर्ष 1995-96 तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि वर्तमान में 19 वे ब्रिज भारत कोकिंग कोल लि. में विद्यमान हैं। यह सभी वे ब्रिज कार्य करने की स्थिति में हैं।

(च) उपरोक्त भाग (घ) और (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयले की खोज

4434. डा. पी. वल्लल पेरूमान : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान कोयले की खोज के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले की खोज के लिए वर्तमान धनराशि आबंटन 1993-94 और 1994-95 की तुलना में अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1995-96 के दौरान खोज कार्य के लिए नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. को कितनी धनराशि देने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) कोयला और लिग्नाइट के क्षेत्र में अन्वेषण किए जाने के लिए आबंटित निधियों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया :-

	(करोड़ रुपये में)
1993-94	7.00 वास्तविक
1994-95	10.00 वास्तविक
1995-96	17.00 बजट अनुमान

(ङ) वर्ष 1995-96 में 17 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों में से 3.5 करोड़ रुपए लिग्नाइट क्षेत्र में 28000 मी. ड्रिलिंग किए जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 10,000 मीटर तमिलनाडु में ड्रिल किए जाने का कार्यक्रम हैं।

पंजाब में आकाशवाणी/दूरदर्शन के कर्मचारी

4435. श्री एन.जे. राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में कार्यरत आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने हेतु एक कार्यबल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यबल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

4436. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान कुल कितनी मात्रा में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस का आयात हुआ और इनका मूल्य रुपयों और डालरों में कितना है;

(ख) इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अन्तर रहा ;

(ग) 1995-96 के दौरान उत्पादवार इनका कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा; और

(घ) 1995-96 के दौरान ऐसे आयात का कुल अनुमानित परिव्यय कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों की वर्ष 1995-96 की आयात योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

वर्ष 1993-94, 1994-95 के दौरान पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का आयात और पिछले वर्ष से प्रतिशत अन्तर

(मात्रा 000 टन)

(मूल्य करोड़ रुपये)

मद	1993-94		1994-95		प्रतिशत अन्तर	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
क. पेट्रोलियम	30822	10689	27349	10316	-11.3	-3.5
ख पेट्रोलियम उत्पाद जिनमें निम्न शामिल हैं।	12076	7041	13951	7522	15.5	6.8
एल पी जी	510	237	592	417	44.4	75.9

1	2	3	4	5	6	7
एस के ओ	3946	2371	4240	2405	7.5	1.4
एच एस डी ओ	7555	4175	8637	4360	14.3	4.4
स्नेहक	132	188	87	139	-34.1	-26.1
अन्य	33	70	395	201		
कुल(क+ख)	42898	17730	41300	17838	-3.7	0.6
ग. प्राकृतिक गैस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

* अनंतिम

कमान क्षेत्र विकास

4437. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को आठवीं योजना में विभिन्न बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं के क्षेत्र में फील्ड चैनल के निर्माण हेतु पर्याप्त रूप से संसाधन अलग रखने के लिए कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से चालू योजनाओं को निवेश रोके बिना पूरा करने पर ध्यान देने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता देने को अत्यावश्यकता का आठवीं पंचवर्षीय योजना को एक मुख्य नीति के रूप में उल्लेख किया गया है। वार्षिक योजनाओं पर कार्यदल चर्चाओं में इस पहलू पर बल दिया गया है। राज्यों के जल संसाधन तथा सिंचाई मंत्रियों के दिसम्बर, 1992 में आयोजित दलों राष्ट्रीय सम्मेलन में भी यह सिफारिश की गई थी कि निधियों का थोड़ा-थोड़ा करके वितरण नहीं किया जाना चाहिए तथा निर्माण के उन्नत स्तर वाली परियोजनाओं का आठवीं योजना अवधि में पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संपूर्ण निधियों का आबंटन किया जाना चाहिए।

पेट्रोलियम पाइपलाईनों के लिए उच्च तकनीकी उपकरणों से लैस रिंग

4438. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के कहने पर भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ने क्षेत्रवार पेट्रोलियम पाइपलाईनों की सुरक्षा की बाहरी निगरानी के लिए एक उच्च तकनीक [illegible] उपकरणों से लैस रिंग विकसित करने का [illegible] आरंभ किया [illegible]

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में भारतीय तेल निगम और भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वदेशी उपकरणों से युक्त रिंग कब तक विकसित कर लिये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) उपकरणों से लैस पिग चुंबकीय प्रवाह रिसाव सिद्धांत पर आधारित है। इसके विकास हेतु अनुमानित लागत 6.07 करोड़ रुपए है। वर्तमान में यह प्रौद्योगिकी भारत में उपलब्ध नहीं है और इस काम को संविदा अधीन विदेशी क्रेताओं द्वारा किया जाता है।

(ग) से (ङ) 17 अप्रैल, 1995 को इंडियन आयल कारपोरेशन और भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के अनुसार भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर उपकरणों से लैस पिग के विविध घटकों को विकसित करेगा तथा घटकों एवं आदि प्ररूप के संबंध में प्रयोगशाला परीक्षण करेगा। इंडियन आयल कारपोरेशन मूल्यांकन संविधा स्थापित करेगा तथा क्षेत्रीय परीक्षण करेगा। उपकरणों से लैस पिग के विनिर्देश अद्यतन विदेशी प्रौद्योगिकी के अनुरूप होंगे। आदि प्ररूप के संबंध में परीक्षण किए जाएंगे और यदि ये सफल रहे तो इसका वाणिज्यिकरण आरंभ किया जाएगा।

सिन्धु नदी जल समझौता

4439. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का लगभग 30 मिलियन क्यूसेक अमूल्य जल प्रतिवर्ष पाकिस्तान में बह जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान के साथ सिन्धु नदी जल समझौता करते समय इस पहलू पर विचार विमर्श किया गया था;

(घ) यदि नहीं तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस सन्धि पर पुनः चर्चा करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पाकिस्तान में बह जाने वाले जल को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ङ) सिन्धु जल संधि, 1960 पर सितम्बर, 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के अनुसार रावी, व्यास और सतलुज नदियों का पूरा जल, जो कि वर्ष में औसत लगभग 40 विलियन घन मीटर है, केवल भारत के उपयोग के लिए आबंटित किया गया था। भारत रावी नदी के बाढ़ जल के लगभग 1.25 विलियन घन मीटर को छोड़कर इस जल को पूर्ण रूप से काम में लेने में समर्थ हुआ है। इस 1.25 विलियन घन मीटर जल को भी, रावी नदी पर इस समय बन रहे रणजीत सागर बांध के पूरा होने पर पूर्ण रूप से काम में ले लिया जाएगा।

सिंचाई परियोजनाएं

4440. डा. चिन्ता मोहन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं और उस समय उन्हें पूरा करने के लिए कितनी धनराशि अपेक्षित थी;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई क्षेत्र के लिए कुल कितना आबंटन किया गया;

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की चल रही परियोजनाएं आठवीं योजना अवधि के दौरान पूरा हो जायेंगी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) आठवीं योजना के अंत तक कितनी परियोजनाएं पूरी हो जायेंगी।

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 166 वृहद्, 239 मध्यम और 103 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं निर्माणाधीन थीं और उस समय उनको पूरा करने के लिए 23,468 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता थी। उनमें से 9 वृहद्, 13 मध्यम और 8 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं वार्षिक योजनाएं 1990-92 के दौरान पूरी की गई थीं और उसी अवधि के दौरान एक वृहद् परियोजना प्रारंभ की गई थी। आठवीं योजना के प्रारंभ में 158 वृहद्, 226 मध्यम और 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थीं और उनको पूरा करने के लिए 40,563 करोड़ रुपए राशि की आवश्यकता थी।

(ख) आठवीं योजना में वृहद् और मध्यम सिंचाई के लिए 22,414.53 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) से (ङ) व्यय के आधार पर आठवीं योजना के दौरान 34 वृहद्, 105 मध्यम और 21 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाओं के पूरा होने की संभावना है। 1992-94 की अवधि के दौरान 7 वृहद्, 6 मध्यम और 2 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण योजनाएं पूरी की गईं। इन परियोजनाओं के पूरा होने में तकनीकी तथ्यों और भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों के अलावा विलम्ब का मुख्य कारण निधियों का अपर्याप्त प्रावधान है।

प्रापर्टी डीलरों के खिलाफ शिकायतें

4441. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रापर्टी डीलरों द्वारा की जा रही धोखाधड़ी और जालसाजी के अनेक मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान प्रापर्टी डीलरों द्वारा निर्दोष नागरिकों को धमकी दिये जाने की भी शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोषी प्रापर्टी डीलरों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा, दिनांक 1.4.92 से 31.3.1995 तक की अवधि के दौरान, प्रापर्टी डीलरों की अन्तर्ग्रस्ता वाले 85 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। **[अनुवाद]**

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

4442. श्री पी. कुमारसामी : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान तमिलनाडु में कितने स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता/अनुदान मंजूर किया गया ;

(ख) इन संगठनों को उक्त अवधि के दौरान कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई;

(ग) राज्य के उन स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है और जिनको वित्तीय सहायता/अनुदान का उक्त अवधि के दौरान भुगतान रोक दिया गया था और इसके कारण क्या हैं; और

(घ) स्वयंसेवी संगठनों हेतु वित्तीय सहायता/अनुदान मंजूर करने और इसे रोकने के संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में पिछले दो वर्षों में सहायता अनुदान प्रदान किए गए स्वयंसेवी संगठनों की संख्या तथा उन्हें संस्वीकृत धनराशि इस प्रकार है :-

वर्ष	संगठनों की संख्या	संस्वीकृत राशि (रुपये लाख में)
1993-94	114	235.28
1994-95	174	444.24

(ग) ऐसा कोई मामला नहीं है।

(घ) स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति के लिए सामान्य तौर पर निम्नलिखित मानदंडों का अनुसरण किया जाता है : -

(1) संगठन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, ट्रस्ट के अंतर्गत पंजीकृत या कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्थान होना चाहिए।

(2) संगठन को संगत क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष से कार्य करते होना चाहिए।

(3) संगठन को वित्तीय रूप से सशक्त होना चाहिए और योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अंतर्ग्रस्त कुल व्यय का कम से कम 10% वहन करने की स्थिति में होना चाहिए, तथा

(4) संगठन के आवेदन पर संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रशासन द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए।

यदि यह पाया जाता है कि संगठन उस योजना/कार्यक्रम के क्रियान्वयन में असफल होते हैं जिसके लिए उन्हें सहायता अनुदान मंजूर किया गया था अथवा स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग नहीं किया जाता तो स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान को रोक लिया जाता है।

[हिन्दी]

समुद्री तट का कटाव

4443. श्री दत्ता मेघे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने समुद्री तट का कटाव रोकने के लिए दी जा रही केन्द्रीय सहायता संबंधी वर्तमान मानदंडों को संशोधित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की गई और 1995-96 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) समुद्री कटाव से तटवर्ती क्षेत्रों को बचाने के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में मानदंड संशोधित करने के वास्ते महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विकेन्द्रीकरण के एक उपाय के रूप में, समुद्री कटाव रोधी कार्यों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता आठवीं योजना में बंद कर दी गई है। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 1991 में आयोजित अपनी बैठक में, संशोधित फार्मूला के अन्तर्गत विशेष समस्याओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए 7.5 प्रतिशत राशि अनुमोदित की है। इसलिए, 1993-94 और 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र सहित समुद्रवर्ती राज्यों को ऐसी कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई और 1995-96 के लिए ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं किया गया है। तथापि, योजना आयोग ने वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए जल निकास, समुद्र कटाव-रोधी और जल जमाव परियोजनाओं सहित बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत क्रमश: 76.80 लाख रुपए, 53.02 लाख रुपए और 55.20 लाख रुपए (प्रस्तावित) का परिव्यय अनुमोदित किया है।

[अनुवाद]

सामाजिक क्षेत्र

4444. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कुल योजना परिव्यय और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सामाजिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत सरकारी व्यय किया गया;

(ख) सरकार का विचार सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय किस तरह से बढ़ाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार सामाजिक क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार सामाजिक क्षेत्र में व्यय के असंतुलन में किस तरह सुधार करने का है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में 'मानव विकास' को सभी विकासपरक प्रयासों के केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देने वाले योजना के प्राथमिक क्षेत्रक हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, समाज के कमजोर वर्गों के लिए पेयजल, आवास तथा कल्याण कार्यक्रमों सहित मूलभूत आवश्यकताएं। मौजूदा संसाधनों की तंगी के बावजूद समग्र रूप से, इस क्षेत्रक के लिए बजटीय सहायता (बी.एस.) में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वार्षिक योजना 1995-96 में केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए 50 प्रतिशत से अधिक बजटीय सहायता ग्रामीण विकास सहित क्षेत्रक के कार्यक्रमों/स्कीमों को दी गई है।

विवरण

(रुपये करोड़ में)
(चालू कीमतों पर)

	वार्षिक योजना				
	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
(क) सामाजिक क्षेत्रक में व्यय	13757	14440	16414	21284	26676
(ख) कुल सार्वजनिक क्षेत्रक योजना परिव्यय (अनु.)	64717	72317	80772	100120	112197
(ग) कुल सार्वजनिक क्षेत्रक योजना परिव्यय से सामाजिक क्षेत्रक व्यय की प्रतिशतता	21.26	19.97	20.32	21.26	23.78
(घ) उपादान लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी)	470252	541953	615831	695342	(@@)
(ङ) उपादान लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद से सामाजिक क्षेत्रक व्यय की प्रतिशतता	2.93	2.66	2.67	3.06	(##)

टिप्पणी :

$$ वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1993-94 के लिए वास्तविक व्यय के आंकड़े;
वर्ष 1993-94 के लिए संशोधित अनुमान;
वर्ष 1994-95 के लिए बजट अनुमान;
वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए वास्तविक व्यय के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

@@ चालू कीमतों पर अनुमान उपलब्ध नहीं है।

तुरन्त अनुमान

सामाजिक क्षेत्रक के अन्तर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है। ग्रामीण विकास, शिक्षा, खेलकूद एवं युवा सेवाएं, कला तथा संस्कृति, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, जलापूर्ति तथा सफाई, सूचना प्रचार तथा प्रसारण, महिला, बाल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति विकास सहित कल्याण तथा श्रम एवं रोजगार।

कोयले की सप्लाई में राख

4445. श्री राम टहल चौधरी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) को 40-50 प्रतिशत राख वाले कोयले की सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत संयंत्रों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले में राख का प्रतिशत कम करने अन्य बाहरी पदार्थों का मिश्रण न होने देने हेतु उचित खनन प्रणाली अपनाई जा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय तापीय विद्युत गृह विशिष्ट कोयला खानों के साथ संयोजित है और उनके बायलरों की भी अभिकल्पना इस तरह से की गई है कि वे संयोजित खानों से उत्पादित किए जाने वाले कोयले से ऐसे ग्रेडों का प्रयोग कर सकें। इसके अलावा, एन.टी.पी.सी. तथा कोल इंडिया लि. के बीच कोयले की आपूर्ति किए जाने संबंधी करार किया गया है। जिसमें सभी आवश्यक मानदंड समाहित हैं, उसमें कोयले की मात्रा तथा गुणवत्ता की आपूर्ति शामिल है। अत: उच्च राख की आपूर्ति किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) यंत्रिकृत ओपेनकास्ट खनन में आमतौर पर खान आयोजन में बैंडों से अलग से व्यवस्था की जाती है, जोकि इतने मोटे होते हैं कि उनकी अलग से निकासी करनी पड़ती है और यह मशीन के बकेट आकार, बैंड की मोटाई, कोयला सीम की मोटाई और अन्य भू-खनन संबंधी मानदंडों पर निर्भर करती है। ओपेनकास्ट खनन में बड़े कार्य के संचलन में, बैंड जोकि अनिश्चित, पतले और विसंगत होते हैं, उनकी कोयले के साथ निकासी की जाती है। श्रमिकों द्वारा ऐसे बैंड, पत्थर, कंकड़ तथा टुकड़ों को पृथक किया जाना व्यवहारिक नहीं है। कोयले की समग्र रूप में गुणवत्ता परिष्करण द्वारा सुधार किया जा सकता है। इस संबंध में स्वीकार्य नीति के अनुसार स्रोत से 1000 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थित नए विद्युत गृह को आपूर्ति किए जाने वाले सभी तरह के कोयले का परिष्करण किया जाना चाहिए। चूंकि उपभोग करने वाले विद्युत गृह धुले हुए कोयले का लाभ उठाने वाले मुख्य रूप से लाभ प्राप्तकर्ता होंगे। अत: उन्हें इस मामले में आगे आना चाहिए, धुलाई प्रभारों के लिए सहमत होना चाहिए। इस संबंध में एक और उठाए गए कदम सरकार ने अ-कोककर कोयले की वाशरियों की स्थापना किए जाने के लिए बीना (सिंगरेनी कोयला क्षेत्र), पीपरवार (नार्थ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र)। कलिंगा (तलचर कोयला क्षेत्र) के स्थान पर 3 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। बड़े स्तर पर कोयले की धुलाई को और प्रोन्नत किए जाने के लिए निजी प्रोन्नतकर्ताओं को 'स्व-निर्मित-स्व-चालित' योजनाओं के अंतर्गत वाशरियों की स्थापना किए जाने के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं।

जल संसाधन

4446. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने जल संसाधन पैदा किए गए;

(ख) क्या कुछ परियोजनाओं में पैदा की गई क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृहद् एवं मध्यम परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई क्षमता इस प्रकार है : -

	सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हैक्टेयर)
1992-93 (वास्तविक उपलब्धियां)	48.60
1993-94 (संभावित उपलब्धियां)	55.89
1994-95 (लक्ष्य)	61.81

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1994-95 के अन्त तक, सृजित सिंचाई क्षमता तथा इसके उपयोग के बीच संभावित अन्तर 242.50 हजार हैक्टेयर है।

(घ) क्षमता का सृजन तथा इसका उपयोग एक जारी प्रक्रिया है। सिंचाई शुरू करने तथा इसके पूर्ण उपयोग के बीच कुछ वर्षों के अन्तर से बचा नहीं जा सकता क्योंकि कृषकों को फील्ड चैनलों का निर्माण करने तथा सिंचित कृषि के लिए भूमि तैयार करने में समय लगता है। वर्षा पोषित कृषि को सिंचित कृषि में परिवर्तित करने की कृषि तकनीकों में भी बड़ा परिवर्तन शामिल है। जिसमें कृषकों को विशेषज्ञता प्राप्त करने में समय लगता है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल पर रायल्टी

4447. श्री महेश कनोडिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात की सरकार की ओर से कच्चे माल/कच्चे तेल पर रायल्टी की दर के परिकलन के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग भी की गई है कि कच्चे तेल पर रायल्टी की न्यूनतम दर कम से कम 20 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी की दर की जांच करने हेतु गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ये सिफारिशें कब तक लागू की जाएंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) श्री बी.बी. ईश्वरन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर 1.4.1990 से 31.3.1993 की अवधि के लिए कच्चे तेल पर रायल्टी की दर 481/- रुपए प्रति मीट्रिक टन नियत की गई थी। बाद में इसे 528 रुपए प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया।

गुजरात सरकार ने 1993-96 की अवधि के लिए कच्चे तेल पर

रायल्टी की दर में पुन: संशोधन करने का अनुरोध किया है। ब्लाक 1993-96 के तेल के कूप-शीर्ष मूल्य के उपलब्ध होने पर इस अवधि की रायल्टी की दर संशोधित की जाएगी।

[अनुवाद]

आधारभूत सुविधाओं का विकास

4448. श्री के.प्रधानी :

श्री नुरूल इस्लाम :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क संचार, रेल नेटवर्क आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के क्षेत्र में कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख) जी, हाँ। सतत आधार पर विकास प्रक्रिया को सहयोग देने के लिए आधार संरचना को सुदृढ़ करना 8 वीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आधार संरचना क्षेत्रकों में कई कदम उठाए गए हैं। उठाए गए कदमों में प्रमुख बल इन क्षेत्रकों के लिए अधिक आबंटन करने, दक्षता में सुधार करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण की अनुमति देने के साथ-साथ ठोस लागत वसूली नीतियां अपनाने पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1995-96 के बजट में उस उद्यम को पांच वर्ष तक कर-छूट (टैक्स-हॉलिडे) देने का प्रस्ताव है, जो राजमार्गों, एक्सप्रैस मार्गों तथा नए पुलों, एयरपोर्टों, पोर्टों तथा त्वरित जन यातायात प्रणालियों के क्षेत्र में आधार संरचना सुविधाओं का निर्माण, रख-रखाव तथा प्रचालन करते हैं, अर्थात जिसका प्रचालन 1 अप्रैल, 1995 के बाद से प्रारंभ होगा। चूंकि रेलवे, संचार इत्यादि जैसी आधार-संरचनात्मक क्षेत्रक केन्द्र के कार्यक्षेत्र में आते हैं अत: इन क्षेत्रकों में निवेश पूरे देश के लिए किया जाता है। चूंकि इनमें से अनेक परियोजनाओं में एक से अधिक राज्य शामिल होते हैं, अत: राज्यों की सीमाओं के अनुसार निवेशों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

फिल्म प्रसारण

4449. श्री हरिश नारायण प्रभु झांट्ये :

श्री विजय एन. पाटिल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर कितनी फिल्मों का प्रसारण किया गया और उनके लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितनी बाल फिल्मों का प्रसारण किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सभी वर्गों की फिल्मों के प्रसारण हेतु कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ग) इस अवधि के दौरान दूरदर्शन ने राष्ट्रीय नेटवर्क पर 216 फिल्में प्रसारित की थीं जिसमें से 15 बाल फिल्में थीं। राष्ट्रीय नेटवर्क पर इन फिल्मों के प्रसारण हेतु 6,06,58,570/- रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

सिंचाई परियोजनाएं

4450. डा. वसंत पवार :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक और अन्य विदेशी एजेन्सियों से सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 1995 तक कितनी सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है;

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी;

(ङ) क्या कुछ और परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक भी सहमत हो गया है; और

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) बाह्य सहायता प्राप्त निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा 31 मार्च, 1995 तक प्राप्त की गयी सहायता राशि तथा उनकी समाप्ति की तारीख दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना तथा तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना विश्व बैंक सहायता के लिए विचार किए जाने हेतु उन्नत स्तर पर है। बातचीत के बाद इन दोनों परियोजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक से 158.6 मिलियन अमेरिकी डालर की संभावित ऋण सहायता से चलायी जाने वाली एक बहु-राज्यीय परियोजना है। तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना समेकन परियोजना 282.9 मिलियन अमेरिकी डालर के प्रस्तावित क्रेडिट से तमिलनाडु तक ही सीमित है। दोनों परियोजनाएं 6 वर्ष की अवधि के लिए होंगी।

विवरण

(राशि : मिलियन दाता मुद्रा में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता अभिकरण	31.3.95 को उपलब्ध सहायता की राशि	करार की तारीख	केडिट समाप्ति की तारीख	31.3.95 को उपयोग (संचयी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना (फेज-।।)	कर्नाटक	विश्व बैंक	203.000 अमेरिकी डालर	16.6.1989	31.12.196	139.731 अमेरिकी डालर
2.	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई परियोजना-।।।	महाराष्ट्र	विश्व बैंक	128.819 अमेरिकी डालर	5.12.1985	30.6.1996	128.182 अमेरिकी डालर
3.	पंजाब सिंचाई एवं जल निकास परियोजना	पंजाब	विश्व बैंक	145.285 अमेरिकी डालर	9.2.1990	31.3.1990	69.431 अमेरिकी डालर
4.	बांध सुरक्षा आश्वासन पुनर्वास परियोजना	बहुराज्यीय	विश्व बैंक	153.000 अमरीकी डालर	10.6.1991	30.9.1997	20.847 अमेरिकी डालर
5.	जल संसाधन समेकन परियाजना	हरियाणा	विश्व बैंक	262.979 अमेरिकी डालर	6.4.1994	31.12.2000	14.423 अमेरिकी डालर
6.	समुदायिक सिंचाई परियोजना	केरल	नीदरलैंड	11.022 डी.एफ.एल	5.12.1993	5.12.1998	शुरू होनी है
7.	आन्ध्र प्रदेश बेधन छिद्र परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	नीदरलैंड	39.000 डी.एफ.एल.	14.11.1994	14.11.2000	शुरू होनी है
8.	अपर कोलाव सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	जापान	3769.00 येन	15.12.1988	20.7.1990	2085.050 येन
9.	अपर इंद्रावती सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	जापान	3744.00 येन	15.12.1988	20.1.1999	14.78.115 येन
10.	लघु सिंचाई परियोजना	राजस्थान	जर्मनी			31.12.1995	
			(क) ऋण	12.3 डी एम	29.4.1988		0.231 डी एम
			(ख) अनुदान	2.7 डी एम	29.4.1987		1.733 डी एम
11.	लिफ्ट सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	जर्मनी	55.00 डी एम	19.2.1993	30.12.2020	5.900 डी एम
12.	सरोवर सिंचाई चरण - ।।	तमिलनाडु	ईईसी	24.5 ईसी यू	27.4.1989	31.10.1995	13.977 ई सी यू
13.	लघु सिंचाई परियोजना	केरल	ईईसी	11.8 ईसीयू	21.5.1992	31.12.1998	00.000 ईसीयू
14.	सिद्धमुख एवं नोहर परियोजना	राजस्थान	ईईसी	43.0 ईसीयू	7.6.1993	31.12.2000	4.432 ईसीयू

टिप्पणी :-राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना फेज-। जोकि विश्व बैंक सहायता से एक बहु-राज्यीय परियोजना है, 31.3.1995 को समाप्त हो गयी। 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार उपयोग की गयी निधियां 128.871 मिलियन अमेरिकी डालर थीं।

अखबारी कागज को नियंत्रणमुक्त करना

4451. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'न्यूज पेपर सोसाइटी आफ इंडिया' ने भारत सरकार से मानक अखबारी कागज को शुल्क रहित करने और नियंत्रणमुक्त करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अखबारी कागज को नियंत्रणमुक्त करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी सरकार से, मानक अखबारी कागज को बिना शुल्क के विनियंत्रित करने तथा आयातित अखबारी कागज की प्रत्येक एक इकाई हेतु देशी अखबारी कागज की दो इकाईयों को आवश्यक रूप से लेने की शर्त को समाप्त करने का अनुरोध कर रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय को दिनांक 30.4.95 को अधिसूचना संख्या 3(आर.ई.-95)/92-97 के तहत 1.5.1995 से सभी व्यक्तियों द्वारा चमकीले अखबारी कागज सहित सभी प्रकार के अखबारी कागज के आयात को स्वतंत्र कर दिया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन में सहायक अभियंताओं के वेतनमान

4452. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दूरदर्शन मे कार्यरत सहायक अभियंताओं के वेतनमानों में विसंगतियां दूर करने के लिए कोई निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

4453. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कौन-कौन सी बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना के परिव्यय सहित प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) इनके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू): (क) और (ख) और (घ) केरल की निर्माणाधीन वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विवरण दर्शाने वाली सूची संलग्न है।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं को पूरा होने में विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं :

(1) तकनीकी

व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीमित अन्वेषण, कार्यान्वयन के दौरान परियोजना के व्याप्ति क्षेत्र और डिजाइन में परिवर्तन अवसंरचनात्मक सुविधाओं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों, आदि के लिए मूल अनुमानों में अपर्याप्त प्रावधान।

(2) वित्तीय

निर्माण के दौरान मूल्यों में वृद्धि, पर्याप्त निधियां प्राप्त न होना, भूमि अधिग्रहण की लागत में वृद्धि।

(3) अन्य कारण

श्रम समस्या, ठेके संबंधी समस्याएं, पर्यावरण विदों और भूविस्थापितों द्वारा आन्दोलन, प्राकृतिक आपदाएं।

विवरण

केरल को निर्माणाधीन वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	3/92 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए)	आठवीं योजना परिव्यय (करोड़ रुपए)	व्यय (करोड़ रुपए) 1992-93 वास्तविक	93-94 वास्तविक	94-95 प्रत्याशित	पूरा करने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वृहद्								
1.	कलादा	457.80	361.27	99.80	31.71	41.65	25.00	1995-96
2.	मुबहूपूजझा	89.25	52.52	49.00	14.77	16.71	30.00	1995-96
3.	चिमोनी	36.15	33.11	4.00	2.78	4.77	2.00	1995-96
4.	ईदमलयार	67.40	26.46	41.00	3.09	2.27	8.00	आठवीं योजना से आगे
5.	पहासी	47.36	75.59	12.00	3.35	5.00	0.00	आठवीं योजना
6.	कुरियोरकुट्टी	60.18	1.62	0.00	0.11	1.00	2.00	आठवीं योजना से आगे
7.	करापारा बेपोरपुझा	376.00	1.32	0.00	0.63	1.00	1.00	-वही
8.	ककाडाबू	98.86	2.15	0.00	0.05	0.10	0.00	-वही-
मध्यम								
1.	कन्हीरापुझा	59.78	57.27	8.00	3.20	5.00	2.00	आठवीं योजना
2.	अट्टापदी	50.00	7.69	0.00	8.16	0.32	0.50	-वही-
3.	करापुझा	40.66	23.65	25.00	4.92	8.51	10.00	आठवीं योजना से आगे
4.	वमनापुरम	36.00	3.82	33.00	0.54	2.00	2.00	-वही-
5.	मोनाचिल	49.56	1.40	20.00	0.45	1.00	1.00	आठवी योजना से आगे
6.	वनसुरसागर	17.98	1.56	17.00	0.07	1.00	1.00	आठवीं याजना से आगे
7.	कनचमरावन में पुल एवं रेगुलेटर	13.27	1.93	0.00	0.21	1.00	1.00	-वही-
8.	कनककनदबू में पुल एवं रेगुलेटर				0.21	1.00	1.00	-वही-
9.	थानेरमुकम				0.11	0.50	0.10	-वही-
10.	कटनपल्ली				-	0.02	0.50	-वही-

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

4454. श्री छेदी पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए कितनी रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों का कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पेट्रोल / डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए कोई निर्धारित कोटा नहीं है।

इन्हें देश में विभिन्न स्थानों पर उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की संभावना तथा आर्थिक साध्यता के आधार पर खोला जाता है। बाजार सर्वेक्षणों के आधार पर साध्य स्थानों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की विपणन योजना में शामिल किया जाता है। तदनुसार 1993-96 की खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना तथा 1994-96 की एल पी जी विपणन योजना में क्रमश: 1040 खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा 1023 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को शामिल किया गया है।

नशाबंदी का प्रचार

4455. श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा नशाबंदी के प्रचार पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

कल्याण मंत्री (सीताराम केसरी) : 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा शराब खोरी तथा नशीली दब दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान हेतु 1,13,07,214 रुपये व्यय किए गए थे।

[अनुवाद]

भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन

4456. श्री राम कापसे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार भारतीय दण्ड संहिता में कोई संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। भारतीय दंण्ड सहिता में अपेक्षित परिवर्तनों की जांच के लिए राज्य मंत्री (विधि और न्याय) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है।

तेल ड्रिलिंग में प्रगति

4457. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम संबंधित राज्य सरकारों को ड्रिलिंग और उत्पादन कार्यों संबंधी दैनिक प्रगति रिपोर्ट से अवगत करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार के पास दैनिक प्रगति रिपोर्ट नियमित अन्तराल से भेजी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

4458. श्री मोहन रावले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एन.डी.एम.सी. का पुनर्गठन कब तक किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 'संविधान (74 वां संशोधन) अधिनियम 1992' के उपबंधों को लागू करने के लिए 'नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का चवालीसवां) अधिनियमित किया गया था। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 के तहत नई दिल्ली नगर पालिका को वृहत आधार वाला बनाया गया है। जिससे कि इसमें दिल्ली विधान सभा के तीन सदस्यों और वकीलों, डाक्टरों, चार्टर्ड एकाउन्टेंटों, इंजीनियरों, व्यापार और वित्तीय सलाहकारों, बुद्धि-जीवियों, व्यवसायियों, श्रमिकों, समाज विज्ञानियों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों, पत्रकारों, खिलाड़ियों आदि में से नामित किए जाने वाले दो सदस्यों को शामिल किया जा सके। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद सदस्य परिषद का विशेष आमंत्रित सदस्य होगा।

कानून अर्थात् एन.डी.एम.सी. अधिनियम की धारा-4 के संगत उपबन्ध विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) मामले पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

विवरण

खण्ड-4

(1) परिषद में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, नामत :

(क) एक अध्यक्ष, केन्द्र सरकार अथवा सरकार के अधिकारियों में से भारत सरकार के संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी जिसकी नियुक्ति दिल्ली के मुख्य मंत्री के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी;

(ख) दिल्ली विधान सभा के तीन सदस्य जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से नई दिल्ली क्षेत्र के चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों;

(ग) केन्द्र सरकार अथवा सरकार उसके उपक्रम के अधिकारियों में से पांच सदस्य, जिनको केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा; तथा

(घ) दिल्ली के मुख्य मंत्री के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा उन दो सदस्यों का नामित किया जाना, जो वकीलों, डाक्टरों, चार्टर्ड एकाउन्टेंटों, इंजीनियरों, व्यापार और वित्तीय परामर्श

दात्रों, बुद्धिजीवियों, व्यावसायियों, श्रमिकों तथा समाज विज्ञानियों, कलाकारों, पत्रकारों, खिलाड़ियों तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए व्यक्तियों के किसी वर्ग सहित इन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हों।

2. वह संसद सदस्य जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से नई दिल्ली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, परिषद की बैठकों में एक विशेष आमंत्रित व्यक्ति होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

3. उप खंण्ड (1) में उल्लिखित ।। सदस्यों में से कम से कम तीन महिला सदस्य होंगी तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति को होगा।

4. केन्द्र सरकार, दिल्ली के मुख्य मंत्री के परामर्श से, उपर्युक्त उपखण्ड (1) की धारा (ख) और (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में एक उपाध्यक्ष नामित करेगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पृश्यता

4459. डा. साक्षीजी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अस्पृश्यता की प्रथा व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान (राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचित किए गए) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (पी.सी.आर. एक्ट) के अंतर्गत पंजीकृत मामलों का विवरण अस्पृश्यता की घटनाओं के कम होने को दर्शाता है : -

क्र.सं.	वर्ष	पंजीकृत मामलों की संख्या
1.	1990	3730
2.	1991	3406
3.	1992	3086

1992 के दौरान 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दमन और द्वीव, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप से अस्पृश्यता का कोई मामला सूचित नहीं किया गया था।

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों पर ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों के संबंध में अलग-अलग रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में चलाए गए प्रतिदर्श अध्ययन रिपोर्टों से यह पता चला है कि अस्पृश्यता का व्यवहार ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप में अधिक है।

(ग) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत इन दो अधिनियमों के उपबन्धों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

रुपए करोड़ में

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता
1.	1992-93	5.50 रुपए	5.50 रुपये
2.	1993-94	6.50 रुपए	7.06 रुपये
3.	1994-95	6.00 रुपए	9.74 रुपए

राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, कानूनी सहायता, अधिकारियों की नियुक्ति, विशेष न्यायालयों की स्थापना, अविधिक सर्वेक्षण, अस्पृश्यता प्रवण क्षेत्रों की पहचान, अन्तर्जातीय विवाह वाले दम्पत्ति को प्रोत्साहन, प्रचार तथा राहत और अत्याचार पीड़ितों को पुनर्वास प्रदान करके देश में अस्पृश्यता की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का उपयोग करते हैं। कल्याण मंत्रालय ने 31.3.1995 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 को अधिसूचित भी किया है जो पीड़ितों को बढ़ी हुई दरों पर मुआवजा और राहत प्रदान करने के लिए अभिप्रेत हैं।

[अनुवाद]

फ्रांस की कम्पनी के साथ ठेका

4460. श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड ने त्रि-आयामी भूकम्प सर्वेक्षणों के संबंध में आंकड़े तैयार करने के लिए एक फ्रांसीसी कंपनी को हाल ही में एक ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो यह ठेका किन परिस्थितियों में दिया गया;

(ग) क्या इसके लिए अन्य कंपनियों ने भी बोलियां दी थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) अगस्त 1994 में आयल इंडिया लिमिटेड ने त्रिआयामी भूकम्पीय आंकड़ा संसाधन हेतु मैसर्स सी जी जी फ्रांस के साथ एक संयुक्त उद्यम मैसर्स सी जी जी पैन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली से एक करार किया मैसर्स सी जी जी पैन इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के अतिरिक्त मैसर्स जी ईसीओ प्राकला स्लमबर्गर एक और बोलीदाता था। जिसके मूल्य मेसर्स सी जी जी पैन इंडिया से ऊँचे थे।

जल संसाधन

4461. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े और मध्यम बांधों के द्वारा जल संसाधनों के उपयोग की वर्तमान प्रणाली समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कारक उत्तरदायी है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार सिंचाई के लिए किन्हीं सस्ते वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) देश में जल संसाधनों के विकास में वर्तमान नीति विकल्पों के मिश्रण पर आधारित है जिसमें बड़े मध्यम और लघु धरातलीय जल भण्डारण तथा व्यपवर्तन परियोजनाएं, सरकारी क्षेत्र में गहरे नलकूपों के जरिए भूजल विकास तथा निजी/सहकारी क्षेत्र में उथले नलकूप/खुले कुएं, परिस्रवण टैंकों और माइक्रो जलविभाजक विकास योजनाओं सहित लघु पैमाने के धरातलीय भण्डारण शामिल हैं। भण्डारण जलाशय, भूजल विकास और जल विभाजक विकास प्रत्येक का अपना स्थान है और सभी विकल्पों के न्यायोचित मिश्रण से ही देश में जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा।

आन्ध्र प्रदेश में स्वैच्छिक संगठन

4462. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में सामाजिक विकास कार्य में कितने सरकारी सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) ये संगठन सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में किस हद तक सफल रहे;

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक सहायता योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए और राज्य में निर्धन पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति के रूप में शैक्षणिक लाभ और छात्रावास उपलब्ध कराने के लिए भी केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि दी गई?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश स्थित संगठनों की संख्या जिन्हें सामाजिक कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कल्याण मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है और उन्हें मंजूर की गई धनराशि निम्न प्रकार है : -

वर्ष	संगठनों की संख्या लाख में	मंजूर धनराशि
1992-93	80	221.30
1993-94	127	341.26
1994-95	234	699.13

(ग) ये संगठन सामान्यत उन उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(घ) ऐसा कोई अनुरोध लम्बित नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

4463. डॉ. लाल बहादुर रावल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक जिला-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गए हैं;

(ख) इनमें से कितने एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक हैं;

(ग) वर्ष 1995 के दौरान राज्य में कहां-कहां नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य में कितने ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 1531 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित बड़े एक्सचेंजों की संस्थापना और चालू करने की योजना है।

1. इलाहाबाद
2. आलमबाग, लखनऊ
3. किदवई नगर, कानपुर
4. देहरादून
5. गाजियाबाद

अन्य नए छोटे एक्सचेंज, पंजीकृत मांग और भूमि तथा भवन जैसी अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं।

(घ)

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या
91-92	2725
92-93	7037
93-94	3524
94-95	5088

विवरण

उत्तर प्रदेश (पूर्व) में 31.3.1995 तक स्थापित एक्सचेंजों की संख्या

क्र.सं.	जिला	एक्सचेज की संख्या
1	2	3
1.	इलाहाबाद	41
2.	आजमगढ़	29
3.	बहराइच	24
4.	बलिया	26
5.	बांदा	41
6.	बाराबंकी	28
7.	बस्ती	21
8.	देवरिया	29
9.	इटावा	18
10.	फैजाबाद	42
11.	फर्रूखाबद	20
12.	फतेहपुर	15
13.	गाजीपुर	22
14.	गोण्डा	28
15.	गोरखपुर	24
16.	हमीरपुर	21
17.	हरदोई	20
18	जालौन	12
19.	जौनपुर	26
20.	झांसी	17
21.	कानपुर	11
22.	कानपुर (देहात)	24
23.	लखीमपुर	37
24.	ललितपुर	16
25.	लखनऊ	27
26.	महाराजगंज	14
27.	मैनपुर	15
28.	मऊ	15
29.	मिर्जापुर	17
30.	प्रतापगढ़	21
31.	रायबरेली	20
32.	शाहजहांपुर	22
33.	सिद्धार्थनगर	11
34.	सीतापुर	23
35.	सोनभद्र	17
36.	सुल्तानपुर	28
37.	उन्नाव	21
38.	वाराणसी	56
		899

उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में 31.3.95 तक स्थापित एक्सचेंजों की संख्या

क्र.सं.	जिला	एक्सचेंज की संख्या
1.	आगरा	40
2.	अलीगढ़	50
3.	अल्मोड़ा	29
4.	बरेली	23
5.	बिजनौर	36
6.	बदायूं	26
7.	बुलंदशहर	32
8.	चमोली	31
9.	देहरादून	25
10.	एटा	26
11.	फिरोजाबाद	4
12.	गाजियाबाद	29
13.	हरिद्वार	14
14.	मथुरा	33
15.	मेरठ	41
16.	मुरादाबाद	32
17.	मुजफ्फरनगर	31
18.	नैनीताल	57
19.	पौड़ी	32
20.	पीलीभीत	15
21.	पिथौरागढ़	20
22.	रामपुर	15
23.	सहारनपुर	27
24.	टिहरी	26
25.	उत्तरकाशी	10
	जोड़	704
	कुल जोड़	1603

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में समेकित जनजातीय विकास योजनाएं

4464. श्री परसराम भारद्वाज : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश राज्य में कितनी समेकित जनजातीय विकास परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं द्वारा कितने जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) सम्प्रति राज्य में क्रियान्वयनाधीन समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं की संख्या 49 है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान इन परियोजनाओं द्वारा लाभान्वित आदिवासी परिवारों की संख्या इस प्रकार है : -

वर्ष	लाभान्वित आदिवासी परिवारों की संख्या
1992-93	150869
1993-94	154157
1994-95	132159
	(फरवरी, 1995 तक)

सिंचाई परियोजनाएं

4465. श्री गोपीनाथ गजपति :

डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चालू परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी सिंचाई विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति के मामले में क्षमता कितनी है;

(ख) इन पर कितनी लागत आएगी और इनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) उड़ीसा में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति क्षमता सहित निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के नाम और अन्य ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

उड़ीसा की निर्माणाधीन वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपये/सिंचाई क्षमता हजार हैक्टेयर)

	परियोजना का नामसिंचाई	चरम विद्युत क्षमता	स्थापित आपूर्ति क्षमता (मेगावाट)	जल अनुमानित घटक	नवीनतम अन्त तक लागत	3/92 के आठवीं योजना व्यय	आठवीं के दौरान परिव्यय	1992-94 सृजित प्रत्याशित व्यय	3/94 तक संभावित क्षमता	पूर्ण होने की तारीख
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	क. वृहद्									
1.	अपर इन्द्रावती सिंचाई परियोजना	218.60	600	-	338.17	73.29	256.00	36.37	3.94	आठवीं योजना से आगे
2.	अपर कोलाव सिंचाई	88.75	320	-	157.97	81.08	76.00	47.83	33.58	आठवीं योजना
3.	सुर्बनरेखा सिंचाई	187.46	-	38 (मिलियन घन मीटर)	1013.68	168.33	795.00	35.74	-	आठवीं योजना से आगे
4.	रेंगाली सिंचाई परियोजना	423.60	100	10 क्यूमेक	1475.00	142.35	480.00	44.60	-	-वही-
5.	महानदी चित्रोतपाला	35.95	-	-	93.07	6.84	87.00	13.69	-	-वही-

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	पोट्टेरू सिंचाई	109.88	-	-	102.39	77.43	★★	7.12	10.30	आठवीं योजना से आगे
	ख. मध्यम									
1.	अपरजोंक सिंचाई	13.00	-	1.83 मिलियन घन मीटर	82.13	31.74	19.00	13.63	2.00	आठवीं योजना
2.	बदनाला	13.74	-	-	92.00	43.77	12.00	16.00	4.00	-वही-
3.	हरिहरजोरे	13.70	-	-	51.19	31.64	18.00	9.98	-	-वही-
4.	हरभंगी	15.97	-	-	96.00	44.16	22.21	16.34	-	आठवीं योजना से आगे
5.	बधुआ चरण-।।	3.39	-	-	39.46	10.48	18.00	8.05	-	आठवीं योजना
6.	देव	15.64	-	1.21 मिलियन घन मीटर	52.23	1.43	50.00	4.21	-	आठवीं योजना से आगे
7.	बाधलती	3.60	-	-	42.63	2.71	22.00	3.33	-	-वही-
8.	सपुआबदजोरे	3.75	-	-	33.21	2.37	33.00	3.90	-	-वही-
9.	बिरूपा घेघुटी	8.09	-	-	11.46	6.76	3.20	2.24	6.09	आठवीं योजना
10.	सतीगुडा	11.81	-	-	4.52	2.74	★	13.59	-	-वही-

★ केन्द्रीय सेक्टर से राज्य सरकार को स्थानान्तरित की गयी।

★★ यह परियोजना योजनागत परियोजना नहीं है। 94.83 करोड़ रुपए तक के व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जायेगी।

[हिन्दी]

पटाखे और आतिशबाजियों की बिक्री हेतु लाइसेंस

4466. श्री मंजय लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटाखे और आतिशबाजियों की बिक्री हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में ऐसे कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ग) कई वर्षों से पटाखों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंसों के बदले में स्थायी लाईसेंस जारी करने हेतु सरकार द्वारा क्या नीति निर्धारित की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) पटाखों को रखने और उनकी बिक्री करने के लिए अस्थाई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन, जिले के पुलिस उपायुक्त को भेजने होते हैं। ये आवेदन पत्र इस प्रयोजन हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तावित बिक्री स्थल की नाप-जोख और उस स्थान की अनुमोदित सड़कों के जाल, स्थल-चिन्ह तथा उसके समीपस्थ संरक्षित कारखानों से उसकी दूरी आदि को दर्शाते हुए प्रस्तावित स्थल के मानचित्र सहित भेजने होते हैं। आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित आवेदक के फोटोग्राफ की दो प्रतियां संलग्न करना भी वांछनीय है।

(ख) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुल 15,224 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ग) पिछले कुछ वर्षों से लगातार पटाखों की बिक्री करते आ रहे विक्रेताओं को अस्थाई लाइसेंस के स्थान पर स्थाई लाइसेंस जारी करने की सरकार की नीति नहीं है।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा

4467. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और गुजरात सरकारें सीमाओं की सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयास कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकारों को कितनी सहायता देने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भारत सरकार ने सीमावर्ती राज्यों के बीच सुरक्षा और आसूचना के आदान-प्रदान इत्यादि के मामलों में तालमेल स्थापित करने की

आवश्यकता पर हमेशा जोर दिया है। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, राजस्थान के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था से संबंधित कार्य पूरा किया जा चुका है। गुजरात राज्य के संदर्भ में, परिस्थिति अन्य कठिनाईयों के कारण सीमा पर बाड़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य व्यावहारिक नहीं है। तथापि सीमा सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सीमा चौकियों पर तैनात कार्मिकों को, नाईट वीजन डिवाईस, दूरबीन, ट्रिवन-टेलिस्कोप हैंड हेल्ड सर्च-लाइट इत्यादि जैसे उपकरणों की आपूर्ति की गयी है। सीमा सुरक्षा बल से भी राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखने और जहां कहीं सम्भव हो समन्वित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

पुलिस के लिये स्वायत्तशासी संगठन

4468. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अप्रैल, 1995 की 'सन्डे मेल' पत्रिका (हिन्दी संस्करण) में पुलिस को एक स्वायत्तशासी संगठन के नियंत्रण में लाने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

बांधों के लिए निगरानी एवं मरम्मत व्यवस्था

4469. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नहरों के लिए कोई निगरानी एवं मरम्मत व्यवस्था की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1987 में बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति गठित की गयी थी। यह समिति विभिन्न राज्यों में बांध सुरक्षा कार्यकलापों की निगरानी करती है तथा इन्हें भारतीय स्थितियों के अनुरूप नवीनतम स्टेट आफ आर्ट के अनुसार इनमें सुधार करने के लिए सुझाव देती है। यह आपदा में राहत पहुंचाने के उपचारात्मक उपायों के लिए अपनायी गयी तकनीकों पर विचारों के आदान प्रदान करने के वास्ते एक मंच के रूप में कार्य करती है तथा बांध सुरक्षा कार्य पद्धति पर रिपोर्ट की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का प्रबोधन करती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

4470. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी रसोई गैस एजेंसियों/पेट्रोल की खुदरा दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी कितनी एजेंसियों के विरूद्ध अभी जांच जारी है; और

(घ) कितनी एजेंसियों के लाइसेंसों का नवीकरण कर दिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अनियमिताओं/नकली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने/विभिन्न विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आधारों पर मध्य प्रदेश में दो खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और तीन एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को समाप्त कर दिया गया।

(ग) 2 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 5 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में जांच-पड़ताल जारी है।

(घ) उपर्युक्त में से किसी एजेंसी/डीलरशिप को फिर से चालू नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

जल उपयोगिता

4471. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दी इकोनामिक टाइम्स में 4 अप्रैल, 1995 को "यूके वाटर यूटिलिटी टी.डब्ल्यू.आई. स्काउटिंग फार पार्टनर टू एंटर इंडिया" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) क्या सरकार जल उपयोगिता में विदेशी सहयोग और निवेश की अनुमति प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यावसायिक उद्यमों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या किसी विदेशी कंपनी ने नगरों और कस्बों में जल की आपूर्ति के लिए सरकार से संपर्क किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) समाचार के संदर्भ में शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय ने ग्रेट ब्रिटेन के थेम्स वाटर इन्टरनेशनल के सहयोग के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी है। तथापि, सरकार जल उपयोगिताओं में विदेशी सहयोग और निवेश की सम्भावनाओं को बढ़ावा दे रही है। चूंकि जल आपूर्ति राज्यों

का विषय है, इसलिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्टों के साथ-साथ राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक है।

(ख) सहयोग सामान्यत: सरकार दर सरकार आधार पर होता है और नयाचार समझौते में मानदण्ड, सहायता का क्षेत्र आदि शामिल होता है।

(ग) से (ङ) फ्रांस सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग द्वारा पहली दिसंबर, 1994 को हस्ताक्षरित भारत-फ्रांस नयाचार समझौते के अंतर्गत ऋण सहायता देना स्वीकार किया है जिसमें निम्नलिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फ्रांस जल कम्पनियों की सहभागिता भी शामिल है :

(राशि : मिलियन फ्रेंच फ्रैंक)

(1)	जयपुर जल प्रबन्ध परियोजना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन	6.5
(2)	दिल्ली के लिए जल प्रबन्ध परियोजना	102.4
(3)	जयपुर के लिए जल प्रबन्ध परियोजना	33.0

इन परियोजनाओं को संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वयन हेतु अभी शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन (पी.सी.ओ.)

4472. **श्री रतिलाल वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पी.सी.ओ.) चलाए जा रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों में एस.टी.डी. की सुविधा है; और

(ग) राज्य में एस.टी.डी. सुविधा और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों में उपलब्ध कराने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) गुजरात में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा 487 सार्वजनिक कॉल घर चलाए जा रहे हैं, जिसमें से 283 सार्वजनिक कॉल घरों में एस टी डी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) एस टी डी सुविधायुक्त सार्वजनिक कॉल घर प्रदान करने संबंधी योजना का समाचार पत्रों और ग्राहक सेवा केन्द्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में आरक्षित रिक्त पद

4473. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के बड़ी संख्या में बकाया पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सूचना संबंधित यूनिटों से एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें

4474. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग का विचार नई दूरसंचार नीति के संबंध में लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग(क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ओमान के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा

4475. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ओमान संयुक्त आयोग की बैठक के संबंध में हाल ही में दिल्ली की यात्रा करने वाले ओमान के प्रतिनिधिमंडल ने अपेक्षित गैस भंडार की व्यवहार्यता और उपलब्धता के संबंध में कतिपय संदेह और शंकाएं व्यक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सामाजिक विकास योजनाएं

4476. **श्री गुरूदास कामत :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपनी समाजिक विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक राष्ट्रीय निकाय स्थापित करने का हैं और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) कोपेनहेरोन में सम्पन्न सामाजिक विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में 10 मार्च, 1995 को अपने भाषण में प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विकास के लिए एक उपयुक्त तथा कारगर तंत्र की स्थापना के बारे में घोषणा की ।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय

4477. श्री एन.जे. राठवा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1995 तक गुजरात के विशेष-रूप से जनजातीय क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने विशेष रोजगार कार्यालय कार्यरत हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और जनवरी, 1995 तक इन कार्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत में स्थित शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कार्यरत चार विशेष रोजगार कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त मार्च, 1995 में केन्द्र सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए मेहसाणा में विशेष सैल का शारीरिक विकलांगों के एक विशेष रोजगार कार्यालय के रूप में उन्नयन करने को मंजूरी प्रदान की है।

(ख) वर्ष 1992, 1993 तथा 1994 के दौरान गुजरात में कार्यरत विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा नियोजित विकलांगों की कुल संख्या निम्नलिखित थीं : -

1992	1993	1994
419	424	425

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकलांग व्यक्तियों की अलग से सूचना का रखरखाव नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल करना

4478. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की तरह से कुछ राज्यों में मुसलमानों के कुछ सामाजिक समूह अथवा उप-समुदाय अनुसूचित जाति की सूची में रखे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सामाजिक समूहों अथवा उप-समुदायों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किसी मुस्लिम समुदाय अथवा उप-समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे समूहों/उप-समुदायों के राज्यवार क्या नाम हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (घ) अद्यतन यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के पैरा 3 के अनुसार वह व्यक्ति जो हिन्दु या सिख या बौद्ध धर्म से निम्न धर्म को मानता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। जबकि अनुसूचित जन जातियों की विशिष्ट में धर्म का अवरोध नहीं है। वे किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुसूचित जनजाति समुदायों के धर्मवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

कोयले की आपूर्ति

4479. श्री पी. कुमारासामी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान तमिलनाडु में घरेलू और औद्योगिक खपत हेतु कोयले की औसतन कितनी-कितनी मासिक आवश्यकता रही;

(ख) उक्त अवधि के दौरान औसतन कोयले की कितनी मात्रा मासिक रूप से आबंटित/आपूर्ति की गई;

(ग) क्या राज्य को आबंटित/आपूर्ति की गई कोयले की मात्रा आवश्यकता के अनुरूप थी; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा तमिलनाडु को आवश्यक मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राज्यवार नहीं किया जाता है। इसका सम्पूर्ण देश के लिए उद्योग/क्षेत्रवार मूल्यांकन किया जाता है। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रयोगकर्ता के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है। विद्युत एवं सीमेंट उद्योगों को इन क्षेत्रों के लिए स्थाई संयोजन समिति द्वारा स्थापित अल्पकालीन संयोजन के आधार पर आपूर्ति की जाती है।

कोल इण्डिया लिमिटेड से तमिलनाडु राज्य को वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान कोयले का औसत मासिक प्रेषण निम्न प्रकार था:

वर्ष	(आंकड़े अनन्तिम) (आंकड़े लाख टन में) औसत आपूर्ति प्रतिमाह
1992-93	8.14
1993-94	8.58
1994-95	8.59

(घ) कोयला कंपनियों को तमिलनाडु में स्थित उपभोक्ताओं सहित सभी उपभोक्ताओं की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। किन्तु कोयला/कोक के अतिरिक्त नियतन के लिए किसी अनुरोध पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर विचार/जांच की जाती है। कोयला कंपनियां तमिलनाडु की समग्र अकोककर कोयले की मांग को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, कतिपय कोलियरियों से उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कोयले की पेशकश की जा रही है, उक्त योजना के अंतर्गत किसी संयोजन/प्रयोजकता के बिना कोयले की आपूर्ति की जाती है। इस योजना के अंतर्गत थोक व्यापारियों/छोटे व्यापारियों को भी कोयले की आपूर्ति की जा रही है, जोकि छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

[हिन्दी]

रसोई गैस के अवैध कनेक्शन

4480. श्री दत्ता मेघे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विगत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष रसोई गैस के कितने अवैध कनेक्शनों का पता लगाया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार रसोई गैस के ऐसे अवैध कनेक्शनों को रद्द करने/नियमित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पता चले अनधिकृत एल पी जी कनेक्शनों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	संख्या
1993-94	573
1994-95	4

(ख) विद्यमान नीति के अनुसार अनाधिकृत कनेक्शन (वैध कागजात के बिना) को नियमित करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल पूल खाता

4481. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल पूल खाते में इस समय भारी घाटा है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की इसी अवधि से इसकी क्या तुलना है; और

(ग) तेल पूल खाते में बढ़ते हुए इस घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) तेल पूल लेखा के अन्तर्गत संचयी घाटा वर्ष 1993-94 के 5050 करोड़ रुपए के लिए 1994-95 के दौरान लगभग 380 करोड़ रुपए खपत होना अनुमानित है।

(ग) सुधारात्मक कार्रवाई हेतु तेल पूल लेखे की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाती है एवं जब भी आवश्यक समझा जाता है इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

जगाने की स्वचालित सेवा

4482. श्री महेश कनोडिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने जगाने की स्वचालित सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभाग प्रत्येक अवसर पर प्रदान की गई सेवा के लिए 2 स्थानीय काल चार्ज करता है।

कल्याण मंत्रालय के अधीन आयोग

4483. डा. वसन्त पवार : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 को उनके मंत्रालय के नियंत्रण में कौन-कौन से आयोग, अर्थात् अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/आदि के, कार्यरत रहे;

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान इनमें से प्रत्येक आयोग को अलग-अलग कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) कौन-कौन से आयोग बिना अध्यक्ष के कार्यरत हैं; और

(घ) इन आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) सभी आयोगों में अध्यक्ष पद स्थापित हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे आयोगों के नाम और इन आयोगों में से प्रत्येक को 1993-94 और 1994-95 के दौरान आबंटित राशि

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	आयोग का नाम	आबंटित राशि	
		1993-94	1994-95
1.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग	2.28	2.63
2.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	0.50	0.55
3.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	1.00	1.16
4.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	0.51	1.50

जलापूर्ति

4484. श्री डी. वेंकेटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तुंगभद्रा बोर्ड के.सी. नहर में 2000 क्यूसेक पानी छोड़ने और निचली नहर में कम से कम 600 क्यूसेक पानी देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने 27.3.1995 के पत्र के जरिये तुंगभद्रा बोर्ड से 28.3.1995 से 1.4.1995 (5 दिन) तक 1000 क्यूसेक से 2000 क्यूसेक तक नदी सहायता बढ़ाने तथा 2.4.1995 से 8.4.1995 तक नदी सहायता बन्द करने तथा 9.4.1995 से कार्य तालिका (अर्थात 1000 क्यूसेक) के अनुसार नदी सहायता पुन: शुरू करने का अनुरोध किया था। आन्ध्रप्रदेश सरकार ने तुंगभद्रा बोर्ड की हैदराबाद में 7.4.1995 को आयोजित 155वीं बैठक में बोर्ड से के.सी. नहर को नदी सहायता के रूप में 2000 क्यूसेक जल तथा निम्न स्तरीय नहर में 600 क्यूसेक जल निर्मुक्त करने का अनुरोध किया था।

(ग) तुंगभद्रा बोर्ड प्रस्ताव से सहमत था तथा नदी सहायता (के.सी. नहर) के रूप में 8.4.1995 से 15.4.1995 तक 2000 क्यूसेक जल निर्मुक्त किया था। इसने निम्न स्तरीय नहर के लिए भी इसी तारीख को बांध स्थल पर 850 क्सूसेक जल निर्मुक्त किया था।

माइक्रो उपग्रह

4485. श्री राम कापसे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मलेशिया को माइक्रो उपग्रह प्राप्त करने में सहायता देने हेतु उस देश के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव) : (क) से (ख) जी, हां। अंतरिक्ष विभाग के अंतरिक्ष निगम तथा मलेशियन स्पेस एण्ड टेलीकम्युनीकेशन्स रिसर्च कंसोर्टियम, मेक्सस्टार के बीच 13 जनवरी, 1995 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। इस ज्ञापन में मलेशिया हेतु माइक्रो उपग्रहों के निश्चयन, निर्माण प्रचालन में अंतरिक्ष से मेक्सस्टार को संभावित सहायता निहित है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्षों ने उपग्रह एवं संबंधित पहलुओं के बारे में अंतिम निर्णय होने के बाद निश्चित समझौते करने पर सहमति व्यक्त की। मलेशिया द्वारा नियोजित किए जा रहे माइक्रो उपग्रहों का भार 50 कि.ग्रा0 होगा और वे 400-600 कि.मी. की ऊंचाई पर लगभग प्रत्येक 106 मिनट में पोल-से-पोल आधार पर पृथ्वी के चारों और विचरण करेंगे।

इसे वैज्ञानिक एवं शैक्षिक परीक्षण करने हेतु डिजाइन किया जाएगा। समझौता ज्ञापन के कार्यक्षेत्र में माइक्रो उपग्रहों से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं के बारे में अंतरिक्ष निगम द्वारा मेक्सस्टार को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना और इन-फ्लाइट परीक्षणों तथा वाणिज्यिक पेलोड्स दोनों हेतु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रहों में भागीदारी की व्यवस्था करना निहित है।

[हिन्दी]

बाढ़ का नियंत्रण और भूमि कटाव

4486. डा. साक्षीजी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और भूमि कटाव संबंधी कोई योजना केंद्रीय सरकार की मंजूरी भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार से 6586.12 लाख रुपए की लागत की 14 योजनाएं प्राप्त हुई हैं। उनकी जांच के बाद, टिप्पणियां आवश्यक संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इस राज्य में गोमती, सोन, अपर गंगा और अपर यमुना के जलग्रहण क्षेत्र में 'बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में एकीकृत जल विभाजक प्रबन्ध' की एक निर्माणाधीन योजना है।

[अनुवाद]

गैस का आवंटन

4487. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि :

(क) क्या मुम्बई, सूरत बड़ौदा, गांधीधाम, भरुच, अहमदाबाद और सौराष्ट्र में घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों को गैस आबंटन के संबंध में कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में गैस की आपूर्ति की गई;

(घ) गैस की आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में गैस की आपूर्ति करने के क्या कारण है; और

(ङ) प्राकृतिक गैस के कोटे में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बम्बई, सूरत, बड़ौदा और अंकलेश्वर/भरुच में गैस का आबंटन घरेलू और आद्यौगिक क्षेत्रों के लिए किया गया है।

(ख) और (ग) आबंटन और आपूर्तियां निम्नानुसार हैं : -

	बड़ौदा	सूरत	अंकलेश्वर/भरूच
आबंटन	0.06	0.30	0.17
आपूर्तियां			
1992-93	0.063	0.23	0.21
1993-94	0.064	0.28	0.18
1994-95	0.063	0.27	0.19

बम्बई में घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों की आपूर्ति अभी शुरू की जानी है।

(घ) और (ङ) सूरत में गैस की कमी पश्चिमी अपतट क्षेत्रों से गैस की समग्र कमी के कारण रही है। आपूर्ति के जुलाई, 1995 के बाद सुधरने की संभावना है।

[अनुवाद]

कृषि योग्य कमान क्षेत्र

4488. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कृषि योग्य कुल कितना कमान क्षेत्र हैं;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में विशेषत: आंध्र प्रदेश में उपरोक्त क्षेत्र सिंचित है;

(ग) यदि नहीं, तो कृषि योग्य कमान क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं / उठाने का विचार हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए मुख्य कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आठवीं योजना के दौरान निम्नलिखित पर विशेष बल देकर क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देना शामिल है : (1) निर्माणाधीन वृहद् और मध्यम परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना (2) वृहद् और मध्यम परियोजनाओं में अधिक प्रयोक्ताओं की भागीदारी (3) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना (4) बड़ी संख्या में निर्माणाधीन धरातलीय जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए प्राथमिकता देना (5) धरातलीय और भूजल का संयुक्त प्रयोग और (6) उपयुक्त अभिकरणों के माध्यम से जल प्रबन्ध के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों के जरिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटकों पर बल देना।

विवरण

वर्ष 1991-92 (अनन्तिम) के दौरान राज्यवार कुल कृष्य तथा निवल सिंचित क्षेत्र

(हजार हैटेयर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल कृष्य क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	15903	4351
2.	अरुणाचल प्रदेश	267	31
3.	असम	3229	572
4.	बिहार	11110	3354
5.	गोवा	222	24
6.	गुजरात	12360	2372
7.	हरियाणा	3811	2666
8.	हिमाचल प्रदेश	805	100
9.	जम्मू व कश्मीर	1049	313
10.	कर्नाटक	12885	2308
11.	केरल	2446	333
12.	मध्य प्रदेश	22812	4627
13.	महाराष्ट्र	21010	2165
14.	मणिपुर	164	65
15.	मेघालय	1077	45
16.	मिजोरम	584	8
17.	नागालैंड	648	59
18.	उड़ीसा	8085	1934
19.	पंजाब	4365	3940
20.	राजस्थान	25703	4343

1	2	3	4
21.	सिक्किम	114	16
22.	तमिलनाडु	8389	2605
23.	त्रिपुरा	310	50
24.	उत्तर प्रदेश	20846	10542
25.	पश्चिम बंगाल	5932	1911
	कुल राज्य	184126	48734
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	219	66
	कुल योग	184345	48800

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां

4489. श्री मणिकराव होडल्या गावीत :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत विदेश भेजे गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी हां।

(ख) अ.जा./अ.ज.जा. आदि के लिए कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना का ब्यौरा अनुबंध में है।

(ग) अ.जा. तथा अ.ज.जा. विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या जिन्हें अ.जा./अ.ज.जा. आदि हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के तहत 1994-95 के दौरान विदेश भेजा गया है निम्न प्रकार है : -

1.	आंध्र प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	महाराष्ट्र	2
4.	मणिपुर	1
5.	उड़ीसा	1
6.	तमिलनाडु	4
7.	उत्तर प्रदेश	2
8.	पश्चिम बंगाल	3
9.	दिल्ली	1

(घ) इस योजना के अधीन एक छात्र पर औसत प्रतिवर्ष व्यय 6.73 लाख रुपये आंका गय है।

विवरण

कल्याण मंत्रालय की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृति योजना में प्रत्येक वर्ष 30 पुरस्कारों की व्यवस्था है जिसमें से 17 पुरस्कार अनुसूचित जाति के लिए हैं, 9 पुरस्कार अनुसूचित जन जाति के लिए, 2 पुरस्कार अन्य धर्मो में पारिवारित हुए अनुसूचित जाति के लिए पुरस्कार अन-अधिसूचित खानाबदोश, गैर खानाबदोश आदिवासियों के लिए और 1 पुरस्कार भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक शिल्पकारों के लिए है।

2. इस शर्त के अध्ययधीन माता-पिताओं / संरक्षकों का केवल एक ही बच्चा योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों का पात्र है, आवेदन करते समय उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए तथा उम्मीदवार के माता-पिताओं/ संरक्षकों की आय 5000 रुपये प्रतिमाह से अधिक न होनी चाहिए/छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता इस प्रकार है : -

(क) पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान के लिए : मास्टर डिग्री से प्रथम श्रेणी 60 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी) पी.एच.डी. 5 वर्ष का अनुसंधान कार्य में अनुभव।

(ख) पी.एच.डी. : मास्टर डिग्री में प्रथम श्रेणी 60 प्रतिशत अंक अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी (2 वर्ष का अध्ययन/अनुसंधान/व्यावसायिक अनुभव अथवा एम.फिल. डिग्री)।

(ग) मास्टर डिग्री के स्तर पर निर्धारित विषयों के लिए : -

स्नातक डिग्री में प्रथम श्रेणी 60 प्रतिशत अंक अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी (2वर्ष का कार्य अनुभव)।

(घ) प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के लिए : -

प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/लाइसेंस में प्रथम श्रेणी 60 प्रतिशत (अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंकों सहित द्वितीय श्रेणी) 2 वर्ष का कार्य अनुभव।

3. इस योजना के अन्तर्गत पात्र उम्मीदवारों के लिए विद्यमान वित्तीय पात्रता नीचे दी गई है : -

1. **अनुरक्षण भत्ता :** - प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के लिए अधिक से अधिक साढ़े तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति तक जो भी पहले हो, 5940 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष।

निर्धारित पाठ्यक्रम में मास्टर डिग्री/पी.एच.डी. मास्टर डिग्री के

लिए 3 वर्ष तथा पी.एच.डी. के लिए 4 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं या पाठ्यक्रम की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, 6600 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष।

पोस्ट डॉक्टोरल अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए डेढ़ वर्ष की अवधि के लिए अथवा पाठ्यक्रम की समाप्ति तक जो भी पहले हो, 7700 अमरीकी डालर प्रतिवर्ष।

2. ट्यूशन तथा अन्य आवश्यक फ्रांस तथा चिकित्सा बीमा किश्तें यदि कोई हों।

3. पुस्तक/आवश्यक उपकरण अध्ययन दौरा/शोध प्रबंध के टंकण तथा जिल्दसाजी के लिए 385 अमरीकी डालर तक प्रतिवर्ष आकस्मिक भत्ता।

4. आकस्मिक यात्रा-व्यय को पूरा करने के लिए 15 अमरीकी डालर तक।

5. 1100/- रुपये का उपस्कर भत्ता।

6. भारत से जाने तथा आने के लिए किफायती दर्जे का हवाई किराया।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड

4490. **श्री आर.सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने लगातार पांच से अधिक वर्षों से बहुत अच्छी प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का क्षमता उपयोग कुल बिक्री तथा मुनाफे संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या हाल ही में कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड में विस्तार संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां, तो विस्तार और इसके लिए अपेक्षित पूंजी परिव्यय सहित अन्य बातों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पांच वर्षों के दौरान कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड के क्षमता उपयोग, कारोबार और लाभ का ब्यौरा निम्नानुसार है : -

वर्ष	क्षमता उपयोग%	कारोबार	कर पश्चात लाभ (करोड़ रुपए)
1990-91	111.24	1488.64	60.84
1991-92	107.62	1486.14	56.04
1992-93	113.82	1811.54	87.12
1993-94	108.02	2030.88	68.25
1994-95	105.66	2140.00	80.00

(अनंतिम)

(ग) और (घ) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड की 4.5 एम एम टी पी ए से 7.5 एम एम टी पी ए तक की क्षमता विस्तार परियोजना 440 करोड़ रुपए अनुमानित लागत में दिसम्बर, 1994 में पहले ही चालू कर दी गई है।

आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक

4491. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी सेवा में आरक्षण के उस मामले पर विचार करने के लिए गत माह एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें मंडल प्रकरण के तहत उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की थी;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श का क्या परिणाम रहा; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। केन्द्रीय कल्याण मंत्री ने अन्य बातों के साथ मंडल मामले में उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर विचार करने के लिए कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन 50% से अधिक आरक्षण प्रदान न किया जाए, लोक सभा और राज्य सभा के राजनैतिक दलों के नेताओं की 28.4.95 को एक बैठक बुलाई थी।

(ख) और (ग) बैठक कार्यक्रम के मुताबिक हुई तथा नेताओं ने विविध मामलों पर विचार-विमर्श किया। कुछ राजनैतिक दलों के नेता उपस्थित नहीं थे। यह भी निर्णय लिया गया कि विचार-विमर्श को जारी रखने के लिए दूसरी बैठक 4.5.1995 को की जाए।

सिंचाई क्षमता

4492. **श्री के.प्रधानी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में विभिन्न राज्यों में लघु, मध्यम और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए कितना लक्ष्य रखा गया था;

(ख) इसकी तुलना में राज्यवार उपलब्धि क्या रही; और

(ग) आठवीं योजना के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें अभी तक कितनी उपलब्धि रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) 'वृहद् एवं मध्यम' सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता के वास्ते सातवीं पंचवर्षीय योजना के राज्यवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियत लक्ष्य तथा 1992-93 से 1994-95 के दौरान संभावित उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई के जरिए सिंचाई क्षमता का राज्यवार सृजन - लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(हजार हैक्टेयर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	'वृहद् एवं मध्यम' परियोजनाओं और लघु योजनाओं के जरिए सिंचाई क्षमता का सृजन			
		लक्ष्य सातवीं योजना	उपलब्धियां सातवीं योजना	लक्ष्य आठवीं योजना	1992-95 के दौरान संभावित उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	933.00	545.00	919.00	247.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	15.78	28.00	10.20
3.	असम	260.00	192.84	300.00	60.48
4.	बिहार	1455.00	1203.00	2147.00	1076.00
5.	गोवा	*	14.85	48.20	5.95
6.	गुजरात	547.00	320.32	628.00	157.15
7.	हरियाणा	369.00	198.97	396.00	70.30
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	11.60	27.64	6.01
9.	जम्मू व कश्मीर	67.00	24.27	60.50	23.90
10.	कर्नाटक	464.00	350.44	621.00	309.02
11.	केरल	280.00	116.38	248.00	182.99
12.	मध्य प्रदेश	1000.00	612.40	950.00	365.97
13.	महाराष्ट्र	745.00	661.10	800.00	248.29
14.	मणिपुर	39.50	26.87	69.16	15.08
15.	मेघालय	14.00	5.43	15.88	7.59
16.	मिजोरम	7.00	3.05	6.00	1.67
17.	नागालैंड	12.00	11.73	13.00	1.46
18.	उड़ीसा	706.00	216.17	484.00	166.38
19.	पंजाब	484.00	170.74	252.42	179.77
20.	राजस्थान	570.00	477.14	588.61	274.02
21.	सिक्किम	8.00	6.36	5.00	1.92
22.	तमिलनाडु	133.00	148.39	120.30	34.58
23.	त्रिपुरा	35.00	24.54	40.20	8.60
24.	उत्तर प्रदेश	4237.00	4955.00	6415.00	2933.00
25.	पश्चिम बंगाल	470.00	981.60	620.53	338.58
	कुल राज्य	12878.50	11293.17	15787.44	6726.16
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	28.00	17.13	11.21	3.96
	कुल योग	12890.50	11310.3	15798.65	6730.12

*संघ राज्य क्षेत्र

समेकित जल संसाधन परियोजनाएं

4493. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में कुछ समेकित जल संसाधन परियोजनाओं को लागू किया गया है;

(ख) क्या राजस्थान में भी कोई परियोजना लागू की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसका लाभ कितने क्षेत्र तक पहुंचा है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कोई एकीकृत जल संसाधन परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की गई हैं। तथापि, ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय अपने रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ठंडे और गरम दोनों शुष्क क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में एकीकृत जल विभाजक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रमों में भूमि संसाधन विकास, जल संसाधन विकास और वनारोपण तथा चरागाह विकास क्षेत्र संबंधी मुख्य गतिविधियों पर बल दिया गया है। आठवीं योजना के दौरान दिसम्बर, 1994 के अन्त तक जल संसाधन विकास घटक के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 514 हैक्टेयर और राजस्थान में 4,229 हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है।

कोयले पर उपकर

4494. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर उपकर की राशि विभिन्न राज्यों पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और 31 मार्च, 1995 तक राज्यवार कोयले पर उपकर की राशि का कितना भुगतान किया गया; और

(घ) किन-किन राज्यों ने उपकर की राशि नहीं दी है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) (ख) और (घ) कोल इंडिया लि. ने यह सूचित किया है कि न्यायालय के निर्णय को देखते हुए 4.4.1991 के बाद किसी भी राज्य को पश्चिम बंगाल को छोड़कर कोयले पर उपकर देय नहीं है चूंकि इस संबंध में मामला उच्च न्यायालय के सम्मुख लम्बित है। 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल की ओर 293 करोड़ रुपये की राशि उपकर के रूप में देय थी। पश्चिम बंगाल सरकार से सम्पर्क किया गया था कि वे इस राशि को वर्ष 1995-96 के दौरान कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि के एवज् में समाहित कर लें। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों द्वारा दावा की गई उपस्कर की राशि के कुछ बकाया राशि के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा विरोध किया गया और कोल इंडिया लि. उपभोक्ताओं से इसकी वसूली नहीं कर सकी और राज्य सरकारों को ऐसी राशि की अदायगी नहीं कर सकी। विभिन्न उच्च न्यायालयों के सम्मुख ऐसे अनेक मामले लम्बित पड़े होने की सूचना मिली है।

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में अदा की गई उपकर की राज्यवार राशि नीचे दर्शायी गई हैं। :-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पश्चिम बंगाल	बिहार
1992-93	147.00	237.00
1993-94	193.00	-
1994-95	240.00	-

मध्य प्रदेश में डाक और तार घर

4495. श्री खोलन राम जांगडे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में जिलावार कितने डाक और तार घर और टेलीफोन केन्द्र खोले गए; और

(ख) आठवीं योजना के दौरान राज्य में में कितने डाक और तार घर और टेलीफोन केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में जिलावार खोले गए डाकघरों, तारघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण-1, 2 तथा 3 में दी गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान में डाकघर खोलने के लक्ष्य निम्नानुसार हैं : -

वर्ष	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उपडाकघर	कुल
1992-93	55	5	60
1993-94	35	5	40
1994-95	5	9	14

आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के लिए लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

तारघर : आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में स्वतंत्र तारघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है क्योंकि सभी जिलों में तार सुविधा पहले से ही सुलभ है।

टेलीफोन एक्सचेंज : कम क्षमता का नया टेलीफोन एक्सचेंज किसी स्थान पर तब लगाया जाता है जब उस स्थान की रजिस्टर्ड पेड डिमांड 10 या उससे अधिक हो जाती है, बशर्ते कि वह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो। इस प्रकार कम क्षमता के एक्सचेंज खोलने के लिए

कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। मध्यम तथा बड़े टेलीफोन एक्सचेंजों को स्थान विशेष की मांग के अनुसार खोले जाने की योजना बनाई जाती है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण - I

मध्य प्रदेश में, सातवीं योजना में, जिलावार खोले गए डाकघरों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजना में खोले गए डाकघर
1	2	3
1.	भोपाल	1
2.	छत्तरपुर	3
3.	पन्ना	14
4.	टीकमगढ़	1
5.	सागर	2
6.	दमोह	1
7.	होशंगाबाद	1
8.	नरसिंहपुर	-
9.	विदिशा	14
10.	रायसैन	-
11.	गुना	8
12.	शिवपुरी	2
13.	ग्वालियर	-
14.	दतिया	-
15.	सिहोर	1
16.	राजगढ़ (बीओरा)	3
17.	इन्दौर	4
18.	देवास	-
19.	धार	7
20.	खांडवा (पूर्व निमार)	4
21.	खरगौन (पश्चिम निमार)	10
22.	मंदसौर	4
23.	मुरैना	14
24.	भिंड	1
25.	रतलाम	-
26.	झाबुआ	2
27.	उज्जैन	-
28.	शाजापुर	3
29.	रायपुर	55
30.	जबलपुर	1
31.	बिलासपुर	54
32.	शहडोल	6
33.	सिधी	23
34.	रायगढ़	36
35.	सरगुजा (अंबिकापुर)	8
36.	छिंदवाड़ा	3
37.	बेतूल	7
38.	रीवा	34
39.	सतना	17
40.	बालाघाट	5
41.	मंडल	2
42.	सिओनी	1
43.	बस्तर (जगदलपुर)	-
44.	दुर्ग	6
45.	राजनंदगांव	6
	कुल	364

विवरण - II

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में खोले गए तारघरों व संयुक्त डाक-तारघरों की संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	तारघरों की संयुक्त संख्या	कार्यालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	बालाघाट	1	-
2.	बस्तर	-	-
3.	बैतूल	1	-
4.	भिंड	1	-
5.	भोपाल	1	-
6.	बिलासपुर	-	-
7.	छत्तरपुर	1	-
8.	छिंदवाड़ा	-	-
9.	धार	1	-
10.	देवास	1	-
11.	दमोह	1	-

1	2	3	4
12.	दुर्ग	–	–
13.	दतिया	1	–
14.	गुना	1	–
15.	ग्वालियर	–	–
16.	होशंगाबाद	1	–
17.	इन्दौर	2	–
18.	जबलपुर	1	–
19.	झाबुआ	1	–
20.	खंडवा	1	–
21.	खरगौन	1	–
22.	मांडला	1	–
23.	मंदसौर	1	–
24.	मुरैना	1	–
25.	नरसिंहपुर	1	–
26.	पन्ना	1	–
27.	रायगढ़	–	–
28.	रायपुर	1	–
29.	रायसैन	1	–
30.	राजगढ़	1	–
31.	राजनंदगांव	1	–
32.	रतलाम	–	–
33.	रीवा	–	–
34.	सागर	–	–
35.	सरगुजा	1	–
36.	सतना	–	–
37.	सिहोर	1	–
38.	सिओनी	1	–
39.	शहडोल	1	–
40.	शाजापुर	1	–
41.	शिवपुरी	1	–
42.	सिधी	1	–
43.	टीकमगढ़	1	–
44.	उज्जैन	–	–
45.	विदिशा	1	–
	कुल	35	शून्य

विवरण – 3

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजना में खोले गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालाघाट	5
2.	बस्तर	4
3.	बैतूल	9
4.	भिंड	15
5.	भोपाल	6
6.	बिलापुर	17
7.	छत्तरपुर	4
8.	छिंदवाड़ा	23
9.	धार	27
10.	देवास	19
11.	दमोह	8
12.	दुर्ग	5
13.	दतिया	3
14.	गुना	11
15.	ग्वालियर	16
16.	होशंगाबाद	7
17.	इन्दौर	16
18.	जबलपुर	15
19.	झाबुआ	6
20.	खंडवा	12
21.	खरगौन	12
22.	मांडला	4
23.	मंदसौर	37
24.	मुरैना	15
25.	नरसिंहपुर	9
26.	पन्ना	1
27.	रायगढ़	6
28.	रायपुर	16
29.	रायसैन	4
30.	राजगढ़	6
31.	राजनंदगांव	4
32.	रतलाम	11

1	2	3
33.	रीवा	5
34.	सागर	16
35.	सरगुजा	3
36.	सतना	11
37.	सिहोर	9
38.	सिओनी	8
39.	शहडोल	2
40.	शाजापुर	9
41.	शिवपुरी	13
42.	सिधी	2
43.	टीकमगढ़	6
44.	उज्जैन	23
45.	विदिशा	3
	कुल	463

कृष्णा और गोदावरी नदियों को जोड़ना

4496. श्री एस.एस. लालजान बाशा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कृष्णा, ईस्ट गोदावरी और वैस्ट गोदावरी जिलों की नहरों द्वारा कृष्णा गोदावरी नदियों को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में कितनी धनराशि निर्धारित की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.जी. रंगय्या नायडू) : (क) प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच तीन जल अन्तरण सम्पर्क शामिल हैं, नामश:

(1) गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क

(2) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (पुलीचिन्ताला) सम्पर्क

(3) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुन सागर) सम्पर्क

गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) सम्पर्क महर आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावारी, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों से होकर गुजरती है। गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (पुलीचिन्ताला) सम्पर्क आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले से होकर गुजरती है।

(ख) इन सम्पर्कों के प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय सरकारी संगठनों को भेजे गये हैं।

(ग) उपरिलिखित कार्यों के लिए अलग से निधियों निर्धारित नहीं की गई हैं। तथापि, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रायद्वीपीय और हिमालयी घटकों के अंतर्गत जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का अन्तरण करने के लिए अध्ययन करने हेतु क्रमश: 4 करोड़ रुपये, 5.06 करोड़ तथा 5.20 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान प्रदान किया गया।

चालू वित्त वर्ष के लिए उन सम्पर्कों तथा अन्य सम्पर्कों के व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए अभिकरण को 5.70 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान निर्धारित किया गया है।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निधियों का आबंटन नहीं किया गया है जो सम्पर्क प्रस्तावों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने संबंधित राज्यों के बीच समझौते, सांविधानिक स्वीकृतियों तथा सरकार द्वारा निर्धारित आपसी प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

गोवा में टेलीफोन

4497. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में 28 फरवरी, 1995 तक कितने टेलीफोन कार्यरत हैं और इलेक्ट्रानिक तथा अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) सामान्य और ओ.वाई.टी. श्रेणियों में कितने व्यक्ति प्रतीक्षासूची में हैं और गत दो वर्षों के दौरान श्रेणीवार और स्वतन्त्रता सेनानियों को कितने-कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ग) आठवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली अन्य प्रमुख संचार परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा क्या है और इनके कार्य में कितनी प्रगति हुई है तथा इनके कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज

4498. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने टेलीफोन एक्सचेंजों ने नए टेलीफोन कनेक्शन देना बन्द कर दिया है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों में संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए स्वीकृत मामलों में भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यदि नहीं, तो मुख्य महाप्रबंधक, टेलीफोन, दिल्ली के कार्यालय में उक्त श्रेणी के अन्तर्गत स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के कितने समय बाद टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 123 एक्सचेंज हैं।

(ख) तेखण्ड और रोहिणी एक्सचेंज इस समय अपनी पूर्ण क्षमता से काम कर रहे हैं।

(ग) टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में कमी के कारण।

(घ) एवं (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, जी हां।

(च) उपर्युक्त भाग (घ) एवं (ङ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता तथापि, दिसम्बर, 95 तक रोहिणी तथा तेखण्ड एक्सचेंजों में नई लाइनें जोड़ कर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

कलकत्ता में मोबाइल ट्रंक टेलीफोन

4499. श्री चित्त बसु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में मोबाइल ट्रंक टेलीफोन शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंग्लैंड की मैसर्स फिलिप्स टेलीकाम ने इस क्षेत्र में निवेश करने हेतु सरकार से संपर्क किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान टेलीफोन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) देश में सचल रेडियो ट्रंक सेवा के प्रचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु, निविदा पूछताछ सं. 304-8/94 पी एच सी के जरिए निविदा संबंधी पूछताछ के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। कलकत्ता में 30 (तीस) कंपनियों ने सचल रेडियो ट्रंक सेवा के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में 'स्टेट ऑफ दी आर्ट' प्रौद्योगिकियों को अधिष्ठापित किया गया है। सभी एक्सचेंजों को एक-एक करके इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदल दिया गया है। उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा के स्तर में और सुधार लाने के लिए, मौजूदा पी.सी. क्रॉसबार एक्सचेंजों को भी चरणबद्ध तरीके से बदलने की योजना बनाई गई है। दो नए ई डब्ल्यू एस डी एक्सचेंज पहले ही संस्थापित कर दिए गए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ट्रंक निष्पादन का उन्नयन करने के लिए 1995-96 के दौरान एक कंप्यूटरीकृत डिजिटल ट्रंक एक्सचेंज संस्थापित करने की योजना बनाई गई है।

तेल क्षेत्र विदेशी कंपनियों को सौंपना

4500 प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की इस बहुप्रचलित दृष्टिकोण के प्रति क्या प्रतिक्रिया है कि आगे आने वाले समय में भारत को ऐसे तेल क्षेत्र विदेशी कंपनियों को सौंपने से हानि होगी जहां निश्चित तौर पर तेल पाए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार इस समय बहुत ही कम लाभ पर अपने तेल विदेशी कंपनियों को सौंपने के औचित्य पर फिर से विचार करने की सोच रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) उत्पादन हिस्सेदारी प्रणाली के अन्तर्गत सरकार को निजी पार्टियों द्वारा खोले गए क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में नुकसान का अनुमान नहीं है। दूसरी ओर इससे होने वाले मुख्य लाभ निम्नानुसार हैं :

- इन क्षेत्रों से उत्पादन को शीघ्र आरंभ करके तेल एवं गैस उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा।
- कम भंडार वाले क्षेत्रों को अथवा उन क्षेत्रों को जो संकुचित हो गए हैं तथा उनके लिए वर्द्धित तेल वसूली प्रक्रियाओं की जरूरत होती है; उन्हें विकसित किया जाएगा।
- अद्यतन प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जिसे विदेशी कंपनियां अपने साथ ला सकती हैं, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को अद्यतन किया जाएगा।
- निजी निवेश को आकर्षित किया जाएगा क्योंकि कुछ क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े निवेश की जरूरत है तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों के स्रोतों का प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकेगा।

नई डाक सेवा नीति

4501. श्री मनोरंजन भक्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई डाक सेवा नीति पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) डाक विभाग देश में डाक सेवाएं सुलभ कराने की नीति का निरंतर

अनुसरण करता आ रहा है, जिसमें काउंटर के माध्यम से ग्राहकों को कार्यकुशल सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ त्वरित मेल प्रोसेसिंग और वितरण शामिल है। काउंटर सेवाएं डाकघर नेटवर्क का नियमित विस्तार करके सुलभ कराई जाती हैं जबकि मेल प्रोसेसिंग और वितरण में सुधार कार्यविधियों को युक्तिसंगत बनाकर, उपयुक्त द्रुत परिवहन प्रणालियों को अपनाकर, प्रौद्योगिकी के अधिष्ठापन तथा बेहतर प्रबंध के जरिए किया जाता है।

इसी मूल-नीति को जारी रखते हुए कम्प्यूटर पर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों के प्रयोग, कार्य और कार्य की स्थितियों के अध्ययन द्वारा कार्य-कुशलता बढ़ाकर और कार्य के बेहतर वातावरण के माध्यम से अधिक कार्यकुशल, दोषरहित तथा उत्तरदायित्वपूर्ण काउंटर सेवा द्वारा अधिक ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अब नए प्रयास किए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्य का स्वच्छ तथा आत्मीय वातावरण प्रदान करके कर्मचारी संतुष्टि में संवृद्धि करना और ग्राहकों की भावी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नई मूल्यवर्धित सेवाएं सुलभ कराने में विभाग को समर्थ बनाना भी है।

त्वरित मेल प्रोसेसिंग और वितरण के क्षेत्र में, आधुनिकीकरण के कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी और अन्य मेट्रो शहरी और देश के राज्यों की राजधानियों के बीच पिन कोड अंकित प्रथम श्रेणी की डाक की विशाल मात्रा की प्रोसेगिग और वितरण के लिए अनन्य चैनल उपलब्ध कराना है। ऐसी संभावना है कि डाक के ऐसी सेगमेंटेड प्रोसेसिंग से, डाक प्रणाली का संकुलन कम होगा और इससे डाक प्रणाली सहज रूप से काम कर सकेगी, जिससे डाक सेवाओं के विभिन्न प्रकार के प्रयोक्ताओं को लाभ होगा।

विभाग में उपग्रह संपर्क-क्षमता पर आधारित मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने केलिए भी योजनाएं शुरू की हैं। उपग्रह का प्रयोग करते हुए मनीआर्डर पारेषण और हाइब्रिड मैल सर्विस की शुरूआत ऐसी ही दो योजनाएं हैं। देश में 26 माइक्रो अर्थ स्टेशन पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जो उपग्रह सिगनल भेज़ने और प्राप्त करने में सक्षम हैं। चालू वर्ष के अंत तक 49 और केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है।

'टेलीकॉम रूट्स'

4502. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 'बिल्ड, आपरेट एण्ड ट्रान्सफर' योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को देने के लिए लम्बी दूरी के कुछ दूरसंचार मार्गों की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

4503. श्री राम टहल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है;

(ग) क्या देश में सभी डाकघरों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक विभाग की प्रौद्योगिकी अधिष्ठान द्वारा डाक प्रचालन कार्य को आधुनिक बनाने की योजना है। इस योजना में डाकघर काउंटरों पर ग्राहकों को अधिक कुशल तथा उत्तरदायी सेवा प्रदान करने के लिए 5000 कम्प्यूटर पर आधारित काउंटर मशीनें लगाने पर विचार किया गया है। मेल प्रोसेंसिंग तथा अन्य कार्यों जैसे लेखा-वस्तु सूची नियंत्रण तथा आंकड़ों के संग्रहण और पुन: प्राप्ति के क्षेत्र में कम्प्यूटर पर आधारित प्रौद्योगिकियां शुरू की जा रही हैं।

(ख) देश में 642 डाकघरों में 1650 से भी अधिक डाक काउंटरों पर पर्सनल कम्प्यूटर पर आधारित काउंटर मशीनें मुहैया कराई गई हैं। कम्प्यूटर पर आधारित काउंटर मशीनों का अधिकतम लाभ उठाने के उद्देश्य से, चुनिंदा तथा महत्वपूर्ण डाकघरों में काउंटर कार्य तथा फ्रंट-ऑफिस को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 106 डाकघर शामिल किए गए हैं और चालू वर्ष के दौरान 500 और डाकघरों को शामिल करने की योजना है।

(ग) से (ङ) कम्प्यूटर पर आधारित प्रौद्योगिकी के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधन अपेक्षित हैं। अत: कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम, संसाधनों की उपलब्धता तथा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों की कार्यकुशलता के स्तर में अनुरूप सुधार को ध्यान में रखते हुए, चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रों के बीच पाइप लाइन योजनाएं

4504. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरोप और उत्तरी अमेरिका में राष्ट्रों के बीच विद्यमान पाइपलाइनों के समान एक प्रणाली का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या लाभ मिलेंगे;

(ग) संबंधित योजनाओं को प्रायोजित करने और उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) सरकार और भारतीय उद्यमियों द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) राष्ट्रों के बीच पाइपलाइन योजनाओं के विकास हेतु समग्र योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) पाइपलाइनों के द्वारा 56.6 एम एम एस सी एम डी प्राकृतिक गैस के आयात के लिए मुख्य शर्तों संबंधी एक करार पर ओमान के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। पाइपलाइनों के माध्यम से 50.75 एम एम एस सी एम डी प्राकृतिक गैस के आयात के लिए ईरान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों पाइपलाइन पद्धतियों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है।

विस्थापितों का पुनर्वास

4505. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों, जनजातीय एवं गैर-जनजातीय व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) क्या जनजातीय समुदाय के लोगों को उनकी भूमि के लिए उन्हें अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी गई है तथा उससे कितनी आवर्ती आय होती है;

(ग) क्या जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा उन विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अत्यधिक विरोध किया जा रहा है जिनमें उनकी भूमि तथा आजीविका प्रभावित हो सकती है और बाहर से गैर-जनजातीय लोगों का बेरोक आगमन होगा; और

(घ) क्या सरकार ने जनजातीय लोगों के भय और शंकाओं को दूर करने हेतु कोई कदम उठाए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पुनर्वास नीति तैयार की जा रही है।

(ख) उस नीति में शामिल करने के लिए आदिवासियों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान विचाराधीन हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि ऊपर भाग (ख) में उत्तर दिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाएं

4506. श्री एन.जे. राठवा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास योजना के लिए गुजरात को वर्ष-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या यह आबंटन सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के लिए प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए वर्षवार आबंटन संलग्न विवरण - 1 में दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सातवीं योजना आबंटन संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

आठवीं योजना के लिए आबंटन सातवीं योजना के आबंटनों से अधिक है।

विवरण - I

आठवीं योजना के तहत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए गुजरात हेतु आबंटित धनराशि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	कार्यक्रम कुल आबंटन	1992-93 कुल आबंटन	1993-94 कुल आबंटन	1994-95	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आई आर डी पी	2010.00	3090.00	3063.00	8163.00
2.	जे आर वाई	9611.93	9037.55	9947.86	28597.34

1	2	3	4	5	6
3.	आई जे आर वाई	–	3887.50	3887.50	[illegible]
4.	ई ए एस	–	606.25*	4475.00*	5081.25
5.	डी पी ए पी	746.00	1119.00	1236.00	3101.00
6.	डी डी पी	225.00	337.50	382.00	944.50
	जोड़	12592.93	18077.80	22991.36	53662.09

*केन्द्र द्वारा जारी + राज्य का समनुरूप हिस्सा

विवरण - II

सातवीं योजना (1985-90) के दौरान गुजरात के लिए प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए निधियों का आबंटन

(लाख रुपये)

क्र. सं.	कार्यक्रम	सातवीं योजना (1985-90) कुल आबंटन
1.	आई आर डी पी	10272.54
2.	एन आर ई पी	9726.58
3.	आर एल ई जी पी	8420.92
4.	जे आर वाई	7954.79
5.	डी पी ए पी	3298.00
6.	डी डी पी	878.00
	जोड़	40550.83

[अनुवाद]

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

4507. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आकाशवाणी और दूरदर्शन के कितने केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1995-96 के दौरान आकाशवाणी/दूरदर्शन के और अधिक केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार उन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; जिनका 1993-94 और 1994-95 के दौरान दर्जा बढ़ाया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) विवरण - 1 संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां। संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) विवरण - 3 संलग्न है।

विवरण - I

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या	दूरदर्शन (1.5.95 की स्थिति के अनुसार) ट्रांसमीटर/का.नि.के. की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	12	55
अरुणाचल प्रदेश	4	20
असम	6	17
बिहार	10	39
गोवा	1	1
गुजरात	7	43
हरियाणा	2	8
हिमाचल प्रदेश	4	19
जम्मू एवं कश्मीर	5	28
कर्नाटक	12	36
केरल	7	17
मध्य प्रदेश	19	63
महाराष्ट्र	19	58
मणिपुर	1	5
मेघालय	2	5
मिजोरम	2	3
नागालैण्ड	1	7
उड़ीसा	8	53
पंजाब	3	10
राजस्थान	16	58

1	2	3
सिक्किम	1	5
तमिलनाडु	8	32
त्रिपुरा	3	2
उत्तर प्रदेश	14	71
पश्चिम बंगाल	3	21
दिल्ली	1	4
संघ शासित क्षेत्र		
अंडमान एवं निकोबार		
द्वीप समूह	1	8
चण्डीगढ़	1	2
पांडिचेरी	2	4
लक्षद्वीप एवं मिनीकोए		
द्वीप समूह	1	10
दमन एवं द्वीव	–	2
दादर नगर हवेली	–	1

संकेत का.नि.के. - कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

विवरण - II

1. आकाशवाणी

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान	स्कीम .
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	जीरो	1 कि.वा. मी. वे. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
असम	कोकराझार	2X10 कि.वा.मी.वे. ट्रां. टाइप (आर) स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
	तेजपुर	2X10 कि.वा. मी.वे.ट्रा.एम.पी. स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित नया रेडियो केन्द्र।
	दिफू	1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. एम.पी. स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
हरियाणा	हिसार	2X3 कि.वा. एफ.एम.ट्रा.एम.पी. स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. एवं स्टाफ क्वार्टर सहित रिले केन्द्र।
	कुल्लू	3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. एम.पी. एवं स्टाफ क्वार्टर सहित रिले केन्द्र।
जम्मू एवं कश्मीर	भदरवाह	2X3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. एम. पी. स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
	कारगिल	1कि.वा.मी.वे. ट्रा.एम.पी. स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित नया रेडियो केन्द्र।
कर्नाटक	बीजापुर	2X3 कि.वा.एफ.एम. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर सहित नया रेडियो केन्द्र।
महाराष्ट्र	उस्मानाबाद	2X3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. एम. पी. स्टूडियो सहित नया रेडियो केन्द्र।
मणिपुर	चुराचांदपुर	2X3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो सहित नया रेडियो केन्द्र।
मेघालय	जोवई	2X3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
नागालैण्ड	मोखोकचुंग	2X3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
उड़ीसा	राउरकेला	2X3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
	जोरन्दा	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
	पुरी	3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।
राजस्थान	माउण्ट आबू	2X3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित नया रेडियो केन्द्र।

1	2	3
तमिलनाडु	कोडाईकनाल	2X3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. एम. पी. स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित नया रेडियो केन्द्र।
उत्तर प्रदेश	चमोली	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित नया रेडियो केन्द्र।
	पौड़ी	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित नया रेडियो केन्द्र।
	पिथौरागढ़	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. एवं स्टाफ क्वार्टर सहित रिले केन्द्र।
	उत्तरकाशी	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. एवं स्टाफ क्वार्टर सहित रिले केन्द्र।
	मसूरी	2X5 कि.वा. एफ.एम. सहित रिले केन्द्र।
दमन	दमन	2X3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. बहुउद्देशीय
	(संघ शासित क्षेत्र)	स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र।

दूरदर्शन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित				
	का.नि.सु.	उ.श.ट्रा.	अ.श.ट्रा.	अ.अ.श.ट्रा.	ट्रांसमीटर
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	कुर्नल	कादिरी	चिंतापल्ली	
	विजाग	नदियाल	बेलमपल्ली	पार्वतीपुरम	
	वारंगल	राजामुंद्री	मर्कापुर	सीतमपेट्टा	
		वारंगल	कामारेड्डी		
		हैदराबाद(डीडी2)	कंबलापल्ली		
		ओंगोल	एल.आर.पल्ली		
		बसरा			
		पडेरू			
		नारायणपेट			
		कोसगी			
		पेडानंदिपुड			
		राजमपेट			
		बांसवाड़ा			
		टेकली			
		सिरपुर			
		मचेरला			
		बैसा			
		नरसारपेट			
		अचमपेट			
		देवरकोडा			
		तुनि			

1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश			बोवली		
			पेड़ापल्ली		
			जदचेरला		
			दरसी		
अरूणाचल प्रदेश	इटानगर	मियाओ	पिपु दिपु	साखी	व्यू
			योमचा		
			ताली		
			मिन्योग		
			कालातंग		
			लोगडींग		
			खिमझोंग		
			नामपोंग		
			हवाई		
			क्रोगली		
			हुनली/देसाली		
			गेकू		
			गोलेग		
			मरियांग		
			मेचुका		
			केईग		
			दरका		
			तिरोमोवा		
			तिरबिन		
			जनसी		
			तलिहा		
			बरिरिजो		
			पालिन		
			सांगली		
			छयताजो		
			सीजोसा		
			रूपा		
			मुत्तो		
असम	तेजपुर	सोनारी	डिग्बोई	गुवाहाटी	
	जोरहाट	लुमडि ाग			
	बोगाईगांव	ओजाई			
	कोकराझार	तिनसुखिया			
		बोकाइहाट			
		मागरिट्टा			
		हथासिघीमरी			
बिहार	रांची(संवर्धन)	बेतिया	सुपौल	सिम्देगा	

1	2	3	4	5	6
बिहार	पटना(स्थाई)	जमशेदपुर	नौमुण्डी	गढ़वा	
	डाल्टनगंज	देवधर	कोडरमा		
			फूलपारस		
			सराइकेला		
			पटना (डीडी2)		
			शेखपुरा		
			लखीसराय		
			रामनगर		
			चतरा		
			दाउदनगर		
			सिमरी बख्तियारपुर		
			मधुबनी		
			बरहरवा		
			सिकन्दरा		
गोवा			पणजी (डीडी-2)		
गुजरात	राजकोट (संवर्धन)	भुज (स्थाई)	ईदर		नेतरंग
	जूनागढ़	पालिताना	मोरवी		संगवाड़ा
		सूरत	दीसा		
		बड़ोदरा	राजुला		
		राधनपुरा	अंबालिया		
		जूनागढ़	अमोद		
			मंगरोल (सूरत)		
			खगड़िया		
			लूनावाड़ा		
			जोताड		
			जमजोधपुर		
			राधनपुर		
			राजपिपली		
			ब्यारा		
			धमरपुर		
			उमरगांव		
			मोदसा		
			लिमडी		
			धंधुका		
			धारी		
			उना		
			बन्तवा		
			शामलाजी		
हरियाणा	हिसार	हिसार	रोहतक		
			महेन्द्रगढ़		
			चरकीदादरी		
			फिरोजपुर झिरका/पिनानगांव		

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश	शिमला	धर्मशाला	सुजानपुर		थानेदार
			सुंदरनगर	खड़ापत्थर	
			रामपुर	सिबदर	
			भारती		
			झालमा		
			भरमौर		
			सरकाघाट		
			बियार		
			दासी		
			होली		
			परवान		
			बांदला		
			बीर		
			कंडाघाट		
			डलहौजी		
			निछार		
			रोहरू		
			तिस्सा		
			चौरीखास		
			पिरभयानू		
			झटिंगरी		
			कजा		
			उदयपुर		
			कोटखाई		
			आवा देवी		
			चौपाल		
			करसोग		
			बंजर		
			चूनाघई		
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर (संवर्धन)	लेह	पुंछ	टिथवाल	नगरोटा
		नौशेरा	राजौरी	उरी	
		कठुआ	उधमपुर	बुडढल	
			लेह(डीडी2)	कालाकोट	
				बारामूला	
				थानामण्डी	
				कुद्द	
				बटोट	
				सांझी छत	
				गया	

1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर				रिंगडोम गोम्पा	
				मुलबेख/शारगोख	
				बपिलयाज	
				खाल्सी	
कर्नाटक		गुलबर्गा	गोकाक	सुल्या	
		मंगलौर	जामखंडी	बदामी	
		मैसूर	कुम्टा	मधुगिरि	
		रायचूर	भटकल		
		हासन	हरपनाहल्ली		
		बंगलौर (डीडी2)	बसवा कल्याण		
			सागर		
			हनगोंड		
			अरासकेरे		
			हट्टिहाल		
			दंदेली		
			तुम्कूर		
			पुत्तूर		
			मुधोल		
			तालिकोटा		
			इन्दी		
			हुविन हिप्पारगि		
			हिरियूप		
			हासदुर्ग		
			कुदलिगि		
केरल	त्रिचूर	कालीकट	काननगढ़	मुन्नार	
		केन्नोर	थोडुपुजा	कजिंरापल्लि	
			चेनगन्नुर	एर्जेटुपेट्टा	
			अदूर	मुन्दाक्याम	
			पाला	देवीकोलम	
			कोचीन (डीडी-2)		
			कालीकट (डीडी-2)		
मध्य	रायपुर	अम्बिकापुर	गदरवाड़ा	सिंगरौली	
प्रदेश	ग्वालियर	गुना	कुकड़ेश्वर	कोंदागांव	
	जगदलपुर	शहडोल	सिरोंज	बुधनी	
	इन्दौर	सागर	खुरई	जशपुरनगर	
			मेहर	पाखरजोर	
			भाण्डेर	कोयलिबेड़ा	
			केलारस	पेन्ड्रा रोड	
			शक्ति	डायमण्ड माइनिंग	
			गारोट	मोदकपाल	

1	2	3	4	5	6
			राघोगढ़	बीजापुर	
			भानपुरा		
			नारायणपुर		
			सीतामऊ		
			पिपरिया		
			बड़ा मलहेरा		
			खारोड		
			सारनगढ़		
महाराष्ट्र	बम्बई (विस्तार)	चन्द्रपुर	शिरपुर	अदयाल टेकड़ी	बादलापुर
	नागपुर (संवर्धन)	जलगांव	मेहकर	खेड	
	पुणे	बम्बई(डीडी-3)	देवरूख	राजापुर	
		महिपतगढ़	चिखली	कालवन	
			महासले	मल्कापुर	
			नवापुर	बोकार	
			रावेट		
			पांधरकवड़ा		
			रिसोड		
			कारांजा		
			मानगांव		
			खोपोलि		
			महाड		
			उमरखेड		
			सतना		
			खानपुर		
			मांगधेधा		
			अकालकोट		
			सिरोंचा		
			चन्दूर		
			दरियापुर		
			घाड़गांव		
			नागपुर (डीडी-2)		
			अहेरी		
		चिकोनी			
		अम्बेट			
मणिपुर		चुराचांदपुर	इम्फाल	मोपेन	
			(डीडी-2)	कांगपोकीय	
			जिरिबाम		
मेघालय		शिलांग	बाघमाड़ा	शिलांग	
			(डीडी-2)		

1	2	3	4	5	6
मिजोरम	एजवाल	लुंगलेई	सेहा	चामफेई	एजवाल
			एजवाल		
			(डीडी-2)		
नागालैण्ड		मोकोकचुंग	कोहिमा	फेक	बाराबस्ती
			(डीडी2)	सताखा	
उड़ीसा	सम्बलपुर	बालेश्वर	नयागढ़	ओल	धेनकनाल
	भुवनेश्वर	बहरामपुर	सोनेपुर	मच्छकुंड	चांदीपाड़ा
		सम्बलपुर	मोहाना	थुआमल रामपुर	
		कुचिंडा	चित्रकोंडा		
		तुशारा	सिमलिगुडा		
		पाधा	काशीपुर		
		दशरथपुर	लंजिगढ़		
		कबिसूर्यानगर	जयापटना		
		दुर्गापुर	बड़ाबारबिल		
		तांग/सोहेला	सिमिलीपालगढ़		
		बोनई	उदयगिरि		
		करनजिया	सुकिन्डा		
		राजगांगपुर	कोकसाड़ा		
		डमरकोट	कालामपुर		
		बिरमितरापुर	बारपल्लई		
		खारियार			
		सियुइगुडा			
		केशोरापाड़ा			
		जलापाड़ा			
		गोंदिया			
		नोटपाड			
		बहालदा			
		नागंचि			
पंजाब	पटियाला	फाजिल्का	पटियाला		
		(अंतरिम)			
राजस्थान	उदयपुर	अजमेर	बारि सदरि	भीम	
		अनूपगढ़	हिन्दौन	फतेहपुर	
		बाड़मेर	मकराना	गंगापुर	
				(भीलवाड़ा)	
		बीकानेर	कारौनिक	लालसोट	
		जैसलमेर	फालूदी	लक्ष्मणगढ़	
		जोधपुर	राजगढ़	कोटरा	
		नाथद्वार	(चुरू)	जावर माइन्स	
			माउंट आबू	नीमकाथाना	
			प्रतापगढ़	मंडलगढ़	
			नोहर		

1	2	3	4	5	6
राजस्थान			शाहपुर		
			निमज		
			नवलगढ़		
			सागवाड़ा		
			कुशालगढ़		
			पिवाड़ा		
			नागर		
			किशनगढ़		
			कसीराबाद		
			भिरमाल		
			सोजाट		
			संचोर		
			वाली		
			दरियाबाद		
			बूंशी		
			किरिपाजी		
			भरतपुर		
सिक्किम	गंगटोक		सिंगताम		
			रांगपो		
			जोरेथांग		
तमिलनाडु	सलेम	धर्मपुरी	अरानि	मेट्टूपल्लयाम	
	कायेम्बतूर	कुम्बकोपणन	गुडियाताम	वालपाराई	
		रामेश्वरम	पट्टूकोट्टई	वामिग्र	
		मद्रास	अत्तुर	वाजापाडि	
		(डीडी-3)	शान्यारान		
		तिरूनेलवेली	कोविल		
				कृष्णागिरि	
			उदमलपेट		
			नट्टम		
			सिंग्गी		
			पलंज		
			मारथंडम		
			अमरासमुद्रन		
			देन्ननिकोट्टा		
			वन्दयाबासी		
			चैरियार		
			कल्लाकुरूच		
			थुरूवईपार		
			इरोट		
	त्रिपुरा		कैलाशहर	धर्मनगर	

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा			तेलियामुरा		
			जोवईबारा		
			अमरपुर		
			अम्बासा		
			अगरतला		
			(डीडी2)		
उत्तर प्रदेश	बरेली	बांदा	अल्मोड़ा	बागेश्वर	
	मऊ	लखीमपुर	औरिया	चमोली	
	इलाहाबाद	सीतापुर	गंज डुडवाड़ा	चौखटिया	
	मथुरा	जालोन	हल्द्वानी	दिदियाहाट	
	वाराणसी	चम्पावत	मोहवा	जोशीमठ	
			मऊरानीपुर	देवप्रयाग	
				नौगढ़	लैंसडाऊन
				नई टिहरी	प्रतापनगर
			रूदौली	बिसार	
			कासगंज	दसोट/भिखियासैण	
			कर्णप्रयाग	कलजीखाल	
			नानपाड़ा	गाजा	
			बाराकोट	फतेह पर्वत	
			लालगंज	खेत पर्वत	
			(पायपरिल)	राजगढ़ी	
			धुनाघाट	सिराकोटा/बैकुंठधाम	
			नहौरा	साहिया	
			रूभौली	मनेश्वर/लोहाघाट	
			पाथ	धौसी/रूधौली	
			तालबीहट	मनिला	
			महरोनि	थारलि	
			छिद्रिमल	रूद्रप्रयाग	
			अमरोहा	नन्दप्रयाग	
			कापनी	घड़ियाल	
			बुद्धनगर	मोनिकपुर	
			कोसी	नौगांवखाल	
			कप्तिखान	नैनीडाडा	
			कानपुर		
			(डीडी2)		
			अधदामा		
पश्चिम	कलकत्ता	बलूरघाट	फरक्का	बाघमण्ड	
बंगाल	(संवर्धन)	खड़गपुर	रायसा		
	जलपाईगुड़ी	कृष्णानगर	कलना		
	शांतिनिकेतन	कलकत्ता	गढ़हबेटा		

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल		(डीडी-3)	बहरामपुर कूच बिहार मुर्शिदाबाद (डीडी-3) बहरामपुर		
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर		पोर्ट ब्लेयर (डीडी2)	ग्रेट निकोबार हविलोक कच्चल वारतम	
चंडीगढ़	चंडीगढ़				
दादर एवं नगर हवेली			सिलवासा		
दमन एवं द्वीव				द्वीव	
दिल्ली	दिल्ली (संवर्धन)	दिल्ली (डीडी-3)			
लक्षद्वीप					
पांडिचेरी		पांडिचेरी	पांडिचेरी (डीडी-2)		

10 कि.वा. ट्रांसमीटर द्वारा 1 कि.वा. ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन

1 कि.वा. की क्षमता से 10 कि.वा. की क्षमता में वृद्धि करना।

स्कीम अभी अनुमोदित की जानी है।

डीडी - 2, एल.पी.टी.एस. हेतु चार अतिरिक्त स्थितियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

''दिनांक 9.12.1994 की एस.एफ.सी.बैठक में अनुमोदित परियोजनाओं हेतु औपचारिक स्वीकृति अभी जारी की जानी है।

विवरण - III

1. आकाशवाणी

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थिति	स्कीम
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	10 कि.वा. मी. वे. ट्रा. से 50 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	1 कि.वा. मी. वे. ट्रा. से 100 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
	पासीघाट	500 वाट मी. वे. ट्रा. से 10 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
	तेजू	-वही-
गोवा	पणजी	5 कि.वा. मी. वे. ट्रा. से 2X10 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1 कि.वा. शार्ट वे. ट्रा. से 50 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
केरल	त्रिचूर	20 कि.वा.मी.वे. ट्रा. से 100 कि. कि.वा. ट्रा.
मध्य प्रदेश	भोपाल	1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. से 10 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
	भोपाल	10 कि.वा. शार्ट. वे.ट्रा. से 50 कि.वा. शा.वे.ट्रा.
महाराष्ट्र	बम्बई	-वही-
उड़ीसा.	जयपुर	20 कि.वा. मी. वे.ट्रा. से 100 कि.वा. मी.वे.ट्रा.
तमिलनाडु	मद्रास	10 कि.वा. शार्ट. वे.ट्रा. से 50 कि.वा. शा.वे.ट्रा.
	मद्रास (ग)	2.5 कि.वा. मी.वे. ट्रा. से 20 कि.वा. मी.वे. ट्रा.
पं.बंगाल	कलकत्ता	10 कि.वा. मी. वे ट्रा. से 50 कि.वा.मी. वे. ट्रा.

2. दूरदर्शन

1	2	3
असम	हाफलॉग	ट्रांसपोजर का अशट्रा में उन्नयन
आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	-वही-
गुजरात	भुज	अशट्रा का उशट्रा में उन्नयन
	अहमदाबाद (डीडी-2)	-वही-
	देवगढ़ - बरिया	अशट्रा से अशट्रा
हिमाचल प्रदेश	शिमला	अशट्रा से उशट्रा
केरल	कालीकट	-वही-
मध्य प्रदेश	जबलपुर	उशट्रा (1 किवा) से उशट्रा (10 किवा)
उड़ीसा	पल्लाहारा	अअशट्रा से उशट्रा
राजस्थान	बूंदी	अशट्रा से उशट्रा
सिक्किम	गंगटोक	-वही-
तमिलनाडु	रामेश्वरम	-वही-
	उदगमण्डलम	ट्रांसपोजर से अशट्रा
उत्तर प्रदेश	मऊ	अशट्रा से उशट्रा
लक्षद्वीप	काबारत्ती	अअशट्रा से अशट्रा
पाण्डिचेरी	कराईकल	-वही-

ट्रा - टांसमीटर
लीजेण्ड - उशट्रा - उच्च शक्ति टांसमीटर
अशट्रा - अल्प शक्ति टांसमीटर
अअशट्रा - अति अल्प शक्ति टांसमीटर

योजना परिव्यय

4508. डा. वंसत पवार : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वार्षिक योजना परिव्यय के अंतर्गत राज्यों को 1994-95 के दौरान कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो आबंटित की गयी धनराशि का पूरा उपयोग नहीं कर सके; और

(ग) खर्च नहीं की गयी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) वार्षिक योजना 1994-95 के लिए अनुमोदित परिव्ययों, संशोधित परिव्ययों तथा अनुमोदित एवं संशोधित अनुमोदित परिव्ययों के बीच राज्यवार अंतर दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजना 1994-95 मूलरूप से अनुमोदित/संशोधित परिव्यय-राज्य

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना 1994-95		
		मूलरूप से अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	अंतर (कालम 4-कालम 3-)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2130.00	2170.00	40.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	335.00	332.97	-2.03
3.	असम	1051.00	997.20	-53.80
4.	बिहार	2400.00	900.00	-1500.00
5.	गोआ	182.00	163.38	-18.62
6.	गुजरात	2240.83	2240.00	0.83
7.	हरियाणा	1025.00	1019.05	-5.95
8.	हिमाचल प्रदेश	650.00	666.32	16.32
9.	जम्मू व कश्मीर	950.00	868.00	-82.00
10.	कर्नाटक	3275.00	2800.00	-475.00
11.	केरल	1260.00	1260.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2750.00	2253.29	-496.71
13.	महाराष्ट्र	4400.00	4758.00	358.00
14.	मणिपुर	240.00	214.50	-25.50
15.	मेघालय	281.00	232.12	-48.88
16.	मिजोरम	207.66	202.53	-5.13
17.	नागालैंड	220.00	84.39	-135.61
18.	उड़ीसा	1951.00	1464.18	-486.82
19.	पंजाब	1450.00	1374.46	-75.54
20.	राजस्थान	2450.00	2450.00	0.00
21.	सिक्किम	135.00	135.00	0.00
22.	तमिलनाडु	2750.00	2750.75	0.75
23.	त्रिपुरा	310.00	244.57	-65.43
24.	उत्तर प्रदेश	4562.00	3639.84	-922.16
25.	पश्चिम बंगाल	1706.00	1483.31	-222.69

बाम्बे हाई से आन्ध्र प्रदेश तक गैस पाइपलाइन बिछाना

4509. **डा.के.वी.आर. चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को प्राकृतिक गैस आपूर्ति हेतु 'बाम्बे हाई' से आंध्र प्रदेश, दक्षिण क्षेत्र तक गैस पाइपलाइन बिछाने संबंधी कोई योजना सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैस पाइपलाइन बिछाने संबंधी सम्भाव्यता अध्ययन को शीघ्र पूरा करने और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) दक्षिण गैस ग्रिड की अवधारणा को सरकार द्वारा सिद्धांत: अनुमोदित कर दिया गया है। गैस आधारित इकाइयों के संबंध में स्थान एवं जरूरतें दक्षिणी राज्यों के साथ परामर्श करके निश्चित की जाएंगी।

अनाथालय

4510. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री शिव शरण वर्मा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में कुल कितने अनाथालय हैं;

(ख) इन अनाथालयों से कितने अनाथ लाभान्वित हो रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इन अनाथालयों के कार्य-निष्पादन के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (सीता राम केसरी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विस्थापितों का पुनर्वास

4511. **श्री के. प्रधानी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितने लोग विस्थापित हुए;

(ख) क्या कोयला कंपनियों द्वारा उन विस्थापित लोगों को जिनकी भूमि कोयला खनन परियोजनाओं के अंतर्गत अधिग्रहित कर ली गई है; पुनर्वास के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अब तक कितने लोगों का पुनर्वास किया गया है; और

(ङ) शेष लोगों का कब तक पुनर्वास कर दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क), (घ) और (ङ) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा प्राप्त की गई सूचना के अनुसार राज्य-वार ऐसे परिवारों का ब्यौरा, जिन्हें अपने आवासों से (मार्च, 1995 तक) कोयला कंपनियों द्वारा उनकी भूमि अधिग्रहित किए जाने के कारण विस्थापित कर दिया गया था, नीचे दर्शाया गया है : -

राज्य	विस्थापित परिवारों की संख्या
पश्चिम बंगाल	52
बिहार	1514
महाराष्ट्र	1438
मध्य प्रदेश	2096
उत्तर प्रदेश	646
उड़ीसा	137

को.इं.लि. के अनुसार सभी विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) कोयला कंपनियों द्वारा भू-वंचितों की पुनर्वास के लिए कार्रवाई योजना सरकार द्वारा दिनांक 19.10.1990 को जारी परिपत्र सं. 49019/4/86-सीपी/एलएसडब्लू के आधार पर एक पुर्नवासित पैकेज के अंतर्गत तैयार की जाती है। इस पैकेज में निम्न व्यवस्था की गई है : -

(1) अकुशल तथा अर्ध-कुशल श्रेणियों में परियोजनाओं में सृजित होने वाले नए रोजगार की सीमा तक, उक्त रोजगारों को भू-वंचित परिवारों के लिए पूर्णतया : आरक्षित रखा जाएगा।

(2) भू-वंचितों को उपयुक्त व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाएंगी ताकि उन्हें तरजीह के आधार पर परियोजना की अन्य श्रेणियों के कार्यों में रोजगार हेतु उनकी कुशलता को प्रोन्नत किया जा सके।

(3) सभी भू-वंचित परिवारों को उपयुक्त संरचनात्मक ढांचे पर वैकल्पिक आवास आबंटित किए जाएंगे। प्रतयेक भू-वंचित परिवार को 2,000/- रु. की स्थानान्तरण भत्ते की अदायगी की जाएगी और 5,000/- की एकमुश्त राशि का अनुदान आवास के लिए दिया जाएगा।

(4) अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि के लिए मुआवजे की राशि अग्रिम के रूप में जिला प्रशासन के पास जमा कर दी जाएगी ताकि विस्थापित भू-स्वामी परिवारों को मुआवजे की अदायगी के मामले में कोई विलंब न हो।

(5) ऐसे परिवार जिनके एक सदस्य को रोजगार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें 20 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित दरों पर जीवन-निर्वाह भत्ते की अदायगी की जाएगी और जीवन-निर्वाह भत्ते की राशि 20 वर्ष की अवधि के आधार पर पंजीकृत कर दी जाएगी और इस राशि को भू-वंचित को वितरित किए जाने के लिए सम्बद्ध राज्य सरकार के पास रख दिया जाएगा।

इसके अलावा, को.इं.लि. ने एक पुनर्वास तथा विस्थापना की नीति भी अपनाई है। इस नीति में, अन्य बातों के अलावा, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षण और विस्थापना तथा पुनर्वास कार्रवाई योजनाओं को तैयार किया जाना शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक टेलीफोन

4512. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर एस टी डी सुविधा सहित लगाए गए सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्यों/सर्किलों के नाम	राष्ट्रीय राजमार्गों पर एस.टी.डी. सुविधा सहित लगाये गये सार्वजनिक टेलीफोन वर्ष 1993-94	1994-95
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	-	-
2. असम	8	2
3. बिहार	51	40
4. गुजरात	10	25
5. जम्मू व कश्मीर	4	8
6. केरल	6	6
7. कर्नाटक	2	9
8. मध्य प्रदेश	-	21
9. महाराष्ट्र	68	-
10. उड़ीसा	56	10
11. हरियाणा	20	18
12. हिमाचल प्रदेश	-	18
13. पंजाब	1	3
14. राजस्थान	29	1
15. उत्तरपूर्वी (अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मिजोरम मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा सहित)	1	7
16. तमिलनाडु	6	1
17. उत्तर प्रदेश	16	17
18. पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	10	1

मध्य प्रदेश में टेलीफोन

4513. **श्री खेलन राम जांगड़े** :

श्री पवन दीवान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन देने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह लक्ष्य पूरी तरह हासिल कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कुल कितना व्यय किया गया?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां। 1993-94 के दौरान निर्धारित लक्ष्य पंचायत ग्रामों से संबंधित थे, जबकि 1994-95 के निर्धारित लक्ष्य पंचायत ग्रामों सहित सामान्य गांवों से संबंधित थे।

(ख) विवरण निम्न प्रकार है : -

वर्ष	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का लक्ष्य
1993-94	600 पंचायत ग्राम
1994-95	5706 पंचायत ग्रामों सहित गांव

(ग) जी हां।

(घ) विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	प्रदान किए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन
1993-94	6157 पंचायत ग्राम
1994-95	7869 पंचायत ग्रामों सहित गांव

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने पर लगभग 175,32 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

4514. श्री डी.वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग का प्रयोक्ताओं के परिसरों तक आप्टिकल फाइबर केबल पर डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यवार इन एक्सचेंजों को कब तक लगाया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर भाग 'क' के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऊपर भाग 'क' के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लघु टेलीफोन एक्सचेंज

4515. श्री महेश कनोडिया :

श्री पंकज चौधरी :

श्री रामपाल सिंह :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली में उपभोक्ताओं के आवास में नि:शुल्क लघु टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक योजना शुरू हो जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, एम टी एन एल ने ज्यादा टेलीफोनों वाली इमारतों में मूल एक्सचेंज से जुड़ी छोटी रिमोट यूनिट संस्थापित करने की योजना बनाई है, बशर्ते कि इमारतों में इसके लिए अपेक्षित स्थान एवं विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो। इन यूनिटों से प्रदान किए गए कनेक्शनों से सामान्य टैरिफ वसूल किया जाएगा। ऐसी यूनिटों की योजना एवं संस्थापना का कार्य स्थान तथा उपस्कर की उपलब्धता एवं तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाएगा।

'को-ब्रांडिड क्रैडिट कार्ड'

4516. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने बैंक आफ बड़ौदा के साथ देश में पहली बार 'को-ब्रांडिड केडिट कार्ड' शुरू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इससे उपभोक्ता किस प्रकार लाभान्वित होंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) भारत बाब प्रीमियम और भारत बाबकार्ड नाम के दो प्रकार के कार्ड होंगे जिनका सांझा व्यापार चिन्ह होगा और जिन्हें कार्ड धारक और बाबकार्ड्स लिमिटेड के बीच परस्पर सहमत निबंधों और शर्तों पर ग्राहकों को बाबकार्ड्स लिमिटेड द्वारा जारी किया जायेगा। ये क्रेडिट कार्ड आरंभ में बम्बई, पुणे, बंगलौर, कलकत्ता दिल्ली, हैदराबाद, और मद्रास में बी पी सी एल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर स्वीकार किए जाएंगे। बी पी सी एल समन्वयकार का कार्य करेगी परन्तु यह कार्डधारकों से बकाया उगाहने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी कार्डधारकों को इस क्रेडिट सुविधा के लिए सेवा प्रभार का भुगतान करना होगा।

(ग) सांझे व्यापार चिन्ह वाले कार्ड आरंभ होने से खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपभोक्ता अनुकूल व्यापार की सुविधा प्राप्त होगी। इस क्रेडिट सुविधा के कारण उपभोक्ता को तेल ईंधन खरीदने के लिए एक बड़ी धनराशि अपने साथ नहीं ले जानी पड़ेगी।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पुरस्कार

4517. श्री राम कापसे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सेवा का दुरूपयोग करने वालों के संबंध में जानकारी देने वालों के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने पुरस्कारों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक कितने व्यक्तियों को कितनी राशि के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं; और

(घ) इस योजना से विभाग को कितना फायदा हुआ है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) इस स्कीम में सूचना देने वाले ऐसे व्यक्तियों को इनाम देने की परिकल्पना की गई है जो टेलीफोन लाइनों के धोखाधड़ी से उपयोग करने वालों का पता लगाने में सहायता करते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति, सतर्कता अनुभाग के कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी बाहरी व्यक्ति या अथवा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/सरकारी कर्मचारी होने चाहिएं। इनाम की अधिकतम धनराशि प्रति व्यक्ति 5,000/- रुपये है और किसी एक मामले के लिए इनाम की अधिकतम धनराशि 50,000/- रुपये है इनाम की राशि का निर्धारण प्रत्येक मामले में किसी व्यक्ति की भूमिका आधार पर किया जाता है।

(ग) 23 व्यक्तियों को इनाम दिए गए हैं और उन्हें उपयोगी सूचना देने के लिए इनाम के रूप में, 26,000/- की धनराशि दी गई है।

(घ) इस स्कीम के परिणामस्वरूप महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अब तक अनियमितताओं के 11 मामलों का पता लगा सका है।

[हिन्दी]

दूरसंचार को निगम का दर्जा

4518. **श्री भावना चिखलिया :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरसंचार विभाग को निगम का दर्जा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ग) सभी संबंधित धारकों को ध्यान में रखते हुए इस समय दूरसंचार सेवाओं के प्रबंध के लिए एक सरकारी निगम स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग 'क' और 'ग' में दिये उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कच्चे तेल की मूल्य निर्धारण योजना को समाप्त करना

4519. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे तेल के उत्पादकों पर लागू सरकारी मूल्य योजना को समाप्त करने का था; और

(ख) यदि हां, तो इसे समाप्त करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ओ एन जी सी / ओ आई एल को क्रूड के लिए निवेश की गई पूंजी पर 15 प्रतिशत प्रत्याय (कर पश्चात) सहित उत्पादन लागत के आधार पर भुगतान किया जाता है। तथापि, उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अन्तर्गत उत्पादन किए गए क्रूड के लिए क्रूड के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की अनुमति दी गई है।

टेलीफोन मीटर

4520. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के आवास पर टेलीफोन मीटर लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं। विभाग ने उपभोक्ता के परिसर में टेलीफोन मीटर संस्थापित करने के प्रस्ताव की समय-समय पर जांच की है और इसे अव्यवहार्य पाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शेयरों का विनिवेश

4521. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का अपने शेयरों के विनिवेश का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शेयरों के इस विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा देश में संचार नेटवर्क के विकास हेतु किया जाएगा;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं। एम टी एन एल अपनी इच्छा से अपने शेयर (इक्विटी) नहीं बेच सकता। तथापि, वित्त मंत्रालय तथा लोक उद्यम विभाग की ओर से एम टी एन एल की इक्विटी के एक छोटे हिस्से को बेचने का प्रस्ताव है।

(ख) अनुमोदन प्राप्त होने पर उपर्युक्त इक्विटी को निर्धारित मूल्य के पब्लिक इशू के जरिए बेचने का प्रस्ताव है। इशू निकालने का समय प्रमुख प्रबंधकों के परामर्श से तय किया जाएगा।

(ग) इस इक्विटी को बेचने से जो राशि प्राप्त होगी वह भारत सरकार के नाम जाएगी और यह एम टी एन एल के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) नीति के अनुरूप, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी बेचने से जो राशि प्राप्त होती है वह सरकार के नाम जाती है तथा नए सिरे से इक्विटी इशू निकालने के माध्यम से जो राशि प्राप्त होती है वह संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिलती है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की नयी सेवाएं

4522. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि. ने हाल ही में नई दिल्ली में 'वाक-इन टेलीफोन डायरेक्टरी इंक्वायरी सर्विसेज' तथा 'आउटलाइन इंक्वायरी सर्विस फार मद्रास' नाम की दो नयी सेवाएं आरम्भ की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त दो सेवाओं से किन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाएगी;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य बड़े शहरों में ऐसी ही सेवाएं शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब;

(ङ) क्या टेलीफोन प्रयोक्ता सेवाओं में विशेष रूप से पश्चिमी दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों की खराबी ठीक करने के लिए की गयी टेलीफोन कालों को रिकार्ड करने तथा उनका जवाब देने के संबंध में सुधार करने का कोई विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख): (1) अनेक लोग केन्द्रीय तार घर में तार बुक कराने के उद्देश्य से आते हैं और वे डाक सेवाओं तथा दूरसंचार केन्द्र की सेवाओं का भी लाभ उठाते हैं। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सी टी ओ कम्पाउंड में कम्प्यूटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ काउंटर खोला गया है, जहां वे डायरेक्टरी पूछताछ की तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(2) मद्रास के टेलीफोन नम्बरों के बारे में तरह-तरह की तत्काल जानकारी देने के उद्देश्य से, 183 के अलावा एक विशेष टेलीफोन नम्बर वाली समर्पित सेवा शुरू की गई है।

(ग) और (घ) अन्य बड़े शहरों से बाहर के स्थानों के बारे में पूछताछ सेवा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) महानगर टेलीफोन निगम लि. के अंतर्गत सभी एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सेवा उपलब्ध है और पश्चिमी दिल्ली सहित यह सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(च) संतोषजनक सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोष मरम्मत सेवाओं के कार्यकरण को सतत रूप से मानीटर किया जा रहा है। शिकायत दर्ज कराने के लिए मौजूदा 198 × 2198 नम्बरों के अलावा, दिल्ली में शिकायत दर्ज कराने के लिए हाल ही में वायस मेल बॉक्स सेवा शुरू की गई है। यदि उपभोक्ता को 198 × 2198 न मिले तो वे उस एक्सचेंज के निर्धारित वायस मेल बक्सों में शिकायत के ब्यौरे दर्ज कर सकते हैं। दोष मरम्मत सेवाओं के कार्यकरण में आगे और सुधार करने के उद्देश्य से 1995-96 के दौरान शेष सभी एक्सचेंजों में कम्प्यूटरीकृत दोष मरम्मत सेवा शुरू किए जाने की योजना है। दिल्ली के 8 एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सेवा का पहले ही कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाएं

4523. डा. साक्षीजी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करने हेतु भेजी गई सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करने हेतु कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक विकास दर

4524. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में कितनी कम है;

(ख) सरकार ने मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों के बराबर लाने की

दृष्टि से उस राज्य की विकास दर में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कुल विकास दर कितनी-कितनी रही?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग) गत दो वित्त वर्षों के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास दर संलग्न विवरण में दी गई है।

राज्य का समग्र विकास मूलत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के ढांचे के अन्दर राज्यों को मुख्य राष्ट्रीय उद्देश्यों से संगत आर्थिक आयोजना तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए, किन्तु प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारों द्वारा तय प्राथमिकताओं के आधार पर आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करती है। राज्य के लिए आठवीं योजना परिव्यय 11,100 करोड़ रुपये पर निर्धारित हुआ है। आठवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान राज्य को अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित योजना परिव्यय आबंटित किया गया है।

(रुपये करोड़ों में)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
कुल योजना परिव्यय	2400	2400	2750	2900

विवरण

गत वर्ष की तुलना में सतत (1980-81) मूल्यों पर एन.एस.डी.पी. की आर्थिक विकास दर

(प्रतिशत)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	-2.2	5.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.9	7.8
3.	असम	5.4	-
4.	बिहार	2.2	-
5.	गोवा	5.6	2.2
6.	गुजरात	14.6	-
7.	हरियाणा	0.9	4.2
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-
9.	जम्मू और कश्मीर	4.1	-
10.	कर्नाटक	4.3	4.1
11.	केरल	5.9	4.6
12.	मध्य प्रदेश	5.0	6.7
13.	महाराष्ट्र	11.5	7.6
14.	मणिपुर	-	-
15.	मेघालय	7.5	10.2
16.	नागालैंड	-	-
17.	उड़ीसा	2.8	-
18.	पंजाब	4.0	4.5
19.	राजस्थान	11.8	6.9
20.	सिक्किम	-	-
21.	तमिलनाडु	2.2	-
22.	त्रिपुरा	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	1.7	3.0
24.	पश्चिम बंगाल	4.3	-
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14.3	-
26.	दिल्ली	-	-
27.	पांडिचेरी	2.0	-

एन.एस.डी.पी. - निवल राज्य घरेलू उत्पाद

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, संसद सदस्या कुमारी ममता बनर्जी भूख हड़ताल पर बैठी हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक के बाद एक को अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने एक महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए मुझे अवसर दिया। सारे देश में एक अजीब तरह का वातावरण बना हुआ है। शहरों की आबादी बढ़ने के कारण जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं और सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विशेष तौर पर जो विश्वविद्यालयों की जमीनें देश भर में हैं, सरकार की जो जमीनें हैं, और जो सरकारी बंगले हैं, इन सब पर कब्जा करने का चलन सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर बड़ी तेजी से चला हुआ है और पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया बना हुआ है। पिछले दिनों से ओखला में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में जमीन का विवाद बना हुआ है कि विश्वविद्यालय की जमीन पर भू-माफिया के लोगों ने कब्जा कर लिया हैं वहां ओखला में जमीन 2000 रुपए वर्ग गज हो गई है। विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। विश्वविद्यालय के छात्रावास में एक सपील थी, जिसको तोड़कर भू-माफिया के लोगों ने विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब यह है कि वे पुलिस और प्रशासन से मिले हुए हैं। नतीजा यह है कि उस जमीन पर कब्जा करने वाले और विद्यार्थियों के बीच में झगड़ा पैदा हुआ। 12 मार्च को विद्यार्थियों पर गोली चली और विद्यार्थियों पर केस चल रहे हैं। उनको परेशान किया जा रहा है। सरकार से मैंने इस बारे में बात की। गृह मंत्री से बात की, सईद जी से बात की। वहां पर पर चार दिन पहले तो गजब हो गया कि विश्वविद्यालय का एक छात्र जिस पर अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं थी और जो जीवन भर मेधावी छात्र रहा, वह अपने स्कूटर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जा रहा था। पुलिस के थाने के सामने उसको पकड़ा गया और बंद करके उस नौजवान को मारा गया जिससे उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उस पर 14 केस चलाए गए। वहां जमीन पर कब्जा करने की एक बड़ी समस्या है जिसके खिलाफ नौजवान लड़ते हैं। पुलिस और प्रशासन बोलने को तैयार नहीं है। यही हालत बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का है जिसका बड़ा इलाका भू-माफिया के कब्जे में चला गया है। यहां पी.एम. सईद बैठे हैं। मैंने उनको पत्र लिखा। मैंने फोन पर उनसे बात की कि यह लड़का जब 12 मार्च को परीक्षा देने जा रहा था, तो आपके यहां के एस.एच.ओ. ने रिवॉल्वर से लड़कों पर गोलियां चलायीं जिसकी तस्वीर पूरे देश की प्रेस में भी छपी है। उस नौजवान ने विरोध किया था कि विश्वविद्यालय की सपील को तोड़कर भू-माफिया जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद वहां के विश्वविद्यालय के नौजवानों पर हजारों झूठे मुकदमें चलाए जा रहे हैं।

एक केस जिसके बाबत मैंने आपको फोन करके, पत्र लिखकर कहा कि तिहाड़ जेल में उस आदमी को 307 से लेकर जितनी भी धाराएं हैं वे सब लगाने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहां पी.एम. सईद साहब हैं, यह बहुत गंभीर मामला है। ये विश्वविद्यालय लोगों ने बहुत मेहनत से बनाए हैं, वहां जमीन बड़ी महंगी हो गयी है। उनके पास अपार संपत्ति है और वे पैसा देकर वहां के प्रशासन व अफसरों को प्रभावित करके नौजवानों को जिस ढंग से तबाह कर रहे हैं उससे कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हमने बहुत कोशिश की कि कोई आन्दोलन मत करो, मीटिंग मत करो, हमें भी वहां जाना था लेकिन हमने उसे टाला कि किसी तरह की कोई अप्रिय बात न हो। आप इसमें जरूर इन्टरविन करने का काम करें। वहां समस्या बहुत गंभीर है और इस गंभीर समस्या को लगातार टालने का काम न करें, यह मेरी आपसे विनती है। . . . (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : हम लोगों ने नोटिस दिया है। . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, हमारी एक संसद सदस्या कुमारी ममता बनर्जी सरकार द्वारा टाडा को जारी रखने के संबंध में दिये गये विवादास्पद वक्तव्य के विरूद्ध संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठी हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि टाडा में कुछ संशोधन लाया जाएगा। परन्तु, दूसरे दिन तुरन्त ही गृह मंत्रालय की ओर से इस आशय का वक्तव्य जारी किया गया कि टाडा को उसी रूप में जारी रखा जाएगा।

महोदय, आज समाचार पत्रों में ये खबर छपी है कि दो मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। चारों ओर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री यहां उपस्थित है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार और गृह मंत्रालय का इस संबंध में क्या विचार है। पूरा सदन आन्दोलित है। हम नहीं चाहते हैं कि टाडा को उसी रूप में जारी रखा जाए। हम टाडा के विरूद्ध हैं और हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। समस्त अल्प संख्यक एवं पिछड़ा जाति समुदाय इससे भयभीत है।

महोदय, हममें ऐसी भावना नहीं है कि हम इस देश के वासी हैं। हमारा जीवन खतरे में है। हजारों की संख्या में लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। हम इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री की वचनबद्धता के खिलाफ वक्तव्य कैसे जारी कर सकते हैं ? हम जानना चाहते हैं कि वक्तव्य जारी करने का अधिकार प्रधान मंत्री जी का है अथवा गृह मंत्री का ? हम यह जानना चाहते हैं (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, इसमें परस्पर विरोध है। गृह मंत्री जी कुछ कहते हैं और राज्य मंत्री कुछ और कहते हैं। गृहमंत्री और गृह राज्य मंत्री के बीच क्या अन्तर है ? गृह राज्य मंत्री जब एक वक्तव्य जारी करते हैं तो गृह मंत्री इसका खण्डन करते हैं। क्या पूरा कांग्रेस दल विभाजित है ? क्या आप प्रधान मंत्री जी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : हम उतने भ्रमित नहीं हैं जितने की आप हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की स्थिति स्पष्ट है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए अपने वक्तव्य में यह बात और स्पष्ट कर दी है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि टाडा के कुछ खंडों का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि आज टाडा जिस रूप में है, उसे उसी रूप में जारी रहने नहीं देना चाहिए विपक्षी दलों के नेताओं के साथ परामर्श करने के पश्चात एक नया विधान लाया जाएगा। यह प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है और इस संबंध में सरकार ने यही रुख अपनाया। जब प्रधान मंत्री जी वक्तव्य जारी कर चुके हैं तो हमें समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए भले ही समाचार पत्रों में जो कुछ भी प्रकाशित हुआ हो और उसे जिस रूप में भी दर्शाया गया हो। प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य सरकार की ओर से दिया गया वक्तव्य है और हम इसे सही माने में लागू करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का अर्थ है कि वर्तमान टाडा अधिनियम को निरस्त करना होगा। टाडा को निरस्त करना होगा और उसके स्थान पर आप जो भी अधिनियम लाना चाहें ला सकते हैं। क्या आप स्पष्ट रूप से यह बताएंगे कि आप वर्तमान अधिनियम को निरस्त करना चाहते हैं अथवा नहीं ? . . . (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि एक नया विधान लाया जाएगा . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं . . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा। आप एक के बाद एक क्यों नहीं बोलते हैं? आप इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं . . . जी हां, श्री सोमनाथ चटर्जी जी।

. . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दूंगा। पहले श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने दीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, जहां तक टाडा का संबंध है, मुझे विश्वास है कि सम्पूर्ण देश टाडा को निरस्त करने के मामले पर एक है। . . . (व्यवधान) शायद एक नहीं है। आप किसी भी व्यावहारिक बात पर सहमत नहीं हो रहे है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आप कैसे कह सकते हैं कि सम्पूर्ण देश टाडा को निरस्त करने के मामले में एक है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि शीघ्र ही लोग इस बारे में अपना फैसला सुनाएंगे। केवल नासमझ लोगों को छोड़कर इस देश के सभी समझदार लोग टाडा को निरस्त करने के पक्ष में हैं। अत: सरकार को पूरी तरह से इसे स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि सरकार कोई दूसरा कानून लाना चाहती है तो पहले हमें उस कानून का प्रारूप तैयार करना होगा। यदि सरकार चाहती है तो हम उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। अन्यथा, प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य जारी करने के पश्चात, टाडा को जारी रखा जाय अथवा नहीं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक आयोजित करने का क्या मतलब था ? हम बैठक में केवल चर्चा करने के लिए भाग नहीं लेना चाहते हैं। इस आशय का स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं "इसके साथ टाडा को निरस्त किया जाता है। इस वैकल्पिक सुझाव के साथ हमें सदन के समक्ष उपस्थित हुए हैं। कृपया आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।" यदि ऐसी स्थिति है तो हम स्थिति को समझ सकते हैं और अपने विचार व ठोस सुझाव दे सकते हैं। लेकिन मामला यह नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, श्री राजेश पायलट द्वारा अभी-अभी जारी किये गये वक्तव्य ने भ्रम को और बढ़ा दिया है। इस बारे में सरकार की स्थिति स्पष्ट होनी है। कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री जी ने कहा . . . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रधान मंत्री जी द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्य को प्रामाणिक मानते हैं अथवा नहीं ?

श्री श्रीकान्त जेना : प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध नहीं करते हैं। उनका व्यक्तिगत रूप से विरोध करने का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रधानमंत्री की हैसियत से बोल रहे थे।

श्री राजेश पायलट : महोदय, माननीय सदस्य सदन को भ्रमित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 'व्यक्तिगत' शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है मैं वह पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

श्री कान्ता जेना : परन्तु आप यह स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कह देते हैं कि टाडा को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना जी, कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

. . . (व्यवधान)

श्री ए.चार्ल्स : वह प्रधानमंत्री जी से जबरदस्ती अपनी बात नहीं कहलवा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सदन में इस विषय पर भाषण दिया है तब इस मामले को उठाना आपके लिए उपयुक्त नहीं है।

श्री श्रीकान्त जेना : हमारी यह स्पष्ट मांग है कि टाडा को निरस्त किया जाना चाहिए। इसे कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। यदि सरकार के पास इसका कोई और विकल्प है तो वह विभिन्न राजनैतिक दलों के समक्ष उसे प्रस्तुत करें। परन्तु सरकार ऐसा रुख अपना रही है मानो वह इस कठोर कानून को दूसरे रूप में जारी रखना चाहती हैं और हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि टाडा को उसी रूप में निरस्त कर दिया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम इस चर्चा को जारी रखें, इससे पहले कोई हमें यह क्यों नहीं बताता है कि प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में वास्तव में किन शब्दों का प्रयोग किया था ?

श्री राजेश पायलट : मेरे पास उस दिन प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया भाषण है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा :

"यद्यपि यह कानून देश के कुछ भागों में आतंकवादी गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए 1986 में लाया गया था, किन्तु मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि इसके कुछ प्रावधानों का दुरूपयोग हुआ है जिसके कारण कुछ लोगों को परिहार्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैंने स्पष्ट रूप से यह सोच लिया है कि इस कानून को यथास्थिति जारी नहीं रखना चाहिए। गृह मंत्री से परामर्श करने के बाद, अब गृह मंत्रालय विपक्षी दलों के नेताओं के साथ उन विकल्पों पर परामर्श कर रहा है जो कि हमारे सामने हैं।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे भाषण का अपना अर्थ लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसमें भ्रम की बात कहां पर है। मुझे तो भ्रम वाली कोई बात दिखाई नहीं देती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : इसमें कोई भ्रम नहीं है। यहां पर कानून का मुद्दा नहीं है। मुद्दा दोहरा है। प्रथमत: 1986 में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी उसके कारणवश एक ऐसा विधान बनाना पड़ा था जिसके बारे में विपक्ष में हममें से कई लोगों ने संदेह व्यक्त किया था कि इस प्रकार के असाधारण कानून का दुरूपयोग होने की संभावना है। सरकार ने सदन को आश्वासन दिया था कि उसका दुरूपयोग नहीं होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे हमेशा ऐसा ही कहते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह सच है कि वे हमेशा ऐसा ही कहते हैं। अत: इसमें समस्या कानून की वजह से उत्पन्न नहीं हुई है बल्कि कतिपय सरकारों द्वारा उसके दुरूपयोग किये जाने से उत्पन्न हुई।

दूसरे, उसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिसकी वजह से उसके दुरूपयोग किये जाने की अधिक संभावनाएं हैं। अत: प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा था, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ, वह यह था कि यह कानून अपने वर्तमान रूप में जारी नहीं रहेगा। इसमें कुछ संशोधन किये जाएंगे। मैं इतना ही समझ पाया हूँ। मैं नहीं जानता कि वास्तव में सरकार के मन में क्या बात है। हो सकता है कि इस कानून के स्थान पर दूसरा कानून आ जाए। परन्तु मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि देश के सामने आतंकवाद एवं विध्वंस की समस्या अभी भी बनी हुई है। देश के समक्ष यह समस्या बनी हुई है और कोई भी देश ऐसी समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं रह सकता है। इसलिए, जब परामर्श किया जाता है तो उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जिससे कि अधिकारीगण यह न कहें वे असहाय हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि इस कानून का उचित उपयोग होने की अपेक्षा दुरूपयोग अधिक हुआ है तो इसका कारण यह कानून स्वयं है जिसमें ऐसा होने दिया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जी, हां। इसका बहुत दुरूपयोग हुआ है। पिछले छह-आठ महीनों से अचानक ही एक प्रकार का अभियान शुरू किया गया है। पंजाब, में, और अन्यत्र इस कानून का दुरूपयोग हुआ है ; गुजरात में इसका दुरूपयोग हुआ है, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, लेकिन उस समय कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। गत चुनावों के समय अचानक ही स्वयं सरकार की ओर से इस प्रकार का अभियान शुरू किया गया . . . . (**व्यवधान**)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अपने विचारों को व्यक्त करने का यह सही तरीका नहीं हैं . . . . (**व्यवधान**) . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी व्यक्तिगत रूप से यह महसूस किया है कि इस विषय को सदन में उठाने का कोई अवसर ही नहीं था।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, श्री चार्ल्स ने इस मुद्दे को उठाया क्योंकि . . . . (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, आज जो मामला उठाया गया है, वह झगड़े के कारण उठाया गया है और किसी कारण से नहीं उठाया गया है। आप जरा देखें कि यहां कौन-कौन खड़े हैं। हमारा इनसे कुछ लेना-देना नहीं है। हम अपनी ओर से, सरकार से सलाह-मशविरा करने को तैयार हैं जिसके द्वारा एक तरफ तो इस कानून का दुरूपयोग रुक जाये और दूसरी तरफ देश में जो उग्रवाद का संकट है, उस संकट का सामना करने के लिए भी शासन के पास पर्याप्त हथियार हों।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार की जिम्मेदारी है। . . . . (**व्यवधान**) यह कानून कब तक बनेगा . . . (**व्यवधान**) . . . *

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

थोड़ा सा तो नियमों के अनुसार चलिए एक साथ दो-दो खड़े होकर बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं श्री चन्द्रजीत यादव जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप यहां पर बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

आप देश का भाग्य बना रहे हैं। कृपया आप समझने की कोशिश करिए कि आप यहां क्या कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : आप इसके बारे में मंत्री जी से पूछिये। . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपको ऐसा नहीं पूछना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, चूंकि यह मामला फिर से सदन में उठ गया है। . . .

अध्यक्ष महोदय : आप किस पर बोल रहे हैं। इसी पर बोल रहे हैं या किसी दूसरे विषय पर बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं इसी विषय पर बोल रहा हूँ। मुझे बोलना तो दूसरे विषय पर भी है। अगर आप बोलने के लिए कहेंगे तो मैं उसी पर बोलूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा तो मुझे अन्य सदस्यों को भी अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव : ठीक है, महोदय। मैं अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। इस तरह आप सदस्यों को निर्देश मत दीजिए। मुझे सदन का कार्य चलाना है।

. . . (व्यवधान) . . . .

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को यह निर्देश देना कि वह बोले या न बोलें आपत्तिजनक बात है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे भय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिये गये मेरे भाषण को आपने नहीं सुना था

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने यह मुद्दा उठाया था कि हमारा दल उसका समर्थन करता है या नहीं। वह सभापति तालिका के सदस्य हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा अन्य सभी सदस्य इस विषय पर बोलेंगे और उसके बाद आपको इस विषय पर बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, जिस पर आप बोलना चाहते थे।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। मैं केवल एक ही वाक्य बोलूंगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस विषय पर हमारे दल की स्थिति जानना चाही है। हमारे दल ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह एक काला कानून, कठोर कानून है और इसका दुरूपयोग हुआ है अत: इसको समाप्त कर देना चाहिए। यह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर प्रहार है और इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। मैं अब दूसरे मुद्दों पर आता हूँ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका आभारी हूँ। इलाहाबाद जिले के फूलपुर क्षेत्र में इफको का एक बहुत बड़ा रासायनिक खाद का कारखाना है। यह कारखाना पंडित जवाहर लाल नेहरू के क्षेत्र में लगा है। उस क्षेत्र के, उस जिले के, उस इलाके के किसानों को बहुत ज्यादा आशा थी कि इससे उनकी भलाई होगी।

दुर्भाग्य से यह कारखाना पिछले 8 वर्षों से उस इलाके के किसानों के लिए बहुत बड़े खतरे का कारण बन गया है। जहरीली गैस के कारण उस इलाके में हजारों जानवर मरे हैं और भयंकर बीमारी फैल रही है। पिछले 8 वर्षों से किसानों ने लगातार यह मांग की कि वहां जो विषाक्त गैस निकल रही है, उसे दूर करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएं जाएं। किसानों की सारी बातों को अनदेखा कर दिया गया और आज 70 गांवों में बहुत भयंकर स्थिति है।

12.21 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

31 मार्च को उस क्षेत्र के किसानों ने बड़ी भारी जनसभा की थी। मैं और मेरे वरिष्ठ साथी श्री हरि केवल प्रसाद उस सभा में गए थे। क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए वहां के प्रधान ने आत्मदाह की धमकी दी थी। यदि सार्वजनिक सभा में इस आश्वासन के साथ कि हम सरकार से बात करेंगे, सदन में इसे उठाएंगे, इस क्षेत्र के किसानों की मदद करेंगे, नहीं कहते तो उस दिन वे प्रधान आत्मदाह करते और बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाती। यह बहुत गंभीर समस्या है। उस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में वहां बैठक हुई। वहां संघर्ष समिति बनी हुई है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश्वर सिंह यादव उसके संयोजक थे। किसानों ने प्रस्ताव करके सरकार से अनुरोध किया, कारखाने से अनुरोध किया। वहां से लौटने के बाद मैंने व्यक्तिगत रूप से दो मंत्रियों - श्री राम लखन सिंह यादव और श्री कमल नाथ, जो इसके मंत्री हैं, से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहां

के एक मजदूर नेता राजेन्द्र राय, जो किसानों की तरफ से इस संघर्ष में लड़ रहे थे, पर कारखाने के अधिकारियों ने एक मुकदमा चलाकर उनका स्थानान्तरण बिहार में कर दिया और जब वे अपने केस के लिए आए हुए थे तो 18 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उनकी लाश रेलवे की पटनी पर फेंक दी गई। वहां लोगों में इस बात की गंभीर चिन्ता और आक्रोश है कि यह सारा काम वहां के कारखाने के अधिकारियों की साजिश से हुआ है।

कल श्री राम लखन सिंह यादव ने मुझे बताया। उनके स्पष्टीकरण से मुझे कोई संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने पत्र लिखा है। उनका पत्र भी आज तक प्राप्त नहीं हुआ। मैं सदन के माध्यम से . . . (व्यवधान) मंत्री जी, आप सुनिए। . . . (व्यवधान) अध्यक्ष जी, ये तो कुछ सुनते ही नहीं हैं। जरा मंत्रियों की हालत देख लीजिए। . . . (व्यवधान) . . . मैं एक गंभीर समस्या की तरफ ध्यान दिला रहा हूँ और ये आपस में बात कर रहे हैं। . . . (व्यवधान) . . . 70 गांवों में लाखों किसानों की जिन्दगी से जुड़ा हुआ सवाल, उस क्षेत्र में आक्रोश, वहां एक मजदूर नेता की हत्या और आपके दो-दो मंत्रियों - पर्यावरण मंत्री और रसायनिक खाद मंत्री, के आश्वासन के बावजूद उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वे सदन में पूरी कार्यवाही का विवरण दें और इस बात का आश्वासन दें कि वहां एक उच्चस्तरीय टीम जाकर पूरी जांच-पड़ताल करेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के कौरेसपौन्डैन्ट ने मौके पर जाकर इसकी जांच-पड़ताल की है। अमर उजाला के संवाददाता ने मौके पर जाकर पूरी जांच-पड़ताल की है।

मैं दो मांग कर रहा हूँ - एक तो यह कि कारखाने के प्रदूषण से पैदा होने वाली जहरीली गैस को समाप्त करने के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है जैसे लंबा नाला खोदना है, प्रदूषण को दूर करना है, उसे उच्चस्तरीय टीम जाकर देखे और दूसरा, सी.बी.आई. से जांच करवाइए कि राजेन्द्र राय की हत्या कैसे हुई और उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। उसकी जांच होनी चाहिए और वहां तत्काल किसानों की मदद लेनी चाहिए . . . (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष जी, आप सबको दो मिनट में खत्म करने के लिए कहिये, नहीं तो बाद में लोगों के नाम नहीं आते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मध्याह्न 12.00 बजते ही जैसे प्रश्नकाल समाप्त हो जाता उसी प्रकार ठीक एक बजते ही शून्य काल भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह वक्ताओं पर निर्भर करता है कि वे अन्य वक्ताओं के लिए कुछ समय छोड़ दें। यदि एक वक्ता एक मिनट तक बोलेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें कई वक्ता भाग ले सकेंगे और अपनी-अपनी शिकायतें यहां रख सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी (केसरगंज) : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवम् प्रशासनिक अनुशासन नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई है। विशेष रूप से पुलिस प्रशासन अनुशासन विहीन मनमानी पर उतारू हो गया है। हमारे संसदीय क्षेत्र जनपद बहराइच एवम् बाराबंकी में तो पुलिस का गुण्डा राज कायम हो गया है। स्थानीय पुलिस राजनैतिक कार्यकर्ताओं, हरिजनों का उत्पीड़न कर रही है। हमारे संसदीय क्षेत्र के बाराबंकी जनपद के रामनगर थाने में चार व्यक्तियों को पकड़ कर लाया गया, 12 दिनों तक अवैध रूप से उनको बन्द रखा गया । प्रतिदिन उन्हें मारा पीटा जाता रहा। बाद में न्यायालय के हस्तक्षेप पर उन चारों व्यक्तियों को थानाध्यक्ष द्वारा गायब करा दिया गया। पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार मौन है। इसी क्रम में एक वर्ग विशेष के हरिजनों को सामूहिक रूप से मारा-पीटा गया।

इस विषय में सांसद के दायित्वों के निर्वहन में जानकारी एवम् हस्तक्षेप के कारण पुलिस प्रशासन, थानाध्यक्ष द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ताओं को पीटा गया तथा मुझे गालियां दी गईं और जान-माल की धमकी दी गई। मेरी सूचना पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी एवम् पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को दिये जाने के बाद भी सूचना आज तक दर्ज नहीं की गई। मेरी जान को भी गम्भीर खतरा उत्तर प्रदेश पुलिस से, विशेषत: बाराबंकी पुलिस से उत्पन्न है।

मैं मांग करता हूँ कि भारत सरकार सम्पूर्ण मामले की जांच कराये और मेरी रक्षा सुनिश्चित कराये। वहां चार व्यक्तियों को मारकर फेंक दिया गया है। अखबार में भी इसकी खबर आ गई है। . . . (व्यवधान) . . .

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही शर्मनाक चीज के सिलसिले में, जिस सवाल को लेकर सदन को चिन्तित होना चाहिए, उस तरह का एक सवाल उठाना चाहता हूँ।

हमारे देश में शारदा एक्ट पारित हुआ है, लेकिन मैं एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ कि मई की दो तारीख को राजस्थान में करीब 4-5 जिलों में चाइल्ड मैरिजेज, शिशुओं का विवाह व्यापक पैमाने पर हुआ है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और दूसरे जिले में व्यापक पैमाने पर शिशुओं का हुआ है। लेकिन कोई गिरफ्तारी इस सिलसिले में नहीं हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो शिशुओं के बारे में समिट हो रहा है, सारे हैड्स आफ स्टेट्स बच्चों के बारे में शिखर सम्मेलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में इस तरह से चाइल्ड मेरिजेज हो रही है।

मैं आपके जरिये सरकार से कहूंगा, क्योंकि शारदा एक्ट केन्द्र का एक एक्ट है, इसलिए आज इस बहुत ही घिनौने काम को बन्द करने के लिए, शारदा एक्ट के तहत चाइल्ड मैरिजेज को बन्द करने के लिए काम होना चाहिए। आगे चलकर इस तरह की कोई शिकायत नहीं

आनी चाहिए कि चाइल्ड मैरिजेज कायम है। पांच साल की उम्र के लड़के-लड़कियों की शादियां आज के हिन्दुस्तान में हो रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि शारदा एक्ट का क्रियान्वयन करने के लिए सरकार को पग उठाने चाहिएं और इस सम्बन्ध में सामाजिक चेतना को बढ़ाने के लिए जो काम होना चाहिए, वह भी होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री गोविंद चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र क्योंझर से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूँ। हम इस जिले में डी ई टी प्रभागीय मुख्यालय स्थापित करने की मांग करते रहे हैं। यह सामान्यत: उड़ीसा राज्य की और विशेषकर क्योंझर की मांग रही है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार ने इस जिले में डी ई टी कार्यालय क्यों नहीं स्थापित किया। कुछ समय पहले इस मांग को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। सभी संसद सदस्यों ने इसका समर्थन किया था क्योंकि क्योंझर बिहार का सीमांत जिला है। यह एक औद्योगिक जिला भी है और साथ ही साथ खनिज विकास क्षेत्र भी है। यह धेनकनाल, बालेश्वर, बारीपाड़ा, राऊरकेला एवं सम्बलपुर से केवल दो सौ किलोमीटर दूर है। यह इन स्थानों के मध्य में है। इसलिए मैं सदा क्योंझर जिला मुख्यालय में डी ई टी कार्यालय स्थापित करने की मांग करता रहा हूँ ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। बेहतर औद्योगिक विकास हेतु आसानी से ऐसा किया जा सकता है।

महोदय, इसलिए दूरसंचार विभाग से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर ध्यान दें, हो सकता है कि इसमें कुछ खामियां हों क्योंकि ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो इस विषय की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूरसंचार विभाग के महाप्रबंधक, जो उड़ीसा में एक लम्बे समय से रह रहे हैं, वह इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनजातीय क्षेत्रों की उपेक्षा कर रहे हैं . . . (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री द्वारकानाथ जी, आज जिस मुद्दे को यहां उठाना चाहते हैं उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सूचीबद्ध किया गया है। अत: अब आपको बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको उसका उत्तर मिल जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र अजमेर में टेलीफोन व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। दो महीने से अजमेर सम्भाग के अन्तर्गत अजमेर टेलीकम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट और ब्यावर टेलीकम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट में चाहे वहां शहर हो या गांव हो, नई लाइनें डालने के नाम पर, एस.टी.डी. लाइनों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से जोड़ने के नाम पर और 10 साल पुरानी लाइनों को क्रॉस-बार सिस्टम से जोड़ने के नाम पर सारे शहर और कस्बे में खुदाई कर दी गई है।

अनुभवहीन अधिकारियों के कारण सारी व्यवस्था चरमरा गई है। इसलिये मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अजमेर जो कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति का नगर है जहां लाखों लोग आते-जाते हैं, वहां संचार व्यवस्था सुव्यवस्थित रहनी चाहिये। अजमेर, ब्यावर, पुष्कर, नसीराबाद और किशनगंज में टेलीफोन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सरकार आदेश दे और उसको ठीक करा कर लाखों उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाये।

श्री केशरी लाल (घाटमपुर) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, कानपुर देहात, फतेहपुर, हमीरपुर और कानपुर नगर में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पानी का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। तालाब और कुएं पूरी तरह सूख गये हैं। लोग पोखरों और दूर-दूर नदियों से पानी लाकर पी रहे हैं जिसमें कीड़े होते हैं। इससे लोग बीमार हो रहे हैं जानवरों को पानी नहीं मिल रहा है। यमुना नदी के तट पर ये सभी जिले बसे हुए हैं। उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। अगर 15 दिन में पीने के पानी की वहां व्यवस्था नहीं की जायेगी तो वहां भारी संकट उत्पन्न हो जायेगा। इस बात को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वहां पानी की शीघ्र व्यवस्था करायी जाये।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में आजादी के बाद से ही पेयजल की समस्या ने विक्राल रूप धारण कर लिया है। चम्बल परियोजना का काम श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से ही स्टार्ट हो गया था। अब 1995 प्रारम्भ हो गया है, लेकिन अभी तक इस परियोजना पर कार्यवाही नहीं हो रही है। यह परियोजना बेकार पड़ी हुई है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। आज प्रदेश में मैं तो समझता हूँ कि कांग्रेस की ही सरकार है, जबकि बेशक वहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यन्त ही पेयजल की समस्या है। आदमियों के लिए पीने का पानी नहीं है। पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है। आजादी के बाद इंडिया में तो पानी है, लेकिन आज का भारत प्यासा मर रहा है। भारत की 85 फीसदी जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और पेयजल की समस्या अत्यन्त ही गम्भीर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि चम्बल परियोजना पर शीघ्र कार्यवाही की जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर हो सके।

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय उत्तर प्रदेश के नैनीताल जनपद के तराई क्षेत्र में उग्रवाद अपनी चरम सीमा पर था, उस समय एक परिवार था, जिसने उग्रवाद के विरूद्ध सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि उस संघर्ष में उनके दो भाइयों को दो दोस्तों की बलि देनी पड़ी। इसके बाद परिवार के मुखिया को दिनांक 7.2.1995 को दो अंगरक्षकों के साथ उग्रवादियों के संघठनों क

द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और आज भी नैनीताल के तराई के क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। जो तथ्य पुलिस एवं प्रशासन द्वारा इस हत्याओं के संदर्भ में प्रेषित किए गए हैं, वे पूर्ण रुप से सन्देह के घेरे में हैं। स्व. पं. श्री गुरूवचन लाल शर्मा के कातिल धनी एवं प्रभावशाली हैं, जिनको स्थानीय एवं प्रदेश स्तर पर संरक्षण प्राप्त होने के कारण आज भी उचित कार्रवाई नहीं की जा सकी है। प्रदेश सरकार के संरक्षण होने के कारण उग्रवादी आज भी खुले आम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इनको पकड़ने में असमर्थ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से इस केस को प्रदेशीय स्तर पर सी.आई.डी. की जांच के माध्यम से रफा-दफा करने की योजना बनाई जा चुकी है। इस भयावह और निर्मम हत्याओं के उपरान्त यदि ठोस कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई और न्याय प्राप्त नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में जिस उग्रवाद पर नियन्त्रण कर लिया गया था, वह पुन: उभर कर व्याप्त हो जाएगा। इसके अलावा तराई क्षेत्र में उग्रवाद की घटनायें बराबर बढ़ती जा रही हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि जो नामदर्ज व्यक्ति इस हत्या में पूर्व में बन्दी बनाए जा चुके हैं तथा सरकार के संरक्षण में उन्हें छोड़ दिया गया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि स्व. गुरू वचनलाल शर्मा और उनके परिवारजनों की जो हत्या की गई है, उसकी जांच सी. आई.डी. द्वारा कराई जाए, जिससे उग्रवादियों एवं अन्य अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई हो सकेगी तथा उग्रवाद उभर रहा है उस पर अंकुश लग सकेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चेतन चौहान, शून्यकाल के दौरान लिखित नोट पढ़ने की मनाही है। आप संक्षेप में बता सकते हैं। नियम 377 के अंतर्गत आप लिखित नोट पड़ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के मैदानी भागों में गर्मी के मौसम के कारण विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिजली और पानी की उपलब्धता के अभाव में जनजीवन ग्रस्त है। इसलिए आवश्यकता है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर पहल करे। फतेहपुर सीकरी एक अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है। वहां डेढ़ महीने से वेतन न मिलने के कारण सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। पानी के ट्यूबवैल बन्द पड़े हैं और पर्यटक एक-एक बूंद पानी के लिए प्यासे तड़पते हैं और संक्रामक रोग फैलने की संभावना है। पशु भी चारों तरफ प्यासे मर रहे हैं। इसी प्रकार बिजली की आपूर्ति के अभाव में ट्यूबवैल चलाकर किसान जो गांववासियों व मवेशियों के पानी उपलब्ध कराते थे, वह भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आगरा नगर में पर्यटक बहुत आते हैं। वहां भी स्थिति यह है कि दस-दस घण्टे बिजली गायब रहती है। पानी की तंगी है, यमुना की गंगा के माध्यम से जो आगरा को जल मिलना था, वह गंगा-जल की आपूर्ति भी बन्द कर दी गई है। इस बूंद-बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि समूचे उत्तर प्रदेश के अन्दर एक ऐसी व्यवस्था की जाए, उन जिलों को आइडेंटिफाई किया जाए, जहां पर पानी की तंगी है, बिजली की तंगी है और केन्द्रीय सरकार युद्ध स्तर पर उसकी व्यवस्था करे। आगरा नगर के लिए मैं इस लिए कह रहा हूँ, आगरा को अनइन्टरप्टेंड सप्लाई के लिए और ताज महल को प्रदूषण से बचाने के लिए बड़ी योजनायें बन रही हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है कि इस पर कार्यवाही की जाए।

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बिहार में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। आदमियों और पशुओं के लिए पानी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बिहार में आप अपने असर से पानी का प्रबंध करवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री बी.एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : आन्ध्रप्रदेश में नालगोन्डा जिले के मिरयालगुडा में भारतीय खाद्य निगम की मार्डन राइस मिल स्थित है। यह नागार्जुन सागर के प्रमुख क्षेत्र के अन्तर्गत धान-उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बीच में स्थित है। यह मिल अक्टूबर, 1993 में बन्द हो गई थी।

मिल को बंद करना सरकार की पूर्व अनुमति के बिना बंद करना एन.आई.डी. अधिनियम की धारा 25 के अनुसार बिल्कुल गैर-कानूनी है। इसके फलस्वरूप गत 17 वर्षों से उक्त मिल में कार्य कर रहे 255 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं।

ये बेरोजगार मजदूर मिल को पुन: खोलने या अन्यत्र भारतीय खाद्य निगम में उन्हें स्थायीतौर पर नियोजित करने की मांग को लेकर 505 दिनों से शान्तिपूर्ण ढंग से भूख-हड़ताल द्वारा आन्दोलन कर रहे हैं।

कई अभ्यावेदनों के बावजूद भी केन्द्र ने मानवीय आधार पर भी कोई कारवाई नहीं की। मैं अब केन्द्र से अनुरोध करता हूँ कि मिल को पुन: खोलने या श्रमिकों को भारतीय खाद्य निगम के स्थायी रूप से नियोजित करने की व्यवस्था करें जिससे सैकड़ों श्रमिकों के जीवन को बचाया जा सके।

मैं सम्बन्धित मंत्री महोदय से उत्तर देने का अनुरोध करता हूँ। कई बार अभ्यावेदन किए जा चुके हैं। इनका कोई उत्तर नहीं मिला। यहां तक कि उनकी पावती भी नहीं मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार आपके अनुरोध पर ध्यान देगी।

श्री बी.एन. रेड्डी : कम से कम आप मंत्री महोदय से कहें कि वह इसके बारे में मुझे उत्तर दें कि वे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, मजदूरों को अस्थायीतौर पर गोदाम के कार्यों में लगाया जाये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री बी.एन.रेड्डी ने एक बहुत ही

गम्भीर मामला उठाया है। यह मामला 300 श्रमिकों से सम्बन्धित है। वे आन्ध्र प्रदेश के मिरयालगुडा में मॉर्डन राइस मिल के बन्द होने से भूख से मर रहे हैं। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे कि मॉर्डन राइस मिल पुनः खोली जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप संबंधित मंत्री से मिलें और उनके साथ चर्चा करें। वह समस्या का समाधान करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें कौन उत्तर देगा ?

श्री बसुदेव आचार्य : शायद, खाद्य मंत्री उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, माननीय मंत्री श्री रेड्डी को बुलायेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। श्री रेड्डी, माननीय मंत्री आपको बुलायेंगे और आपके साथ चर्चा करेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : हम ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैं एक गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि श्री पी.एम. सईद साहब यहां बैठे हुए हैं। दिल्ली में और देश में यह आम बात बन गई है कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हो, उसको तोड़ने का काम करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, क्या आपका नाम सूची में है ?

श्री राम विलास पासवान : जी, हां। मैंने सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन, श्री पासवान, आपने जामिया मिलिया के बारे में सूचना दी है।

श्री राम विलास पासवान : मैंने पहले ही एक सूचना दी है। श्री शरद यादव पहले ही जामिया मिलिया के बारे में बोल चुके हैं। मैंने 10 बजे से पहले ही सूचना देनी चाही थी किंतु इससे सम्मेलन के कारण सभी सड़कें बन्द थीं और हमें 10 बजे से पहले संसद भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो आपने सूचना दी है, वह माननीय अध्यक्ष महोदय के पास है। लेकिन आपका नाम पुलिस द्वारा विद्यार्थियों के विरुद्ध दायर झूठे मामलों से संबंधित विषय के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैंने दूसरा भी नोटिस दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर के स्टच्यू (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में बोलिए।

[अनुवाद]

लेकिन सूची में इसी कार्य का उल्लेख है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आज सवेरे खुरेजी में तोड़ दिया गया है। लाठी चार्ज की गयी है और वहां फायरिंग हुई है। सैंकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें हमारे दलित सेना के लोग भी शामिल हैं और उनको मर्डर के केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है।

यह जमीन बुद्ध सम्मान संघ के नाम रजिस्टर्ड है। इस तरीके की कार्यवाही दिल्ली में हो रही है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई और नहीं होगी। यह बहुत ही भयानक घटना है। सब्र की भी कोई सीमा होती है। इस तरह की घटना दिल्ली में होगी, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इसके गम्भीर परिणाम भी हो सकते हैं। यहां पर पी.एम. सईद साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे मांग करता हूँ कि वे सदन में आश्वासन दें कि इस घटना की आज ही जांच करायेंगे और सदन में इस बात का जवाब देंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इस पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक गम्भीर विषय है। मैं कुछ कह लूं, फिर हम दोनों का उत्तर गृह मंत्री जी दे दें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री खड़े हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे माननीय मंत्री के ध्यान में लाया गया है और वह खड़े हैं।

उन्होंने इस बात को नोट कर लिया है कि मूर्ति तोड़ी गई थी। इसलिए, वह खड़े हैं वह इसका उत्तर देंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं कुछ कह रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि बिना सूचना के सभी को बोलने की अनुमति दे दी जाए तो हम इस विषय से हट जाएंगे। तब, अनुशासन नहीं रहेगा और अध्यक्षपीठ सभी प्रश्नों के लिए जवाबदेही हो जाएंगे। हमें कतिपय नियमों का पालन करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, शास्त्री जी, हमें कतिपय नियमों का पालन करना चाहिए।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : इस मामले में हम राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगायेंगे।

श्री राम विलास पासवान : यह दिल्ली का मामला है (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : खैर, माननीय मंत्री जी ने वायदा किया है वह सूचना बाद में दे देंगे और सहायता भी देंगे। वह उसके लिए सहमत हो गए हैं, वह सूचना राज्य सरकार से प्राप्त करते हैं या दिल्ली सरकार से पर सभा को वह सूचना अवश्य देंगे। अब श्री सोमनाथ चटर्जी

बोलेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार इस प्रक्रिया के कारण कुछ माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाया है, मैं इसे उचित नहीं समझता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री जी, आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं जो असम में नौकरी कर रहे सरकारी अधिकारियों के मनोबल से सम्बन्धित है। मैं एक श्री दिलीप कुमार दास के मामले का हवाला देता हूं जो पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड जो कि केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है, में वरिष्ठ प्रबन्धक हैं उनकी तैनाती असम के कोकराझार जिले में सलाकटी में की गई थी। उनका 5 महीने पहले सम्भवत: अल्फा उग्रवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था।

पिछले पांच महीनों से पावर ग्रिड कारपोरेशन उनका पता लगाने का प्रयास कर रहे है। लेकिन केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उनका पता लगाने या उन्हें छुड़ाने के लिए ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

महोदय, उनके परिवार की जरा कल्पना कीजिए जिसमें उनकी पत्नी और दो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। वस्तुत:, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वे दिल्ली में हैं और अत्यधिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। उनके पास से मार्च में केवल एक पत्र आया था। उसके बाद उनकी स्थिति के बारे में कुछ भी पता नहीं है।

हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में अपहरण किए गए लोगों जोकि पूर्णत: निर्दोष हैं को छुड़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, यह जानकर भी कि यह एक अशांत क्षेत्र हैं, इन सज्जन ने वहां जाने के लिए स्वयं अपनी इच्छा जताई थी। उन्होंने ईमानदारी से सरकार की सेवा करने की इच्छा जताई और वहां तैनाती के लिए राजी हुए। उनकी तैनाती के दो महीने के अन्दर ही उनका अपहरण कर लिया गया और पिछले पांच महीनों से उनका कोई पता नहीं है। यह केवल स्वयं उनका मामला नहीं है। वहां पूर्णत: अनिश्चितता है और सुरक्षा का अभाव है, असुरक्षा व्याप्त है। अधिकारी और कर्मचारी भी आशंका व्यक्त कर रहे हैं यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो इन परिस्थितियों में वे कैसे कार्य कर पायेंगे।

अत: मेरा सरकार से पुरजोर अनुरोध है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें, जिसका एक मानवीय पहलू है और जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने जीवन को जोखिम में डालकर वहां कार्य कर रहे हैं। उनका भविष्य, उत्साह और सुरक्षा का विषय इसमें शामिल है। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि सरकार इस बारे में पूरी तरह गम्भीर है अन्यथा, व्यक्तियों को क्या सुरक्षा दी गई है ? इसलिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री विद्याचरण को यह बताना चाहता हूँ कि यह मामला अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वह कृपया कुछ करें और हमें इस संबंध में बताएं। परिवार विपत्ति में है और वह मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। छोटे बच्चे अपने पिताजी के लिए फरियाद कर रहे हैं, वे कहते हैं 'हमारे पिताजी का क्या दोष है कि वे वापस नहीं आ रहे हैं'।

अत: कृपया गम्भीरता से इस ओर ध्यान दीजिए और कुछ कार्यवाही करें तथा इस संबंध में हमें बताएं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए हमारे पास मुश्किल से दस मिनट और हैं यह आपके सहयोग पर निर्भर है। 1 बजते ही ही हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत ही लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन-मरण के सवाल से जुड़ा हुआ है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की जो लेवी का गेहूं, चावल, चीनी, करोसिन आयल और जलावन कोयले का मासिक आबंटन किया जाता है। उसके तहत बिहार राज्य को दिये जाने वाला मासिक आबंटन उसकी आवश्यकता के अनुरूप बहुत कम है। राज्य सरकार समय-समय पर केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करती रही है। लेकिन उसके मासिक कोटे में वृद्धि नहीं की गई है जिसके कारण उपभोक्ताओं और विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बिहार राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मासिक कोटा में वृद्धि की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नाम सूची में हैं। मैं सदस्यों को सूची के अनुसार बुलाता हूँ। आपको जरा भी आशंका की आवश्यकता नहीं है और हम इस पर 1.00 बजे तक चर्चा कर सकते हैं। आपको उसी अवधि के दौरान स्वयं समायोजन करना है।

श्री अन्ना जोशी (पुणे): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लोक महत्व के निम्नलिखित अत्यावश्यक मामले को उठाने की अनुमति दी जाए।

सरकार ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों को जो इस समय कश्मीर में चरार-ए-शरीफ में आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं, दिल्ली में उनके सरकारी आवासों को खाली करने के बेदखली के नोटिस जारी किए हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सभा मुझसे सहमत होगी कि ये जवान जिन्हें किसी विषम स्थिति से बचाने के लिए एकाग्रचित और सजग रहना होता है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह नोटिस जारी कर उन्हें जानबूझकर विचलित किया जा रहा है। यदि जवान अपने आवास की समस्या और परिवार के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित करता रहेगा तो

वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से नहीं कर पाएगा जिसके लिए उसे सजा का सामना करना पड़ सकता है और यदि वह इस ओर ध्यान नहीं देता है तो उसके परिवार को जबर्दस्ती बेदखल करके बेघर किया जा सकता है।

अत: मैं, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूँ कि आवश्यक और उपयुक्त कदम उठाएं ताकि ये बहादुर जवान पूरी निष्ठा से राष्ट्र की सेवा कर सकें और उनका घर-परिवार सुरक्षित और बरकरार रहे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत शुक्रवार 28 अप्रैल को बम्बई में न्यू ग्रेटर टैक्सटाईल मिल में लाग लग गयी जिसमें पूरी मिल जल गयी। इससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और हजारों मजदूर बेकार हो गये और उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह आग लग गयी या लगाई गयी, इस प्रकार की बातें मजदूर संगठनों और अखबारों में चर्चा के जरिये आ रही हैं। मिल में आग लग जाने के कारण वह मिल बंद हो जायेगी तो इस जमीन की कीमत मध्य बम्बई में 200 करोड़ रुपये की है। इस मिल का काम बीआईएफआर के पास है। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ और मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस मिल की जमीन को बेचने की इज़ाजत न दी जाये और इस मिल को पुन: कैसे चलाया जाये, इसके बारे में मजदूर संगठनों से विचार करके इसको चलाने का प्रयास करें। यह आग कैसे लगी, किसने लगाई इसकी जांच हो जाये लेकिन मजदूर बेकार न हों और मिल को जल्दी से जल्दी चलाया जाये, इसके बारे में वस्त्र उद्योग मंत्री इस सदन में बयान दें, ऐसी मैं मांग करता हूँ।

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : मान्यवर सभापति जी, मैं भारत सरकार के कोयला मंत्री का ध्यान बिहार राज्य के बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद और भोजपुर जिलों की ओर खींचना चाहता हूँ। ये पिछड़े जिले हैं और यहां पेट्रोल और डीजल की भारी कमी है तथा रसोई गैस की भी बड़ी किल्लत है और मनमाने ढंग से दुकानदार उपभोक्ताओं से पैसे लेते हैं। कई बार मैंने इस संबंध में कहा भी है कि इन जिलों में रसोई गैस की एजेन्सी की कमी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के बारे में माननीय मंत्री उचित समय पर एक वक्तव्य देंगे। फिर भी, आपका नाम सूची में है। अत: मैंने आपका नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि विक्रमगंज में रसोई गैस की एजेन्सी के लिए कई बार बात चली है पर वह अभी तक नहीं दी गई। उस बारे में जल्दी निर्णय करके हरिजन जातियों के लिए वह एजेन्सी दी जाए या फिर जनरल करके वह एजेन्सियां दी जाएं ताकि वहां रसोई गैस की किल्लत खत्म हो सके।

[अनुवाद]

श्री वी.धनंजय कुमार (मंगलौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल दुर्भागयपूर्ण है कि नाबार्ड ने कनार्टक राज्य को पुनर्वित्तपोषण की सुविधा देने से इंकार कर दिया है। एक अन्य दिन यह मामला राज्य सभा में उठाया गया था। पुन:, खेद के साथ, मैं कह रहा हूँ कि वित्त मंत्री ने कहा है कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने यह कर राज्य सरकार पर दोष रोपण किया है कि उसने ब्याज माफी की योजना शुरू की थी। मैं कृषक समुदाय के बारे में जिन्हें खाद्यान्न का 1850 लाख टन उत्पादन करने का गौरव प्राप्त है, के बारे में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूँ हम यह दावा कर कर रहे हैं कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। जब तक नाबार्ड, कर्नाटक राज्य को पुन: वित्तपोषित करना जारी नहीं रखता है, तब तक कृषक समुदाय के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल होगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कृषक समुदाय के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है। क्या सरकार तुरंत हस्तक्षेप करेगी और कर्नाटक राज्य को पुनर्वित्तपोषण की सुविधा देने के लिए नाबार्ड को निर्देश देगी ? महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से तुरंत इसकी तरफ ध्यान देने की आशा नहीं कर सकते हैं।

श्री वी. धनंजय कुमार : यह मामला इतना गम्भीर है कि कृषक समुदाय से सम्बन्धित कई सौ हजार व्यक्ति कृषि ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हैं। महोदय माननीय मंत्री जी सभा में बैठे हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान संचार मंत्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहूंगा। मैं 14 मार्च को अपने निवास पर बैठा था करीब 11 बजे रात को सुपरवाइजर ने कहा कि आपने सउदी अरब से 15 मिनट बात की है। मैंने कहा कि सउदी अरब से न मेरा कोई जानने वाला है और न मैंने बात की है। जब मैंने संचार मंत्री को लिखा और टेलीफोन विभाग के सभी अधिकारियों को लिखा, तो मेरे पास उनका जो पत्र आया, उसमें उन्होंने कहा कि जांच करायी जा रही है। यह अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जनवरी में सात बार जाम्बिया में बात की है। उसकी एक सूची उन्होंने दी है। जो सूची मेरे पास आई है कि मैंने जनवरी में सात बार जाम्बिया में बात की है और सउदी अरब में बात की है, मैं संचार मंत्री से कहूंगा कि वह इसकी जांच कराएं। ऐसा लगता है कि उनका विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने उनको पत्र भी लिखा है कि आप सांसदों को भी इसका संरक्षण नहीं दे सकते हैं कि उनके बिल गलत न आएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

1.00 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बहुत ईमानदारी से कोशिश की है और आपसे अनुरोध किया है कि आप सहयोग दीजिए। अध्यक्षपीठ सभी को अवसर देने को इच्छुक है। लेकिन मैं क्या करूं ? अधिकांश सदस्य जिन्हें अवसर मिलता है, अधिक समय ले लेते हैं। आपके नाम सूची में हैं। श्री बसुदेव आचार्य का नाम सूची में है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पिछले कई दिनों से मैं सूचना दे रहा हूँ, मुझे बोलने की अनुमति दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ कभी भी माननीय सदस्यों की भावनाओं की अभिव्यक्ति रास्ते में नहीं आई है। मैंने बार-बार आपसे यही कहा है कि बाद के वक्ताओं को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए लेकिन माननीय सदस्य इसका पालन नहीं करते। मुझे इसके लिए खेद है।

(व्यवधान)

श्री रूपचन्द्र पाल (हुगली) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया सभा पर रखे जाने वाले पत्रों 1.15 म.प. पर चर्चा करें। अभी हमें बोलने का अवसर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। हम किसी दूसरे दिन आपको अनुमति देंगे। अब हम सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

1.01 म.प.

सभापटल पर रखे गये पत्र

योजना आयोग का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय श्री गिरधर गोमांगो की ओर से, मैं योजना आयोग की वर्ष 1994-95 की वार्षिक योजना की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 7475/95)

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत अधिसूचना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 की धारा 9 के अन्तर्गत सं. का.आ. 135 (अ), जो 2 मार्च 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कतिपय अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 7476/95)

(2) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (मुआवजे का भुगतान) नियम 1994, जो 2 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 106(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 7477/95)

भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली का 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री के.पी. सिंह देव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ : -

(1) भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचना गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी आदेश, जो 28 फरवरी, 1995 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या यू.14011/160/89-दिल्ली में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना-संख्या यू. 14011/160/89-दिल्ली (1) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 7479/95)

1.03 म.प.

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सत्रहंवा और अठ्ठारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

1.03 म.प.

कृषि संबंधी समिति

उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां, बाईसवां और तेईसवां प्रतिवेदन

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, मैं कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ :-

(एक) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(दो) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में बीसवां प्रतिवेदन।

(तीन) कृषि मंत्रालय (पशु-पालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(चार) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में बाईसवां प्रतिवेदन।

(पांच) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में तेईसवां प्रतिवेदन।

1.04 म.प.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी) : महोदय, मैं जैव-प्रोद्योगिकी विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

1.04 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तरी क्षेत्र में डीजल एवं पेट्रोल की कमी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : महोदय, उत्तरी क्षेत्र में डीजल पेट्रोल की कमी के संबंध में सदन के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी चिन्ता से मैं सहमत हूँ। मार्च, 1995 के अंतिम सप्ताह में तीन सप्ताह से अधिक समय तक मथुरा रिफाइनरी की आपात बंदी तथा कांडला बंदरगाह, जो उत्तरी क्षेत्र की जरूरत में हुई कमी को पूरा करने के लिए मुख्य बन्दरगाह है, से डीजल के आयात एवं परिवहन में प्रचालनात्मक अड़चनों की वजह से डीजल और पेट्रोल की कमी हो गयी जिसके फलस्वरूप उत्तरी क्षेत्र के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अप्रैल, 1995 माह में कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पेट्रोल एवं डीजल का अभाव हो गया। फसल की कटाई तथा अनाजों के परिहवन के चालू सर्वाधिक मांग वाले मौसम के दौरान वृहद् मांग की वजह से कांडला में उत्पादों की अपेक्षाकृत अधिक प्राप्ति की व्यवस्था करने के लिए तथा कांडला-कोयाली से इसकी ढुलाई के लिए तीव्र तथा आपातकालीन उपाय किए गए हैं तथापि कुछ कमी अभी भी बनी हुई है।

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा दिल्ली एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों सहित उत्तरी क्षेत्र में डीजल तथा पेट्रोल की मांग विशेषत: गत दो वर्षों के दौरान देश के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक दर से बढ़ती रही है। निःसंदेह इससे इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग तथा मूलभूत क्षेत्रों में अपेक्षाकृत तीव्र आर्थिक प्रगति परिलक्षित होती है जिसके फलस्वरूप इन राज्यों की आम जनता की आय अपेक्षाकृत अधिक है। देश के पैमाने पर भी सभी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि वर्ष 1993-94 के 3.2 प्रतिशत की तुलना में 1994-95 के दौरान 7.4 प्रतिशत रही है। डीजल के मामले में वृद्धि की दर 1993-94 के दौरान 6.5 प्रतिशत की तुलना में 1994-95 के दौरान 9.2 प्रतिशत रही है।

तेल उद्योग स्वदेशी उत्पादन तथा आयातों के द्वारा मांग पूरी करने के लिए तेल मितव्ययता बजट के रूप में वार्षिक योजनाएं बनाता है। चूंकि 1994-95 के दौरान 65.3 मिलियन टन खपत की तुलना में स्वदेशी रिफाइनरी उत्पादन केवल 56 मिलियन टन के लगभग है, इसलिए मुख्यत: डीजल और एस के ओकी शेष जरूरतों को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है। उत्तरी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के संबंध में मुख्य बंदरगाह कांडला है जहां विभिन्न क्षेत्रों के भारी यातायात के कारण अब भारी भीड़भाड़ हो गई है। अब भविष्य की मांग को पूरा करने के संबंध में पेट्रोलियम उत्पादों के अधिक आयातों की सुविधाजनक बनाने हेतु कांडला में एक नया तेल घाट निर्मित किया जा रहा है। तथापि विभिन्न क्षेत्रों से

प्रतिस्पर्धी मांगों तथा प्रचालन संबंधी समस्याओं के कारण मार्च, अप्रैल, 1995 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कुछ धक्का लगा। लेकिन आपूर्ति भंग होने तथा तत्परिणामी उत्तरी क्षेत्र में डीजल तथा पेट्रोल की कमी का मुख्य कारण सुरक्षा विचारों से मथुरा रिफाइनरी की विभिन्न इकाईयों का 24 मार्च, 1995 से 18 अप्रैल, 1995 तक आपातकालीन शटडाउन था। मथुरा रिफाइनरी उत्तरी क्षेत्र के कुल पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में 55,000 टन प्रति दिन की कुल जरूरत के आधे के लगभग की आपूर्ति करती है। इस अवधि के दौरान की कमी को पूरा करने के लिए बम्बई, पुणे तथा विजाग इत्यादि जैसे दूरस्थ स्थानों तक से विशेष रेक्स लाई गई थी। क्षेत्र में भारी कमी को पूरा करने के लिए कांडला, कोयाली, बम्बई तथा बज बज से सड़क द्वारा भी भारी मात्रा में डीजल एवं पेट्रोल का परिवहन किया गया था। भूतल परिवहन मंत्रालय ने कांडला से अधिक उत्पाद परिवहन के संबंध में व्यवस्था करने हेतु तेल टैंकरों की अग्रता बर्थिंग की कठिनाईयों के बावजूद गत वर्ष इसी माह के प्रति अप्रैल, 1995 के दौरान पूरे उत्तरी क्षेत्र में एच एस डी के 3.6 प्रतिशत की वृद्धि को उपलब्ध कराना तथा अप्रैल, 1995 के दौरान पेट्रोलियम आपूर्ति में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि संभव हो सकी है। डीजल खपत के संबंध में हरियाणा ने 5.3 प्रतिशत की वृद्धि, संभव हो सकी है। डीजल खपत के संबंध में हरियाणा ने 5.3 प्रतिशत की वृद्धि, जम्मू और कश्मीर ने 14.4 प्रतिशत, पंजाब ने 4.1 प्रतिशत, राजस्थान ने 11.4 प्रतिशत तथा दिल्ली ने 24.4 प्रतिशत तक ऊँची वृद्धि दर्ज की। तथापि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले साल से 11.10 प्रतिशत कम आपूर्ति थी।

मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र में डीजल तथा पेट्रोल के वर्तमान सर्वाधिक मांग के मौसम की मांग पूरा करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है। मैं स्वयं स्थिति की पुनरीक्षा एवं देखरेख कर रहा हूँ। उत्सर्जन स्तर को नियंत्रित रखने के लिए कम गंधक ईधन का उपयोग करके मथुरा रिफाइनरी से अधिकतम उत्पादन लेने के लिए उपाए किए जा रहे हैं। अधिक पोतों की संभाल करने के लिए कांडला बंदरगाह पर एक स्थायी घाट निर्मित किया जा रहा है और यह सितम्बर, 1995 तक उपयोग हेतु उपलब्ध होगा। अधिक डीजल की संभाल के लिए तत्काल ही घाट नं0 2 पर एक पाइपलाइन हुक-अप भी बनाया जा रहा है। भूतल परिवहन मंत्रालय घाट नं. 1 पर पेट्रोलियम टैंकरों को अग्रता बर्थिंग उपलब्ध कराने में सहयोग कर रहा है। उत्तर प्रदेश को आपूर्ति के लिए और अधिक डीजल तथा पेट्रोलियम उत्पादन करने हेतु बरौनी रिफाइनरी को मई, 1995 के माह के लिए अतिरिक्त 20000 मीट्रिक टन क्रूड उपलब्ध कराया जा रहा है। हल्दिया बज-बज तथा बम्बई जैसे अन्य आपूर्तिकर्त्ता बंदरगाहों पर वहां से उत्तरी क्षेत्र में उत्पाद ले जाने के लिए अधिक आयातों के संबंध में भी व्यवस्था की जा रही है। कांडला, कोयाली तथा बज-बज एवं लंबे यातायात तक के लोनी हल्दिया, बज-बज और विजाग जैसे अपारंपरिक स्त्रोतों से भी अधिकतम संभव लदान करने के लिए रेलवे से अनुरोध किया गया है। इस अवधि के दौरान सड़कों द्वारा परिवहन को व्यापक रूप से बढ़ाया गया है तथा और अधिक टैंक लारियों को सेवा में लगाया जा रहा है। कांडला में अधिक आयात सुसाध्य बनाने हेतु अधिक पंपिंग दर के तेल टैंकर काम पर लगाए जा रहे हैं। अधिक मात्राओं की संभाल करने के लिए कांडला में अन्य काम चलाऊ प्रबंध भी किए गए हैं। सर्वाधिक मांग वाले मौसम के दौरान मांग को पूरा करने के लिए डीजल के और अधिक आयातों के संबंध में भी योजना बनाई गई है।

उत्तरी क्षेत्र में डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल के आयात उत्पादन परिवहन और वितरण की निगरानी के लिए और वर्तमान सर्वाधिक मांग वाले मौसम में आवश्यक उपाए करने के लिए अध्यक्ष, आई ओ सी की अध्यक्षता में और कार्यकारी निदेशक ओ सी सी तथा तेल कंपनियों के अध्यक्षों व प्रबंध निदेशकों तथा पेट्रोलियम रेलवे व भूतल परिवहन मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के अधीन एक कार्यबल की नियुक्ति की गई है।

मुझे ज्ञात है कि यह सभी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे किसानों को अपनी फसलों की कटाई और दांवने के कार्यों और अपनी फसलों को मंडियों तक ले जाने में परेशानी हुई है। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि डीजल की मांग को पूरा करने के लिए सभी संबंधितों के सहयोग के साथ पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, सभी संबंधित एजेंसियों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हमें अगले कुछ सप्ताहों में उत्पाद उपलब्धता में यदा-कदा होने वाली स्थानीय परेशानी की संभावना से इन्कार नहीं करना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि भविष्य के लिए स्थायी आधार पर आपूर्तियों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें संरचनात्मक बाधाओं को सुलझाना होगा। मैं एक मध्यम अवधि की कार्य नीति पर कार्य कर रहा हूँ, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं, जिन्हें इस विशाल देश में रोका नहीं जा सकता है, की स्थिति में भी पूरे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को भविष्य में ऐसी प्रणाली के माध्यम से संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके जो पेट्रोलियम उत्पादों की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इस कार्य नीति में निम्नलिखित घटक सम्मिलित है : -

प्रथम और सर्वप्रमुख, इसलिए हमने रिफाइनरियों, आपूर्ति स्थानों और मुख्य खपत क्षेत्रों में अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन के माध्यम से देश में पेट्रोलियम उत्पादों का 45 दिन का महत्वपूर्ण भंडार स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह महत्वपूर्ण भंडार सरकार के समादेश में होगा और जब भी आवश्यक हो आकस्मिकताओं और आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय घटक एक राष्ट्रीय पाइपलाइन नेटवर्क का विकास करना है। वर्तमान समय में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन में

विचारणीय बाधाएं आती हैं। इसलिए हमने एक राष्ट्रीय पाइपलाइन नेटवर्क का विकास करने का निर्णय लिया है, जिसे निजी प्रतिभागिता के साथ तेल विपणन कम्पनियों की संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा स्थापित किया जाएगा। तृतीय, बंदरगाहों पर अतिरिक्त जेट्टी क्षमता का सृजन किया जाएगा और तेल उद्योग जहां आवश्यक हो वहां अपनी कैप्टिव जेट्टियां और सिंगल ब्वाय मूरिंग प्रणालियां (एस.बी.एम.एम.) बनाएगा। इससे पेट्रोलियम उत्पादों की तीव्रता और उनका अधिक साजसंभाल और उनना एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन सम्भव हो सकेगा।

कांडला-भटिंडा पाइपलाइन सितम्बर-दिसम्बर के अगले उच्च मांग वाले मौसम के दौरान चालू हो जाएगी। तथापि, भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। मैंने मंत्रालय को निदेश भी दिया है कि पानीपत रिफाइनरी की वर्तमान समय की नियोजित 6 मिलियन टन प्रति वर्ष की शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। उत्तरी क्षेत्र में और अधिक शोधन क्षमता की भी योजना बनाई जा रही है मुझे आशा है कि इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप ऐसी समस्याएं भविष्य में उत्पन्न नहीं होंगी और हम देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

श्री चेतन पी.एस. चौहान (अमरोहा) : पिछले वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश में आपूर्ति 11 प्रतिशत कम क्यों कर दी गई है, जबकि जम्मू और कश्मीर में इसमें 14 प्रतिशत और हरियाणा में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौहान, जब भी कोई मंत्री वक्तव्य देते हैं, हम उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं। पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों के दिशानिर्देशन के लिए नियम-पुस्तिका है। हम उससे हट नहीं सकते हैं।

अब, अगला विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का है। सम्भवत: इसमें कम समय लगता है और यदि सभा सहमत हो तो हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। इसमें छ: या सात मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या सभा इस बात से सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा आरंभ करेंगे। मैं श्री बसुदेव आचार्य के इस सुझाव से सहमत हूँ कि दोपहर के भोजन के बाद हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। अत: अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

श्री गोपीनाथ गजपति

1.13 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा सरकार को गंजम और गजपति जिलों में पीने के पानी की भंयकर समस्या को सुलझाने के लिये केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : महोदय, उड़ीसा राज्य पेयजल की समस्या का सामना कर रहा है। पेयजल की कमी राज्य के दक्षिणी क्षेत्र, खासतौर पर गंजम और गजपति जिलों में बहुत अधिक है। बरहामपुर शहर में पेयजल की समस्या को स्थायी तौर पर सुलझाने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं। शहर के विभिन्न हिस्सों में लगाए गए नलकूप काम नहीं कर रहे हैं, इन क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या अभी भी बनी हुई है।

महेन्द्र तनया नदी से जल की आपूर्ति में बढ़ती हुई अनियमितताओं से, नये गजपति जिले के मुख्यालय पारलखेमुंडी कस्बे में पेयजल की गम्भीर कमी पैदा हो गई है। नदी दिन-प्रतिदिन सूख रही है और इससे उस कस्बे को पानी की आपूर्ति में बाधा पड़ रही है विद्यमान जल आपूर्ति योजनाएं पानी की कमी की समस्या के समाधान में समर्थ नहीं है। राज्य सरकार जल आपूर्ति योजनाओं की अपेक्षित ऊंची लागत वहन करने में समर्थ नहीं है।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि बरहामपुर, पारलेखमुंडी, गंजम और गजपति जिलों के अन्य कस्बो में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए कार्य योजनाएं क्रियान्वित करें। आवश्यक पेयजल योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता तुरंत प्रदान की जानी चाहिए।

(दो) नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन को उसके नवीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य अनुषंगी कार्यों को शामिल करने और वर्तमान एककों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु अनुदेश देने की आवश्यकता।

डा. पी. वल्लल पेरूमान (चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने जीवन विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1992 में 315.25 करोड़ रुपये की पूंजी की लागत से नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन के पहले ताप बिजली विद्यमान नौ एककों के नवीकरण और पुन: चालू करने की मंजूरी दे दी है। ताप विद्युत गृह प्रथम में बायलर, टरबाइन जेनरेटर, स्विच यार्ड, कूलिंग टावर और अन्य उपस्कर हैं। लेकिन नवीकरण कार्य में केवल बायलर और टरबाइन जेनरेटर सम्मिलित हैं, अर्थात मुख्यत: बायलर और टरबाइन जेनरेटर में कुछ सुधार किए गए हैं और जैसे स्विच यार्ड, कूलिंग टावर का नवीकरण नहीं किया गया।

सामान्यतया जीवन विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीकरण के दौरान उत्पादन क्षमता में वृद्धि पर भी विचार किया जाता है जैसा कि अन्य देशों जैसे जर्मनी, अमेरिका आदि में भी किया जाता है। नेवेली

लिग्नाइट कारपोरेशन में यद्यपि सरकार ने 315.25 करोड़ की बड़ी राशि निवेश की है, किंतु नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन ने प्रथम ताप विद्युत गृह में उत्पादन क्षमता में वृद्धि का कोई प्रयास नहीं किया है।

इसलिए, मैं माननीय कोयला मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि नेवली लिग्नाइट कारपोरेशन को अन्य अनुषंगी कार्यों के नवीकरण और विद्यमान एककों की उत्पादन क्षमता की 600 मेगावाट से कम से कम 610 मेगावाट (10 प्रतिशत वृद्धि) तक बढ़ाने के समुचित आदेश दें ताकि ताप विद्युत गृह प्रथम का पूर्णरूपेण नवीकरण किया जा सके। [हिन्दी]

(तीन) राजस्थान में उदयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर बाई-पास का निर्माण करने की आवश्यकता।

श्री भेरूलाल मीणा (सलम्बूर) : उपाध्यक्ष जी, उदयपुर की जनता पिछले कई वर्षों से उदयपुर में बाई-पास बनाने की मांग कर रही है। मैंने पहले भी सदन का तथा माननीय भूतल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि नई सड़क नीति में इसे जोड़ दिया जाएगा। परन्तु राज्य सरकार की जो नई सड़क नीति घोषित की गई है, उसमें उदयपुर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। उदयपुर नेशनल हाईवे नं. 8 पर बाई-पास नहीं होने के कारण हर दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है तथा कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। शहर की आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उतने ही वाहन सड़कों पर बढ़ रहे हैं। यदि उदयपुर में बाई-पास नहीं बनाया गया तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रत्येक दिन होती रहेंगी।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि नई सड़क नीति में उदयपुर में नेशनल हाईवे नं. 8 बाई-पास सड़क बनाए जाने के विषय को शामिल किया जाए। सरकार का यह कदम जनहित में होगा।

(चार) उड़ीसा के देवगढ़ शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 6 पर बाई पास का निर्माण करने की आवश्यकता।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कलकत्ता को बम्बई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 उड़ीसा में देवगढ़ के बीचोंबीच होकर जाती है। देवगढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है, जहां चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। इसमें ऊँचे पर्वत, घने जंगल और विशेषकर पधानपट जल-प्रपात वर्ष भर पर्यटकों को और पिकनिक पार्टियों को आकर्षित करते हैं। इसीलिए यह नगर हमेशा भीड़ भरा रहता है। यहाँ कोई उप-मार्ग न होने से सारे भारी वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 से गुजरते हैं,जो नगर को व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला इलाका है, जिससे पैदल चालने वालों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। वास्तविकता यह कि अक्सर भयंकर दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

इसलिए देवगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक उपमार्ग बनना अतिआवश्यक है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 में समुचित लिंक के लिए अविलम्ब वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिएं।

(पांच) राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को देय सभी ऋण तथा ब्याज को माफ करने की आवश्यकता।

श्रीमती वसुंधरा राजे (झालावाड़) : राजस्थान सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है। राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्र से लिए गए ऋण से देय ऋण और उस पर देय ब्याज कुल मिलाकर 8000 करोड़ रुपए की परिसम्पत्तियां बनाने में सहायता मिली है। जबकि मार्च 1994 तक 10,000 करोड़ रुपए हो गया। इसलिए जब तक ऋण और ब्याज माफ नहीं किए जाते, तब तक राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रमों के लिए और अधिक संसाधन नहीं जुटा सकेगी।

राज्य की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राजस्थान को संसाधन वितरित करते समय जनसंख्या और क्षेत्रफल को ही केवल आधार न बनाया जाए इसके बजाय वहां के पिछड़ेपन पर विचार किया जाए। मैं यह भी माँग करती हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए धन आबंटित करने में पुराने फार्मूले को समाप्त किया जाए और ऐसी परिस्थितियों से निपटते समय राज्य द्वारा किए गए वास्तविक खर्च की भरपाई की जाए। [हिन्दी]

(छह) पूरे देश में 'नवोशूद्र' जाति को आरक्षण सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता।

श्री बलराज पासी (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, नैनीताल जिले में हजारों की संख्या में नवोशुद्र जाति के लोग रहते हैं। इस जाति के लोगों को पश्चिम बंगाल में आरक्षण की सुविधा प्राप्त है, किन्तु उत्तर प्रदेश में इन्हें आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नवोशुद्र जाति के लोग देश विभाजन में विस्थापित होकर तराई के क्षेत्र में बसाये गये, किन्तु इतने वर्षों के बाद भी आर्थिक व सामाजिक रूप से वे पिछड़े हुए हैं। वे नदियों, नालों तथा जंगलों के किनारे बसे हुए नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय-समय पर इन्हें आरक्षण की सुविधा प्राप्त कराने हेतु अनेक बार ज्ञापन केन्द्र सरकार को दिये गये हैं, किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इनकी गम्भीर स्थिति को देखते हुए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूँ कि नवोशुद्र जाति के लोगों को सम्पूर्ण देश में आरक्षण की सुविधा अविलम्ब उपलब्ध कराई जाए। [अनुवाद]

(सात) सिलीगुड़ी के अम्बारी - फलकट्टा हवाई अड्डे को चालू करने की आवश्यकता।

श्री जितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बागडोगरा,

सिलीगुड़ी, उत्तरी बंगाल में विमान सम्पर्क हेतु एक ही हवाई अड्डा है। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार और दीनाजपुर जिले में नई औद्योगिक नीति के परिप्रेक्ष्य में तेजी से विकसित हो रहे हैं जिसके लिए विमान संपर्क की आवश्यकता है। अम्बारी कलकत्ता हवाईअड्डा जो सिलीगुड़ी से 20 कि.मी. और जलपाईगुड़ी से 10 कि.मी. दूर है, लम्बे समय से चालू नहीं है।

मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस हवाई अड्डे को चालू करने के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(आठ) पश्चिम बंगाल सरकार को सुन्दरवन क्षेत्र में नदियों में गाद जमा होने की समस्या को सुलझाने के लिए समुचित वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, पश्चिम बंगाल का सुन्दरवन क्षेत्र गरीब और पिछड़ा क्षेत्र है। सुन्दरवन में लोग अभी भी आदिवासी दशाओं में रहते हैं। उनमें से अधिकांश अनुसूचित अथवा पिछड़े वर्गों के हैं। जब से लोगों ने इन द्वीपों में रहना शुरू किया तब से बंगाल के बाघों द्वारा इन पर आक्रमण और नदियों में मगरमच्छ द्वारा आक्रमण जारी रहने से मानव जीवन की बर्बादी हो रही है।

यह क्षेत्र प्रकृति की भिन्नता पर निर्भर करता है और वहां रहने वालों को दी की गाद से बाघों और मगरमच्छों की तुलना में अधिक खतरा पैदा हो गया है। चूंकि इस क्षेत्र में मोटर बोट ही यातायात का एकमात्र साधन है और गाद जमा होने से इसे शेष देश से कट जाने का खतरा पैदा हो गया है। कभी-कभी मोटर बोट नदियों की गाद में फँस जाती हैं। फिर कृषि ही सुन्दरवन के गरीब लोगों की जीविका का एकमात्र साधन है और नदियों की गाद से इधर-उधर फैले पानी के कारण उनमें धान के खेतों की सिंचाई करना लगभग असम्भव बना दिया है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार को सुन्दरवन के गरीब लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और पश्चिम बंगाल सरकार को गाद के खतरे से निपटने के लिए समुचित वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र को बचाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.30 म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

1.26 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

2.36 म.प.

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 36 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बीय लोक महत्व की विषय की ओर ध्यानाकर्षण

असम में मलेरिया के फैलने और उसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें : -

"असम में मलेरिया के फैलने और उसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : असम में मलेरिया के कथित पुन: फैलने, जिसके कारण राज्य के विभिन्न जिलों में अप्रैल, 1995 के अंत तक लगभग 145 लोगों की जानें गई हैं के बारे में सदन के सदस्यों के साथ मैं भी चिन्तित हूँ।

मलेरिया के फैलने के बारे में सूचना मिलने के शीघ्र बाद मैंने स्थिति का जायजा लेने तथा राज्य सरकार को आवश्यक सहायता उपलब्ध करने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के दो विशेषज्ञों के साथ असम के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार द्वारा स्थिति से निपटने तथा किए गए नियंत्रण उपायों का जायजा लिया गया तथा मेरे अनुदेशों के अंतर्गत मेडिकल स्टोर डिपो, गुवाहाटी से औषधों और कीटनाशकों की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की गई। जब मैं प्रभावित जिलों के दौरे पर था उस समय डी.डी.टी. का छिड़काव किया जा रहा था तथा रोगियों के उपचार को मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में अतिरिक्त चिकित्सा शिविर लगाए गए थे।

दिल्ली लौटने पर मैंने औषधों और कीटनाशकों की पर्याप्त मात्रा में निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने और स्थिति की बारीकी से मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को अनुदेश दिए। तब से मलेरिया की स्थिति की नियमित रूप से मानीटरिंग की जा रही है तथा एक नियंत्रक कक्ष राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया है।

असम राज्य अपनी पहाड़ी तथा जंगली क्षेत्र तथा जलवायु की परिस्थितियों के कारण मलेरिया की अत्यधिक स्थानिकमारी वाला राज्य है। विगत वर्षों में भी राज्य में मलेरिया तथा पी.फालसीपेरम की अधिक घटनाएं हुई थीं और इस रोग के कारण मौतें हुई थीं।

वर्ष 1995 में अप्रैल के आखिर तक राज्य के 23 जिलों में से 11 में मलेरिया से मरने वाले 145 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रोग से अत्यधिक प्रभावित जिले हैं : गोलपाड़ा, सोनितपुर, सलबाड़ी, कामरूप, दारंग और बोगाइंगांव।

हमारा मंत्रालय असम में मलेरिया की स्थिति पर कड़ी नजर रख

रहा है। जनवरी, 1995 में गुवाहाटी और फरवरी, 1995 में दिल्ली में स्थिति की पहले ही समीक्षा की गई थी। तत्पश्चात् स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक द्वारा असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल सरकार के 95 स्वास्थ्य अधिकारियों / प्रतिनिधियों के साथ 27 अप्रैल को कलकत्ता में स्थिति की ताजा समीक्षा की गई।

हमने यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए हैं कि अपेक्षित सभी, कीटनाशी तथा औषधें राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी जाएं। जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत असम सहित सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों के दिसम्बर, 1994 से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य को दिसम्बर, 94 से मार्च, 1995 तक की अवधि के लिए 28.26 लाख रुपये की नकद सहायता दी गई थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम तिमाही के लिए 128.74 लाख रुपये की मंजूरी जारी की गई है।

रोग की स्थिति एवं किए गए नियंत्रण उपायों की अद्यतन स्थिति को समीक्षा करने के लिए 2 अधिकारियों को पुन: असत तथा शेष छह उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल प्रत्येक में एक-एक अधिकारी को भेजा गया है।

किए गए उपचारात्मक उपाय

1. 24 अप्रैल, 1995 को मैंने गुवाहाटी में असम सरकार के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक बुलाई तथा रोगी का पता लगाने तथा ज्वर के उपचार सहित उनके निगरानी उपायों में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

   मैंने लोगों को मलेरिया संक्रमण से बचाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावशाली कीटनाशी छिड़काव की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राज्य सरकार के इन उपायों तथा प्रयासों के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है। फिर भी, हम कोई ढील नहीं बरत रहे हैं।

   राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजन से 31 जिला मलेरिया अधिकारियों तथा अन्य जिला अधिकारियों तथा 30 क्लिनिसियनों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय द्वारा जनवरी, 95 के दौरान मलेरिया के नियंत्रण कार्य में दो दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

   मैंने प्रत्येक प्रभावित गांव में औषधियों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा समुदाय को इसमें शामिल कर सूचना, शिक्षा तथा संचार प्रयासों से इसमें तेजी लाने और रोगियों का शीघ्र पता लगाने और उन्हें तत्काल उपचार उपलब्ध करने तथा इसके महत्व को समझने में लोगों की मदद की।

5. इसके अलावा, अधिक चिकित्सीय शिविर लगाकर उपचार सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है।

6. तथापि, इन प्रयासों की सफलता निचले स्तर के उन क्षेत्रीय अधिकारियों की प्रभावकारिता पर निर्भर है जो इस गंभीर चुनौती का मुकाबला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार स्थिति पर काबू पाने में सफल की जाएगी। मैं स्थिति से निपटने में हमारे प्रयासों में सदन के बहुमूल्य सुझावों का भी स्वागत करूंगा।

श्री उद्धव वर्मन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री के वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। वक्तव्य में यह बताया गया है कि असम में मलेरिया फैला हुआ है जिसकी वजह से लगभग 145 लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं इस समय यह कहना चाहता हूँ कि मलेरिया विशेषकर असम में एक महामारी की तरह फैला हुआ है जिससे अधिकतर जिले प्रभावित हैं। यह बताया गया है कि राज्य के विभिन्न भागों में लगभग 44,000 लोग मलेरिया से प्रभावित हैं और मरने वालों की संख्या 145 है, ये सरकारी आंकड़े हैं। परन्तु इस सन्दर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वास्तव में मरने वालों की संख्या बताई गई संख्या से अधिक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने उनकी मृत्यु के असली कारण नहीं बताये हैं। इसलिए आशंका है कि असम में 500 से अधिक लोग मलेरिया से पहले ही मर चुके हैं।

यह कहा जाता है कि असम राज्य मलेरिया के लिए बहुत अनुकूल है। सभी को मालूम है कि विशेषकर असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र सामान्यत: मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने वक्तव्य दे दिया। यदि कोई संदेह हो, तो यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हों, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री उद्धव वर्मन : मैं उसी पर आ रहा हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा।

श्री बसुदेव आचार्य : वह उसके लिए भूमिका बना रहे हैं।

श्री उद्धव वर्मन : सभी लोग पहले से जानते हैं कि असम मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र है। इसके पहले भी, पिछले वर्ष भी मलेरिया के कारण मौतें हुई थीं और इससे पहले थी, विशेषकर प्रतिवर्ष असम में मलेरिया की वजह से मौतें होती रही हैं। किन्तु मेरे विचार से सरकार ने स्थिति की पूरी तरह से उपेक्षा की है, जिससे यह बीमारी फैली। मलेरिया के संदर्भ में विशेषकर असम के लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्या के प्रति निष्ठुर रवैया अपनाया जा रहा है। मलेरिया के उन्मूलन को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है।

मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई उपयुक्त इलाज भी नहीं है। इस एरिया में शायद ही कोई स्वास्थ्य केन्द्र हो। वहाँ कोई डाक्टर नहीं है, कोई निजीशियन नहीं है, कोई दवा नहीं है। जो सबसे अधिक प्रभावित हैं। वे गरीब ग्रामीण हैं जिनमें से अधिकांश अशिक्षित है। उन लोगों को यह नहीं पता कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करनी है।

परिणामस्वरूप असम में मलेरिया ने महामारी का रूप ले लिया। मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक उदासीनता संगठनात्मक कमजोरी और राज्य में मलेरिया उन्मूलन को दी गई कम प्राथमिकता के कारण ही केवल 145 मौतें ही नहीं बल्कि इससे अधिक मौतें हुई हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस क्षेत्र की तरफ अधिक ध्यान दें।

अधिकारियों की बैठक में लिए गए निर्णयों को केवल कागज पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसके साथ-साथ जो उपाय शुरू किए गए हैं उनको जारी रखा जाना चाहिए। उन्हें प्रभावित क्षेत्र के लोगों तक पहुँचना चाहिए विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सा कैम्पों, को भी चालू रखा जाना चाहिए। चूंकि, ये लोग निर्धन किसान हैं, ये लोग औषधियां खरीदने में सक्षम नहीं है। इसलिए राज्य सरकार को और केन्द्र सरकार को कुछ उनके पुनर्वास के लिए कुछ कदम उठाने चाहिएं। जो भी प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं और अर्धसैनिक बलों द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उनको जारी रखा जाना चाहिए।

महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए क्योंकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हैं। वहाँ पर गहन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इसलिए मंत्रालय को इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वहां राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत से केन्द्र हैं। ये केन्द्र वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। उनमें से बहुत से अपने दिन प्रतिदिन का कांम भी करने की स्थिति में नहीं हैं। उनको अर्थक्ष्म बनाने की आवश्यकता है जिससे वे निगरानी कार्य कर सकें। वे यह लगा सकते हैं कि वहां पर कितने मलेरिया रोगी हैं। जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए ताकि लोगों को मलेरिया के बारे में बताया जा सके। सरकारों के उपेक्षित ओर अड़ियल रवैया समाप्त होना चाहिए और केन्द्र और राज्य सरकार दोनों स्तर पर, प्रशासनिक उपाय तेज किए जाने चाहिएं ताकि मलेरिया महामारी का रूप न ले सके।

मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ यद्यपि उन्होंने देर से कदम उठाया है। उन्होंने जो कदम उठाया है मैं इसके लिए उनकी सराहना करता हूँ परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें मलेरिया महामारी का मुकाबला करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देगी और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को और सुचारू बनाएगी।

मैं डी डी टी के बारे में भी उल्लेख करना चाहूँगा। ऐसा सुनने में आया है कि डी डी टी का छिड़काव नहीं किया गया। यह भी सुनने में आया है कि किसी स्थान पर प्रति हजार व्यक्तियों पर दो व्यक्तियों की मृत्यु होने के बाद उस स्थान पर डी डी टी का छिड़काव किया जा सकता है। सभी शर्तों को छोड़ दिया गया है। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे गुवाहाटी में डी.डी.टी. का छिड़काव किया जाना चाहिए। गुवाहाटी में भी मलेरिया से प्रभावित रोगी है और वस्तुतः समस्त असम मलेरिया से प्रभावित है। मेरी मांग है कि इस संबंध में उचित कदम उठाये जायें ताकि भविष्य में जनता का स्वास्थ्य बेहतर रहे। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इन मुद्दों का जवाब देंगे।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्ण नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री घाटोवार द्वारा दिया गया वक्तव्य सन्तोषजनक नहीं है। सर्वप्रथम, मैं मंत्री महोदय से गत 3 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में व्यय की गई राशि का विवरण चाहता हूँ। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में यह राशि व्यय की गई, क्या वहां मलेरिया पर नियंत्रण कर लिया गया है। मैं इन दो बातों पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

इस संबंध में मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। सरकार ने एस. पट्टनायक समिति का गठन किया था और समिति के गठन होने के कुछ महीनों के बाद ही समिति ने अपनी रिपोर्ट में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की ओर असफलता का पर्दाफाश किया। दोबारा फैली इस महामारी से असम में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। इससे खामियों को दूर करने में सरकार की अक्षमता का स्पष्ट रूप से पता चलता है। श्री घाटोवार के वक्तव्य के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 145 है जो कि शायद सही नहीं है। मैं ऐसा करने का साहस इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के नेतृत्व में विशेषज्ञ समीक्षा दल ने इस बात की पुष्टि की कि मलेरिया से मरने वलों की संख्या अस्पतालों द्वारा बताई गई संख्या से बहुत अधिक है। आतंकित करने वाली बात औषध - रोधक 'प्लासमोड़ियम फाल्सीपरम' के कारण घातक 'मस्तिष्क (सेरिब्रल)' का पुनः फैलना है और पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे 60 प्रतिशत मामले सामने आये हैं। यह केवल असम अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित बात नहीं है। मस्तिष्क (सेरिब्रल) मलेरिया सहित पूरे देश में तेजी से फैल रहा है।

राजधानी दिल्ली में भी मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है। मच्छरों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके बारे में जागरूकता कहां है? सरकार की ओर से किसी प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया नहीं गया है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मच्छरों को मारने अथवा निवाराणात्मक उपाय करने के लिए किसी प्रकार की कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह वास्तव में बहुत गंभीर बात है।

यह दयनीय बात है कि गत एक दशक के दौरान सारे देश में अधिकारिक तौर पर बताई गई मलेरिया के मामलों की संख्या प्रति वर्ष दो मिलियन पर स्थिर है। यह पूरे भारत के आंकड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद का मुद्दा नहीं है। आप केवल स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। आप इसे वाद-विवाद का मुद्दा नहीं बना सकते हैं।

श्री अजय मुखोपध्याय : हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल असम

से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है लेकिन आप इसे वाद-विवाद का मुद्दा नहीं बना सकते हैं। आप केवल संबद्ध स्पष्टीकरणों की मांग कीजिए।

श्री अवध मुखोपाध्याय : महोदय, मैं संगत मुद्दे ही उठा रहा हूं। अतः कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। मैं इन मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण चाहता हूं क्योंकि वक्तव्य में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बावजूद अधिकारिक तौर पर बताई गई मलेरिया के मामलों की संख्या प्रतिवर्ष दो मिलियन पर स्थिर रही है। अतः आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि यह कैसा कार्यक्रम है और सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। एक के बाद एक प्लेग आदि जैसी घातक व्याधियां फैल रही हैं और सरकार का कहना है कि ऐसी व्याधियां अब समाप्त हो गई हैं। लेकिन ये व्याधियां एक के बाद एक फैल रही है। पहले प्लेग और अब मस्तिष्क (सेरिब्रल) सहित मलेरिया से तबाही हो रही है। पट्टनायक समिति ने स्पष्टरूप से बताया कि यद्यपि मलेरिया पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध है किंतु प्रशासनिक उदासीनता, संगठनात्मक दुर्बलता, कमजोर अन्तरक्षेत्रीय समन्वय एवं समस्या को कम प्राथमिकता दिये जाने के कारण बार-बार महामारी फैल रही है एवं मृत्युदर में वृद्धि हुई है।

2.58 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकार ने इस समिति को गठित किया था। उन्होंने यह सब कुछ स्पष्टरूप से बताया है। परन्तु कुछ ही महीनों में असम और सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में मलेरिया फैल गया और यह सारे देश में भी फैल रहा है। अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और इस घातक व्याधि को रोकने के लिए कुछ कदम उठाएं।

इन शब्दों के साथ, मैं मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

. . . (व्यवधान)

3.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाएगी जिनके नाम मेरे पास है, दूसरों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, असम में स्थिति बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, हम सभी के लाभ के लिए इस नियम को पढ़ना चाहता हूं।

"ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य-सूची में यह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा और अन्त में मंत्री सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे।"

अतः केवल स्पष्टीकरण मांगने वाला प्रश्न ही किया जाना चाहिए और वाद-विवाद नहीं करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : केवल स्पष्टीकरण मांगने वाला प्रश्न ही पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, प्रश्न पूछने के लिए . . .

अध्यक्ष महोदय : आपको भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : भूमिका की आवश्यकता है, मैं केवल कुछ ही क्षण लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी रेल बजट पर भी चर्चा की जानी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं यह जानता हूं । असम में स्थिति बहुत गंभीर है। श्री पट्टनायक के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कर दिया गया है कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम असफल रहा है। यह कार्यक्रम 1953 में आरम्भ किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, यह प्रश्न नहीं है। यह आम भाषण है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार हर समय नियमों का उल्लंघन करते रहेंगे तो वह अमूल्य समय नष्ट होगा जिसमें अन्य सदस्य भी बोल सकते हैं। कुछ अन्य विषय हैं और वे उस पर बोलना चाहते हैं। आपको उनके समय के बारे में भी ध्यान देना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे प्रश्न करने दीजिए। मुझे इस व्याधि के संक्रमण के कारणों पर बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। इसकी परिकल्पना नहीं की गई है।

श्री बसुदेव आचार्य : मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है इसकी परिकल्पना नहीं की गई है। आप सरकार का ध्यान उस विशेष सहायता की ओर कर आकर्षित कर रहे हैं जो कि दी जानी चाहिए। आपसे इस विषय पर कोई खोज और किसी नतीजे पर पहुंच कर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके ये कारण हैं। आप कृपया इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की भावना को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई।

श्री बसुदेव आचार्य : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव असम की स्थिति के बारे में है। मलेरिया के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है और सरकार इस बारे में गंभीर नहीं है। यह व्याधि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में फैली और मंत्री महोदय ने अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में यहां का दौरा किया । उन्होंने अपने वक्तव्य में असम का दौरा करने के बाद

उनके द्वारा उठाये गये कदमों का जिक्र किया है और बताया कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और उनके दौरे के बाद डी.डी.टी. का छिड़काव किया गया। जब सरकार इन तथ्यों से पूरी तरह परिचित थी कि यह क्षेत्र महामारी व मलेरिया ग्रस्त हैं तो सरकार ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों में उपचारात्मक कदम क्यों नहीं उठाए ? इसके बावजूद उपचारात्मक उपाय क्यों नहीं किए गए। यह मेरा पहला प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न है . . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रत्येक बिन्दु की व्याख्या करनी है। मैंने यह कहा है कि एक प्रश्न पूछा जा सकता है, किन्तु आप दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : यह पहले प्रश्न का भाग 'ख' है न कि दूसरा प्रश्न।

सरकार द्वारा इस भयावह बीमारी को रोकने के लिए किए गए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय क्या हैं भाग 'ग' यह है। मलेरिया कार्य योजना 1995 में आरम्भ की गई और इस कार्यक्रम को आरम्भ करने के बाद इस बीमारी को समाप्त करने की सरकार की रणनीति क्या है ? मेरे प्रश्न का भाग 'घ' यह है कि इस बीमारी के फैलने के बाद कितने चिकित्सा कैम्प स्थापित किए गए और क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बीमारी को रोकने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों और चिकित्सा कैम्पों में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की जा रही है।

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, हमें इस क्षेत्र से खबरें मिल रही हैं। यहाँ तक कि 'इण्डियन एक्सप्रेस' ने 29 अप्रैल को रिपोर्ट दी कि :

"उपकेन्द्रों में या तो उपकरण पूरे नहीं हैं या केवल खाली बिल्डिंगें हैं। उपसंभाग के डोंग पा गाँव के उपकेन्द्र में सन् 1971 से कोई स्थाई चिकित्सक नहीं है। इस समय एक ही नर्स द्वारा 15 गाँवों की आवश्यकता पूरी की जा रही है।

गांधीवाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दशा कुछ ठीक ठाक है। इसमें एक रेजीडेंट डाक्टर है किन्तु अधिक गहन चिकित्सा करने के लिए उपकरण नहीं हैं ?

वास्तव में जैसा कि श्री आचार्य ने कहा कि यह क्षेत्र मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र है क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार पिछले वर्ष भारत में 1993 में 345 लोगों की मृत्यु हुई और 1994 में 1069 लोगों की मृत्यु हुई और अधिक संख्या इन्हीं क्षेत्रों में थी। वहां पर कौन से प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं ? अभी भी यह पूर्णतया साधनहीन हैं। सरकार को दूसरे क्षेत्रों से डाक्टरों का पता लगाकर, उनको बुलाकर वहाँ भेजा जाना चाहिए जिससे अस्पताल भलीभांति साधन सम्पन्न हो सकें अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता है। हमने मंत्री महोदय के वक्तव्य को पढ़ लिया है स्थिति से निपटने के लिए यह बहुत अपर्याप्त है। आपको युद्ध स्तर पर डाक्टरों को और दवाओं को भेजना चाहिए। तुरन्त एक केन्द्रीय दल वहाँ भेजा जाना चाहिए। राज्य सरकार की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे इस तरह की स्थिति से नहीं निपट सकेंगे तो क्या सरकार तुरन्त ऐसे दल भेजने के लिए और कुछ दूसरी दवाएं भेजने के लिए तैयार होगी ?

श्री सुव्रत मुखर्जी (रायगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय केवल असम ही नहीं बल्कि पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र मलेरिया ग्रस्त है। इसे सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है और शायद माननीय मंत्री द्वारा भी जो असम से ही हैं। उसके बारे में वह अच्छी तरह जानते हैं। किन्तु जो उपाय किए गए हैं, जहां तक असम का प्रश्न है, निश्चित रूप से यह सन्तोषजनक नहीं है। जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा कि दिसम्बर 1994 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। फिर भी, असम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति बड़ी खराब है।

अत: इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या कदम उठा रही है क्योंकि यह केवल असम या पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न ही नहीं है बल्कि दिल्ली के लिए भी है, यह प्रश्न पूरे देश के लिए है। मैं स्वयं दूसरे सांसदों के साथ राष्ट्रपति निवास के पास रहता हूँ और इसे स्वर्ग ही कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सीधे प्रश्न पर आएं जो असम में मलेरिया की स्थिति पर प्रकाश डालता है न कि दिल्ली में।

श्री सुव्रत मुखर्जी : महोदय, सूर्यास्त के बाद मच्छरों के कारण हम लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए मेरा विशेष प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा एनाफलीज मच्छरों को मारने के लिए भविष्य में कोई विशेष कदम उठाए जाएंगे। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में विशेष उत्तर चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, माननीय मंत्री।

श्री पवन सिंह घाटोवार : अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों का बहुत अभारी हूँ कि उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से असम में मलेरिया की स्थिति की ओर इस सभा का ध्यान आकर्षित किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने गत वर्ष एक समीक्षा बैठक की थी। उनकी समीक्षा बैठक कराये जाने के पश्चात, हमने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का निर्णय लिया है। पिछले महीने मैंने स्वयं वहां कुछ क्षेत्रों का दौरा किया। लेकिन हमें उस क्षेत्र की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अधिकांश क्षेत्र भूटान की तराई में हैं और इन क्षेत्रों में पहुंचना बड़ा कठिन हैं, वहां सड़के भी अच्छी नहीं हैं। इसलिए, इन गांवों में पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस क्षेत्र की जनसंख्या अपनी जीविका के लिए 25 से 30 प्रतिशत तक वनों पर निर्भर रहती है। अत:, उन्हें वनों में जाना पड़ता है। मैं संक्षेप में अपने अनुभव के बारे में बताता हूँ, जब मैं इन क्षेत्रों को देखने गया था तब मैंने वहां की जनता से बातचीत की थी। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूँ कि उस क्षेत्र में आई ई सी कार्यक्रम स्तरीय नहीं हैं क्योंकि जनजातीय जनसंख्या में, यहां तक कि मलेरिया ग्रसित क्षेत्रों में डी डी टी के छिड़काव की अनुमति देने के प्रति भी उनकी रूचि नहीं है। किसी प्रकार उन्हें कुछ गलतफहमियां हैं और हमें देखना है

कि उनके दिमाग से इन गलतफहमियों को दूर किया जाए। डाक्टरों के मामलों को विलम्ब से बताने के कारण इसने महामारी का रूप धारण कर लिया है।

श्री अजय मुखर्जी ने बजट का ब्यौरा जानना चाहा है। उन्होंने मुझसे असम राज्य के पिछले दो-तीन वर्षों में केन्द्रीय सहायता के बारे में विशेष रूप से पूछा है। वर्ष 1993-94 में, हमने 435.78 लाख रुपये दिए थे, 1994-95 में केन्द्रीय सहायता की राशि 540.78 लाख रूपये है और 1995-96 में राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 1,250.53 लाख रुपये देने का हमारा प्रस्ताव है। फरवरी में हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों को अनुदेश दिए हैं कि प्रत्येक गांव में दवाई उपलब्ध कराएं क्योंकि दवाई की उपलब्धता अत्यावश्यक है। हां, यह सच है कि उन क्षेत्रों में, जहां वन्य ग्राम स्थित हैं, कोई उपकेन्द्र या स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं। हमने राज्य सरकार को अनुदेश दिए हैं कि प्रत्येक गांव में ग्राम प्रधान या अध्यापक की निगरानी में कम-से-कम एक मलेरिया डिपो स्थापित करें ताकि ग्रामवासियों को आसानी से दवाई मिल सके। हमारी ओर से, हम राज्य सरकार को सभी दवाइयां मुफ्त मुहैया करा रहे हैं। हमने राज्य सरकार के साथ भी स्थिति की समीक्षा की थी और हमने उनसे अनुरोध किया है कि जागरूकता फैलाने में जन समुदाय को भी शामिल करें। जैसाकि आप सभी जानते हैं जनसमुदाय को शामिल किए बिना, मलेरिया की समस्या को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। लोगों में जागरूकता पैदा करनी है। हमने इन दूर-दराज के क्षेत्रों में उनके आई ई सी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पहले ही धन दे दिया है।

समय-समय पर, हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और हमने पहले ही दो विशेषज्ञ भेज दिए हैं। वे गुवाहाटी में ठहरे हुए हैं और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ तालमेल कर रहे हैं ताकि वे राज्य में मलेरिया की स्थिति पर निगरानी रख सकें, हमारे केन्द्रीय सहायता कार्यक्रमों में, हमने वाहनों की भी व्यवस्था की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन का अभाव भी मुख्य कठिनाईयों में से एक है। यद्यपि हमारे पास धन की कठिनाई हैं। फिर भी हम प्रत्येक जिला मलेरिया निरीक्षक, को एक वाहन उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वे गांवों में जा सकें और उन्हें देख सकें और समय पर आवश्यक दवाई की सप्लाई कर सकें। चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए, हमने पहले ही राज्य सरकार को लगभग 29 लाख माइक्रोस्कोपिक स्लाइड सप्लाई किए हैं। हम पी एच सी और सी एस सी को और अधिक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड भिजवाने पर भी विचार कर रहे हैं क्योंकि मलेरिया के निदान में खून की जांच अत्यावश्यक है। इस कारण से भी केन्द्रीय सरकार की ओर से, कार्यवाही की गई है। बहुत कुछ कह दिया और कर दिया लेकिन किसी कार्यक्रम की सफलता ग्रामवासियों के सहयोग पर ही निर्भर करती है। मैंने जिला क्लेक्टरों के साथ बैठक की है और उनसे अनुरोध किया है कि वे ग्राम प्रधानों के साथ सम्पर्क रखें और उन्हें इस बात के लिए मनाएं कि यदि गांव में किसी को बुखार है तो तुरंत निकटतम शिविर में रिपोर्ट करें। वे नजदीक के शिविर या उपकेन्द्र या पी एच सी, जो भी उनके गांव के निकटतम हो, को सूचित करें।

मलेरिया के मामले में, बीमारी की शीघ्र सूचना देना महत्वपूर्ण बात है। यदि मामलों को जल्दी सूचित किया जाता है और मरीज दवाई लेते हैं, तो हम मृत्यु-दर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। मलेरिया का पूरी तरह उन्मूलन करना, निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है क्योंकि उष्णकटिबंधीय वनों, में मच्छरों की भरमार है। ये मच्छर भारी वर्षा के कारण पनपते हैं और कदाचित वर्षा ही असम में इस बीमारी के फैलने के मुख्य कारणों में से एक है।

राज्य सरकार ने अपने चिकित्सा बल का गठन किया है और प्रभावित क्षेत्रों में डाक्टरों की विशेष टीम भेजी है। प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शिविरों की व्यवस्था की गई है। अब वे असम में मलेरिया को रोकने की स्थिति में होंगे। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि केन्द्र सरकार जन और सामग्री के रूप में सभी प्रकार की सहायता देगी राज्य को इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता हो सकती है। यह बीमारी केवल असम राज्य तक ही सीमित नहीं है, अपितु यह राजस्थान और अन्य राज्यों में भी फैली हुई है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : किंतु आपको राज्य सरकार से समुचित प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो रह है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : इस वर्ष से प्रधानमंत्री के अनुदेशों के अनुसार, हम इस बीमारी के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश भर में मलेरिया सप्ताह मनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम स्वयंसेवी संगठनों अन्यों की भी, सहायता ले रहे हैं क्योंकि व्यापक स्तर पर जन समुदाय का भागीदारी के बिना मलेरिया को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। हमारी ओर से, हम राज्य सरकार को सभी प्रकार की सहायता दे रहे हैं। हम हरेक गांव में दवाई उपलब्ध करा रहे हैं। पहले, हम पोस्टमास्टरों, अध्यापकों और ग्राम प्रधानों को मलेरिया की दवाई उपलब्ध कराया करते थे। हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि उस राज्य में हमारे मलेरिया नियंत्रण के प्रयास में ऐसे लोगों को भी शामिल करें। साथ ही केन्द्रीय सरकार भी निष्क्रिय नहीं बैठी है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें इच्छुक हूँ क्योंकि यह मेरा गृह राज्य है। हम वहां अपनी टीम भेज रहे हैं क्योंकि वहां डाक्टरों को तैनात करना मुश्किल है, कारण वहां कई वन्य ग्राम हैं। हमे उन्हें वन्य ग्राम कहते हैं। अत: इन दूर-दराज के क्षेत्रों में डाक्टरों को तैनात करना बहुत मुश्किल है। हमने राज्य सरकार से कुछ चल एकक गठित करने का अनुरोध किया है ताकि वे इन क्षेत्रों में जा सकें और उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं पर ध्यान दे सकें।

3.18 म.प.

रेल बजट 1995-96 सामान्य चर्चा, रेल अभिसमय समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करने के संबंध में संकल्प अनुदानों की मांगे (रेल) 1995-96 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेल) 1992-93 जारी

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, मंत्री महोदय।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, क्या आप मुझे दो या तीन मिनट बोलने के लिए दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कल, हम देर तक बैठे थे। अब यदि मैं एक सदस्य को अवसर दूँ तो कई और सदस्य भी बोलना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, सवालों के समय आपने फरमाया था कि बजट के समय बोल लेना। अगर हम बजट के समय नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप कल नहीं थे।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : यह हाऊस रात के दो बजे तक चला . . .

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं एक को बोलने दूंगा तो मुझे सबको बोलने का समय देना पड़ेगा।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : मैं एक ही प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां बिलाड़ा से बर वाया जेतरन रेल लाइन का एनाउंसमेंट करके सर्वे हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप बर रेलगाड़ी के लिए लाइन ट्रेक कब लगायेंगे ?

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समय का अभाव है इसलिए मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। पहले मैं माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगी कि रेलवे भारत में कलचर के रूप में हैं और उस कलचर की सारी विधायों को आपने इस बजट भाषण में लिया है। लेकिन दुख के साथ मैं अपने इलाके की समस्या भी आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इंटरवीन करने से वह उस समस्या का समाधान करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी ने रेलवे बजट भाषण में एक तरफ भारत को 21वीं सदी पर दस्तक देने का आमंत्रण दिया है, वहीं दूसरी ओर उदयपुर संभाग को 1947 के काल में ले जाने की भी पहल की है। मुझे लगता है कि मंत्री जी अपने उत्तर में हमारी समस्या का समाधान करेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि अब यह मसला संसद का नहीं रह गया है बल्कि हमारे यहां के संभाग का रह गया है। इस समस्या का समाधान उदयपुर जाकर ही करे और वहां की जनता के समक्ष अपनी बात रखें। एक तरफ टूरिज्म की दृष्टि से, दूसरी तरफ खनन की दृष्टि से और तीसरी तरफ उदयपुर संभाग में होने वाले दूसरे मिनेरल्स की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस लाइन को ब्राडगेज में बदला जाए और उदयपुर से अजमेर तक की लाइन को लिंक किया जाए। यह चुनौती नहीं है, मेरी तरफ से थ्रैट भी नहीं है लेकिन अपील है कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अपने संभाग के लोगों की भावना को रखने के लिए जो कुछ मैंने प्रारम्भ में यहां कहा था, मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं भी इस अपील का समर्थन करता हूँ।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : अध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट का समर्थन करता हूँ और रेल मंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे देश के लोगों की सुविधा के लिए बहुत अच्छा रेल बजट रखा है। मैं यहां अपने चुनाव क्षेत्र की 1-2 मांगे रखना चाहता हूँ। हमारे देश में रेल की यात्रा देशवासियों के लिए बहुत उपयुक्त हैं। हमारी सरकार की यह नीति भी है कि पिछड़े इलाकों का विकास हो। लेकिन मैं बहुत दु:ख के साथ रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब माधव राव सिंधिया जी रेल मंत्री थे तो सूरत-भुसावल रेल लाइन के दोहरीकरण करने की मंजूरी दी गई थी। जलगांव से धरणगांव तक 25 किलोमीटर तक की मिट्टी का भराव हो चुका था। लेकिन जब से बजट प्रोवीजन को बदलकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया तब से वह काम बन्द पड़ा है। यह लाइन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के ट्राईबल इलाके से गुजरती है। इसलिए, 1995-96 के बजट में इसके लिए प्रावधान करने की कृपा करें। इस लाइन पर 4 अप और 4 डाउन गाड़ियां चलती हैं। और सुपरफास्ट गाड़ियां भी चलती हैं। इस वजह से स्थानीय रेलें 5-5 घंटे देर से चलती हैं। इसलिए इस लाइन का दोहरीकरण करना जरुरी है लेकिन रेल प्रशासन ने कबूल किया है कि इस रेल लाइन को दोहरीकरण करना है लेकिन रेल मंत्रालय इसे नहीं मान रहा है। काशी राम राणा, छीतू भाई गामीत और मैं इस लाइन की मांग करते हैं। इस पर हावड़ा, त्रिवेन्द्रम, तापती गंगा, कोचीन तथा और भी सुपर फास्ट गाड़ियां चलती हैं और ये सभी गाड़ियां साउथ और गुजरात जाने वाले लोगों के लिए सीधी हैं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र नन्दरबार से एक बम्बई के लिए और एक दिल्ली के लिए गाड़ी चलाई जाए। शाहदा शुगर फैक्टरी दोंडाइचा रेलवे स्टेशन से शुगर ले जाती है। वहां पर शुगर रखने के लिए कोई गोडाउन नहीं हैं। मेरी मांग हैं कि वहां पर गोडाउन बनाया जाए। इस लाइन पर विद्युतीकरण भी जरूरी है। इस पर कंकरीट स्लीपर बिछाई जाए और रेल पटरी बदली जाए। ये सारे कार्य रेलवे प्रशासन के हैं लेकिन हमको इनको करने के लिए लोक सभा में बताना पड़ता है।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजी (दार्जिलिंग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे कर्मठ मित्र श्री जाकर शरीफ के नेतृत्व में रेल मंत्रालय ने कुछ अच्छे और महान् कार्य किए हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने एक वर्ष के दौरान 6,000 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा था लेकिन अब मुझे ज्ञात हुआ है कि वह इस अवधि के दौरान 8,000 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर लेंगे। जो कि वास्तव में बहुत अच्छी बात है। जबकि मैं श्री जाकर शरीफ को इस उत्तम और महान कार्य के लिए बधाई देता हूँ। फिर भी महोदय, आपके द्वारा मैं उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के असंतोष तथा निराशा के बारे में बताना चाहता हूँ।

महोदय, विशेष रूप से सिलीगुड़ी एकमात्र ऐसा केन्द्र है जो कि आज पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक राजधानी है। एक साधारण बात के कारण यहां बहुत नुकसान हो रहा है। महोदय, आज मेरे बोलने का मुख्य उद्देश्य है कि रेल मंत्री कुछ ऐसे उपाय करें या कदम उठायें कि सिलीगुड़ी जंक्शन अपनी उस महत्ता तथा प्रसिद्धि को वापस प्राप्त कर सके जो इसे एक समय में उत्तर-बंगाल के मुख्य रेलवे स्टेशन के रूप में प्राप्त थी और यह दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान तथा पूर्वी नेपाल का मुख्य द्वार था।

महोदय, विडम्बना यह है कि कुछ वर्षों से सिलीगुड़ी जंक्शन की महत्ता गिर गई है जबकि पिछले वर्ष दार्जिलिंग में छः लाख पर्यटक आए थे जो रिकार्ड है और यह संख्या बढ़ने की संभावना है। महोदय, अब तक क्या हो रहा है, जहाँ तक कि सिलीगुड़ी का संबंध है, एक समय था जब सिलीगुड़ी जंक्शन से सत्रह रेलगाड़ियाँ चलती थीं जो कि पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तर-प्रदेश को इससे जोड़ती थीं लेकिन आज केवल एक रेलगाड़ी है जिसे गुवाहाटी - लखनऊ रेलगाड़ी कहा जाता है लेकिन अब यह रेलगाड़ी लखनऊ तक भी नहीं जाती है। यह इलाहाबाद पर ही समाप्त हो जाती है।

महोदय, कुछ 20 वर्ष पहले उत्तर बंगाल और कलकत्ता बेरास्ता मालदा को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए पुराने सिलीगुड़ी जंक्शन से सात किलोमीटर दूर न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्थापित किया गया था। फरक्का में रेलवे पुल के निर्माण के बाद बड़ी लाइन को गुवाहटी तक बढ़ाया गया था जिसमें पूर्व छोटी लाइन के साथ-साथ असम को इस बड़ी लाइन के साथ भी जोड़ा गया जिसकी बहुत आवश्यकता थी। महोदय, फिर इस नए सिलीगुड़ी जंक्शन का न्यू जलपाईगुड़ी के रूप में पुनः नामकरण किया गया। महोदय इस निराशापूर्ण स्थिति में इस पुराने सिलीगुड़ी जंक्शन की बहुत उपेक्षा की गई। जैसाकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि वहां केवल एक जी.एल. रेलगाड़ी ही चलती है। यह रेलगाड़ी बहुत असुविधाजनक समय सुबह 1 बजकर 30 मिनट पर वहाँ रूकती है। इसके अतिरिक्त इसे न्यू जलपाईगुड़ी की छोटी लाइन और बड़ी लाइन से भी जोड़ा गया है जो कि सात किलोमीटर दूर है लेकिन कोई भी उस छोटी लाइन की रेलगाड़ी में नहीं जाता है जो कि वर्तमान में केवल मई के महीने में चलती है। छोटी लाइन का इस्तेमाल यात्रियों तथा सामान दोनों के लिए किया जाता है, जिसमें जलपाईगुड़ी से तेल टैंकरों का आवागमन भी शामिल है। महोदय, मैंने इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद से इस मामले का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है और मैं एक बार फिर यह निवेदन करता हूँ कि पुराने सिलीगुड़ी जंक्शन को अब बड़ी लाइन से न्यू जलपाईगुड़ी तक जोड़ देना चाहिए जो कि केवल सात किलोमीटर की दूरी पर है।

महोदय, रेल मंत्री इस वर्ष के अंत तक 8,000 किलोमीटर तक लाइन परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या मैं उनसे यह प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी तक केवल सात किलोमीटर लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित करवा दें ? महोदय, यह आसानी से किया जा सकता है। सात किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है जबकि आप 8,000 किलोमीटर की बात सोचते हैं। महोदय, इस लाइन परिवर्तन से उत्तरी बंगाल विशेष रूप से दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान और पूर्वी नेपाल जाने वाले लोगों को काफी सहायता मिलेगी। अब क्या हो रहा है कि लोग पहले न्यू जलपाईगुड़ी तक जाते हैं फिर अपना सामान बसों तथा अन्य वाहनों में रखकर सड़क द्वारा 15 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इसलिए यदि हम इसे जोड़ देते हैं और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर देते हैं तो इससे काफी सुविधा होगी और महोदय केवल इसी से पर्यटकों तथा अन्य यात्रियों को काफी सहायता मिलेगी।

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूँगा और केवल एक छोटा सा मुद्दा आपके समक्ष रखूँगा।

हमें सिलीगुड़ी में एक अन्य बड़ी समस्या भी है। वह रेलवे क्रासिंग से संबंधित है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सिलीगुड़ी उत्तरी बंगाल का मुख्य नगर है और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक राजधानी है। वहाँ विशेष रूप से इस रेलवे क्रासिंग के ऊपर एक पुल बनाए जाने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से रेल मंत्रालय इस तरह की परियोजनाओं को राज्य सरकार के साथ मिलकर पूरा करता है। 50 प्रतिशत का योगदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है और 50 प्रतिशत का योगदान रेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है चूँकि पश्चिम बंगाल सरकार के पास संसाधनों का अभाव है इसलिए मैं रेल मंत्रालय से अपील करूँगा कि वे राज्य सरकार की मदद के बिना ही इस पुल का निर्माण करें तथा सिलीगुड़ी के लोगों की दुआएँ लें।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : जो कुछ भी उन्होंने कहा है, मैं केवल उसका समर्थन करती हूँ।

श्री पी.जी. नारायणन् (गोबिचेट्टिपालयम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, बीस वर्ष पूर्व मेतुपालम से समराजनगर

और समराजगिर से मेतुर बरास्ता सत्यमंगलम् तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। यह औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस रेलवे लाइन की बहुत आवश्यकता है। चूंकि सर्वेक्षण के दौरान इस परियोजना को व्यवहार्य पाया गया है इसलिए मेरा माननीय रेल मंत्री से निवेदन है कि वे इस नई रेल लाइन का निर्माण इस वर्ष के दौरान आरम्भ करवा दें और हमें इस परियोजना के संबंध में स्पष्ट आश्वासन दें। मैं रेल मंत्री का ध्यान रेल प्रशासन द्वारा तमिलनाडु में एकल लाइन की परियोजनाओं तथा नयी परियोजनाओं को मंजूर करने में जानबूझकर की जा रही उपेक्षा की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा।

महोदय, रेल मंत्री, श्री जाफर शरीफ ने मद्रास बीच-तम्बारम् के लाइन परिवर्तन का उद्घाटन करते हुए घोषण की थी "मैं पूरे देश के लिए मंत्री हूँ। मुझे पूरे देश के हित का ध्यान रखना है।" यदि वह पूरे देश के मंत्री हैं तो उन्हें तमिलनाडु के हित का ख्याल भी रखना चाहिए क्योंकि वहां पूरे भारत में सबसे कम बड़ी लाइनें हैं। देश की कुल बड़ी लाइनों का केवल 22 प्रतिशत तमिलनाडु में हैं। रेल मंत्री ने इस आधार पर कि देश में राजस्थान और कर्नाटक में बड़ी लाइनों की सबसे कम प्रतिशतता है, इन राज्यों को पिछले दो वर्षों के दौरान 3,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि का आबंटन किया है। तीन वर्ष पहले यह एक वास्तविकता थी। जबकि कर्नाटक और राजस्थान में विभिन्न एकल लाइन की परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए देने के बाद इन दो राज्यों ने काफी प्रगति कर ली है और इस क्षेत्र में तमिलनाडु का स्थान अंतिम हो गया है। जहाँ तक कि बड़ी लाइन का संबंध है, तमिलनाडु सबसे अन्त में आता है फिर भी मंत्री महोदय तमिलनाडु को पर्याप्त धनराशि आबंटित करने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर भी वह दावा करते हैं कि वह पूरे देश के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं मंत्री जी पर तमिलनाडु की जानबूझकर उपेक्षा करने का आरोप लगाता हूँ, क्योंकि वह तमिलनाडु के लिए धनराशि जारी नहीं कर रहे हैं, जबकि बड़ी लाइनों के संबंध में वहां पूरे देश की तुलना में सबसे कम प्रतिशतता है। चालू वर्ष के दौरान चल रही एकल लाइन परियोजनाओं के लिए दी गई धनराशि बहुत कम है। मद्रास-त्रिची की 400 कि.मी. की बड़ी लाइन परिवर्तन परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस परियोजना पर पिछले तीन वर्ष से कार्य हो रहा है और यदि आप इस हिसाब से धनराशि जारी करेंगे तो इस परियोजना को पूरा होने में 25 वर्ष लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्री पी.जी. नारायणन् : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको सुझाव दूँ कि आप उन्हें पूरा ब्यौरा भेज दें ? मैं उनसे इस पर गौर करने के लिए कहूँगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं माननीय रेल मंत्री के ध्यान में केवल एक ही 16 किलोमीटर लंबी हावड़ा-आमता रेलवे लाइन, जिसका उद्घाटन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाँधी ने किया था, लाना चाहूँगा। पिछले वर्ष यह कार्य पाँच किलोमीटर के लिए चरणबद्ध रूप में शुरू किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : धनराशि कहाँ से प्राप्त की जाये, आपको यह मंत्री महोदय को बताना चाहिये।

श्री हन्नान मोल्लाह : काम चल रहा था कि बीच में ही इसे रोक दिया गया। पिछले वर्ष उन्होंने कुछ धनराशि आबंटित की थी, लेकिन इस वर्ष उन्होंने इस 16 किलोमीटर लंबी लाइन के लिए सिर्फ 1000 रुपये रखे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह इस वर्ष कुछ धनराशि का प्रबंध करें ताकि इस 16 किलोमीटर लंबी हावड़ा-आमता रेलवे लाइन पर काम को पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, फिरोजाबाद भारतवर्ष के अन्दर ही नहीं विश्व में अपना एक स्थान रखता है। फिरोजाबाद में सारे हिन्दुस्तान के व्यापारी आते हैं। इस बारे में कई बार मंत्री जी से मिल चुका हूँ। निलांचल एक्सप्रेस के बारे में मंत्री जी से मिल चुका हूँ और उनको प्रार्थना पत्र भी दिया था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, निलांचल एक्सप्रेस के फिरोजाबाद में स्टापेज के लिए।

दूसरे, एक गाड़ी दिल्ली से पैसेंजर जाती है, टुंडला तक, इसको सुखाबाद तक कर दिया जाए। इससे सुखाबाद के गरीब लोगों को सुविधा आने-जाने में हो जाएगी। यह पैसेंजर एक्सप्रेस गाड़ी है, इसको सुखाबाद तक कर दिया तो आगरा से होते हुए फतेहाबाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमायें जुड़ती हैं। यहां पर पहले रेल लाइन थी, लेकिन यह लाइन अब गड़बड़ हो गई है। इस लाइन का सर्वे कराया गया था, अजय सिंह जी भी थे और लाइन भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, इस लाइन को आगरा, हीरागढ़, इटावा तक किया जाए, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ा जा सके। यही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभा को केवल रेल मंत्री से माँग ही नहीं करनी चाहिये बल्कि देश में उपलब्ध धनराशि पर भी विचार करना चाहिये कि इसे कैसे समायोजित किया जाये। अन्यथा रेलवे पर चर्चा का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं बता रहा था कि उन्हें आमान परिवर्तन नहीं करना चाहिये और विशेष रूप से कर्नाटक में।

[हिन्दी]

डा. छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत ही मेरा क्षेत्र आता है। मेरे जिले से सीधी रेल सेवा दिल्ली के लिए नहीं है। बुलन्दशहर से सीधी रेल सेवा नहीं

है। पूरे जनपद के लोग बस से ही यात्रा करते हैं। एक शटल गाड़ी खुर्जा होते हुए चलती थी, वह भी जाफर जी के कार्यकाल में बन्द कर दी गई है। एक गाड़ी ह्मपुड़ होकर आती थी, उसको बन्द कर दिया गया है। मेरा निवेदन है, बुलन्दशहर को किसी भी तरह से दिल्ली से सीधे जोड़ने की व्यवस्था करें।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बस्ती के पास बांदा एक्सप्रैस के दस डिब्बे पटरी से उतर गए। लखनऊ मुजफ्फरपुर के बीच में यह पहली घटना नहीं है। एक साल के अन्दर तीन बार-दो बार ओदासाम का और एक बार बान्द्रा-दुर्घटना हो चुकी है। एक साल के अन्दर तीन बार एक ही लाइन पर और कारण जो टैक्निशिशन बताते हैं, वह यह है कि रेल ट्रैक खराब होने की वजह से यह हुआ है। वहां रेल ट्रैक खराब है और इस पर यातायात का दबाव है। इस दबाव को देखते हुए बराबर मांग रही है, मुजफ्फरपुर और लखनऊ के बीच में डबल-लाइन कर दी जाए। मंत्री जी आप घोषणायें तो करते चले जा रहे हैं और मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि पिछली बार रेल बजट भाषण हुआ था, तो चिन्ता व्यक्त की थी कि आपने रेल ट्रैक ठीक नहीं कराया और आपने डबल लाइन नहीं दी, तो निश्चित रूप से घटनायें और बढ़ेंगी और बढ़ती जा रही हैं। मेरा मंत्री जी आपसे आग्रह है कि इस बार भगवान ने बचाया है, मौत नहीं हुई है और मैं जो दृश्य देखकर आ रहा हूँ, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि लोग रेल में हनुमान चालिसा पढ़कर बैठते हैं, लेकिन अब महामृत्युंजय जाप करके बैठेंगे। ऐसा मत करिए। कृपया कर उस लाइन के बारे में, जिस लाइन पर एक ही साल में तीन बार दुर्घटना हो चुकी है, बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है, उस पर विचार करिए। मैं आशा करता हूँ, पूर्वोत्तर रेल के यात्रियों के लिए आप सही और ठीक जवाब देंगे, जिससे आने वाले दिनों में इस प्रकार की दुर्घटना न हो।

[अनुवाद]

डा. सुधीरराय (वर्दवान) : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि दक्षिण-पूर्वी रेलवे के बी.डी.आर. सेक्शन अहमदपुर-कटवा सेक्शन और अहमदपुर-वर्धमान सेक्शन को आमान परिवर्तन के अन्तर्गत लाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें बोलने दीजिए। आपमें से हरेक सदस्य मांग कर रहा है किन्तु कोई भी मंत्री महोदय को यह नहीं बता रहा अथवा सलाह नहीं दे रहा है कि धनराशि कहां से प्राप्त की जाये।

श्री आर. जीवरत्नम (अराकोनम) : मैंने किसी धनराशि की मांग नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने की अनुमति दी जायेगी पहले उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह चौधरी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं दसवीं लोक सभा में हिसार निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य हूँ। दिल्ली से अमृतसर के बीच एक रेल गाड़ी चलती है, इसके जीन्द, रोहतास, नरवाना होते हुए व्यास रेलवे स्टेशन पर रोका जाए। इससे जो लोग राधास्वामी के सत्संग में जाना चाहते हैं, उन लोगों ने बार-बार अनुरोध किया है कि उनके लिए एक गाड़ी चलाई जाए, जो व्यास रेलवे स्टेशन पर रूके। सीधी रेल लाइन न होने की वजह से उनको रास्ते में गाड़ी बदलनी पड़ती है और इससे लाखों लोगों को परेशानी होती है। मेरा निवेदन है, मंत्री जी इस पर ध्यान दें।

दूसरे, जीन्द से ह्मंसी तक का सर्वे 1992 में हुआ था और मुझे बताया गया है कि वह हिसार तक हुआ था। यह लाइन पहले ही ब्राड-गेज है और 40 किलोमीटर का यह टुकड़ा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मांग यह भी है कि जीन्द से ह्मंसी तक और नरवाना से उकलाना तक रेल ट्रैक बनाने के लिए भी मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूँ।

श्री भवानीलाल वर्मा (जांजगीर) : अध्यक्ष महोदय, ईस्टर्न रेलवे का विलासपुर जिला मेरी निर्वाचन क्षेत्र जांजगीर है और कोरबा सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है। यहां पर 12-12 कोयला खदानें एनटीपीसी, एमपीईबी और अन्य उद्योग एवं खदानें हैं। देश के कौने से कौने से हजारों अधिकारी और कर्मचारी लोग काम करने के लिए आते हैं। वहां पर पहले से ही एक लम्बी दूरी की गाड़ी चलाने की मांग थी। मैं यह बताना चाहूंगा कि बिलासपुर से गाड़ियां - छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस, मरकंटक एक्सप्रैस, महानदी एक्सप्रैस, महामाया एक्सप्रैस, कोचीन एक्सप्रैस, नर्मदा एक्सप्रैस - लम्बी दूरी की रवाना होती हैं। इनमें से एक गाड़ी को ही कोरबा तक रवाना कर दिया जाए, तो उससे हजारो-लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। कारण यह बताया जा रहा है कि वहां पर वाशिंग यार्ड नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि एक दिन में कोरबा जितना आमदनी करके देता है, उतना इस योर्ड को बनाने में खर्च नहीं होगा। कोरबा से आपको 5-6 करोड़ रुपये की प्रतिदिन की आमदनी होती है और यार्ड बनाने के लिए दो-तीन करोड़ रुपये की जरूरत है। मैं आपसे विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि वहां पर एक लम्बी दूरी की गाड़ी रवाना करें।

दूसरी बात, उत्कल कलिंग एक्सप्रैस को दिल्ली से आगे अमृतसर तक बढ़ाया गया है, इस वजह से यह गाड़ी सात-आठ घन्टे लेट हो जाती है। दिल्ली से अमृतसर के लिए 12-12 गाड़ियां चल रही हैं, इसलिए इस गाड़ी को अमृतसर तक बढ़ाने की तुक नहीं है। हजारों यात्री प्रतिदिन छ: सात घन्टे स्टेशन पर खड़े रहते हैं। कृपया उसगाड़ी को दिल्ली तक ही रहने दें। पंजाब के लोगों को लाभ देने के लिए आप कोई दूसरी गाड़ी शुरू कर दें।

[अनुवाद]

तीसरी बात जिसकी हम लगातार मांग करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी मांग मंत्री जी के पास लिखित रूप से भेज दीजिये। अगर संभव हुआ तो वह इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री भवानीलाल वर्मा : महोदय, सिर्फ एक मांग है, बिलासपुर रेलवे समभाग से शक्ति-बारद्वार के बीच में जेठा गांव है। यहां पर हाल्ट की मांग की गई है। यह 15-20 हजार की आबादी से घिरा हुआ गांव है। यहां के लोगों को बहुत परेशानी है। कृपया जेठा गांव में हाल्ट स्टेशन की स्थापना करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

***श्री आर. जीवरत्नम** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री द्वारा इस महान सभा में रखी गई अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछेक बातें कहना चाहूँगा।

सबसे पहले मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अन्वरथिकान्पेट, जो अराकोनम के पास है, पर 23/24 बंगलौर मद्रास एक्सप्रैस गाड़ी के ठहराव की व्यवस्था करने का अनुरोध करना चाहूँगा। इसी प्रकार पनावरम पर भी ठहराव की व्यवस्था की जा सकती है। इससे शोलिंगापुरम तक जो एक विस्तीर्ण और विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र है, पहुंचना आसान हो जायेगा। इससे लोगों को उस स्थान पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

मैं बंगलौर-मद्रास, लाल-बाग एक्सप्रैस के अराकोनम में भी ठहराव की मांग करता आ रहा हूँ। आपने हाल ही में मद्रास-मैसूर शताब्दी एक्सप्रैस शुरू की है। इस सुप्रसिद्ध गाड़ी का कटपड़ी पर भी ठहराव दिया जाना चाहिए। यहां बैस्लौर का विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा केन्द्र, जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, स्थित है। यह सारे देश के लोगों को आकर्षित कर रहा है और विश्व के अनेक भागों से चिकित्सक वहाँ आते-जाते हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप कटपड़ी में शताब्दी एक्सप्रैस का ठहराव देने पर विचार करें।

अराकोनम और कटपड़ी के बीच चलने वाली गाड़ी नं0 191 अराकोनम से 7.30 म.प. पर चलती है और लगभग 8.30 म.प. पर कटपड़ी पहुंचती है। सुबह से लेकर शाम के 5.00 बजे तक पूरी गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहती है। दिन के अधिकांश समय के दौरान उसकी उपलब्ध क्षमता उपर्युक्त ही रहती है। गाड़ी का इंजन, ड्राईवर, डिब्बे और परिचालन कर्मचारिवृद के पास कोई काम नहीं होता। अत: मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि आप दिन के समय कटपड़ी और अराकोनम के बीच इस गाड़ी को चलाकर इसकी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह दोपहर लगभग 2.00 बजे कटपड़ी से चले और शाम को छात्रों और कार्यालयों में आने-जाने वाले कर्मचारियों को कटपड़ी से लेकर अराकोनम वापस आये।

अध्यक्ष महोदय : ये सभी प्रशासनिक मामले हैं। आप मंत्री जी को लिख सकते हैं। वह इन पर विचार करेंगे। सभा का समय लेना आवश्यक नहीं है।

***श्री आर. जीवरत्नम** : महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछेक समस्याओं पर प्रकाश डालने के तुरन्त बाद अपना भाषण समाप्त कर दूँगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के रेल कर्मचारियों और रेल श्रमिकों की काफी संख्या है। वहाँ एक रेल कार्यशाला भी है। इसमें अनेक गाँव और निर्धन लोग भी हैं। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये। हम आपसे वालाजाह-टिन्डिवनाम ग्रामीण रेल सेवा शुरू करने पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। इस प्रणाली से अनेक ग्रामीण निर्धनों को फायदा होगा। अत: आप इस रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराने के औचित्य पर विचार कर सकते हैं।

आगे मैं आपसे अराकोनम रेल कार्यशाला जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी और जो अब बहुत पुरानी हो गई है, के आधुनिकीकरण का अनुरोध करता हूँ। जब आप रेलवे के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का निर्माण करने जा रहे हैं तो आप अराकोनम रेल कार्यशाला में आधारभूत सुविधाएँ बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं।

आप कटपड़ी तिरूपति के बीच आमान-परिवर्तन में भी तेजी ला सकते हैं। बड़ी लाइन में बदलने का काम हमारे माननीय रेल मंत्री द्वारा शुरू किया गया है।

रेलवे के परिचालन कर्मचारिवृंद कलेक्टरों और रेल टिकट-निरीक्षकों को अब वर्दी दी जा रही है। यह सुविधा स्टेशन मास्टरों को भी दी जानी चाहिये। ऐसे कोट तथा टाई वर्दी के रूप में रेलवे स्टेशनों के एस.एस. तथा ए.एस.एस. तथा को दी जानी चाहिए।

अब ऐसे समय पर जब हम रेलवे की धनराशि बढ़ाने की बात पर विचार करते हैं, तो हमें वास्तविकता पर भी ध्यान देना चाहिये। हम रेलवे के पास पड़ी विस्तृत अप्रयुक्त जमीन को बेच सकते हैं। ऐसी बड़ी जमीनों और अन्य अनधिकृत रूप से हथियाई हुई अन्य भूमि का निपटारा करना चाहिये। सरकार सांकेतिक बाजार-दर निर्धारित कर सकती है और रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक धनराशि एकत्र करने के लिए ऐसी जमीन बेच सकती है।

मद्रास और अराकोनम के बीच ई.एम.यू. दो कटपड़ी तक बढ़ाया जाना चाहिये। इस स्थान के आस-पास रहने वाले काफी संख्या में औद्योगिक श्रमिकों को इससे बहुत अधिक फायदा होगा। मैं माननीय रेल मंत्री से इन सुझावों पर तीव्रता से विचार करने का अनुरोध करता हूँ, जो वहाँ के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगें हैं।

अराकोनम में रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण का काम जो कुछ समय पहले शुरू किया गया था, उसे पूरा किया जाना है। केन्द्र ने जैसाकि समझौता किया गया था, अपने हिस्से की धनराशि इसके निर्माण के लिए दे दी है। अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक कणगम के नेता श्री पी. जी. नारायणन ने कहा है कि केन्द्र ने राज्य सरकार द्वारा दी गई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ लेकिन साथ ही, उन्हें अराकोनम रेलवे के ऊपरी पुल के

* मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

निर्माण को पूरा करने के लिए तमिलनाडु द्वारा जो धनराशि दी जानी है, उसके लिए तमिलनाडु सरकार से बातचीत करनी चाहिये। यह काम पिछले तीन वर्षों से लंबित और रूका हुआ है क्योंकि राज्य सरकार को व्यय का सहमत भाग अभी देना है। अत: इस सभा के माध्यम से मैं श्री नारायणन से यह मामला तमिलनाडु की मुख्य मंत्री महोदया के साथ उठाने का अनुरोध करता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र अराकोनम से अनेक छात्र प्रतिदिन व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे अभियान्त्रिकी की ओर अन्य तकनीकी अध्ययनों के लिए मद्रास आते हैं। उनमें से अधिकांश रेल कर्मचारियों के बच्चे हैं। अत: मैं रेल प्रशासन से अराकोनम में एक इंजीनियरिंग कालेज और तकनीकी तथा प्रौद्योगिकीय संस्थान भी खोलने का अनुरोध करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि तमिलनाडु के बस परिवहन निगम इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे व्यावसायिक संस्थान चला रहे हैं। ऐसी संस्थाओं में इन बसों को चलाने वाले लोगों के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। अराकोनम मद्रास से 45 मील दूर है और इतनी ही दूरी अराकोनम और कटपड़ी के बीच है। अत: रेलवे के लिए रेल कर्मचारियों के बच्चों के फायदे के लिए जो संख्या में काफी अधिक हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना आवश्यक है। आप ऐसे शैक्षिक परिसर में मेडिकल कॉलेज सहित सभी व्यावसायिक कालेज शुरू कर सकते हैं। आप ऐसा सभी रेलवे जोनों में कर सकते हैं।

मैं आपसे अराकोनम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म का विस्तार करने का अनुरोध करता हूं। अराकोनम - आलेजा - रानीपेट - आरकोट - कलावई-चेय्यार-टिन्डिवनाम ऐसे स्थान हैं, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और आप इसके अंतर्गत आने वाले एक विशाल ग्रामीण क्षेत्र के फायदे के लिए इन स्थानों को जोड़ने हेतु एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कर सकते हैं। मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं कि इसमें स्थानीय लोगों को शामिल करके इस परियोजना को शुरू करने के लिए धनराशि प्राप्त की जाए क्योंकि माननीय अध्यक्ष ने बताया है कि हमें रेलवे के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने के तरीके और साधन अवश्य सुझाने चाहियें। इस पेशकश और समर्थन के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : 1990 में तत्कालीन रेलमंत्री ने इलाहाबाद में रेल यात्री भवन का शिलान्यास किया था लेकिन उसमें अब तक भी कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। इलाहाबाद एक तीर्थ-स्थल है, बहुत सारे वहां मुख्यालय हैं और आने-जाने वाले लोगों की भी वहां कमी नहीं होगी। इसलिए आपको उससे कोई घाटा नहीं होगा बल्कि एक आय का स्रोत बनेगा।

दूसरे, मैं आपका ध्यान लंबी दूरी की ट्रेनों में सफाई की ओर दिलाना चाहती हूं। मैं अपना एक अनुभव सुनाती हूं। एक महिला यात्री ने मुगलसराय में एसी 2 टायर में उल्टी कर दी। हम लोग मुगलसराय से दिल्ली तक उसी गंदगी में आए। बार-बार प्लेटफार्म पर एनाउंस करने के बाद भी कोई सफाई करने नहीं आया। जब उसमें पूरी सुविधा देने की बात है तो आपको उसमें निगरानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि लंबी दूरी की ट्रेनों में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।

इलाहाबाद के नैनी स्टेशन के पास एक अपर पसाई बनने की बात भी बहुत दिनों से चल रही है। क्योंकि यह मार्ग अत्यंत व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्ग है। कृपया उस पर भी ध्यान देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री चितेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : महोदय, पश्चिम बंगाल में रेल का उपयोग करने वाले लोगों की सिलीगड़ी जंक्शन से अलीपुर द्वार तक गुवाहाटी को जाने वाली लाइन के आमान-परिवर्तन की बहुत पुरानी मांग है। जहां क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित रखने के लिए 157 चाय बागान हैं। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले की ओर ध्यान दें।

दूसरी मांग यह है कि गुवाहाटी जाने के लिए न्यूजलपाईगुड़ी बरास्ता डोमोहेवी मालबाजार बीरपारा से अलीपुर जंक्शन तक एक दूसरा मार्ग है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार करें।

अन्तत: मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि न्यूजलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी जंक्शन तक आमान परिवर्तन पर विचार करें जो सिलीगुड़ी कस्बे के लोगों के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

श्री उद्धव बर्मन : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, गुवाहाटी से आने और गुवाहाटी को जाने वाली गाड़ियों को नियमित करने के लिए तत्काल उपाय करें। कई बार गाड़ियां विलम्ब से आती हैं और रद्द कर दी जाती हैं जिससे यात्रियों को काफी अधिक असुविधा होती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि न्यू बोंगाईगांव की रेल कार्यशाला को उन्नतिशील बनाएं और उसका आधुनिकीकरण करें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि रंगिया में एक रेलवे मंडल का निर्माण कराएं जो कि लोगों की काफी पुरानी मांग है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कुमारघाट से अगरतला तक रेल लाइन को बढ़ाएं। मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं दूसरी लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करवाएं जिसका लंका से सिल्चर तक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

अन्तत:, मैं माननीय मंत्री से विनम्र निवेदन करता हूं कि उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे में यात्री सुविधाओं में वृद्धि करें।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, मैं आपके माध्यम से

माननीय रेल मंत्री से दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर संतरागची स्टेशन पर उपरि रेलपुल के निर्माण की आवश्यकता के बारे में दबाव डालना चाहूंगा ताकि लोग विद्यासागर सेतु का पूरा उपयोग करने में समर्थ हो सकें। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे इस काम को 1997 तक पूरा कर देंगे। तथापि, इतना अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए। काम तुरंत आरम्भ किया जाना चाहिए।

दूसरा, जहां तक हावड़ा-आमटा रेल लाइन का सम्बन्ध है, मैं इसके निर्माण के लिए तुरंत धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल देना चाहूंगा।

जहां तक श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का सम्बन्ध है, जो उन्होंने कहा है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, पटना में गंगा नदी पर रेल पुल की मांग इस सदन में हमने बार-बार की है। आज भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि पटना में दीघा और पहलेजा पर एक पुल बने जिससे कि नार्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ा जा सके। जब रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र थे तब भी यह आश्वासन दिया गया था।

साथ ही साथ उसका 468 करोड़ रुपये का सर्वे भी हो गया, इस सम्बन्ध में चार पत्र भी उन्होंने दिये। अब यही मंत्रीजी कहते हैं कि संसाधन की उपलब्धता पर यह कार्य निर्भर करेगा। क्या बिहार के लिए आपके पास संसाधन नहीं रहता है और दक्षिण भारत के लिए कहां से संसाधन आ जाता है ? मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वे बिहार को हेय दृष्टि से न देखें। मैं अपने क्षेत्र छपरा की बात कहना चाहता हूँ। वहां आधा शहर इधर है और आधा उस तरफ है। हमने बार-बार आपसे आग्रह किया है कि एक ऊपरी पुल बनाया जाये, ऐसे ही दिगवाड़ा में यातायात जाम रहता है वहां भी पुल बनाया जाना जरूरी है। गोरखपुर से छपरा तक लाइन का दोहरीकरण करने का आपने आश्वासन दिया था, उसको आप कब तक पूरा करेंगे ?

अंत में मेरा यही निवेदन है कि इन सब कामों को पूरा किया जाये।

[हिन्दी]

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : रेल मंत्रीजी से कहा जाये कि लाइन का दोहरीकरण किया जाये तो वे संसाधन की कमी बताकर असमर्थता जाहिर कर देते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र हापुड़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। हजारों की संख्या में व्यापारी वहां आते हैं तथा हजारों केशधारी बन्धु भी हापुड़ रहते हैं। जब 1993 में वहां विधान सभा के चुनाव हुए थे तो माननीय रेल मंत्री जी हापुड़ आये थे। जनता ने इनसे मांग की थी कि शाहीद एक्सप्रेस को वहां रोका जाये, तो इन्होंने वहां वायदा किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दें, वह देखेंगे। हर सदस्य उठकर यही मांग कर रहा है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाइन जाये। इतना समय हमने इस पर लिया है, यह कहां तक उचित है ?

डा. रमेश चन्द तोमर : मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री वायदा करके आये थे। मंत्री जी की विश्वसनीयता का सवाल है। मेरी मांग है कि हापुड़ में शाहीद एक्सप्रेस को रोका जाये।

[अनुवाद]

श्री अमय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की वैगन निर्माण करने वाली दोनों इकाईयां रेलवे से पर्याप्त आदेशों के अभाव में बन्द होने जा रही हैं। यद्यपि आमान परिवर्तन का काम चल रहा है, तथापि पर्याप्त मात्रा में आदेश नहीं दिए जा रहे हैं। अतः, मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में वैगनों का निर्माण करने वाली इकाईयों को पर्याप्त आदेश दिलाएं ताकि ये इकाईयां वैगनों का निर्माण जारी रख सकें और वहां काम कर रहे हजारों मजदूरों को बचाया जा सके।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री पात्र, यह क्या है ? क्या यह जरूरी है कि आप हर समय बोलें ? यदि आपके पास किसी रेल की मांग हैं तो आप इसे लिखित रूप मे उन्हें भेजें।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। मैं उड़ीसा के लोगों की दो मुख्य मांगे रख रहा हूँ। पहली मांग है दक्षिण-पूर्वी रेलवे जोन को दो भागों में विभाजित किया जाए और उड़ीसा में एक नया जोन गठित किया जाए, और दूसरी मांग खड़गपुर से भुवनेश्वर तक विद्युतीकरण के बारे में है। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि भुवनेश्वर-खड़गपुर-विशाखापट्टनम सेक्शन का विद्युतीकरण दो चरणों में किया जाएगा। जहां तक विद्युतीकरण के प्रथम चरण का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने अपनी मंजूरी दे दी है और संसद से कार्य को अनुमोदन देने के लिए कहा जाएगा। अतः मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष और हमारे माननीय अध्यक्ष के समक्ष यह निवेदन करता हूँ कि खड़गपुर से भुवनेश्वर तक के विद्युतीकरण के कार्य को आरम्भ करने की अनुमति प्रदान करें।

4.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अब चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कब आरम्भ की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे, यदि समय रहता है तो आज चर्चा आरम्भ की जाएगी।

श्री जसवंत सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस पर कल चर्चा की जाएगी या आज क्योंकि इस वाद-विवाद के और चलने की सम्भावना है। माननीय मंत्री उत्तर देंगे और तत्पश्चात् विधेयक पारित किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मान लिया जाए कि कुछ समय शेष रह जाता है तो, उस समय समस्या खड़ी हो जाती है। मालूम नहीं यह कब समाप्त होगी। इस पर अभी चर्चा समाप्त होना सम्भव नहीं है।

श्री जसवंत सिंह : मैं समझता हूँ, मैं तो केवल रक्षा पर चर्चा शुरू करवाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : देखिए। अब आप कुछ समय के लिए बोल सकते हैं और आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री जाफर शरीफ वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : अध्यक्ष महोदय, रेल बजट पर चर्चा का जवाब देने के लिए मुझे आमन्त्रित करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

आमतौर पर रेलवे बजट सभा के सभी पक्षों का काफी ध्यान आकर्षित करता है। यह वर्ष भी इसका अपवाद नहीं है। रेलवे बजट, वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की मांग तथा वर्ष 1992-93 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने विस्तार से विचार अभिव्यक्त किये और टीका-टिप्पणियां की।

मैं उन सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और मुझे उनकी रचनात्मक आलोचना और उपयोगी सुझावों से बहुत अधिक फायदा हुआ है। ऐसा कहते हुए मुझे एक बात अवश्य कहनी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बात कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो हमारे यहां है और एक बड़े देश और नेटवर्क में जबकि यहां व्यवस्था की कमियों के बारे में उपयोगी विचार रखे जा रहे हैं और जिसका जनता को और सदस्यों को भी अहसास है, मैं उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि केवल एक यही तरीका है, जिसके द्वारा हम अपने लोकतंत्र को और अधिक उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनाने में समर्थ हो सकेंगे। यह काम किसी एक व्यक्ति से, चाहे वह कितना ही कर्मठ क्यों न हों, संपूर्ण व्यवस्था को ठीक करने में वह कितना भी परिश्रम करने में समर्थ क्यों न हों, करना संभव नहीं है। जो सुझाव दिए गये हैं अथवा आलोचनाएं की गई हैं, मैं उन्हें इसी भावना से लेता हूँ। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि जहां कहीं भी युक्तियुक्त होगा इन सुझावों के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

रेलवे की स्थायी समिति ने बजट और रेलवे के कार्य निष्पादन की जाँच-पड़ताल की है। उन्होंने वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की मांगों पर अपनी रिपोर्ट सभा में रखी है। मैं समिति के कीमती सुझावों और सिफारिशों के लिए उसका आभारी हूँ। हालांकि, कुछेक मूल मुद्दों पर मैं सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहूंगा।

महोदय, आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण विषय आमान परिवर्तन के बारे में है। रेलवे की स्थायी समिति की टीका-टिप्पणियों से मुझे यह जानकार प्रसन्नता हुई कि वे समान आमान-व्यवस्था के पक्ष में है। इससे तत्काल लाभ प्राप्त करने के लिए हमें इस गतिविधि के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करने होंगे। साथ ही मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि किसी अन्य उच्च प्राथमिकता वाले विषय से इसका नुकसान होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। समान अमाना परियोजना ने भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरूआत की है। समान आमान परियोजना नीति के लंबी अवधि के फायदों के अतिरिक्त, इस नीति से आर्थिक विकास के नए क्षेत्र सामने आते हैं और इससे वैकल्पिक रूटों की भी व्यवस्था हो जाएगी जिससे भीड़भाड़ वाले रूटों पर भीड़ कम होगी। इसके साथ-ही-साथ इससे परिवहन व्यवस्था और बेहतर होगी और आने-जाने का समय कम हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप चल स्टाक की उपलब्धता और उसके अधिक रचनात्मक प्रयोग में सुधार होगा। यह तथ्य कि अनेक सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में समान आमान-परिवर्तन के विस्तार की मांग की है, यह इस प्रणाली की लोकप्रियता का सूचक है।

महोदय, हमेशा से ही वैगनों की खरीद पर विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के मेरे सदस्य मित्रों ने चिंता व्यक्त की है। वैगनो की खरीद के संबंध में रेलवे की नीति की काफी आलोचना होती रही है। वैगनों की खरीद के लिए योजना बनाना हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसमें परिवहन की आवश्यकता और क्षमता उपयोग का भी ध्यान रखा जाता है। यह प्रणाली थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इतना ही सामान लादने के लिए रखी गयी है। अगर लदान 15 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो तो, यह प्रणाली इसे वहन नहीं कर सकती। अगर वर्ष 1993-94 की खरीद के लिए 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाये, तो अतिरिक्त वैगनों के लिए 300 करोड़ रूपये और इंजन के लिए 110 करोड़ रूपये के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त, इसके लिए कर्मचारियों सहित रख रखाव के लिए पर्याप्त सुविधा अर्थात् कार्यशालाओं और शेडों इत्यादि पर अतिरिक्त निवेश होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर लाइन और टर्मिनल निवेश की भी आवश्यकता होगी। इस निवेश का आठ से नौ महीने तक कोई उपयोग नहीं होगा। हालांकि रेलवे वैगनों की अधिप्राप्ति की योजना इस प्रकार से बनायेगा ताकि प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले अतिरिक्त वैगन व्यस्ततम समय पर उपलब्ध हों। इस संबंध में 'ओन योर वैगन' योजना जिसके अंन्तर्गत 4,000 वैगनों की खरीद के आदेश दिए गए हैं और अन्य 8,000 का आदेश दिये जाने की संभावना है, वैगनों की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ व्यस्ततम समय में वे उपयोगी सिद्ध होंगे।

महोदय, यह आलोचना भी की जाती रही है कि विभिन्न योजना शीर्षो के अन्तर्गत धनराशि के पुनर्विनियोजन पर कुछ रोक होनी चाहिये क्योंकि एक परियोजना से हटाकर धनराशि को दूसरी परियोजना में लगाने से परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की सारी योजना गड़बड़ा जाती है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि संसाधनों की कमी की पृष्ठभूमि में विभिन्न योजना शीर्षो के अन्तर्गत

धनराशि के आबंटन के लिए एक सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। संसाधनों की कमी के कारण, संसाधनों को आबंटन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के माध्यम से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है।

हम परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की निगरानी हर महीनें एक निगरानी प्रणाली और क्षेत्रीय रेलवे तथा रेल मंत्रालय में होने वाली आवधिक बैठकों के माध्यम से करते हैं। हालांकि योजना और बजट बनाने की स्थिति में वास्तविक लक्ष्यों के आरंभिक अनुमान लगाये जाते हैं, तथापि एक विकसित अर्थव्यवस्था में काम की प्रगति में बाधा डालने वाले अनेक कारक होते हैं। हमारी आवधिक समीक्षा हमें, उन क्षेत्रों में जो प्राथमिकता क्षेत्रों के अंग हैं, लेकिन उनमें कार्य की प्रगति भली प्रकार नहीं हो रही है, धनराशि का पुर्नआबंटन करने का अवसर प्रदान करती है। इस सक्रिय समीक्षा से हमें योजना राशि के पूर्ण और प्रभावी उपयोग में मदद मिली है। रेलवे में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपनी योजना धनराशि का प्रयोग कर सकने की विशेषता है। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि योजनागत आधारभूत जरूरतों को यथासंभव बनाये रखा जाये। पुनर्विनियोजन के रखने पर नियंत्रण दुर्लभ संसाधनों को छोड़ना पड़ेगा विशेष रूप से ऐसी परियोजनाओं के मामले में जिनमें गतिरोध उत्पन्न हो गया है।

महोदय, मैं रेलवे अभिसमय समिति का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यह सिफारिश की है कि वर्ष 1952 तक के रेलवे के पूंजीमत निवेश को लाभांश-मुक्त माना जायेगा। इससे रेलवे को हर वर्ष 51 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डो के विरूद्ध देय धनराशि का भुगतान आस्थगित करने के बाद रेलवे को वर्ष 1995-96 के लिए दिए जाने वाले लाभांश की मात्रा का निर्णय करना चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि राज्य विद्युत बोर्डो से वसूली जाने वाली धनराशि को उनके भविष्य के विद्युत शुल्क बिलों में समन्वित किया जाना चाहिये। राज्य विद्युत बोर्डो के विरूद्ध बकाया धनराशि का उन राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के साथ समन्वित करने के मामले पर संबंधित मंत्रालयों से बातचीत की जा रही है।

सरकार द्वारा शुरू किए गये आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की नीति से तीव्र गति से आर्थिक विकास होने की संभावना है। परिवहन की मांग बढ़ जायेगी। अतः, रेलवे को इसमें आनी वाली बाधाओं से बचने के लिए पहले से ही क्षमता उत्पन्न करने की योजना बनानी पड़ेगी। इसीलिए वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना की राशि को साधारण और जरूरतमंद आधार स्तर पर 7,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। जो कुल योजना परिव्यय का केवल 15 प्रतिशत है, के साथ 7,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

महोदय, यह एक भ्रम अथवा अवधारणा है कि बजटीय प्रावधान कुछ लोग सोचते हैं - एक ऐसा अनुदान है जो सामान्य राजस्व से या इसी प्रकार के किसी स्रोत से मिलता है। अगर आप इस 1,150 करोड़ रुपये की धनराशि को ही लें तो भी विश्व बैंक अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण भी इस बजटीय सहायता का एक भाग हैं अतः, अगर आप उसको कम करते हैं तो यह 1,150 करोड़ रुपये से भी कम स्तर पर आ जायेगी। यह समझ लेना चाहिये कि ये संसाधन कहां से आ रहे हैं। संसाधन किस प्रकार एकत्र किये जायेंगे ? व्यवस्था को किस प्रकार चलाया गया है ?

महोदय, एक तर्क यह है कि - मैं भी एक सदस्य हूँ और यह सदस्यों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है - रेलवे को कुशल सेवा प्रदान करनी चाहिये। दूसरी ओर, हम मांग करते हैं कि माल भाड़े और किराये में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये। तीसरा तर्क यह है कि हम और अधिक लाइनें और और आर्थिक गाड़ियां चाहते हैं। और चौथी और हम यह तर्क करते हैं कि सभी सरकारी क्षेत्र के संस्थान और निजी क्षेत्र के उद्योग, चाहे रेलवे को उसकी जरूरत हो . . . (व्यवधान) कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिये। मैंने आप सभी की बात धैर्यपूर्वक सुनी है। मैं कुछ व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनिये और अगर मैं गलत बात कहूं तो उसे ठीक कीजिये। इसलिये, दूसरी ओर हम यह तर्क देते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र के सभी उद्योग, यदि वे रेलवे पर निर्भर हैं, उनको चलाए रखने के लिए आप उनमें अवश्य धन निवेश करेंगे, चाहे आपको उनकी आवश्यकता हो अथवा न हो। लेकिन धनराशि कहाँ से लायें ? आप आज के बारे में भूल जाइए कि मैं आज मंत्री हूँ। कल आप मेरी जगह पर हो सकते हैं तब आप क्या करेंगे ? महोदय, आपने भी इसी बात का उल्लेख किया है और आप सदस्यों को, उन्होंने जब भी वाद-विवाद में भाग लिया, वित्तीय संसाधनों, धन आबंटन और उस क्षेत्र के निजीकरण, जहाँ कि धनराशि उत्पादकता के लिए दी जानी चाहिए, के बारे में बताने आये हैं। मुझे सभा से इसी प्रकार के मार्ग-दर्शन की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि अनेक सदस्यों ने इस प्रकार की सलाह दी हैं। श्री बसुदेव आचार्य ने इसमें अपना काफी योगदान दिया है। मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि मैं पिछले दो दिन से सभी सदस्यों का वक्तव्य सुन रहा हूँ लेकिन पश्चिम बंगाल के किसी भी सदस्य ने कभी भी भूमिगत रेल का उल्लेख नहीं किया है जो कि पूरा होने जा रही है।

उन्होंने उस संबंध में कोई मांग नहीं की है क्योंकि वह जानते हैं कि यह पूरा होने जा रहा है। मेरे पश्चिम बंगाल के सभी साथियों ने पश्चिम बंगाल सर्कुलर रेलवे वैगन उद्योग और अनेक लाइनों इत्यादि के लिए धन की माँग की है।

महोदय, आर्थिक सुधारों और सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति चलाऐ जाने के बाद काफी आर्थिक विकास की उम्मीद है। जैसे-जैसे परिवहन की माँग बढ़ती जाएगी वैसे ही रेलवे को बाधाओं से बचने के लिए अपनी परिवहन क्षमता को बढ़ाना होगा। वर्ष 1995-96 के लिए वार्षिक योजना को आवश्यकता के आधार पर 750 करोड़ रुपये

निर्धारित किया गया है जोकि योजना परिव्यय का केवल 15प्रतिशत है जैसा कि मैंने पहले कहा है। शेष 85 प्रतिशत योजना परिव्यय को अभी रेलवे के 4100 करोड़ रुपये के आन्तरिक स्रोतों से वित्त प्रदान किया जाना है और 2250 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता आई.आर.एफ. सी. के ऋण पत्र बेचकर प्रदान की जाएगी।

ऐसा समझा जा रहा है कि सामान्य राजकोष से रेलवे को दी जा रही बजटीय सहायता मुक्त अनुदान है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसा नहीं है। वास्तव में, यह रेलवे को दिया गया ऋण है और इसका लाभांश रेलवे अभिसमय समिति द्वारा निर्धारित दर पर राजकोष में नियमित रूप से अदा किया जाएगा। सामान्य राजकोष से बजटीय सहायता में अत्यधिक कमी कर देने के कारण रेलवे द्वारा आन्तरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के सृजन पर काफी दबाव पड़ा है। आन्तरिक स्रोतों के सृजन की प्रणाली की क्षमता तथा लागत की अदायगी और बाजार से उधार ली गई पूंजी की अदायगी की क्षमता की सीमा होती है।

रेलवे ने 'ओन योर वैगन' योजना जिसके अंतर्गत रेलवे के मुख्य ग्राहक वैगनों के उत्पादन के लिए वित्त प्रदान करेंगे, को आरम्भ करके अपनी योजना को अतिरिक्त वित्त प्रदान करने के लिए अनेक नए कदम उठाए हैं। रेलवे 'बिल्ड-ओन-लीज-ट्रांसफर' योजना भी आरम्भ करने जा रहा है जिसमें निजी उद्यमों से उनके अपने स्रोतों द्वारा रेलवे की कुछ परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की उम्मीद की जा रही है। जिस हद तक निजी निवेश किए जाएंगे आई.आर.एफ.सी. द्वारा जारी ऋण-पत्रों की राशि में भी उतनी कमी आएगी।

महोदय, इससे पहले कि मैं अन्य विषयों पर बोलूं, मैं सभा को एक अन्य सद्विकास के बारे में सूचित करना चाहूंगा। निजी क्षेत्र आमान परिवर्तन होने तथा उपलब्ध लाइन क्षमता में ही निजी क्षेत्र के दो लोगों ने अपने ही इंजनों तथा अपने ही वैगनों का उपयोग करते हुए रेल पर ट्रक ले जाने की पेशकश की है जिसमें 1500 करोड़ रुपये का निवेश है। पटरी और सिगनल की सुविधा के अतिरिक्त टर्मिनल सहित सब कुछ उनका अपना होगा। इससे सड़क पर पड़ने वाले भार को कम करने, ईंधन बचाने, प्रदूषण नियंत्रण और सड़कों को दुर्घटनाओं से बचाने में मदद मिलेगी।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या इसका अर्थ यह है कि आपकी क्षमता अधिक है ?

श्री सी.के. जाफर शरीफ : हमारे पास काफी क्षमता है।

संसाधनों की कमी के बावजूद भी रेलवे ने अपने ग्राहकों के लाभ के लिए अपनी सेवाओं में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अब मैं पिछले कुछ वर्षों के दौरान रेलवे की उपलब्धियों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा। छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करके परिवहन क्षमता का सृजन किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 6,000 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सन् 1994-95 तक 4,700 किलोमीटर तक की छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जा चुका है और सन् 1995-96 के लिए 1500 किलोमीटर लाइन परिवर्तन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस तरह से रेलवे अपनी आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को केवल चार वर्ष में ही पूरा कर रही है।

मुझे किसी के शोर मचाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वे सन्तुष्ट हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में सभी बड़ी लाइनें प्राप्त हो गई हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में 9600 किलोमीटर पटरियों का नवीनीकरण शेष था। चालू योजना के अन्त तक यह 1950 किलोमीटर तक रह जाएगा। बड़ी लाइन प्रणाली में भाप से चलने वाले इंजनों को बिल्कुल हटा दिया गया है और इससे उसकी पूर्ण क्षमता बढ़ गयी। रेलवे ने डीज़ल और बिजली से चलने वाले इंजनों, पहियों तथा धुरी के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। मार्शलिंग यार्ड की संख्या में बहुत कमी कर दी गई है। इससे वैगनों के उपयोग को बेहतर बनाने में मदद मिली है। बेकार सामान को बेचने के लिए प्रयास किए गए हैं और रेलवे की वर्ष 1994-95 के लेखों में बेकार सामान को बेचने से 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त होने की संभावना है। इससे न केवल अतिरिक्त स्रोतों का सृजन हुआ है बल्कि रेलवे को अधिक जगह भी उपलब्ध हुई है।

468 नई रेलगाड़ियां आरम्भ करने का रिकार्ड कायम किया गया है। 287 विद्यमान सेवाओं को बढ़ाने का कार्य आरम्भ किया गया है। अनेक नई शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, मुख्य लाइन यूनिट, और इ एम यू, डीजल मल्टीपल यूनिट और अन्य अन्तर नगरीय यात्रा सुविधा सेवा आरंभ की गई है।

यात्रियों की सुविधाओं के लिए आबंटित राशि को वर्ष 1992-93 के 36.23 करोड़ रुपये से वर्ष 1995-96 में 90 करोड़ कर दिया गया है।

अब 90 प्रतिशत से अधिक यात्री आरक्षण कम्प्यूटर द्वारा होते हैं। छोटे-छोटे केन्द्रों में भी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण आरम्भ किया जा रहा है। टिकट शीघ्र जारी करने के लिए 200 से अधिक स्टेशनों पर स्वचालित टिकट मुद्रण मशीनें लगाई गई हैं ताकि यात्रियों को लम्बे समय तक लाइनों में खड़े न होना पड़े। इस तरह की मशीन 1995-96 में अन्य स्टेशनों पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी।

पर्यटक के राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने स्वदेशी तथा विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनेक पर्यटक रेलगाड़ियो भी आरम्भ की है।

कुछ लम्बी दूरी की चुनिन्दा रेलगाड़ियों में वातानुकूलित चेयर कार की जगह 3 टीयर सवारी डिब्बे जोड़े गए हैं।

उन यात्रियों के लिए जो अचानक अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं और उन्हें आरक्षित स्थान नहीं मिल सकता तथा उन यात्रियों की

संख्या कम करने के लिए जो रेलगाड़ी की छतों पर यात्रा करते हैं, कुछ क्षेत्रों में पूर्णत: अनारक्षित रेलगाड़ियां भी आरम्भ की गई हैं।

कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों में तुरन्त कार्यवाही दल नियुक्त किए गए हैं। इन दलों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक तथा सुरक्षित यात्रा प्रदान करना है। यात्रा करने वाली जनता की प्रतिक्रिया से प्रोत्साहक है।

भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा करने की सामाजिक बुराई को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है।

रेलवे द्वारा वर्ष 1993-94 में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 48 करोड़ रुपए की उगाही किए जाने की तुलना में वर्ष 1994-95 में फरवरी, 1995 तक 59 करोड़ रुपए वसूल किए गए।

आय की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान बतायी गयी राजस्व वित्तीय स्थिति के बेहतर होने की संभावना है। रेलवे का कार्यचालन अनुपात परिकल्पित राजस्व आय के 84.9 प्रतिशत की तुलना में 83.7 प्रतिशत होने की आशा है।

वर्ष 1995-96 में रेलवे अधिक तीव्र, अधिक साफ-सुथरी और अधिक विश्वसनीय यात्री सुविधाएं प्रदान करेगा। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ दी जा रही सुविधाओं में सुधार करने उसमें संचालन में मितव्ययिता तथा उत्पादकता में सुधार करने की ओर भी जोर दिया जाएगा। रेलवे ने बहुत रख-रखाव नीतियाँ अपनाई हैं जैसे मशीनीकृत सफाई, सवारी डिब्बों में फाइबर की प्लास्टिक फिटिंग्स लगाना पी वी सी के फर्श का प्रावधान तथा शौचालय में सुधार। स्वच्छता के स्तर को बढ़ाने के लिए सफाई के मशीनी उपकरण इस्तेमाल किए जाएंगे। जेट प्रैशर सफाई की मशीनें प्लेटफार्म तथा शौचालयों की सफाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सवारी डिब्बों की सफाई तथा उन्हें कीटाणु रहित करने के लिए निजी एजेंसियों से सहायता ली जा रही है।

ए.सी. शयनयान में यात्रा करने वाले यात्रियों को बिस्तर की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं जिसके लिए उनसे अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

जिन यात्रियों को बिस्तर नहीं सप्लाई किया जा सका उनको 20 रुपए वापस किये जायेंगे।

यात्रा को और अधिक आरामदायी बनाने के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि 50 महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रैस गाड़ियों में रेलगाड़ी अधीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इनकी तैनाती जुलाई 1995 से होगी।

गर्मियों के दिनों के लिए रेलवे द्वारा पीने के पानी की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। निरन्तर जलापूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों में सभी नलों को चैक किया गया हैं कि वे चालू हालत में हैं या नहीं रेलवे अधिकारी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका अधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : किन्तु स्टेशनों में पानी नहीं है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : शायद जहाँ भी आप जा रहे हैं, जो पानी हाल्ट स्टेशनों से यात्रा करते हैं उनकी सुविधा के लिए, लम्बी दूरी के लिए टिकट खरीदने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।

बाम्बे वी.टी. में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय में एक नई प्रणाली 'अन्योय ध्वनि प्रत्युत्तर प्रणाली' लगाया गया है। जिसके माध्यम से प्रतीक्षासूची में शामिल यात्रियों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जो निरन्तर चलती रहती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में गाड़ियों में आने और जाने तथा आरक्षण और प्रतीक्षासूची को नवीनतम स्थिति प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था है।

श्रीमान, आपको मालूम है कि जब से यह सरकार सत्ता में आई तब से तमाम नई गाड़ियां आरंभ की गयी हैं। अभी भी इस संबंध में मांग की जाएगी। नई गाड़ियों को चलाना और पहले से चल रही गाड़ियों की दूरी को बढ़ाने के लिए न केवल एलिंग स्टॉक में बल्कि टर्मिनल सुविधाओं, लाइन क्षमता, और रख-रखाव सुविधाओं के लिए अत्यधिक खर्च करना पड़ेगा। निवेश क्षमता से माँग हमेशा अधिक रहती है। रेलवे लोगों की आकांक्षाओं और समस्याओं के प्रति जागरूक है। उपलब्ध संसाधनों में जो कुछ भी सम्भव है। वह किया जा रहा है।

तीव्र गति की गाड़ियों के लिए अतिरिक्त स्टाफ बनाने के लिए माँग है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूँगा कि इस तरह के स्टाप अतिरिक्त समय लेते हैं न केवल रूकने के समय बल्कि गाड़ियों को धीमा करने की प्रक्रिया और उनको गतिशील बनाने की प्रक्रिया में। लम्बी दूरी की गाड़ियों के कुल समय पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यात्री यह चाहते हैं कि रेलवे को तेज और सुविधाजनक सर्विस प्रदान की जानी चाहिए विशेषकर जब रेलवे सुपरफास्ट गाड़ियों के लिए अतिरिक्त प्रभार लगा रही है। इन गाड़ियों के स्टाप बढ़ाने से तीव्र गति की गाड़ियाँ शुरू करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य ऐसी माँगों के लिए दबाव नहीं डाले। यहां पर मैं एक बात फिर से कहूँगा। सड़क यातायात की जिम्मेदारियों और इसकी भूमिका को सुनिश्चित करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम यात्रियों को नज़र अंदाज कर रहे हैं हमने इ एम यू एस और डी एम यू एस तथा अन्य सेवाओं के माध्यम से यात्रियों के लिए अलग व्यवस्था की यात्री सेवाएं की हैं। परन्तु जिन यात्रियों को लम्बी दूरी की यात्रा करनी है उनको अवश्य अलग किया जाना है। अन्यथा, यह लम्बी दूरी के यात्रियों की यात्रा आरामदायी बनाना या यात्रा में सुविधायें प्रदान करना बहुत कठिन हो गया। जब हम उनसे अधिक पैसा भी लें और उस तरह की सुविधाएं नहीं दें तो यात्री हमें भला बुरा बोलते। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आपके चुनाव क्षेत्र के लिए बहुत सी माँगें हैं, क्योंकि अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति आपकी बहुत सी प्रतिबद्धतायें हैं। मैं उन सभी के लिए आपसे सहमत हूँ। किन्तु जो लोग यात्रा करने

वाले लोगों की समस्याओं को भी आपको समझना चाहिए। जब आप माँग करते हैं तब आपको उनके दृष्टिकोण को भी समझना चाहिए कि जो आप माँग कर रहे हैं वह उचित है या नहीं अथवा जहाँ भी ऐसी माँग उचित हो, जहाँ पर यातायात अधिक होगा वहाँ के बारे में अवश्य विचार करेंगे । नई लाइनों, लाइनो के दोहरीकरण आमान परिवर्तन, कम्प्यूटरीकरण आदि जैसी बहुत सी माँगे हैं। मैं सभा को यह बताना चाहूँगा कि विकास कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। केवल नई लाइनों के लिए 4,715 करोड़ रुपए चाहिए। आमान परिवर्तन के लिए 3,123 करोड़ रुपए दोहरीकण के लिए 803 करोड़ रुपए, और कम्प्यूटरीकरण के लिए 1,020 करोड़ रुपए चाहिए। नई लाइनों के लिए सामान्य मुद्राकोष से बजटीय सहायता बहुत कम हो गयी है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह सम्पूर्ण योजना के 7,500 करोड़ रुपए में से इसके लिए केवल 1,150 करोड़ रुपए ही निर्धारित किया गया है। बाज़ार ऋण पर ब्याज बहुत अधिक है और इसमें अनिश्चितता भी है। रेलवे की समस्याओं को और अधिक बढ़ाते हुए राज्य बिजली बोर्ड रेलवे को समय से भुगतान नहीं करते जोकि 100 करोड़ रूपये से भी अधिक है। इन कठिनाईयों के रहते यह सम्भव नहीं है कि सभी माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्त दिया जा सके और इसलिए चुनाव ही करना पड़ता है।

गाड़ियों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर पूरा ध्यान दिया जाता है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूँ कि रेलवे अपने कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं। मानवीय गलतियों से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकीय सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त गाड़ियों के संचालन का कार्य करने वाले लोगों को प्रशिक्षण, और परामर्श निगरानी पर बल दिया जा रहा है। जिन रेलफाटकों पर निगरानी व्यवस्था नहीं है वहां पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपाय किए गए हैं जो सामान्यत: सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले लोगों की वजह से होते हैं।

रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए बहुत अधिक माँगें हैं। चालू वर्ष में प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में लाइनों के दोहरीकरण का कार्य चुना गया है। चालू वर्ष के दौरान वित्त का आबंटन वर्ष 1994-95 के 161 करोड़ रुपए से संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 269 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

मैं रेल मंत्रालय के अन्तर्गत रिसर्च डिजाइन और स्टेण्डर्ड आरगनाइजेशन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उल्लेख करना चाहूँगा।

चुबंकीय विकीर्ण का सफलतापूर्वक परीक्षण और 180 किमी. प्रति घंटा की दर पर मार्क 4 बोली वाले डब्ल्यू ए पी-3 इलेक्ट्रिक इंजनों का परीक्षण तथा नए एसी डीटी डब्ल्यू सी ए एम 2 इन्जन का प्रशिक्षण विकास तथा 5000 हार्स पावर डब्ल्यू एजी 7 इन्जन को सफलतापूर्वक प्रारूपण विकास आई आर/15 बोगी वाले बढ़ाई गई क्षमता वाले आई सी एफ कोचों का सफलतापूर्वक चुबंकीय विकीर्ण 100 कि.मी. प्र.घं. की रफ्तार पर पूर्वी रेलवे के वर्दवान मौसम सोल सेम्सन पर 3250 किमी. चौड़ी एम यू को मुख्य लाइन पर चलाया जा रहा है। आई सी एफ द्वारा निर्मित डी एम यू सेट का उत्तर रेलवे में फिरोजपुर संभाग में 80 कि.मी. प्रति घन्टे की रफ्तार से चलाया जा रहा है। ट्रेन सिलमुल्लेशन का एम हिस्सा सिंगल ट्रेन आपरेशन के लिए पूरा कर लिया गया हो। डी एल डब्ल्यू में 3100 हार्स पावर का डब्ल्यू डी एम 2 सी इन्जिन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। और रोड़ों का निर्माण नियमित रूप से डीजल लोकोमोटिव में चल रहा है। श्रीमान, कुछ माननीय सदस्यों ने बजट में प्रस्तावित उपनगरीय सीजन में टिकट के किराए में वृद्धि को वापस लेने की माँग की है और कुछ सदस्यों ने मालभाड़े की वृद्धि की भी आलोचना की है। जैसा कि सभा को मालूम है कि रेलवे की योजना के लिए बजटीय सहायता घट रही है जो अब केवल 15 प्रतिशत है। बाजार ऋण अब बहुत महँगा पड़ रहा है। रेलवे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिसे मुद्रास्फीति के झटके को भी वहन करना पड़ता है। जिससे कार्य खर्च बढ़ता है और निवल आंतरिक संसाधन घटते हैं। माननीय सदस्यों के अतिरिक्त लाइनों, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण योजनायें उपनगरीय सेवाओं में सुधार, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की माँग भी है जिसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। मुख्य समस्या यह है कि संसाधनों में आई कमी को पूरा कैसे किया जाए। इसका आंशिक हल उत्पादकता में और कार्यकुशलता में सुधार और कारोबार में वृद्धि विश्व मानकों के समतुल्य हमारे कार्यनिष्पादन जोकि कुछ मामलों में उससे भी बेहतर हैं पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ असफलता प्रमुख क्षेत्र की अनुमानित यातायात की व्यवस्था कर पाने से भी समस्या पैदा हो जाती है और समस्या का इस विषय में हल नहीं हो पाता। कन्टेनरीकरण के माध्यम से बहु आयामी यातायात को शुरू करने से हमें अतिरिक्त यातायात प्राप्त करने से बहुत सहायता हुई। यह बात भी समझनी चाहिए कि रेलवे पिछले चार वर्षों से लगातार मितव्ययता बरतते हुए कार्य कर रही है। मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि माननीय सदस्यों ने इस बात को स्वीकार किया है कि रेलवे देश की सार्वजनिक यातायात प्रणाली का सबसे महत्वूपर्ण साधन है। वर्ष 1995-96 में किराया और मालभाड़े में मामूली वृद्धि की गई है। जिससे रेलवे राजस्व लगभग 3.5 ही अर्जित हो सका। प्रस्तावित वृद्धि मुद्रास्फीति की दर से बहुत कम है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि उपनगरीय सेवाओं में सीजनल टिकटों का दाम बहुत ही कम है। इसके सार्वजनिक उपयोग वाली वस्तुओं जैसे अनाज, चीनी द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को आदि को इस वृद्धि से मुक्त रखा है और इसलिए इस सन्दर्भ में माननीय सदस्य रेल किराए व भाड़े में प्रस्तावित वृद्धि का समर्थन करेंगे क्योंकि यह विकास के लिए आवश्यक साधनों को उपलब्ध कराएगा और मुझे आशा है कि सभा इसका समर्थन करेगी।

श्रीमान, यह भी माँग की गई है कि बम्बई उपनगरीय रेल व्यवस्था

के लिए एक अलग स्वायत्तशासी निगम की स्थापना की जाए। बम्बई में रेलवे तंत्र न केवल उपनगरीय सेवाएं प्रदान करता है बल्कि यात्री और मालभाड़ा यातायात की भी व्यवस्था करता है।

अत: एक अलग कारपोरेशन सम्भव नहीं होगा, तथापि रेलवे बम्बई उपनगरीय रेलवे प्रणाली में यात्रियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के प्रति सजग है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से उपनगरीय रेल प्रणाली को सुधारने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जिसके ब्यौरे मेरे बजट भाषण में पहले ही दिए जा चुके हैं।

महोदय, सभा को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि भूमिगत मेट्रो रेल के 16.45 कि.मी. मार्ग में से 14.65 कि.मी. लम्बे मार्ग को पहले ही यातायात के लिए खोल दिया गया है। कलकत्ता मेट्रो में सेन्ट्रल और गिरिश पार्क के बीच शेष 1.80 कि.मी. की दूरी को दिसम्बर 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 1995-96 के दौरान परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि (14.80 करोड़ रुपये) नियत की गई है। मेट्रो रेल को टौलीगंज से न्यू गरिया तक बढ़ाने के लिए एक प्रारम्भिक इंजीनियरिंग-एवं-अंतिम अवस्थिति सर्वेक्षण और डम डम से बैरकपुर तक एक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण को 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है।

मानखुर्द-बेलापुर की चालू परियोजना जिसे पहले ही 1994-95 के दौरान यातायात के लिए खोल दिया था और बान्द्रा और अंधेरी के बीच दो अतिरिक्त लाइनों के अतिरिक्त, 1995-96 के दौरान निम्नलिखित चार और परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है। ये हैं, बोरीवीली - बसाय मार्ग को चालू लाइनों वाली बनाना, बसाय मार्ग और वैधर्ना के बीच तीसरी लाइन, थाने-टर्बे-नेरूल वाली सेक्शन और बेलापुर-पनवेल दोहरी लाइन। अंतिम दो परियोजनाएं सी आई डी सी ओ के साथ लागत सहभागिता आधार पर आधारित है।

कुछ माननीय सदस्यों ने मद्रास एम आर टी एस परियोजना को पूरा होने में विलम्ब के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है, एम टी पी परियोजना के लिए निधियां बजटीय सहायता से भी मिलती हैं। विलम्ब का मुख्य कारण अपर्याप्त बजटीय सहायता और राज्य सरकार द्वारा भूमि के अर्जन में विलम्ब होना है।

मद्रास समुद्र-तट से लूज तक 8.55 कि.मी. एक आर टी एस लाइन में से 2.35 कि.मी. मार्ग पहले ही खोल दिया है और पार्क टाउन से चेपक तक की 2.65 कि.मी. की दूरी का काम लगभग पूरा होने वाला है। 1994-95 के दौरान 26.55 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 42 करोड़ रुपये नियत किए गए हैं। यह परियोजना वर्ष 1996 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आर टी एस लाइन को लुज से तारामणी तक बढ़ाने के लिए प्रारम्भिक प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण को 1995-96 के बजट में शामिल किया गया है।

महोदय, 3000 से अधिक स्टेशनों और 112 जोड़ी गाड़ियों में खान-पान की सेवाएं उपलब्ध हैं। इसमें से करीब 2900 स्टेशनों और 64 जोड़ी गाड़ियों में प्राइवेट पार्टियों को सम्मिलित किया जा रहा है। अन्य स्थानों पर, खान-पान सेवाएं अंशत: प्राइवेट पार्टियों और अंशत: रेलवे की विभाजित खान-पान इकाईयों द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

रेलवे का प्रयास गाड़ियों में अच्छी गुणवत्ता की खान-पान सेवाओं की व्यवस्था करना है। कतिपय चयनित गाड़ियों में रसोईयान शुरू किए गए हैं। खान-पान सेवाओं में सुधार एक लगातार चलने वाली प्रतिक्रिया है। खान-पान सेवाओं में सुधार के लिए किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों में सम्मिलित हैं, ख्यातिप्राप्त - व्यावसायिक खानपान प्रबन्धक को खान-पान ठेकेदार के रूप में शामिल करना, प्रशिक्षित रसोईयों को शामिल करना और मौजूदा स्टाफ को फ्रैश प्रशिक्षण, मूल रसोईघरों और रसोईयानों में उपस्करों और उपकरणों का बेहतर ढंग से रख-रखाव, आमतौर पर बोला जाए तो खान-पान सेवाओं में कुशलता लाने के लिए निरन्तर निगरानी की जाए।

रेलवे द्वारा प्रदान की जा रही खान-पान सेवा में व्यावसायिकता का विकास करने और गुणवत्ता को उन्नत बनाने के लिए रेलवे खान-पान कारपोरेशन गठित किया जा रहा है। प्रारंभिक कार्य आरंभ करने के लिए बजट में पर्याप्त धन-राशि की व्यवस्था की गई है।

पर्यटन विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य को संरचनात्मक आधार देने के लिए रेलवे में कतिपय योजनाएं तैयार की हैं। पैलेस-ऑन-व्हील्ज़ गाड़ी पहले 1992 में शुरू की गई थी। विश्वभर के सभी पर्यटकों ने इस गाड़ी को प्रोत्साहन दिया है और विदेशी मुद्रा की आय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है रेलवे ने अब इसी प्रकार की आठ गाड़ियों की योजना बनाई है। इनमें से तीन पर्यटक गाड़ियों को इस वर्ष के दौरान गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु क्षेत्रों में चलनी शुरू हो जाएंगी। 'द रायल ओरियन्ट' को गुजरात में पहले ही 1 फरवरी, 1995 से शुरू कर दिया गया है। इन पर्यटक गाड़ियों को राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से चलाया जाएगा। शेष पांच क्षेत्रों में पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन और प्रबंध के लिए निजी क्षेत्र को सहयोजित किया जाएगा।

रेलवे ने रेल से सप्ताहांत छुट्टी मनाने वालों के लिए स्कीम आरम्भ की है। इसमें शुक्रवार सायंकाल को यात्रा शुरू होती हैं और सोमवार सुबह समाप्त होती है। सप्ताहांत सैर कई प्रकार से दिलचस्प मनोरंजन करने वाली होती है जैसे ऐतिहासिक स्थान, सांस्कृतिक केन्द्र, पर्वतीय क्षेत्र, वन्य जीवन, पशु विहार : तीर्थ स्थान आदि। बारह सप्ताहांत सैर-सपाटे पहले ही शुरू कर दिए गए हैं और ऐसे और सैर-सपाटे चरणबद्ध ढंग से शुरू किए जाएंगे।

महोदय, मेरे बजट भाषण में, मैंने उल्लेख किया था, कि प्रबंध में मज़दूरों की भागीदारी रेलवे के कार्यकरण में महत्वपूर्ण मामलों में सर्वोच्च स्तर पर मजदूर संघों को शामिल करके एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा जिससे और अधिक पारदर्शिता आएगी। मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता है कि पहली बार रेल मजदूरों के नेताओं को रेलवे

बोर्ड के सदस्यों के साथ मंडल रेलवे के महाप्रबंधकों की 1 और 2 मई को हुए सम्मलेन में आमंत्रित किया गया था। यह उच्च प्रबन्धन भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बैठक है जिसमें रेलवे के कार्यकरण के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा और निर्णय लिए जाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि संगठन के कार्य-निष्पादन के प्रति मजदूरों की प्रतिबद्धता को बढ़ाने और इसके उपभोक्ता संतोष के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सहायक सिद्ध होगी।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए, मैंने तत्काल प्रभाव से द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी में पुन: रियायत देने का निर्णय किया है जो कि अभी तक कलाकारों और खिलाड़ियों द्वारा खेल के कारण यात्रा करते समय और प्रेस से जुड़े व्यक्तियों जो देश में गतिविधियों का अध्ययन करने और लोगों को शिक्षित करने के लिए यात्रा करने हेतु दी जाती थी . . . (व्यवधान)

क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाई गई मांग को ध्यान में रखते हुए मैंने लक्सर जंक्शन और बक्सर के बीच सम्पर्क मार्ग प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। इस वर्ष निम्नलिखित अतिरिक्त सर्वेक्षण किए जाएंगे (एक) कायमकुलम से बारास्ता अदूर कोट्टराक्करा और किलीमनूर त्रिवेन्द्रम तक नई लाइन, (दो) अबोहर से फाजिल्का तक नई लाइन ; और (तीन) डिघाघाट और पहलाजघाट के बीच गंगा पुल के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना।

मुझे सभा को सूचित करने में प्रसन्नता है कि हम निम्नलिखित कार्य शुरू करने के लिए योजना आयोग से कह रहे हैं :

(एक) चित्तौड़गढ़-उदयपुर आमान परिवर्तन (दो) जालनाखामगांव नई लाइन परियोजना ; (तीन) अगरतला को रेल सम्पर्क मार्ग ; (चार) पटना - गया मार्ग का दोहरीकरण ; (पांच) विषमपुर से अम्बिकापुर; (छ:) झुमझुम-न्यू जलपाईगुड़ी ; (सात) हावड़ा-आमटा ; (आठ) धूबरी-गोहाटी; और (नौ) आसाम में लंका-सिल्चर नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करना। योजना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् हम संसद से अनुपूरक अनुदानों की मांग करेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने गोधरा-इंदौर, देवास-माक्षी नई लाइन के निर्माण कार्य को पुन: करने का मुद्दा उठाया है। रेलवे अधिकारियों से कहा गया है कि इन निर्माण कार्यों को जारी रखें और इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है।

यह भी प्रस्ताव है कि आमान परिवर्तन को पहले से ही संस्वीकृत किए गए आमान परिवर्तन के कार्य में उपादानों की मरम्मत के रूप में किया जाए। 1995-96 में पटना-गया दोहरीकरण के कार्य को बारी से पहले शुरू किया जाएगा।

रेलवे के अधिकारी नेपाल सरकार को रक्सौल-सिरसिया बड़ी लाइन रेल सम्पर्क मार्ग के बारे में दिए गए वचन के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। यह एक अति महत्वपूर्ण गतिविधि है जिनके बारे में सभा को प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच हुए समझौते के आधार पर नवीनतम सहमति के अन्तर्गत मुज्जफरपुर-रक्सौल-नरकटियागंज के आमान-परिवर्तन का कार्य पूरा होने पर, नेपाल से कलकत्ता के लिए मार्ग उपलब्ध हो जाएगा जोकि नेपाल और भारत दोनों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण बाजार है।

महोदय, अन्य महत्वपूर्ण बातें पूर्व-पश्चिम विद्युत रेलवे का संयुक्त सर्वेक्षण और जयानगर-बिलासपुर सम्पर्क छोटी लाइन के लिए दो इंजनों और वैगनों के बारह डिब्बों की सप्लाई करना है।

इन शब्दों के साथ, मैं सभा से अनुदानों की मांगें (रेल) 1995-96 और 1992-93 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेल) 1992-93 को पारित करने का अनुरोध करता हूँ। . . . .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गावीत जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी अपना स्थान लीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले अपना स्थान लीजिये। अगर आप अपना स्थान ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं सभा भवन से बाहर चला जाऊँगा पहले आप अपना स्थान लीजिये।

अगर सदस्यों को कोई शिकायत है तो मैं कुछ सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूँ। परन्तु हमको सोचना चाहिये कि हम लोगों का सभा में किस तरह का आचार है। अगर आप सभी एक साथ खड़े होकर प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं और मंत्रीजी को घेर लेते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ ? आप लोग मंत्रीजी से क्या चाहते हैं। सभा में अनुशासन और शिष्टाचार बना रहना चाहिये। मैं कुछ सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूँ। परन्तु सदस्यगण एक-एक करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप लोग एक साथ खड़े होकर कुछ भी कहते हो तो वह सब कार्यवाही वृतान्त का हिस्सा नहीं होगा और सिर्फ उस सदस्य का वक्तव्य, जिसका नाम मैंने पुकारा है, ही कार्यवाही वृतान्त का हिस्सा बनेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम, आप अपना स्थान लीजिये। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं आपको सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डालने दूँगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सभी सदस्यों पर लागू है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये। इस तरह सभा की कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस तरह से वाद-विवाद मत करिये। यह सभी पर लागू होता है। हर चीज की कोई सीमा होती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसको समझिये। अगर आप किसी नीतिगत मामले पर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपको पूछने की अनुमति दे दूँगा और मंत्री महोदय इसका उत्तर भी देंगे। मैं देखूँगा कि मंत्री महोदय हाँ या नहीं में उत्तर दें। परन्तु अगर आप रेल बजट पर उत्तर को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों अथवा ऐसे मामलों की तरफ ले जाना चाहते हैं जो कि प्रशासनिक मामले हैं तो मैं मंत्री महोदय से आशा नहीं करता हूँ कि वह इनका उत्तर सभा में दें। हालाकि मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूँ कि वह आप लोगों की माँगों पर ध्यानयुक्त विचार करें और जहाँ तक सम्भव हो इनको स्वीकार करें, और यहाँ पर उठाई गई माँगों के सम्बन्ध में आप लोगों को लिखित रूप में उत्तर दें। मैं सिर्फ नीति संबंधित मामलों से सम्बद्ध प्रश्न ही सभा में पूछने की अनुमति दे सकता हूँ। मेरे विचार में अगर कोई सदस्य ऐसे मामले उठाना चाहता है तो अनुमति दी जा सकती है। मैं सदस्यों की अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति चिंता को समझता हूँ और यह मंत्री महोदय, सरकार और संसद का दायित्व है कि जहाँ तक सम्भव हो सदस्यों की मांगों को पूरा किया जाए। मैं आशा करता हूँ कि जहाँ तक सम्भव होगा मंत्री महोदय और मंत्रालय जहाँ तक रेलवे उन पर विचार करने की गुंजाइश रखता है, सदस्यों की माँगों के बारे में ध्यान रखेंगे।

आप लोगों ने देर रात तक बैठकर बहुत अच्छा सहयोग दिया है। आप लोगों ने जो सहयोग दिया है कृपया उसको बनाये रखिये। कृपया शांतिपूर्वक प्रश्न पूछिये और तभी मंत्री महोदय उत्तर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय सभी प्रश्नों को नोट करेंगे और अन्त में उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, मैंने पालिसी के तीन-तीन इशूज उठाए थे। पहला इशू था, आर.सी.सी. कमेटी में मंत्री महोदय एक सदस्य के नाते आए थे, मंत्री महोदय को सदस्य के नाते नहीं आना चाहिए था। दूसरा - पालिसी के तौर पर मुम्बई सबरबन सर्विस के लिए अटोनोमस कारपोरेशन स्थापित करना चाहिए, इसके बारे में भी सही उत्तर नहीं दिया है और तीसरा, फर्स्ट और सैकेंड क्लास के पैसेंजर्स के लिए आपने किराया नहीं बढ़ाया है, लेकिन सबरबन के लिए आपने बढ़ाया है, उसके बारे में उन्होंने साफ उत्तर नहीं दिया है। ये मेरे तीन प्रश्न हैं।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक साल में तीन बार एक ही लाइन पर दुर्घटना हो चुकी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिये कि यह नीतिगत मामला नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : पालिसी मैटर लोगों की जाने जा रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह नहीं है। आप यह निर्णय मत लीजिये। मैं इस तरह से आपको चिल्लाने नहीं दूँगा। यह पालिसी मैटर नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूँगा। आप पहले अपना स्थान ग्रहण करिये।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मुझे समझ में नहीं आता है कि रेल मंत्री भूतपूर्व संसद सदस्यों की क्यों उपेक्षा करते जा रहे हैं। भूतपूर्व संसद सदस्यों को राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण नहीं दिया जाता है। उनसे एक घन्टा पहले प्लेटफार्म पर आकर रिक्त स्थानों के बारे में पता करने के लिये कहा जाता है और अगर स्थान रिक्त होते हैं तभी उनको गाड़ी में प्रवेश करने दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप भूतपूर्व संसद सदस्यों के बारे में भी सोचते हैं। यह एक प्रश्न है जिसका मैं तत्काल उत्तर और समाधान चाहता हूँ। . . . (व्यवधान) हाँ, यह भूतपूर्व संसद सदस्यों से संबंधित नीतिगत मामला है।

दूसरे, यह अच्छा है कि कम से कम सरकार मेट्रो रेलवे का गरिया और बेरकपुर तक विस्तार किये जाने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं। कठिनाई यह है कि दमदम जंक्शन पहले से ही भीड़-भाड़ वाला है और अगर यह पूरे मार्ग पर चालू हो जाती है तो जंक्शन सभी यात्रियों के लिये पूरी व्यवस्था नहीं कर पायेगा। मेट्रो के अन्तर्गत पाँच रेल लाइनें हैं और वर्ष के अन्त तक सिर्फ एक रेल लाइन पूरी होने जा रही है। अगर दूसरी रेल लाइन का प्रावधान नहीं किया जाता है और लोगों को काम पर नहीं लगाया जाता है तो पूरी व्यवस्था बेकार हो जाएगी। इस सम्बंध में मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिये कि नीति संबंधी मामले क्या हैं और केवल उन्हीं को उठाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्वाइंट है। हम लोगों ने कट-मोशन्स दिए हैं, इसलिए उत्तेजना पैदा हुई। मंत्री महोदय के पूरे भाषण में कट-मोशन्स का जिक्र नहीं है। मैम्बरों का जिक्र नहीं है। मैम्बरों का यह तो अधिकार है कि उनको कट-मोशन्स का जवाब मिले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्रीजी से अनुरोध करता हूँ कि वह बाद में कटौती प्रस्तावों के लिखित उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, जहां तक पालिसी का सवाल है मैं बिल्कुल नीति मूलक सवाल उठाना चाहता हूँ। अकेला बिहार पूरे देश में हैं जहां से 25 प्रतिशत आमदनी रेल में आती है। हिन्दुस्तान की 10 प्रतिशत आबादी अकेले बिहार में है और इसके बाद भी बिहार में आज भी केवल 8 प्रतिशत आबादी तक रेल की सुविधा उपलबध है और दो प्रतिशत आज भी अछूती हैं इसलिए मैं मांग करता हूँ कि बिहार में रेल सुविधा को बढ़ाएं जिससे कि जो दो प्रतिशत लोगों को रेल सुविधा उपलब्ध नही हैं उनको भी प्राप्त हो सके। . . . **(व्यवधान)** उत्तर-बिहार को जोड़ने के लिए गंगा पर रेल पुल का निर्माण किया जाए। . . . **(व्यवधान)** वहां एक जोनल ऑफिस खोला जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह भी नीतिगत मामला है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपने भाषण में एक मामला उठाया था कि रेल के वैगन मिलने में लोगों को काफी देर लगती है, 6-6 महीने का समय लगता है। कांडला के बंदरगाह से, कांडला क्षेत्र जो नमक बनता है वहां के नमक बनाने वाले जो छोटे-छोटे गरीब लोग हैं उनको 6-6 महीने बाद वैगन मिलते हैं। उसमें भ्रष्टाचार भी होता है। उसके कारण पिछले साल लाखों रुपयों का नमक नष्ट हो गया था . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन बातों को मत दोहराइये।

. . . **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : महोदय, मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उसमें एक हजार किलोमीटर पर केवल सात किलोमीटर रेल लाइन है। चाहे नई रेल गाड़ी चलाने का मामला हो, नई रेल लाइन डालने का मामला हो, माननीय मंत्री जी ने सर्वथा मध्य प्रदेश को उपेक्षित किया है और एक भी बात का उत्तर नहीं दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप सभी लोग इस तरह के वक्तव्य देंगे तो देश को एकजुट रखना काफी मुश्किल होगा।

. . . **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह चौहान : मध्य प्रदेश की जनता में बहुत रोष है। माननीय रेल मंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है उसके कारण मैं जनता के गुस्से को प्रकट करते हुए सदन का परित्याग करता हूँ।

4.57 म.प.

तत्पश्चात श्री शिवराज सिंह चौहान सभा भवन से बाहर चले गये।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसउेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'नेशनल वेगन इंडस्ट्रीज' को दिये क्रय आदेशों के बारे में प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्रय आदेशों के अभाव में कई कर्मचारियों की बर्खास्तगी होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय : गीताजी, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ कहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं स्पष्ट आश्वासन चाहती हूँ कि भविष्य में क्रय आदेश केवल राष्ट्रीयकृत क्षेत्र को ही दिये जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : महोदय, मंत्री जी ने इस सदन में हम लोगों के प्रश्न उठाने पर यह वायदा किया हुआ है कि पिछड़े क्षेत्रों में, जहां इतने वर्ष बाद भी कोई रेल लाइन नहीं बिछाई गई है, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र हैं, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक नीतिगत मामला है। आप इसको उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : यह नीति का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं है।

[अनुवाद]

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ, अन्यथा मैं अन्य सदस्यों के साथ, जो इसको उठाना चाहते हैं, अन्याय करूँगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आपको बैठना पड़ेगा, अन्यथा मुझे सभी को अनुमति देनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो बातें पूछना चाहता हूँ, मैंने परसों अपने भाषण में कहा था कि आपने स्टीम लोको बंद कर दिया है। उसके कारण से उसके शेड बंद हो रहे हैं। उसमें जो कार्यरत कर्मचारी हैं क्या उनको आप निकालेंगे या उनको एडजेस्ट करेंगे . . . . . **(व्यवधान)** हिन्दुस्तान भर में राजधानी के स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आप फ्री रेलवे पास देते हैं और क्योंकि क्षेत्रीय समाचार पत्र प्रारंभ हो गए हैं। जिला केन्द्रों पर भी समाचार-पत्रों के प्रेस हैं, क्या वहां के मान्यता प्राप्त

पत्रकारों को भी आप राजधानी के स्तर पर जो पत्रकारों को सुविधा देते हैं वह देंगे या नहीं देंगे ? . . . (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। नेशनल केपिटल रीजन में एज ए पॉलिसी मैटर यह डिसाइड हुआ था कि दिल्ली पर भार कम किया जाएगा। नयी रिंग रेलवे लाइन डालने के लिए उन्होंने कुछ रिकोमेंडेशंस की थीं, क्या रेलवे मंत्रालय उनकी रिकोमेडेशंस को मानेगा या नहीं मानेगा ? मुझे पिछले साल मंत्री जी से आश्वासन मिला था, मैं वह पत्र लेकर नहीं आया हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि मार्च, 1994 तक सर्वे पूरा हो जाएगा और प्लानिंग कमीशन में रिकोमेडेशंस भेजी जाएगी, इसकी क्या स्थिति है ? एज ए पॉलिसी मेटर आप कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे ? क्योंकि जो सेटेलाइट टाउंस हैं जैसे रोहतक,पलवल, खुर्जा, . . . (व्यवधान) रिंग रेलवे लाइन है, उनकी क्या स्थिति है ?

[अनुवाद]

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एकल आमान नीति के बारे में पूछना चाहता हूँ। तमिलनाडु में 'मीटर-गेज, का प्रतिशत सबसे ज्यादा है।

5.00 म.प.

इसलिए धन का आबंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। तमिलनाडु में 'मीटर-गेज' लाइन सबसे अधिक है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार तमिलनाडु में एकल-आमान कार्य को प्राथमिकता देगी और अधिक धन आबंटित करेगी ताकि वर्ष 1996 तक यह कार्य पूरा किया जा सके ?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, तीन वर्षों से कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास रेलवे की जमीन के बारे में एक प्रपोजल पड़ा हुआ है। अब अगर वह पास हो जाता है तो रेलवे ने जो दाम बढ़ाएं हैं उसकी जरूरत नहीं रहेगी। मैं मांग करता हूँ कि उस प्रपोजल को पास किया जाए और बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए। जो लोग रेलवे की वैस्टलैंड पर जो झोंपड़ी बना लेते हैं उनको आप एन.ओ.सी. नहीं देते हैं। अब अगर आपको जमीन की जरूरत है तो वैकल्पिक जगह दे दो, नहीं है तो सुविधा दे दो। इस पर सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : माननीय मंत्री जी, आपने मुजफ्फरपुर से रक्सोल तक लाइन बना दी। नेपाल तक उसको ले जाने के आग्रह को भी आपने मान लिया है। लेकिन अपने जवाब में यह नहीं कहा है कि उसका उद्घाटन कब होगा ?

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष इस सदन में माननीय मंत्री जो ने वर्ष 1993-94 में मानसी से फरविसगंज बड़ी रेल लाइन करने को कहा था। सर्वेक्षण कराकर 1995-96 में . . . .(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नीतिगत मामला नहीं है। अन्यथा में अन्य माननीय सदस्यों को भी अनुमति दे देता।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : सदन में आश्वासन दिया गया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कृपया बैठ जाइये। अन्यथा मुझे अन्य सदस्यों को भी अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूँ कि क्या वे पहले इस खण्ड को उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या का सर्वेक्षण कराकर और यह जाँच-पड़ताल करके कि कलकत्ता उपनगरीय सेवा के घाटे, जैसा कि उन्होंने दावा किया है, में चलने के क्या कारण हैं, कलकत्ता के लिए उपनगरीय रेलवे सेवाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए तैयार हैं ? और क्या उसके बाद वह सामान्य रूप से रेलवे की अव संरचना के तहत करने की योजना बनायेंगे ?

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केजुअल मजदूरों का पैटिशन अधिक दिन तक पैंडिंग नहीं रखा जा सकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि दानापुर डिवीजन में जो 2400 पैटिशन कैजुअल मजदूरों की पैंडिंग हैं उनको कब तक डिस्पोजल कर देंगे। मंत्री जी ने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिराचिंकिल) : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या शोरानूर से मंगलौर तक की लाइन निजी व्यक्तियों को दी जानी है अथवा जैसी कि केरल सरकार ने मांग की है, इसे कोंकण निर्माण निगम को दिया जाना है।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : रेलवे लाइन के ऊपर आप जहां भी ओवरब्रिज बनाते हैं तो पैदल चलने वालों का रास्ता आप बंद कर देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जहां कहीं भी आप ओवरब्रिज बनाते हैं तो नीचे जो फाटक पर पहले से रास्ता होता है उसको चलाने में क्या कठिनाई है ? दूसरा, 20 साल से भी ज्यादा समय से रेलवे की वैस्टलैंड पर जो झोंपड़ी पड़ी हैं उस लैंड को उन लोगों को देने में क्या कठिनाई है ?

[अनुवाद]

श्री बी.एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, जिन रेलवे फाटकों पर गार्डों की नियुक्ति नहीं होती, वहां अत्यधिक दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। इन गार्ड रहित रेलवे फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं में हजारों लोग मारे जाते हैं। अत:, मैं माननीय मंत्रा से जानना चाहूंगा कि

क्या वे बिना गार्ड वाले रेलवे फाटकों की व्यवस्था हटाकर सिफ गार्ड युक्त रेलवे फाटकों की शुरूआत करेंगे। मैं पुन: इस बात पर बल देता हूँ कि आगे गार्ड रहित रेलवे फाटक नहीं होने चाहियें क्योंकि इन पर दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। रेलवे फाटकों पर गार्डों की नियुक्ति अवश्य होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : डिवीजन आफ जोन के बारे में रीएलोकेशन करके नये डिवीजन निर्माण करने का विभाग ने तय किया है। उसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। पालिसी के आधार पर उसके बारे में क्या निर्णय होगा, मैं यह जानना चाहता हूँ ? दूसरा मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सी जगह पर सप्ताह में एक बार गाड़ी चलती है, लोगों की अपेक्षा है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाये। जैसे अहिंसा एक्सप्रेस है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने में शासन का क्या रुखहै।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह पालिसी मैटर है ?

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : चितरंजन लोकोमोटिव ने 135 इंजन बनाने थे, जबकि लक्ष्य 150 का था और 117 ही बनाये, इसका क्या कारण है ? कैप्टिव वैगन इंडस्ट्री वैगन पूरे नहीं कर पा रही है, उसको पूरे वैगन बनाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? जो लाइनमैन रेगुलर काम करते हैं, उनको कब रेगुलर किया जायेगा?

[अनुवाद]

डॉ. कार्तिकेश्वर पात्र : अध्यक्ष महोदय . . . . .**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डॉ. पात्र आज आप दस बार से भी अधिक बोल चुके हैं। आपको अन्य लोगों को भी बोलने देना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय (राबर्ट्सगंज) : मैंने कई बार मंत्रीजी को पत्र लिखे हैं कि हिन्दुस्तान का जो एनपीटीसी या अन्य बड़े थर्मल पावर प्लांट हैं, उनको कोयला समुचित मात्रा में उपलब्ध कराया जाये। शक्तिनगर से एक गाड़ी दिल्ली तक चलाई जाये। मिर्जापुर में पहले डीलक्स रूकती थी, पूर्वा एक्सप्रेस रूकती थी, क्या उसको फिर से रोकने पर विचार करेंगे ? . . . .**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है और ऐसे सदस्यों के विरूद्ध मैं किसी दिन कार्यवाही करूंगा।

डॉ. आर. मल्लू (नगर कुरनूल) : चारों रेलवे बजटों के दौरान मैं बराबर नगर कुरनूल रायचूर से मछरेला तक की एक रेलवे लाइन के लिए अनुरोध करता रहा हूँ। नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कराने अथवा उसे शुरू कराने का कोई उल्लेख नहीं है। मैं माननीय रेल मंत्री से इसको ध्यान में रखने का अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, उस नीतिगत मामले के बारे में प्रश्न रखने के लिए आपको 45 मिनट की जरूरत होगी।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : रेलवे के पैसा खर्च करने की क्या पालिसी है और हमारे अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों का भी आरक्षण होगा या नहीं होगा ? बांसपाणी-जगपुरा के लिए पैसा नहीं है तो क्या आप पब्लिक इश्यू जारी करेंगे जिससे जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जा सके ? ऐसे ही क्या आप विद्युतीकरण के लिए भी पब्लिक इश्यू जारी करेंगे ? साऊथ-ईस्टर्न रेलवे में विद्युतीकरण कहीं नहीं हैं सिवाय जुपिटर रेलवे के और वह जापान की है।

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद) : अलीगढ़ से मेवात और अलवर तक जोड़ने के लिए पिछले बीस-पच्चीस सालों से रेलवे की स्कीम है . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या यह पॉलिसी मैटर है ?

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : रेलवे बोर्ड द्वारा जिन प्रत्याशियों का चयन किया जाता है तो चयन होने के बाद भी उनको एक-एक साल तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलते हैं। क्या कोई ऐसी नीति निर्धारित की जायेगी कि उनको 6 महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाये और उनकी नियुक्ति हो जाये ?

उनको नियुक्त किया जाये अन्यथा युवकों को निराश होना पड़ेगा। दूसरा मैंने यह पूछा था कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में ऐसी कितनी रेलवे लाइनें हैं जिनको स्वीकृति दी जा चुकी है और इनको कब तक चालू कर दिया जायेगा।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक पॉलिसी बनायी है जिसकी घोषणा लोकसभा में की गयी थी कि हिन्दुस्तान के जितने भी बौद्ध सर्किट हैं या बौद्धों के लिये जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको रेल लाइन से जोड़ा जायेगा।

मैं जानना चाहता हूँ कि उसमें राजगीर-बौद्ध गया भी आती हे, यदि हां, तो उसको कब तक करेंगे ?

[अनुवाद]

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : मैं माननीय मंत्री से पिछड़े क्षेत्रों, उदाहरण के लिए त्रिपुरा में नई रेलवे लाइन बिछाने के बारे में जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा। आप एक अच्छा प्रश्न रख रही हैं।

डा. असीम बाला : पूर्वी रेलवे में वर्ष 1992 से भर्ती किये गये दो समूहों के उम्मीदवारों की नियुक्ति का मामला लंबित है। मैं नीतिगत

मामले के तौर पर यह जानना चाहूंगा कि इस भर्ती के मामले को इतने लंबे समय से लंबित क्यों रखा गया है।

मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि क्या रेलवे प्राधिकरण ने वैगन उद्योग के लिए पर्याप्त आदेश दे दिये हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलम्बूर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी कहा कि उदयपुर का मामला प्लानिंग कमिशन को भेज दिया गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसको 1995-96 में चालू कर दिया जायेगा या नहीं ?

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, एक नीतिगत प्रश्न मंत्री महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। मैंने कल भी यह सवाल उठाया था कि पूरे हिन्दुस्तान में टॉवर कार बनाने के लिये टैंडर निकालते हैं तो जो कम्पनियां या सार्वजनिक क्षेत्र कोटेशन कम देंगी उनको देंगे या जो सबसे अधिक देगी ? 70 लाख टन प्रति टावर कार का किया है। आपका नीगित मामला है जो सबसे अधिक पैसे रेलवे से लेंगे उसे देंगे ? दूसरा मामला मैंने यह उठाया था कि योजना आयोग . . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल नहीं है। मैं महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर आपको बोलने का समय दे रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मण्डल (मुंगेर) : यह पॉलिसी मैटर है। प्लानिंग कमीशन ने मुंगेर में गंगा पुल निर्माण की स्वीकृति दी है उसमें कहा गया है कि इसको 1995-96 में रखा जायेगा जिसको लिखकर श्री प्रणव मुखर्जी ने दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि रेल बजट में इसका प्रावधान क्यों नहीं किया गया है ?

[अनुवाद]

श्री संत राम सिंगला (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों ने इस बात की अत्यधिक मांग की है कि नई रेलवे लाइनें बिछाई जानी चाहियें। माननीय मंत्री ने कहा है कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण नई रेलवे लाइनें बिछाना संभव नहीं है। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में पटियाला और जाखल तथा पटियाला और नरवाणा के बीच संपर्क स्थापित करने का लंबे समय से अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। हम चण्डीगढ़ को राजपुरा और लुधियाना के साथ भी जोड़ने का अनुरोध करते रहे हैं। दुर्भाग्य से यह मांग वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण पिछले 15 वर्षों से पूरी नहीं हो सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह रेलवे लाइन कभी बन ही नहीं पायेगी। हम आने वाली शताब्दियों तक इस प्रकार की स्थिति चलने नहीं दे सकते। क्या माननीय मंत्री इन रेलवे लाइनों पर काम शुरू करने के लिए बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को आमंत्रित करेंगे?

श्री पी.सी. चाको (त्रिचूर) : हमें इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने पुरानी योजना में कुछ नई रेलवे लाइनों को स्वीकृति दी है। केरल ने कोंकण रेलवे लाइन के लिए, जो लगभग पूरी ही होने वाली है, 36 करोड़ रूपये का अंशदान दिया है। हमें फायदा केवल तभी होगा जब कोंकण से शोरानूर तक की रेलवे लाइन को दोहरा किया जाये। अब कोंकण रेलवे यह पेशकश लेकर आगे आया है कि वंह मंगलौर से शोरानूर तक लाइन के दोहरीकरण के कार्य को दो वर्षों के भीतर कर सकता है। क्या मंत्री सभा को आश्वासन देंगे . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नीतिगत मामला नहीं है। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।

. . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

. . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मुझे आपसे कुछ अच्छा करने की उम्मीद थी।

- - - (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाइये।

. . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अन्य सदस्यों को अनुमति नहीं दी है ; मैं आपको भी अनुमति नहीं दूंगा।

. . . (व्यवधान)

श्री ए. अशोकराज (पैरम्बलूर) : महोदय, पैरम्बलूर और तोरायूर को जोड़ते हुए परियालूर से अत्तूर तक और दूसरी तिरूचिरापल्ली से एक रेलवे लाइन के लिए सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये। . . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइये। मेरे विचार से आप रेलवे पर काफी चर्चा कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि अनेक सदस्यों ने नीतिगत मामलों के लिए बहुत योगदान दिया है। इसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिये। इसे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हमें मंत्री जी की सराहना करनी चाहिये। अब प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान करना संभव नहीं है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मंत्री महोदय के धैर्य बनाये रखने का कारण यह है कि श्रीमती जाफर शरीफ उनके सामने बैठी हैं। यही कारण हैं कि इस तनाव की स्थिति में भी वे आज अभी भी मुस्कुरा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो सराहना उन्हीं की जानी चाहिये।

. . . (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आप पहले बात कर चुके हैं। आप बैठ जाइए।

. . . (व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा।

. . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार व्यवहार मत कीजिये।

. . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

. . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको समय दिया है। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

. . . **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय (छपरा) : मुझे एक मिनट बोलने दें। . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। अगर मैंने आपको अलाउ किया तो दूसरों को भी करना पड़ेगा।

. . . **(व्यवधान)**

श्री लाल बाबू राय : मेरा एक पॉलिसी मैटर है। अध्यक्ष जी, दूर-दूर से राजधानी एक्सप्रेस चलती है जैसे गोहाटी से चलती है उसमें जो पेण्ट्री कार है, उसके लिए इन्होंने फिक्स किया है कि जिसके पास एक समय में बैंक में दस लाख रुपया जमा रहेगा उसको पेण्ट्री कार दी जाएगी। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूँ कि इसको बदलकर आप एक लाख या दो लाख रुपया करेंगे क्योंकि हर आदमी के पास दस लाख रूपया नहीं होता है ? . . . **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइये। यह कोई नीतिगत मामला नहीं है।

. . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए कि सभा में पेश आने का यह कोई तरीका नहीं है। कृपया अब बैठ जाएं। बात को समझिए। हमने सबको समय दिया है। आपको मंत्रीजी की बात भी सुननी है। मुझे नहीं पता कि मंत्रीजी कैसे जवाब देंगे। यदि मंत्रीजी अपनी सहायता स्वयं नहीं करेंगे, तो मैं भी उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करूँगा कि मंत्रीजी महत्वपूर्ण नीतिगत मसलों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे मुझे विश्वास है कि उन्होंने सदस्यों द्वारा रखे गए सभी मुद्दों को नोट कर लिया होगा। यदि कोई मुद्दा ऐसा है जिसका जवाब वे आज देने की स्थिति में नहीं हैं, तो मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वे यहां उठाए गए प्रश्नों का जवाब लिखित में देंगे। इसके अतिरिक्त मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वे कटौती प्रस्तावों का जवाब भी देंगे क्योंकि कटौती प्रस्ताव वे प्रस्ताव हैं जो सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और उन पर मंत्रालय द्वारा भी कार्यवाही की जाने की उम्मीद है। माननीय मंत्री जी अब आप जवाब दीजिए और मुझे विश्वास है कि जिन माननीय सदस्यों ने कल रात पूरी तरह से अपना सहयोग दिया था, वे जवाब देने देंगे। इसके बाद, किसी भी माननीय सदस्य को खड़ा होने और पुन: बोलने का अवसर दिए बिना अन्य मामलों को सभा के समक्ष रखा जाएगा।

. . . **(व्यवधान)**

श्री सी.के. जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका तथा इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का भी आभारी हूँ।

[हिन्दी]

श्री माणिक राव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : ट्राईबल एरिया के लिए आपने अपने रिप्लाई में कुछ नहीं बताया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी, आप ट्राईबल एरिया के बारे में कुछ बताइये।

. . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनको बताने के लिए कह दिया है, आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, हमारे देश में आधे से ज्यादा जनजाति बहुल क्षेत्र है। जो परियोजनाएँ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अनेक अन्य राज्यों में शुरू की जा रही हैं, वे जनजातीय क्षेत्रों में भी काम आयेंगी। माननीय सदस्य के मन में कोई और बात है और वे जनजातियों का नाम ले रहे हैं। हर व्यक्ति जनजातीय है। वास्तव में, मैं यह कहना चाहूँगा कि अनेक जनजातीय क्षेत्रों में कार्य किए गए हैं। अनेक आर्थिक क्रियाकलाप जारी हैं। हम कोयले का उत्पादन कहाँ करते हैं ? हम कोयले का उत्पादन करते हैं और उसे विद्युत गृहों में ले जाते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति जनजातीय क्षेत्रों से हुई हैं और वहीं से संचालित होती है। इसलिए, केवल यह कहना कि जनजातीय क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है, सही नही हैं। यदि माननीय सदस्य की रूचि इनमें से किसी विशेष क्षेत्र में हैं, तो मैं उस पर विचार करूँगा।

माननीय सदस्य, श्री राम नाईक द्वारा कुछ नीतिगत मुद्दे उठाए गए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या रेल मंत्री रेल अभिसमय समिति के सदस्य बन सकते हैं अथवा नहीं। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि वर्ष 1946 से रेल मंत्री तथा वित्त मंत्री रेल अभिसमय समिति के सदस्य रहे हैं। मेरे पूर्ववर्ती श्री जनेश्वर मिश्र अन्तिम मंत्री थे जो रेल अभिसमय समिति के सदस्य रहे थे। जब मैंने रेल मंत्रालय का कार्यभार संभाला, तो दुर्भाग्यवश उन्होंने समिति छोड़ दी। जब जगह खाली हुई, तो महोदय, आपको यह बताया गया था, और आपने रेल मंत्री के रूप में मुझे और वित्त मंत्री को भी रेल अभिसमय समिति का सदस्य बनाया था। इससे न केवल रेल अभिसमय समिति को संबंधित मंत्रालयों की समस्याओं और मसलों के सही मूल्यांकन में मदद मिलेगी, बल्कि हमें भी मदद मिलेगी। इसलिए, यह कोई नई बात नहीं है जिसमें गलती ढूंढी जाए।

इससे पहले कि मैं अन्य मुद्दों पर आऊँ, महोदय, मैं आपके परामर्श का अनुपालन करते हुए स्पष्ट रूप से सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्तावों तथा अन्य मुद्दों का जवाब दिया जाएगा। हम सभी माननीय सदस्यों को पृथक रूप से लिखित में जवाब देंगे। हम उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। हमने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को नोट कर लिया है। केवल यही नहीं, बल्कि शब्दश: रिपोर्ट भी विद्यमान है। महोदय, मैंने मामले पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति भी नियुक्त की है। सभा में माननीय सदस्यों से जो कुछ हमें पता लगता है और जो कुछ हमें पूरे देश से पता चलता है,वहीं हमारी सीमाएं हैं जिनसे हमें अपनी कमियों का पता चलता है और यह पता चलता है कि हमारी शक्तियाँ क्या हैं ताकि हम उपचारात्मक उपाय कर सकें। मैं नहीं जानता कि सभा के किसी भी पक्ष का कोई भी सदस्य यह क्यों महसूस करे कि हम उसके विचारों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रणाली सुचारू रूप से चलती रहे, तो हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम आपके विचारों को गंभीरता से लें।

अब, मैं उस मुद्दे पर आता हूँ जो कुमारी गिरिजा व्यास ने उठाया है। मैं उनकी चिन्ता को समझता हूँ। मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि दोनों सभाओं में बजट पारित हो जाने के बाद तथा 15 तारीख को बकरीद मनाने के बाद मैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए उदयपुर का दौरा करूँगा।

महोदय, एक अन्य माननीय सदस्य द्वारा स्टीम लोको शेड के बारे में एक अन्य मुद्दा उठाया गया है। चूंकि ट्रैक्शन को बदला जा रहा है, अत: भाप इंजनों को बड़ी लाइन से हटाया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से सभा को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि ट्रैक्शन में परिवर्तन के बाद कामगारों को हटाया नहीं जाएगा। सभी कामगारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें पुन: नियुक्त किया जा रहा है। हमने एक समिति नियुक्त की है। (व्यवधान)

मैं जानता हूँ आप ठेका कामगारों की बात कर रहे हैं। लेकिन विभागीय कामगारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें पुन: नियुक्त किया जा रहा है। हमने एक समिति नियुक्त की है। महोदय, एक प्रश्न उठता है कि लोको शेड, भूमि, कालोनी आदि जैसी सम्पत्ति क्या-क्या किया जाए। जब आप भाप ट्रैक्शन से डीजल और बिजली ट्रैक्शन पर आते हैं, तो गति बढ़ जाती है। इसलिए, आप वही चीजें कायम नहीं रख सकते। मैंने विशेष रूप से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। कि इस सम्पत्ति, मशीनरी तथा इन कामगारों का क्या किया जाए।

महोदय, मुझे सभा को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने सुना है कि एक देश को हमारे बड़ी लाइन रोलिंग स्टाक की आवश्यकता है। हम एअर ब्रेक प्रणाली वाले इंजन श्रीलंका, बंग्लादेश और मलेशिया को बेचे थे। ये सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और हमें और आर्डर भी प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रणाली छोड़ देने से हमें नुकसान हो रहा है। हम इन चीजों के लिए वहाँ बाज़ार की तलाश कर रहे हैं। जहाँ यह प्रणाली विद्यमान है। हमने इस प्रणाली को इसलिए त्याग दिया है क्योंकि यह प्रणाली हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। हम इस प्रणाली को कायम रखकर जिसकी इस देश को आवश्यकता नहीं है। इतना धन बर्बाद नहीं कर सकते। अग्रेजो अथवा राजा-महाराजाओं ने इस प्रणाली को आरम्भ किया होगा। लेकिन छोटी लाइन प्रणाली के जारी रहने से औद्योगिक विकास नहीं हुआ। इसलिए इसमें ऐसी कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

हमारे केरल के कुछ सदस्य पूछ रहे थे कि शोरानुर - मंगलोर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा अथवा नहीं। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूँगा कि के.आर.सी. से एक पेशकश आई है और हम इसकी जाँच कर रहे हैं। के.आर.सी. ने एक अच्छा कार्य किया है। यदि वे इसे बड़ी लाइन प्रणाली में लाना चाहते हैं तो हम उन्हें यह कार्य सौंप देंगे। अन्यथा भी हमने सभा को वचन दिया है कि कोंकण रेलवे के कार्य के पूरा होने के बाद शोरानुर-मंगलौर लाइन को पूरा किया जाएगा।

तमिलनाडु के मेरे कुछ मित्र तमिलनाडु में निवेश प्रणाली के संबंध में शिकायत कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि वे मुझसे सहमत होंगे कि उनके यहां केवल क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। मैं इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करूँगा कि रेलवे के इतिहास में इतना कार्य कभी नहीं हुआ है जितना इन वर्षों में हुआ है। मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ और यदि कुछ हो सकता है तो कृपया मुझे समझाइए। (व्यवधान)

महोदय, माल-डिब्बा उद्योग के बारे में भी इन्हीं मुद्दों को उठाया गया है और मैं नहीं समझता कि इसकी कोई आवश्यकता है। अन्तत: जैसा कि मैंने पहले कहा है यह एक आवश्यकता आधारित बजट है।

माल डिब्बों की संख्या जाने बिना मुझे कैसे पता चलेगा कि यातायात है अथवा नहीं ? जितने भी रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता है, वह हम प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए, हमने 'ओन योर वैगन योजना' को और आकर्षक बनाया है। दो वर्ष से हमारे पास कोई उपयुक्त आर्डर नहीं आया है। इस योजना को और आकर्षक बनाने के लिए हमें और प्रोत्साहनों का पता लगाना पड़ेगा। माल डिब्बों के प्रयोक्ता भी आगे आए हैं। वे आर्डर देने जा रहे हैं और हम भी खरीद के आर्डर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह से माल डिब्बा उद्योग द्वारा नुकसान उठाए जाने का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय मुखोपाध्याय : वे नष्ट होने जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, एक सदस्य ने नमक के बारे में उल्लेख किया है। नमक नश्वर पदार्थ है और नमक आयुक्त की ओर से जब भी कोई अनुरोध किया गया है, हमने उसे भेजने की पर्याप्त व्यवस्था की है। विशेषकर जब नमक को असम और अन्य स्थानों पर

पहुँचाना हो। यदि कोई विशिष्ट उदाहरण हो तो सदस्य हमें उसके बारे में कभी भी बता सकते हैं और हम ऐसी आवश्यकता का सदा ध्यान रखेंगे।

एक माननीय सदस्य ने राजधानी क्षेत्र का उल्लेख किया है। इस पर ध्यान देना केवल रेल मंत्रालय का ही काम नहीं है, बल्कि समस्त भारत सरकार इसके प्रति चिन्तित है। मेरे साथी, शहरी विकास मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं।

कलकत्ता के कुछ लोगों ने भी उप-नगरीय रेलवे के बारे में उल्लेख किया है। यह सब कुछ शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है। हम इस बात से सहमत है कि हम कार्यकारी अभिकरण है। परन्तु जहां तक वित्त पोषण की व्यवस्था करने का संबंध है, वह शहरी विकास मंत्रालय पर निर्भर करता है। यह बात नहीं है कि रेलवे, उप नगरीय यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार नही है। हम अपनी ओर से, शहरी विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के समन्वय से, जो कुछ भी किया जा सकता है, वह कर रहे हैं। इसलिए अपने पूर्व भाषणों में जब मैंने बजट प्रस्तुत किया था तब और अभी उत्तर के दौरान मैंने उप-नगरीय रेल के बारे में सब कुछ बता दिया है, भले ही वह कलकत्ता, बम्बई अथवा मद्रास के बारे में हो। हमने उसके बारे में सब कुछ कह दिया है। उप-नगरीय रेल हो अथवा लम्बी दूरी की रेल, किसी भी भाग को नजर अन्दाज करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

महोदय, कुछ साथियों ने गोंडा-जबलपुर लाइन का उल्लेख किया है जो कि पहले से मौजूद है। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि सदस्य यह क्यों चाहते हैं कि हम उन मुद्दों को फिर से लें जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। हम आमतौर पर बजट के दौरान जो कुछ भी कहते हैं, उसे पुन: नहीं दोहराते हैं। ऐसी कुछ परियोजनाएं हो सकती है, जिसके लिए हमारे पास धनराशि न हो परन्तु ऐसी परियोजनाएं जो पहले से ही शुरू की गई हों अथवा पहले से ही स्वीकृत हो अथवा निर्माणाधीन हो, हम ऐसी प्रत्येक परियोजना का नाम दोहराते नहीं है।

चर्चा के दौरान हमें कुछ न कुछ पता चलता है। हमें दोष-गुण को देखते हुए केवल ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि हम उपलब्ध संसाधनों में पूरा कर सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों की सहायता से हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हम करते हैं और अन्तत: बजट पारित करने के दौरान हम सदन को इसके बारे में बताते हैं। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूँ . . . . (व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : उड़ीसा के बारे में क्या विचार है ? . . . .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में भी कुछ कहिए।

(व्यवधान)

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मुझे पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कहते हुए प्रसन्नता हो रही है और पूर्वोत्तर राज्यों के माननीय सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चूंकि हम अब इस काम को अपने हाथ में ले चुके हैं, अत: विकास की गति विशेषकर गुवाहाटी से लुमडिंग तक तथा लुमडिंग से डिब्रूगढ़ तक बहुत बढ़ गई है जोकि पहले वहां कभी नहीं थी। हम जिस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं उसको देखने से इस बात का पता चल रहता है। मणिपुर, नागालैण्ड और अन्य क्षेत्रों के माननीय सदस्य इसके बारे में बोलते रहे हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूँ हम इस बारे में योजना आयोग से बात करेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी राजधानियों का सर्वेक्षण किया जाय। महोदय, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ। किसी भी पूर्वोत्तर राज्य को नज़र अन्दाज नहीं किया जाएगा। ये राज्य हमारे देश के अंग हैं। हम उनके क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए अपने साथ प्रगति पथ पर चलेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं बजट सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ। [हिन्दी]

श्री मोहन रावले : क्योंकि मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, मैं सदन से वाक आऊट करता हूँ।

5.36 म.प.

इस समय श्री मोहन रावले सभा-भवन से बाहर चले गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं रेल अभिसमय समिति, 1991 के नौवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुमोदन के संबंध में श्री सी.के. जाफर शरीफ द्वारा प्रस्तुत संकल्प सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

. . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इस संबंध में आपसे चर्चा करेंगे और आपको लिखेंगे। यहां पर सब का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा अन्य सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों की समीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1991 के नौवें प्रतिवेदन, जो 14 मार्च, 1995 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट पैरा 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 65 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा अनुदानों की मांगे (रेलवे) वर्ष 1995-96 पर कई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखूं ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं चाहता हूँ कि कटौती प्रस्ताव संख्या 1,2 और 802 को अलग से मतदान के लिए रखा जाये।

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय, मद संख्या 24 के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव को भी अलग से मतदान के लिए रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

अब मैं, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1,2 और 802 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1,2 और 802 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 24 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 24 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : हम वाक-आउट करते हैं। (व्यवधान)

5.38 म.प.

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं एक साथ प्रस्तुत अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को, सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1995-96 के लिए अनुदान की माँगें (रेल) सभा हेतु रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में माँग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए माँग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए मार्च सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राशियों से अनाधिक संबंधित राशियाँ भारत की संचित निधियों से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1992-93 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेल) सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनाधिक संबंधित अतिरिक्त राशियाँ भारत की संचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जाएं।

मांग संख्या 8 और 16"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.39 म.प.

विनियोग (रेल) विधेयक संख्यांक 2,1995*

रेल मंत्री (श्री जाफर शरीफ) मैं प्रस्ताव करता हूँ : "कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संक्षय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ**

मैं प्रस्ताव करता हूँ

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 95-96 की सेंवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोंग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधयेक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

---

* दिनांक 4.5.95 के भारत के असाधारण राजपत्र में भाग - 2, खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्पति की सिफारिशों से पुन:स्थापित प्रस्तुत

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"खण्ड 1, अधिनियमन सत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूँ"

"कि विधेयक पारित किया जाए"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.41 म.प.

विनियोग (रेल) विधेयक संख्यांक-3,1995 *

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए, वित्तीय वर्ष के लिए रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए, वित्तीय वर्ष के लिए रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं विधेयक पुन:स्थापित करता हूँ।**

मैं प्रस्ताव पारित करता हूँ।

"कि मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए, वित्तीय वर्ष के लिए रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए, वित्तीय वर्ष के लिए रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अन्य सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि सभा में ऐसा हो संसदीय मामलों के मंत्री महोदय आप अपने सदस्यों को नियन्त्रित नहीं कर रहे हैं। आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। आप उस बात की अनुमति दे रहे हैं जो भविष्य में भी नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

---

* दिनांक 4.5.95 के भारत के असाधारण राजपत्र में भाग - 2, खंड 2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिशों से पुन:स्थापित प्रस्तुत

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया किया गया

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : बहुत से मंत्री दीर्घा के पास बातें कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हमें क्या करना चाहिये ? क्या हम रक्षा मंत्रालय की अनुदान माँगों पर चर्चा करें ? मुश्किल से 15 मिनट शेष हैं। श्री जसवन्त सिंह यदि आप चर्चा शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं समय के पहले सभा को स्थगित करना ठीक नहीं दिखता। इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ लेकिन निश्चित रूप से आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं सभा के समय का ध्यान रखने की प्रशंसा करता हूँ। मैं इसकी भी प्रसंशा करता हूँ कि सभा के एक मिनट का भी सदुपयोग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इसके लिए ऐसा कोई तरीका नहीं खोज पाए हैं कि 6.00 बजे तक इसे पूरा किया जा सके।

श्री जसवन्त सिंह : मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। क्या मैं बता सकता हूँ कि प्रथमत: हम रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार कर रहे हैं। मैंने सभा में हुई चर्चा में सुना है। पिछले पाँच वर्षों दौरान इस 1992 और 1994 के दौरान इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी। इन वर्षों रक्षा मंत्रालय की अनुदान माँगों में पर हम विचार नहीं कर सके थे। मैं इसे बहुत महत्त्वपूर्ण मंत्रालय मानता हूँ। अब, जब हम इसे एक अन्तराल के बाद सभा मे ले रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण मंत्रालय और विषय पर सभा में चर्चा करेंगे तो मेरा यह निवेदन गलत नहीं होगा कि यह चर्चा दिन के अन्त में नहीं होनी चाहिए यह दिन की चर्चा के शुरूआती दौर में होनी चाहिए। मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर निजी अन्य सदस्य को और कुछ कहना है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : यह अध्यक्ष महोदय को सुनिश्चित करना है।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा आप सब कुछ मेरे ऊपर मत छोड़िए। आप स्वयं उसे सुनिश्चित करें।

श्री मल्लिकार्जुन : आज का दिन समाप्त हो रहा है और माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह ने एक सुझाव दिया है। इस पर हम बहस कर सकते हैं।

मेजर जनरल रिटायर्ड भुवनचन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री जसवन्त सिंह से सहमत हूँ। रक्षा मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यदि इसे कल 2 बजे लिया जाता है, तो इस पर हम अच्छी बहस कर सकते हैं।

प्रो. सावित्री लक्षमणन (मुकुन्द पुरम) : महोदय कल हम देर रात तक बैठे थे, तो यही अंच्छा होगा कि अब हम सभा को स्थगित करें और इसे कल लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसकी क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, यहाँ पर क्षतिपूर्ति का कोई प्रश्न नहीं है। मुश्किल से दस मिनट का समय बचा है।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसे कल ही शुरू किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

प्रो. सावित्री लक्षमणन : सभी लोग इस पर कल ही चर्चा चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, मैं श्री जसवन्त सिंह जी से एक अनुरोध करता हूँ उनके पास दो बार बोलने का सुनहरा अवसर है। यदि वह अपना भाषण आज शुरू करते हैं जैसा कि उनको 10 मिनट का समय उपलब्ध है, मुझे आशा है कि वह कम से कम चार या छुट-पुट मुद्दे संक्षेप में बता सकते हैं। इससे हमें उनके विचारों की जानकारी मिल जाएगी। हम भा.ज.पा. के उन विचारों से परिचित हैं कि वह सभा के बाहर यह कहते हैं कि वे बम बनाना चाहते हैं और सभा के अन्दर कहते हैं कि वे इस विकल्प को खुला रखना चाहते हैं। शायद अगले कुछ मिनटों में वह हमें बताएं कि भा.ज.पा. का आणविक हथियारों के प्रति क्या दृष्टिकोण है। इसमें केवल दस मिनट लगेंगे और तब हम कल सुबह से रक्षा सम्बन्धी गम्भीर मसले को लेंगे।

श्री जगतवीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, मैं श्री मणिशंकर अय्यर के विचारों से पूर्ण सहमत हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि इसे आज ही शुरु किया जाना चाहिए?

श्री जगतवीर सिंह द्रोण : वास्तव में, मेरा उनसे अनुरोध है कि आणविक विकल्प को खुला रखने के बारे में उन्हें भा.ज.पा. के दृष्टिकोण की जानकारी मिल ही जाएगी। किन्तु श्री जसवन्त सिंह जी आज सारे दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि चर्चा 3.00 बजे से शुरू की जानी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि रेलवे पर चर्चा समाप्त होने पर उन्हें सूचित कर दूं, और मैं यहाँ से दौड़कर पुस्तकालय में उनको यह सूचित करने के लिए गया। यह इसके लिए यह उचित नहीं होगा कि हम उनसे चर्चा की शुरूआत करने के लिए कहें। किन्तु श्री मणिशंकर अय्यर वह काफी जानकारी देंगे। इसलिए भी मैं यही आग्रह करता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय पर चर्चा शुरू करने का समय नहीं है। क्योंकि इस पर चर्चा पिछले वर्ष और उससे पहले भी नहीं की गई थी। महोदय, मेरा यह निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कल्पनाथ राय जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ? हम, आपको सुनना चाहते हैं। खड़े होइए और कुछ कहिए।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ठीक है, यहाँ पर कुछ औपचारिकताएं हैं। मैं उनको पूरा कर लूं और तत्पश्चात् हम सभा को स्थगित करेंगे।

5.51 म.प.

अनुदानों की मींगें (सामान्य), 1995-96

रक्षा मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में मींग संख्या 15 से 21 तक जो रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध हैं चर्चा होगी और मतदान होगा। जो माननीय सदस्य सभा में उपस्थित हैं और जिनकी अनुदान मींगें परिचालित की गई है और यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह आज या कल सभा के शुरू होने के पन्द्रह मिनटों के अन्दर अपनी पार्टियों में भेज दें और उसमें उस कटौती प्रस्ताव की संख्या भी अंकित होनी चाहिए जिसे वह प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ माना जाएगा जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तावित किए हुए माने जाएंगे उनकी सूची सूचना पर लगा दी जाएगी। यदि कोई सदस्य सूची में कोई विसंगति पाता है तो वह शीघ्र ही यह बात टेबिल ऑफिस के अधिकारी की जानकारी में लाएं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

" कि कार्यसूची के स्तम्भ चार में मींग संख्या 15 से 21 के सामने दिखाए गए मींग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1995-96 के लिए अनुदानों की मींगें (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1	2	3	4
	रक्षा मंत्रालय		
15.	रक्षा मंत्रालय	337,80,00,000	3,42,00,000
16.	रक्षा पेशनें	476,13,00,000	
17.	रक्षा सेवाएं - थल सेना	2140,49,00,000	
18.	रक्षा सेवाएं - नौ सेना	261,29,00,000	
19.	रक्षा सेवाएं - वायु सेना	710,72,00,000	
20.	रक्षा आयुध निर्माणियां	118,07,00,000	
21.	रक्षा सेवाओं पूंजी परिव्यय		1224,55,00,000

कटौती प्रस्तावों का पाठ

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि रक्षा सेवाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(सात वर्ष बीत जाने के बावजूद बोफोर्स तोप सौदे में दलाली लेने वाले व्यक्तियों का पता लगाने में असफलता।) (34)

"कि रक्षा सेवायें - थल सेना शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(शस्त्र प्रणाली, गोला-बारूद तथा उपकरणों के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने तथा भारतीय सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता।) (35)

"कि रक्षा सेवाएं-नौ सेनाएं शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(मझगांव गोदी को क्रयादेश दिये जाने की असफलता जिसकी वजह से यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परिसम्पत्ति वस्तुत: बेकार हो रही है।) (36)

(भारतीय नौ सेना में उपकरणों की कमी को शीघ्र पूरा करने तथा उपकरणों का बड़े पैमाने पर देश में ही उत्पादन किये जाने की आवश्यकता (37)

"कि रक्षा सेवाएं - नौ सेना शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(भारतीय समुद्री तट तथा अन्दमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूहों के तटों की पर्याप्त निगरानी तथा चौकसी किये जाने की आवश्यकता। (38)

"कि रक्षा सेवाएं - वायु सेना शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

(भारतीय वायु सेना के उपकरणों की कमी को पूरा किये जाने तथा स्वदेशी उपकरणों का बड़े पैमाने पर देश में ही उत्पादन किये जाने का आवश्यकता।) (39)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

(भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाले भारत-अमरीकी संयुक्त रक्षा अभ्यास को रद्द करने में असफलता।) (56)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास हेतु प्रभावी कार्यक्रम प्रारम्भ करने में असफलता।) (57)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी में स्वदेशी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने में असफलता और इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रण देने से भारत के राष्ट्रीय हित को उत्पन्न गम्भीर खतरा।) (58)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(तथाकथित शान्ति स्थापित करने संबंधी कार्यों के लिए भारत की सैनिक टुकड़ियों को विदेशों में भेजने की प्रथा को समाप्त करने में असफलता। (59)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(भारत के 'अग्नि' और 'पृथ्वी' प्रक्षेपास्त्रों संबंधी विकास कार्यक्रमों में कटौती करने के विदेशी दबाव को रोकने में असफलता।) (60)

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

(बोफोर्स तोप सौदा में शामिल सभी दोषी व्यक्तियों को सज़ा दिलाये जाने में असफलता।) (61)

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, आज सभा स्थगित करने से पहले मैं इस बात की प्रसंशा करना चाहता हूँ कि सदस्य कल देर रात तक सभा में उपस्थित रहें और रेल मंत्रालय की मांगों से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। मैं इस बात की भी प्रंशसा करता हूँ कि सभी संबद्ध लोगों से सहयोग मिला, संसदीय कार्य मंत्री और रेल मंत्री जी से भी सहयोग मिला।

अब सभा कल 5 मई 1995 को 11 म.प. पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

5.53 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार 5 मई, 1995/15 वैशाख 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।